भारत सरकार मुद्रणालय
से दिनांक 1 315
17/1/10/06

रजिस्ट्री सं. डीएल(एन)-04/0007/2003--05

REGISTERED No. DL(N)-04/0007/2003—05

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

P.O. 150
KM. 12
DB-138

पूरा किया

सं॰ 51] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 17—दिसम्बर 23, 2005 (अग्रहायण 26, 1927)
No. 51] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 17—DECEMBER 23, 2005 (AGRAHAYANA 26, 1927)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I--खण्ड-1--(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	1273
भाग I--खण्ड-2--(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	1177
भाग I--खण्ड-3--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	13
भाग I--खण्ड-4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गईं सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	2459
भाग II--खण्ड-1--अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II--खण्ड-1क--अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II--खण्ड-2--विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II--खण्ड-3--उप-खण्ड (i)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*
भाग II--खण्ड-3--उप-खण्ड (ii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*
भाग II--खण्ड-3--उप-खण्ड (iii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग II--खण्ड-4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग III--खण्ड-1--उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गईं अधिसूचनाएं	2017
भाग III--खण्ड-2--पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गईं पेटेन्टों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस	617
भाग III--खण्ड-3--मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गईं अधिसूचनाएं	*
भाग III--खण्ड-4--विधिक अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गईं अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	2977
भाग IV--गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	361
भाग V--अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

1—371GI/2005

CONTENTS

	Page
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1273
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1177
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	13
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	2459
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules including Orders, Bye-laws, etc. of general character issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	2017
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	617
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the Authority of Chief Commissioners	*
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	2977
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	361
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I—खण्ड 1
[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 28 नवम्बर 2005

सं. 132-प्रेज/2005-राष्ट्रपति, आन्ध्र प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :--

अधिकारियों के नाम और रैंक
सर्व/श्री

1. जी. राजा किशोर बाबू,
   निरीक्षक

2. एस. मुरुगेसन
   उप-निरीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

निरीक्षक जी. राजा किशोर बाबू और उप-निरीक्षक एस. मुरुगेसन, जिन्हें सी पी आई (एम एल) पीपुल्स वार ग्रुप द्वारा की गई वारदातों का पता लगाने और अभियुक्तों को पकड़ने के कार्य के लिए तैनात किया गया था, ने अनवरत रुप से बहुत मेहनत की, स्रोत विकसित किए और वत्थलुरु वन, जो तिरुपति (अलीपीरी) से सटा हुआ है, में अपराधियों की उपस्थिति के बारे में अंततः 14/15.11.2003 के बीच की रात को विश्वसनीय सूचना प्राप्त की। लेकिन क्योंकि समय बहुत कम था और मुख्यालय से कुमुक मिलने की संभावना भी नहीं थी इसलिए इन्होंने अपर्याप्त सहायक बल के साथ ही अपने आप को मानसिक रुप से तैयार कर लिया। चूंकि विद्रोही पूरी तरह से तैयार थे और अपनी चालें चल रहे थे इसलिए इन दोनों ने टीम को दो भागों में बांटने और एक-एक टीम का नेतृत्व करने का निर्णय लिया। जब सर्व श्री राजा किशोर बाबू और मुरुगेसन, अपनी-अपनी टीमों के साथ घने जंगल से आच्छादित पहाड़ी की ओर बढ़ रहे थे तो उसी समय पीपुल्स वार ग्रुप के लगभग 10-12 नक्सलियों का सशस्त्र दल, जो ऊंचाई पर था, पुलिस पार्टी की ओर बढ़ रहा था। इससे पहले कि पुलिस पार्टी विद्रोहियों को देख पाती, विद्रोहियों ने अपने दल को दो भागों में बांट कर अपने दल के नामी विद्रोहियों को सुरक्षित रुप से बच निकलने के लिए रास्ता बनाने हेतु दोनों पुलिस टीमों पर गोलीबारी कर दी। निरीक्षक जी. राजा किशोर बाबू और उप-निरीक्षक एस. मुरुगेसन तथा उनकी टीमें, पीपुल्स वार ग्रुप के पूरी तरह से तैयार सशस्त्र कार्यकर्ताओं, जिन्होंने ग्रेनेड भी फेंके थे, की इस कार्रवाई से अचंभित रह गए। इससे पुलिस की टीमों, जो मृत्यु के साये में थी, के जीवन को सन्निकट खतरा था। यदि विद्रोहियों की तरफ एक भी कदम बढ़ाया जाता तो मृत्यु अवश्यंभावी थी। पुलिस पार्टी चट्टानों के पीछे छिपी थी तथा इनके पास दो विकल्प बचे थे, या तो वे अपना जीवन बचा लें या अपना जीवन और निजी सुरक्षा जोखिम में डालें। एक कदम भी आगे बढ़ाने का मतलब शर्तिया मृत्यु थी। ऐसी स्थिति में इन्होंने अपने आपको बचाने की बजाए विद्रोहियों पर हमला करना बेहतर समझा। निरीक्षक जी. राजा किशोर बाबू और उप-निरीक्षक एस. मुरुगेशन ने विद्रोहियों पर गोलीबारी करके हमला किया और उनकी ओर बढ़े। निरीक्षक जी. राजा किशोर बाबू और उप-निरीक्षक एस. मुरुगेसन की इस

सोची-समझी चाल से न केवल पी डब्ल्यू जी के तीन महत्वपूर्ण सशस्त्र आततायी मारे गए बल्कि बाकी विद्रोहियों को उस स्थल पर अपना माल छोड़ कर भागने पर मजबूर भी कर दिया। यदि निरीक्षक जी. राजा किशोर बाबू और एस. मुरुगेसन ने अपने जीवन और निजी सुरक्षा की कीमत पर विद्रोहियों पर फुर्ती से गोलीबारी कर, वीरता और साहसपूर्ण हमला करने का जोखिम न उठाया होता तो यह उत्कृष्ट कार्य न होता तथा जब्त किए गए दस्तावेजों से अलीपिरी की इस कार्रवाई का वृतांत नहीं मिल पाता। यह पुलिस स्टेशन पुल्लमपेठ, कपाड़ा जिला, आन्ध्र प्रदेश में भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के साथ पठित धारा 147, 148, 307, शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1ख) और 27 ए पी पी एस अधिनियम की धारा 8 के अधीन एफ आई आर सं. 41/2003 की विषय वस्तु है। मृतकों, जो सर्वाधिक वांछित थे तथा उनसे की गई बरामदगी का ब्योरा नीचे दिया गया है।

1. सेक नरसिम्हुलु उर्फ सिवा पुत्र नल्लप्पा, 26 वर्ष, गुणपल्ली (वी), बुक्कापटनम (एम), अनंतपुर जिला - कमांडर, गुव्वलचेरुवु स्क्वाड, सी पी आई (एम एल), पीपुल्स वार।

2. सुक्कुरी मल्लेश उर्फ मधु, पुत्र चन्द्रैया, 27 वर्ष, डुब्बका (वी), डुब्बका (एम), मेडक जिला -कुरियर, स्टेट मिलिट्री कमीशन, सी पी आई (एम एल), पीपुल्स वार।

3. सेक गंगाधर उर्फ भुजंगम, पुत्र नरसिम्हुलु, 22 वर्ष, गुणिपल्ली (वी), बुक्कापटनम (एम), अनंतपुर जिला-डिप्टी कमांडर, पपन्नी स्कवाड, सी पी आई (एम एल) पीपुल्स वार।

बरामदगी:

मृतक - 1 से: सेक नरसिम्हुलु उर्फ सिवा - कमांडर

एक एस बी बी एल बंदूक, फायर किए गए दो खाली राउंद, डी बी बी एल के 13 जीवित राउंद, जंगल पैच वर्दी, सीमेंट के रंग का पीठ का एक झोला, कमर की एक बैल्ट।

मृतक-2 से: सुकुरी मल्लेश उर्फ मधु, कुरियर, स्टेट मिलिट्री कमीशन

22222 नं. वाला एक रिवाल्वर (जापान में निर्मित) और दस राउंद, एक 'तपंचा', जंगल पैच वर्दी का एक जोड़ा, सीमेंट के रंग का एक झोला, झोले में जंगल पैच वर्दी पाई गई। केन्द्रीय समिति के सदस्य को संबोधित सचिव, राज्य समिति का गोपनीय पत्र जिसमें आन्ध्र प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री पर 1 अक्तूबर, 2003 को प्राण घातक हमला करने के बारे में लिखा गया था (इससे मामले का पता लगाने का सुराग मिला)

मृतक-3 से: सेक गंगाधर उर्फ भुजंगम, डिप्टी कमांडर

एक एस बी बी एल बंदूक, 5 जीवित कारतूस, 4 क्षतिग्रस्त राउंद, एक खाली कारतूस और 10 रिवाल्वर राउंद, एक जंगल पैच वर्दी, सीमेंट के रंग का एक झोला तथा एक किट, जिसमें कपड़े थे, पाए गए।

इस मुठभेड़ में सर्वश्री जी. राजा किशोर बाबू, निरीक्षक और एस. मुरुगेसन, उप निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 15 नवम्बर, 2003 से दिया जाएगा ।

(बरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 133- प्रेज/2005-राष्ट्रपति, आन्ध्र प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. के. सुब्रमण्यम,
   डिप्टी एसॉल्ट कमांडर
2. ए.वी. रामानैया
   वरिष्ठ कमांडो-1587
3. ए.एस. चक्रवर्ती
   उप-निरीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

उप-पुलिस अधीक्षक, पार्वतीपुरम को सूचना मिली कि श्रीकाकूलम डिविजन की विशेष गुरिला स्क्वैड अपने 25 सदस्यों के साथ गांवों के कोटिया ग्रुप में घूम रही है। यह सूचना, अभियान की योजना बनाने और उसका संचालन करने के लिए नामजद व्यक्तियों और अन्य भागीदारों को दी गई। यह अभियान कोटिया के घने जंगल वाले पहाड़ी क्षेत्र में चलाया जाना था जहां पर पीपुल्स वार ग्रुप का दबदबा है। ग्रेहाउंड्स असॉल्ट यूनिट और सिविल पुलिस संघटक के साथ इस कार्य के लिए नामजद व्यक्तियों ने 07.03.2004 को लगभग 1800 बजे अभियान के लिए कूच किया। लगभग 0030 बजे कोटिया गांव से दो किलोमीटर पहले इन्हें उतारा गया और फिर ये घने जंगल में लगभग 4 कि.मी. पैदल चले। रात को ये एक सुविधाजनक और रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान के निकट रुके और कुछ समय वहां पर ठहरे। अगले दिन इन्होंने सुबह लगभग 0600 बजे प्रस्थान किया और विश्राम स्थल से लगभग 2 कि.मी. तक पैदल चले। लगभग 0730 बजे इन्होंने पहले स्काउट से लगभग 100 मीटर की दूरी पर व्यक्तियों की कुछ संदिग्ध हलचल देखी। इन्होंने तत्काल पार्टी को रोका और क्षेत्र का सावधानीपूर्वक मुआयना किया तथा जैतून-हरित रंग की वर्दी में कई लोगों को देखा जिनके पास शस्त्र थे और वे निकटवर्ती गांव की ओर बढ़ रहे थे। तुरंत ही इन्होंने और इनकी यूनिट ने यह पाया कि उनसे आगे-आगे जा रहे लोग विद्रोही हैं। तुरंत ही नामजद व्यक्तियों ने पार्टी को दो हिस्सों में बांटकर चतुराईपूर्ण अभियान चलाने की योजना बनाई और विद्रोहियों की ओर लुक-छिपकर बढ़ने लगे। डिप्टी असॉल्ट कमांडर, ए.एस. चक्रवर्ती, उप-निरीक्षक सलूर और श्री ए.वी. रामानैया, वरिष्ठ कमांडो 1587 और छः अन्य नामजद व्यक्ति एक ओर से बढ़े तथा ए ए सी श्री पी. किरण कुमार तथा ए ए सी बी. श्रीनिवास राव ने अन्य लोगों के साथ दूसरी दिशा को कवर किया। विद्रोहियों का दूसरा पायलट, जो गांव की ओर बढ़ रहा था, ने उसे छोड़ दिया क्योंकि उसने पुलिस पार्टी की चाल काफी पहले भांप ली और अपने अन्य सदस्यों को सचेत कर दिया।

इसके तत्काल बाद उन्होंने पुलिस पार्टी पर अचानक हमला करने की योजना बनाई ताकि पुलिस पार्टी को भारी नुकसान पहुंचाया जा सके। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जब आगे बढ़ रही पुलिस पार्टी पहाड़ी की तलहटी तक पहुंची तो उन्होंने 2 क्लेमोर सुरंगों (दिशात्मक सुरंगे) में विस्फोट कर दिया। उन्होंने पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध गोलियां भी बरसाईं और साथ-साथ दो और क्लेमोर सुरंगों में विस्फोट किया। एक क्लेमोर सुरंग का विस्फोट दूसरे नामजद श्री ए.वी. रामानैया, वरिष्ठ कमांडो 1587 के दांई तरफ हुआ। दूसरी क्लेमोर सुरंग का विस्फोट पहले नामजद के दांई तरफ कुछ मीटर की दूरी पर हुआ। लेकिन पुलिस पार्टी इससे विचलित नहीं हुई और उन पर साहसिक जवाबी हमला कर दिया। तब पहले नामजद श्री के. सुब्रमण्यम, डी ए सी ने यह नोट किया कि विद्रोहियों का एक ग्रुप गोलीबारी की आड़ में पुलिस पार्टी पर हमला करने के लिए उनके निकट आ रहा है ताकि पुलिस पार्टी को घेर कर मारा जाए। यद्यपि विद्रोही भारी गोली-बारी कर रहे थे फिर भी नामजद श्री के. सुब्रमण्यम, डी ए सी ने ए.एस. चक्रवर्ती और एस.सी. 1587 ए वी रामानैया के साथ एक चक्कर लगाया और रेंगते हुए विद्रोहियों की ओर बढ़ने लगे और चतुराई पूर्ण चाल चली। अपने जीवन की परवाह किए बगैर और गंभीर जोखिम पर ध्यान दिए बिना पहले नामजद के. सुब्रमण्यम ने एस सी 1587 ए वी रामानैया और ए एस चक्रवर्ती के साथ मिल कर अपने स्वचालित हथियारों से तेज गोलीबारी शुरु कर दी और आगे बढ़े तथा विद्रोहियों से 30 मीटर की दूरी तक पहुंच गए। गोली-बारी की मात्रा कम करने और स्थिति पर रणनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए इन्होंने हथगोले भी फेंके। विद्रोहियों और पुलिस पार्टी के बीच लगभग 30 मिनट तक चली भारी गोलीबारी के बाद इस बुद्धिमानीपूर्ण और साहसिक चाल के कारण 3 खूंखार विद्रोही मारे गए। मारे गए विद्रोहियों की पहचान बाद में 1)कोडरी त्रिनाथ राव पुत्र लक्ष्मैया, 30 वर्ष, कमांडर, एस जी एस श्रीकाकुलम डिविजन, 2)सिंगुपल्ली रामकृष्णन पुत्र कुबेरु, 25 वर्ष सदस्य, एस जी एस 3) कोंडागोरी बोदेम्मा, 19 वर्ष, सदस्य एस जी एस के रुप में हुई। दूसरे विद्रोही, ऊबड़ खाबड़ जमीन और घनी झाड़ियों की आड़ में भाग खड़े हुए। मुठभेड़ के बाद जब क्षेत्र का सर्वेक्षण किया गया तो उस स्थल से .303 की तीन राइफलें, .303 के 113 राउंद, एक जीवित हथगोला और अन्य उपकरण बरामद हुए। मारा गया विद्रोही कोडारी त्रिनाथ राव, सलूर सर्किल, विजयनगरम निदेशालय के सी आई श्री गांधी की सनसनीखेज हत्या और कुरुर रेलवे स्टेशन को उड़ाने के लिए जिम्मेदार था। तीन अन्य विद्रोही, उड़ीसा राज्य के कोरापुट जिला पुलिस मुख्यालय से हथियार लूटने और लूट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए जिम्मेदार थे। बाद में यह पाया गया कि बरामद किए गए सभी हथियार, कोरापुट जिला पुलिस मुख्यालय से लूटे गए थे। श्री के. सुब्रमण्यम डी ए सी, ए.एस. चक्रवर्ती, एस आई सलूर और एस सी.ए.वी. रामानैया ने इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अनुकरणीय व्यक्तिगत साहस और नेतृत्व प्रदर्शित किया, कर्तव्यपरायणता से परे साहस और बहादुरी का परिचय दिया।

इस मुठभेड़ में, सर्वश्री के. सुब्रमण्यम, डी ए सी, ए.वी. रामानैया, एस सी-1587 और ए.एस. चक्रवर्ती, उप-निरीक्षक, ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 8 मार्च, 2004 से दिया जाएगा ।

(बरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 134- प्रेज/2005-राष्ट्रपति, आन्ध्र प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वारता क लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री जुलापल्ली रामा राव,
पुलिस सर्किल निरीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

14.03.2004 से तीन सप्ताह पहले, उज्जेथुला रवि, उर्फ मधु, कमांडर के नेतृत्व में भूपालपल्ली क्षेत्र सी पी आई (एम एल) सी पी जनशक्ति दलम ने अपने दलम के सदस्यों के साथ वारंगल जिले के मुलुगु मंडल से (1) के. प्रेम कुमार, वरिष्ठ अभियंता और (2) चन्द्र गौड़, पर्यवेक्षक, ए.के. आर निर्माण कंपनी, मुलुगु का व्यपहरण किया और उन्हें छोड़ने के लिए 20 लाख रूपए की फिरौती की मांग की। श्री जे. रामा राव, सर्किल निरीक्षक ने अथक प्रयास किए और करीमनगर सब-डिविजन के अधीन कामलापुर पी एस की सीमाओं के बाह्य क्षेत्र शनीगराम (वी) में भूपाली क्षेत्र जन शक्ति दलम की उपस्थिति के बारे में महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त की। श्री जे. रामा राव, पुलिस सर्किल निरीक्षक ने स्वयं अभियान चलाने की योजना बनाई जिसके परिणामस्वरूप शनीगराम (वी) के बाह्य क्षेत्र में 14.03.2004 को 1600 बजे दोनों ओर से गोलीबारी हुई। जब गोलीबारी हो रही थी, उस समय श्री जे. रामाराव, सर्किल निरीक्षक ने अपने दल का नेतृत्व किया और धीरे-धीरे उस स्थान की ओर बढ़ने लगे जहां से गोलीबारी हो रही थी। इन्होंने अपने जीवन की परवाह किए बगैर और अत्यधिक कर्तव्यपरायणता का परिचय देते हुए श्री जे. रामाराव, सर्किल निरीक्षक ने अकेले ही विद्रोहियों का सामना किया और निरंतर गोलीबारी करते हुए विद्रोहियों के शिकंजे से एक अपहृत व्यक्ति को छुड़ा लिया तथा दो विद्रोहियों को मार गिराया। यह गोलीबारी लगभग बीस मिनट तक चली। जब पुलिस आगे बढ़ी और क्षेत्र की तलाशी ली तो उस स्थान पर दो मृत व्यक्ति पाए गए। बाद में उनकी पहचान 1. कल्लम लक्ष्मा रेड्डी उर्फ प्रभाकर, वारंगल जिले के गांव गोल्ला बुद्दाराम के निवासी, डिप्टी कमांडर, सी पी आई (एम एल) सी पी जन शक्ति भूपालपल्ली क्षेत्र और शत्ती शंकर पुत्र पपैया, 19 वर्ष मुन्नुरू कपु, निवासी जुबलीनगर (वी), रेगोंडा मंडल, वारंगल जिला, दलम सदस्य के रूप में की गई। जब गोलीबारी चल रही थी तो विद्रोहियों ने चन्द्र गौड़, पर्यवेक्षक की हत्या कर दी और दूसरे व्यक्ति को विद्रोहियों के शिकंजे से मुक्त करा दिया गया। एक टी एस एम सी बंदूक, 9 एम एम के 61 जिंदा राउंद और एक किट बैग गोलीबारी के क्षेत्र से बरामद हुआ। यह भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 366-क, 302, 307 और भारतीय शस्त्र अधिनियम की धारा 25(i) (क)27 के तहत कामलापुर पी एस की अपराध सं0 31/2004 की विषय वस्तु है। मारा गया विद्रोही कल्लम लक्ष्मा रेड्डी, सी पी आई (एम एल) सी पी जनशक्ति ग्रुप में एक बहुत वरिष्ठ कार्यकर्त्ता था और वह पुलिस के साथ हुई कई गोलीबारियों में बच गया था। लक्ष्मा रेड्डी, सी पी आई (एम एल) सी पी जनशक्ति में सर्वाधिक वरिष्ठ वांछित विद्रोही था। कल्लम लक्ष्मा रेड्डी के मारे जाने से सी पी आई (एम एल) सी पी जन शक्ति के आन्दोलन को भारी धक्का लगा। वह करीमनगर और वारंगल ज़िले में कई राजनीतिक हत्याओं, पुलिस पर हमले, आगजनी तथा अन्य अपराधों के लिए जिम्मेदार था। सर्किल निरीक्षक ने भूपालपल्ली क्षेत्र जनशक्ति दलम की उपस्थिति के बारे में महत्वपूर्ण सूचना एकत्र करने के लिए अथक प्रयास किए जिसके परिणामस्वरूप एक डिप्टी कमांडर और एक दलम सदस्य मारा गया। इस प्रकार उक्त नामजद सर्किल निरीक्षक के दृढ़ निश्चय और साहस ने कठिन परिस्थिति में अपने जीवन को अत्यधिक जोखिम में डाल कर एक अपहृत व्यक्ति का जीवन बचाया जिससे पुलिस विभाग का नाम रोशन हुआ।

इस मुठभेड़ में श्री जुलापल्ली रामा राव, पुलिस सर्किल निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 14 मार्च, 2004 से दिया जाएगा ।

(बरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 135- प्रेज/2005-राष्ट्रपति, आन्ध्र प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्वश्री

1. एम. स्टीफन रवीन्द्र,
   अपर पुलिस अधीक्षक
2. मो. ताजुद्दीन,
   उप-निरीक्षक
3. मो. सिराजुद्दीन
   पुलिस कांस्टेबल
4. के. श्रीनिवास रेड्डी
   पुलिस कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

श्री एम. स्टीफन रवीन्द्र, भा.पु.से. अपर पुलिस अधीक्षक, बेल्लमपल्ली को 12/13.05.2004 को पुल्लुरी प्रसाद राव उर्फ चन्द्रन्ना, उत्तरी तेलंगाना विशेष क्षेत्रीय समिति (एन टी एस जेड सी), कार्यवाहक सचिव, 7वीं प्लाटून पी जी ए कमांडर और सिकासा, कोल बेल्ट सेक्रेटरी बोल्लम राजानरसु उर्फ बलन्ना और रडपका शकर उर्फ रघु जिला एक्शन टीम कमांडर जैसे पीपुल्स वार ग्रुप के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की उपस्थिति के बारे में यह आसूचना रिपोर्ट मिली कि वे अकेनपल्ली (वी) बेल्लमपल्ली शहर के निकट अज्ञात आश्रय में छिपे हुए हैं ताकि वे या तो पुलिस अधिकारी या जन प्रतिनिधि की हत्या कर सनसनी फैला सकें। नामजद अधिकारी ने दो जिला विशेष पार्टी के साथ मिल कर एक विस्तृत योजना बनायी ताकि पीपुल्स वार ग्रुप के विद्रोहियों की योजना को विफल किया जा सके। इन दो जिला विशेष पार्टियों को असॉल्ट, कट-ऑफ और आउटर कोर्डन की तीन उप-पार्टियों में विभाजित किया गया। प्रत्येक उप-पार्टी का नेतृत्व एक अधिकारी ने किया और नामजद व्यक्ति इनके प्रभारी थे और इन्होंने विशेष रुप से असॉल्ट पार्टी का नेतृत्व किया। श्री एम. स्टीफन रवीन्द्र, भा.पु.से., ने सभी पार्टी सदस्यों को ए आर मुख्यालय, बेल्लमपल्ली में संक्षिप्त जानकारी दी। श्री एम. स्टीफन रवीन्द्र, भा.पु.से., अपर पुलिस अधीक्षक ने स्वयं सभी उप-पार्टियों का नेतृत्व किया और 12.05.2004 को तड़के ही गांव के बाह्य परिसर में पहुंच गए। 13.05.2004 को 0015 बजे आपरेशन शुरु हुआ। उक्त स्थान पर पहुंचने के तुरंत बाद इन्होंने कट-ऑफ पार्टी तथा आउटर कोर्डन पार्टी को मोर्चे पर लगाया। बाद में, ये 17 अन्य लोगों को लेकर गांव की ओर बढ़े और एक सरकारी स्कूल में पहुंचे। एम. स्टीफन रवीन्द्र, भा.पु.से. अपर पुलिस अधीक्षक ने मो. ताजुद्दीन, उप निरीक्षक (नामजद 2) और के. श्रीनिवास

रेड्डी, पी सी (नामजद 4) को 0055 बजे संदिग्ध आश्रय स्थल, जो सरकारी स्कूल से लगभग 200 मीटर दूर था, को घेरने के लिए तैनात किया। जैसे ही उक्त नामजद व्यक्ति संदिग्ध स्थल पर पहुंचे वैसे ही गोलीबारी शुरु हो गई। श्री एम. स्टीफन रवीन्द्र, मो. सिराजुद्दीन पी सी (नामजद 3) के साथ बिना समय गंवाये तेजी से आगे बढ़े और उस आश्रय स्थल में पहुंचे जहां ताजुद्दीन, उप-निरीक्षक और के. श्रीनिवास रेड्डी, पी सी (नामजद) मोर्चा संभाले हुए थे। श्री एम. स्टीफन रवीन्द्र, भा.पु.से., अपर पुलिस अधीक्षक (नामजद 1) ने मो. ताजुद्दीन, उप निरीक्षक और के. श्रीनिवास रेड्डी पी सी ने 12 पी सी के साथ उन्हें निर्देश दिया कि वे आगे के दरवाजे को कवर करें तथा स्वयं मो. सिराजुद्दीन पी सी और अन्य 6 को लेकर पिछले दरवाजे की ओर तेजी से बढ़े जहां पर भयंकर गोलीबारी हो रही थी। जब विद्रोहियों ने पुलिस पार्टी को देखा तो उन्होंने मकान के पिछली तरफ से अंधाधुंध गोलीबारी शुरु कर दी। नामजद 1, मो. सिराजुद्दीन पी सी के साथ गोलियों की बौछार करते हुए मकान की ओर तेजी से बढ़े जिसके लिए कोई आड़ भी नहीं ली गई थी तथा इन्होंने अपने जीवन को अत्यंत जोखिम में डाल कर स्वयं को विद्रोहियों के सामने प्रकट कर दिया। विद्रोहियों ने 9 एम एम कार्बाइन, .38 रिवाल्वर से अंधाधुंध गोलीबारी करना जारी रखा और उन्होंने ग्रेनेड भी फेंके तथा पुलिस पार्टी की ओर बढ़ने का साहसिक प्रयास किया। श्री एम.एस. रवीन्द्र, भा.पु.से., अपर पुलिस अधीक्षक ने अन्य नामजदों मो. सिराजुद्दीन पी सी 2509, मो. ताजुद्दीन, उप-निरीक्षक और के. श्रीनिवास रेड्डी, पी सी के साथ गोलीबारी जारी रखी और उत्साह से भरे विद्रोहियों को भागने नहीं दिया। गांव, जो वन से सटा हुआ था, आग्नेयास्त्रों और विस्फोटों से गूंज उठा, ऐसा प्रतीत होता था मानो युद्ध हो रहा हो। गोलियों और ग्रेनेडों की किरचें, नामजदों से लगभग बाल बराबर दूरी से निकल रही थीं। श्री स्टीफन रवीन्द्र और मो. सिराजुद्दीन ने अपने जीवन को गंभीर जोखिम में डालते हुए अपने बी पी वेस्ट्स पर गोलियां लीं और गोलीबारी की दिशा की ओर बढ़ने लगे। इसी बीच, श्री मो. ताजुद्दीन, उप-निरीक्षक के नेतृत्व वाले दूसरे दल और के. श्रीनिवास, पी सी, जिसने सामने के दरवाजे और खिड़की को कवर किया हुआ था, ने एच ई ग्रेनेडों के फटने के बावजूद गोलीबारी जारी रखी। यह भयंकर लड़ाई लगभग 30 निमट तक चली जिसमें बलन्ना,. 7वीं प्लाटून पी जी ए कमांडर और रघु, जिला एक्शन टीम कमांडर ने कड़ा प्रतिरोध किया। जब गोलीबारी बंद हो गई तो पुलिस पार्टी ने क्षेत्र की तलाशी ली और बामपंथी विद्रोहियों के दो शव पाए। इन दो शवों की पहचान बोल्लम राजानरसु उर्फ बलन्ना निवासी बेल्लमपल्ली, आदिलाबाद पी जे ए लातून कमांडर और सिकसा कोयला पट्टी (कोल बेल्ट) सचिव के रुप में की गई जिन पर 3,00,000/-रुपए का नकद इनाम था। रडपका उर्फ रघु निवासी भूपालपल्ली, वारंगल जिला, जिला एक्शन टीम कमांडर - जिस पर 3,00,000/- रुपए का नकद ईनाम था। तीसरा विद्रोही चन्द्रन्ना, एन टी एस जेड सी सचिव, अंधेरे की आड़ में बच कर भाग निकलने में सफल रहा। मारे गए विद्रोही बोल्लम राजानरसु उर्फ बलन्ना, 1992 से सी पी आई (एम एल) (पी डब्ल्यू) से संबद्ध था और वह एक खतरनाक विद्रोही था जो 50 अपराधों में संलिप्त था जिनमें 10 हत्यायें, नरसपुर (जी), पी एस पर हमला, डी एस पी कागजनगर के निवास पर हमला करना शामिल है जिसमें ए पी एस पी कार्मिक मारा गया, कुंटलमनेपल्ली (वी) के निकट घात लगा कर हमला और विस्फोट करना जिसमें ए पी एस पी के दो कार्मिक मारे गए, बेल्लमपल्ली रेलवे स्टेशन पर हमला, मदन मोहन, तिरयानी पी एस के ए एस आई की हत्या, मेसरा जंगू जेड पी टी सी, इन्द्रवेली की हत्या, दो गोंड आदिवासी लड़कियों का बलात्कार, ओ सी सी और ए सी सी फैक्ट्रियों के डंपरों में विस्फोट और आग लगाना, एम आर ओ अधिकारियों, रेलवे स्टेशनों, आर टी सी बसों, वन अतिथि गृहों को नष्ट करना, अपहरण, फिरौती, आगजनी और धमकाना शामिल है। मारा गया दूसरा विद्रोही, रडपका सेकर उर्फ रघु, जिला एक्शन टीम कमांडर था जो 34 अपराधों में संलिप्त था, जिसने लोगों के दिलों में आंतक फैला रखा था। प्रमुख अपराधों में बेल्लमपल्ली में पुलिस कांस्टेबल संजीव रेड्डी और शेषैया की हत्या, केरामेरी में भीम राव, पी सी की गोली मार कर हत्या, सोनाला में तुला सुभाष, पी सी सी सदस्य की हत्या तथा सोनाला (वी) में जिला युवा कांग्रेस संगठन सचिव की हत्या आदि शामिल है। मारे गए दोनों ही विद्रोही खतरनाक अपराधी थे जिन्होंने लोगों के दिलो-दिमाग में भय और आतंक फैलाया हुआ था। नामजद श्री एम. स्टीफन रवीन्द्र,

मो. ताजुद्दीन, उप निरीक्षक, सिराजुद्दीन पी सी-2507, के. श्रीनिवास रेड्डी, पी सी-2435 ने न केवल आसूचना रिपोर्ट एकत्र करने में अग्रणी भूमिका निभाई बल्कि गोलीबारी करने की योजना बनाने, संगठित करने सहित सक्षम नेतृत्व भी प्रदान किया। इन्होंने अनुकरणीय साहस का परिचय दिया और कर्तव्यपरायणता, दृढ़ निश्चय और अपने प्राणों को गंभीर खतरे में डाल कर विद्रोहियों की भयंकर गोलीबारी का साहसपूर्ण ढंग से सामना किया जिससे उत्तरी तेलंगाना में पी डब्ल्यू को अपूर्णीय क्षति हुई। निर्धारित प्रोफार्मा में दर्शाये गए अनुसार निम्नलिखित बरामदगियां हुई :-

1.	9 एम एम कार्बाइन	-	1
2.	.38 रिवाल्वर	-	2
3.	एच ई ग्रेनेड	-	1
4.	9 एम एम गोली के 30 राउंद		

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री एम. स्टीफन रवीन्द्र, अपर पुलिस अधीक्षक, मो. ताजुद्दीन, उप-निरीक्षक, मो. सिराजुद्दीन, पुलिस कांस्टेबल, के. श्रीनिवास रेड्डी, पुलिस कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 13 मई, 2004 से दिया जाएगा ।

(बरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 136- प्रेज/2005-राष्ट्रपति, आन्ध्र प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. एस. अचेश्वर राव,
   उप निरीक्षक
2. सीएच. वी.एस. पद्मनाभ राजू
   डिप्टी असॉल्ट कमांडर

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

11 मई, 2003 को श्री अचेश्वर राव, पुलिस उप-निरीक्षक, मंडामरी, जो इससे पहले पी एस आसिफाबाद में कार्य कर रहे थे, को यह विश्वसनीय सूचना मिली कि पीपुल्स वार ग्रुप (पी डब्ल्यू जी) के विद्रोही दहेगांव पी एस के अंतर्गत अगरगुडा गांव के वन क्षेत्र में डेरा डाले हुए हैं। श्री अचेश्वर राव, उप-निरीक्षक ने यह सूचना अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दी। श्री अचेश्वर राव, उप-निरीक्षक ने श्री सीएच. वी.एस. पद्मनाभ राजू, डिप्टी असॉल्ट कमांडर, ग्रे हाउंड्स के साथ मिल कर अभियान तैयार किया ताकि विद्रोहियों को पकड़ा जा सके। 11.5.2003 की सायं को श्री अचेश्वर राव, उप-निरीक्षक ने सिविल, ए पी एस पी, विशेष पार्टी और ग्रे हाउंड्स पार्टी के साथ अभियान शुरु किया और महाराष्ट्र राज्य के अहेरी गांव की ओर रवाना हुए। 12.5.2003 की भोर होने पर श्री अचेश्वर राव, उप-निरीक्षक और श्री पद्मनाभ राजू, डिप्टी असॉल्ट कमांडर ने पार्टी के साथ अभियान शुरु किया और बेज्जुर पी एस के गुडेम गांव की ओर बढ़े और शिवपल्ली, नागपल्ली क्षेत्रों के वन क्षेत्र के आस-पास के पहाड़ी क्षेत्रों की तलाशी शुरु कर दी और बेज्जुर के बाहरी परिसर में रात को घात लगाई। इसके बाद 13.5.2003 को श्री अचेश्वर राव, उप-निरीक्षक और श्री पद्मनाभ राजू, डिप्टी ए सी ने पी डब्ल्यू जी के विद्रोहियों को तलाशने का अभियान जारी रखा और गुंडेपल्ली गांव पहुंच गए तथा गांव के बाहर घात (रात्रि पड़ाव) लगा कर बैठ गए। फिर श्री अचेश्वर राव, उप-निरीक्षक ने अपने स्रोत से पी डब्ल्यू जी विद्रोहियों के बारे में गुंडेपल्ली क्षेत्र में फील्ड सूचना विकसित की तथा एक बार फिर सभी ने 14.5.2003 की प्रातः क्षेत्र को घेरना शुरु कर दिया। श्री अचेश्वर राव, एस आई और श्री पद्मनाभ राजू, डिप्टी ए सी, अगरगुडा की ओर बढ़े और पहाड़ियों की तलाशी लेने पर इन्हें कुछ पद-चिन्ह दिखाई दिए। 2 कि.मी. तक इन्होंने पद-चिन्हों का पीछा किया जहां इन्होंने पी डब्ल्यू के शेष विद्रोहियों को मोर्चा संभाले हुए देखा। श्री अचेश्वर राव, एस आई ने पूरी पार्टी को दो ग्रुपों में बांटा। पहली पार्टी का नेतृत्व श्री अचेश्वर राव, एस आई ने औरदूसरी पार्टी का नेतृत्व श्री पद्मनाभ राजू, डिप्टी असॉल्ट कमांडर, ग्रे हाउंड्स ने किया। जिस पार्टी का नेतृत्व श्री अचेश्वर राव, एस आई ने किया इसने 1020 बजे तक पोचमगुट्टा और कोंडेंगला लोड्डी के क्षेत्र में घेरा डालना जारी रखा। अचानक ही इन्होंने हरे रंग की वर्दी में शस्त्रों से लैस लगभग 20 सी पी आई (एम एल) पी डब्ल्यू जी विद्रोहियों को देखा। इन्हें देखने पर विद्रोहियों ने पुलिस कर्मियों की हत्या करने के ध्येय से इन पर गोलीबारी कर दी। पार्टी नेता श्री अचेश्वर राव, एस आई ने श्री पद्मनाभ राजू, डिप्टी ए सी के साथ पुलिस के रुप में अपनी पहचान प्रकट की और विद्रोहियों से बार-बार अपील की कि वे स्वयं आत्मसमर्पण कर दें। लेकिन पी डब्ल्यू जी

विद्रोहियों पर चेतावनियों का कोई असर नहीं हुआ और उन्होंने पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध गोलीबारी जारी रखी। पूरी पुलिस पार्टी सहित श्री अचेश्वर राव, एस आई और श्री पद्मनाभ राजू, डिप्टी ए सी ने अपने जीवन को अत्यधिक जोखिम में डालते हुए भारी गोलीबारी के बीच विद्रोहियों की ओर बढ़ना जारी रखा और इन्होंने जवाबी गोलीबारी की तथा दुश्मन को चुनौती दे कर साहस का परिचय दिया और विद्रोहियों की ओर बहादुरी से बढ़े। श्री अचेश्वर राव, एस आई और श्री पद्मनाभ राजू, डिप्टी ए सी ने अपने जीवन को गंभीर खतरे में डाल कर गोलीबारी की दिशा में बढ़ना जारी रखा। विद्रोहियों ने पलट कर भयंकर गोलीबारी कर दी। तथापि, श्री अचेश्वर राव, एस आई और श्री पद्मनाभ राजू, डिप्टी ए सी ने ग्रेनेडों की बौछार के बावजूद आगे बढ़ना जारी रखा। श्री पद्मनाभ राजू, डिप्टी ए सी के नेतृत्व वाला दूसरा ग्रुप, अपने ग्रे हाउंड्स बल के साथ किले की दीवार/रक्षा दीवार की तरह वहां पर अड़ा रहा और जवाबी गोलीबारी शुरु कर दी और विद्रोहियों को भागने से रोक दिया। यद्यपि, विद्रोहियों ने भारी गोलीबारी कर दी थी लेकिन श्री अचेश्वर राव, एस आई और श्री पद्मनाभ राजू, डिप्टी ए सी बहादुरी से वहां पर डटे रहे और अपने बल का मार्गदर्शन किया तथा विद्रोहियों को खदेड़ दिया। श्री अचेश्वर राव, एस आई और श्री पद्मनाभ राजू, डिप्टी ए सी ने गोलियों और ग्रेनेडों की बौछार की परवाह नहीं की तथा आगे बढ़ते रहे। श्री अचेश्वर राव, एस आई और श्री पद्मनाभ राजू, डिप्टी ए सी ने विद्रोहियों का लगातार बहादुरी से सामना किया। दोनों ओर से लगभग आधा घंटे तक गोलीबारी जारी रही। गोलीबारी बंद होने पर श्री अचेश्वर राव, एस आई और श्री पद्मनाभ राजू, डिप्टी ए सी ने अन्यों के साथ क्षेत्र की तलाशी ली और हरे रंग की वर्दी पहने गोलियों से छलनी हुए तीन महिलाओं के शव मिले। उनकी पहचान (क) येल्लंकी अरुणा उर्फ ललितक्का, 40 वर्ष, डी सी एस आदिलाबाद जिला, निवासी रंगारावपेठ गांव, मेटापल्ली मंडल, करीमनगर जिला (कत्कम सुदर्शन उर्फ आनंद सी सी सदस्य की पत्नी) (ख) दुर्गम पोचम्मा उर्फ कमलक्का, 35 वर्ष, निवासी कुशनपल्ली, नन्नेल मंडल (दुर्गम मदुनैया एक्शन टीम के सदस्य की पत्नी), डी सी एस ललितक्का की गार्ड (ग) गोन राजेश्वरी उर्फ स्वर्णक्का, 18 वर्ष, नेथक्नाई, निवासी टेकुमतला गांव, जयपुर मंडल। डी सी एस ललितक्का की गार्ड।

पी डब्ल्यू जी के बाकी विद्रोही घने जंगल और पहाड़ी क्षेत्र का लाभ उठा कर बच निकलने में सफल हो गए और लोडपल्ली आर एफ की ओर भाग निकले तथा अपना सामान वहीं छोड़ गए। इसके तत्काल बाद, श्री अचेश्वर राव, एस आई ने विद्रोहियों के बचकर भागने के संभावित मार्ग के बारे में अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी। इस पर अधिकारियों ने 15.5.2003 को एस आई, दहेगांव के नेतृत्व में पुलिस पार्टी भेज कर अभियान चलाया और लोडपल्ली में उन विद्रोहियों के साथ एक बार और गोलीबारी हुई जो अगरगुडा मुठभेड़ से भाग कर बच निकले थे। लेकिन दोनों ओर से कोई हताहत नहीं हुआ। पुलिस पार्टी 9 एम एम की कार्बाइन बंदूक, 8 एम एम की एक राइफल और विद्रोहियों की कुछ वर्दियां जब्त कर सकी। उपर्युक्त मुठभेड़ स्थल की श्री अचेश्वर राव, एस आई और श्री पद्मनाभ राजू, डिप्टी ए सी ने अपनी पार्टी के साथ तलाशी ली और छोड़ी गई निम्नलिखित वस्तुयें, जिन्हें सी पी आई (एम एल) पी डब्ल्यू जी विद्रोही छोड़ कर चले गए थे, बरामद की: 1) एक ए के-47 राइफल जिसपर सं. जी के-5066 था, 2) एक .303 राइफल जिस पर सं. 38521 लिखा था, 3) एक .303 एम के -वी राइफल, 4) एक एस बी बी एल राइफल 5) तीन ए.के.47 खाली मैग्जीन (एक क्षतिग्रस्त) 6) ए के 47 राइफल के 16 जिंदा राउंद, 7) .303 के 31 जिंदा राउंद, 8) .303 के 23 खाली कारतूस, 9) 12 बोर एस बी बी एल के 38 जिंदा कारतूस, 10) 12 बोर के 23 खाली कारतूस, 11) 7,230/-रुपए की नकद राशि, 12) एक डिजिटल डायरी (केसिओ कंपनी) 13) लिखने का एक प्लास्टिक पैड, 14) मृतक ललितक्का से संबंधित दस्तावेज, 15) एक वाकमैन सैट (पैनासोनिक कंपनी), 16) एक मोबाइल वाकी-टॉकी वी एच एफ सेट (आइकोन कंपनी), 17) एक सैल चार्जर, 18) दो रेडियो ट्रांजिस्टर, 19) एक कैमरा फ्लैश, 20) दस प्लास्टिक शीटें, 21) दस प्लास्टिक हीटर केन, 22)

12 किट बैग, 23) क्लेमोर माइन, 24) ए के 47 के 11 खाली राउंद आदि। 1 से 3 के मृतक विद्रोही गैर-कानूनी सी पी आई (एम एल) पी डब्ल्यू जी के कार्यकर्ता थे जो जिले में आगजनी, हत्या, सरकारी और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने,.अपहरण करने तथा लोगों के मन में भय फैलाने जैसे कई घिनौनें अपराधों में संलिप्त थे। मृतक येल्लंकी अरुणा उर्फ ललितक्का, डी सी एस, आदिलाबाद, 108 घिनौने अपराधों में संलिप्त थी। इन अपराधों में महत्वपूर्ण हैं 1) पलवई पुरषोत्तम राव, विधायक, सिरपुर की हत्या, 2) कागजनगर के उप पुलिस अधीक्षक पर हमला, 3) बेज्जुर क्षेत्र में बारुदी सुरंग से विस्फोट आदि। मृतक ललितक्का, डी सी एस पर 3 लाख रुपए का पुरस्कार घोषित किया गया था और यह दिनांक 12.12.2003 के जी ओ एम एस सं. 509, सामान्य प्रशासन (एस सी ए) विभाग के अनुसार करीमनगर ज़िले के क्र.सं. 181 पर है, बाकी दो मृतक अर्थात् कमलक्का और स्वर्णक्का पर भी प्रत्येक पर 20,000-00 रुपए का ईनाम था। श्री अचेश्वर राव, एस आई और श्री सीएच. वी.एस. पद्मनाभ राजू, डिप्टी ए सी ने अनुकरणीय बहादुरी का परिचय दिया और इन्होंने कर्तव्य परायणता तथा अपने जीवन को साहस के साथ अत्यधिक जोखिम में डाल कर विद्रोहियों की भयंकर गोलीबारी का सामना किया।

इस मुठभेड़ में सर्वश्री एस. अचेश्वर राव, उप-निरीक्षक और सीएच. वी.एस. पद्मनाभ राजू, डिप्टी असॉल्ट कमांडर ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 14 मई, 2003 से दिया जाएगा ।

(बरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 137- प्रेज/2005-राष्ट्रपति, आन्ध्र प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री पी. शोभन कुमार
ओ/एस निरीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

विशिष्ट सूचना प्राप्त होने पर श्री पी. शोभन कुमार, निरीक्षक ने तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया और उनके निर्देशों के अनुसार सिविल/सी आर पी एफ पार्टी के साथ लारियों से 14 मार्च, 2004 को प्रातः 3.00 बजे ग्राम असनपल्ली (सटे हुए करीमनगर जिले में) की ओर कूच किया। यह पार्टी प्रातः लगभग 5.00 बजे असनपल्ली गांव के बाह्य परिसर में लारियों से उतरी। हर तरह की सावधानी बरतते हुए श्री पी. शोभन कुमार, निरीक्षक, पार्टी को गांव तक ले गए और वहां पर घेराव तथा तलाशी अभियान शुरु किया। श्री पी. शोभन कुमार, निरीक्षक ने सिविल/सी आर पी एफ पार्टी को असॉल्ट और कोर्डन पार्टी में बांटा। असॉल्ट पार्टी का नेतृत्व श्री पी. शोभन कुमार, निरीक्षक ने, जिसमें सिविल और सी आर पी एफ के कार्मिक थे तथा कोर्डन पार्टी का नेतृत्व उप-निरीक्षक भूपालपल्ली ने किया। असॉल्ट/कोर्डन पार्टी ने संदिग्ध आश्रय स्थल का घेराव किया जहां पर पी डब्ल्यू जी

विद्रोहियों का भूपालपल्ली स्क्वैड रोके रखा गया था। पी डब्ल्यू जी संतरी, जो खिड़की के निकट खड़ा था, ने यह नोटिस किया कि पुलिस ने मकान को घेर रखा है और उसने तत्काल ही अन्य लोगों को सचेत कर दिया। विद्रोही, जो संख्या में चार थे, ने सुरक्षित आड़ ले ली और पुलिस पार्टी पर गोलीबारी शुरु कर दी। वहां पर स्वचालित हथियारों से गोलीबारी हुई और पी. शोभन कुमार, निरीक्षक ने अपनी पार्टी को आदेश दिया कि वे लेट कर मोर्चा लें तथा इन्होंने रेंगते हुए मकान को घेरना शुरु कर दिया। पुलिस पार्टी ने गोलीबारी शुरु कर दी। खतरा भांपते हुए दो विद्रोही मकान के पिछले दरवाजे से भागने लगे। दो अन्य विद्रोही, जो घायल हो गए थे, खून से सने पड़े थे। श्री शोभन कुमार, निरीक्षक और सी आर पी एफ के उनकी पार्टी के दो कार्मिक अर्थात् पी.एस. राजेन्द्रन, एच सी/जी डी और एस. बाबू, सी टी/जी डी ने बी पी जैकेट पहनी और अपने जीवन की परवाह किए बगैर दरवाजे को तोड़ कर खोल दिया तथा मकान में घुस गए। तत्काल ही विद्रोहियों ने नामजदों और उनकी पार्टी पर गोलीबारी कर दी। एक गोली नामजद की बी पी जैकेट पर लगी। दो घायल विद्रोहियों ने मकान के पिछले दरवाजे से भागना शुरु किया। श्री शोभन कुमार, निरीक्षक ने भाग रहे विद्रोहियों का सी आर पी एफ के उक्त दो कार्मिकों के साथ पीछा किया। विद्रोहियों में से एक विद्रोही ने एक ग्रेनेड फेंका और इससे पहले कि यह फटता श्री शोभन कुमार, निरीक्षक लेटने की अवस्था में आ गये। जब विद्रोही भाग रहे थे तब भी श्री शोभन कुमार, निरीक्षक ने उनका पीछा करना नहीं छोड़ा। मकान से लगभग 100 गज की दूरी पर श्री शोभन कुमार, निरीक्षक ने पी डब्ल्यू जी के दो विद्रोहियों को मार गिराया। ये विद्रोही कई पुलिस कार्मिकों और सिविलियनों की हत्या के लिए जिम्मेदार थे। इस मुठभेड़ से संपूर्ण भूपालपल्ली प्लेन एरिया कमेटी का सफाया हो गया।

मृतक विद्रोहियों के नाम:

वेमा राधा उर्फ सुगुंक्का पत्नी जोरुका सदैया उर्फ सम्मन्ना, 27 वर्ष, जाति: तेनुगा, निवासी तेकुमतला (वी), चित्यल मंडल, वारंगल जिला, एरिया आर्गेनाइजर, सी पी आई (एम एल) पी डब्ल्यू जी, भूपालपल्ली क्षेत्र

कसरला रवि उर्फ कुम्मारी रवि पुत्र राजैया, 25 वर्ष जाति: कुम्मारी, निवासी अंसनपल्ली (वी), कोय्यूर मंडल, करीमनगर, जिला, दलम सदस्य, सी पी आई (एम एल) पी डब्ल्यू जी, भूपालपल्ली क्षेत्र

इस मुठभेड़ में मारे गए विद्रोहियों से एक .30 यू एस कार्बाइन, एक .303 राइफल और गोली-बारूद बरामद हुआ।

इस मुठभेड़ में श्री पी. शोभन कुमार ओ/एस निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 14 मार्च, 2004 से दिया जाएगा ।

(बरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 138- प्रेज/2005-राष्ट्रपति, आन्ध्र प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री वादित्य बालू जाधव
उप-निरीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

03.05.2002 को 9 बजे पूर्वाह्न श्री वी. बालू जाधव, उप-निरीक्षक को स्रोत से सूचना प्राप्त हुई कि खतरनाक अपराध करने के लिए एक एक्शन टीम मंडामरी नगर में आई हुई है। तत्काल ही श्री वी. बालू जाधव ने उपलबध बल (2) सिविल और एक ए आर पुलिस कार्मिक एकत्र किए और उनकी तलाश में चल पड़े। एस.सी.सी. लिमिटेड, उप-स्टेशन, सी ई आर क्लब क्षेत्र के निकट, मंडामरी के पिछवाड़े में गश्त लगाते समय सी पी आई (एम एल) पी डब्ल्यू की एक्शन टीम के तीन सदस्यों ने अचानक श्री जाधव पर गोलीबारी कर दी। श्री वी. बालू जाधव, उप-निरीक्षक और उनके कार्मिक, विद्रोहियों की गोलियों के बिल्कुल सामने थे। लेकिन श्री जाधव, एस आई ने उच्च कर्तव्यपरायणता और अत्यधिक साहस का परिचय दिया और अपने साथियों को सुरक्षित स्थानों पर जाने का आदेश दिया और फिर अपने जीवन की परवाह किए बगैर विद्रोहियों को उचित चेतावनी देने के बाद स्वयं इन्होंने जवाबी गोलीबारी की। दोनों ओर से लगभग 15 मिनट तक गोलियां चलती रहीं। जब दूसरी ओर से गोलियां चलनी बंद हो गई तो नामजद व्यक्ति साहस से आगे बढ़े और क्षेत्र की तलाशी ली। उस स्थल पर एक शव बरामद हुआ जिस पर गोलियां लगी थीं। बाद में शव की पहचान, इलेती धर्मन्ना उर्फ, कोंडन्ना, स्पेशल गुरिल्ला स्क्वाड कमांडर और आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट एक्शन कमांडर के रुप में हुई। मृतक यू जी कार्यकर्ता पर 50000.00रुपए का इनाम था। उक्त स्थल से छोड़ी गई निम्नलिखित वस्तुयें जब्त की गई:-

1.	.38 रिवाल्वर	01
2.	.38 के जिंदा राउंद	पाउच के साथ 12
3.	.32 के जिंदा राउंद	01
4.	.38 के खाली कारतूस	04
5.	फोटो	सभी विधायकों, संसद सदस्यों, मंत्रियों, नगर पालिका अध्यक्ष और एक लक्ष्य बोडा राजामौली, चेनुर ए सी के भूतपूर्व विधायक बी. जनार्दन के भाई

मृतक यू.जी. कार्यकर्ता के अन्य साथी घटनास्थल से भाग निकले।

इस मुठभेड़ में श्री वादित्य बालू जाधव, उप-निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 3 मई, 2002 से दिया जाएगा ।

बरुण मित्रा

(बरूण मित्रा)

निदेशक

सं0 139- प्रेज/2005-राष्ट्रपति, आन्ध्र प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री डी. राजशेखर रेड्डी (मरणोपरांत)
सहायक असॉल्ट कमांडर

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

03.05.2003 को सूचना मिली थी कि उड़ीसा राज्य के कलीमेला पी.एस. सीमाओं के अधीन घने दुर्दम्य वन में बड़ी संख्या में विद्रोहियों को प्रशिक्षण दिए जाने का अभियान चलाया जा रहा है। श्री राजशेखर रेड्डी, ए ए सी ने यूनिट का नेतृत्व किया और वे आपरेशन के लिए चल पड़े। लगभग 6 घंटे तक चलने के बाद पार्टी एक सुरक्षित स्थान पर रात को रुकी। 04.05.2003 को लगभग 0500 बजे श्री राजशेखर रेड्डी, ए ए सी ने अपनी टीम के सदस्यों के साथ कठोर दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में अपना आपरेशन जारी रखा और चपुडुडुला गांव पहुंचे। अपने आपरेशन के दौरान श्री डी. राजशेखर रेड्डी ने विद्रोहियों को धोखा देने की दृष्टि से एक नई रणनीति अपनाई जिसमें इन्होंने अपने आप को विद्रोही के रुप में प्रकट किया और उस क्षेत्र के लोगों से पूछताछ की जो पार्टी के रास्ते में पड़ते थे और ग्रामीणों को कोई शक नहीं हुआ और वे इन्हें शिविर के सामान्य क्षेत्र में ले गए। लेकिन चपुडुडुला के ग्रामीणों ने विद्रोहियों के स्थान के बारे में कोई सूचना नहीं दी। तब भी पार्टी ने सामान्य निदेशों का पालन करते हुए शिविर की खोज जारी रखी और चपुडुडुला गांव से पूर्व की ओर बढ़ने लगे। तब अचानक ही उन्हें तीन पहाड़ियों की तलहटी में पांव के निशान दिखाई दिए। जब यह पार्टी पांव के निशानों के सहारे थोड़ी आगे तक गई तो इन्हें अचानक पहाड़ी की तलहटी के समीप बांस के घने झुरमुटों के बीच दो टेंट दिखाई दिए। तत्काल ही श्री डी. राजशेखर रेड्डी, ए ए सी ने पार्टी को तीन भागों में बांट कर एक आकस्मिक योजना बनाई और नक्सलियों की ओर चल पड़े। एक भाग का नेतृत्व श्री जय राम, ए ए सी कर रहे थे। उनसे कहा गया कि वे बांई ओर अर्थात क्षेत्र के पूर्व से और दूसरी पार्टी, जिसका नेतृत्व वरिष्ठ कमांडो कर रहे थे, से कहा गया कि वे दांई ओर से अर्थात् क्षेत्र के पश्चिम की तरफ से कट-ऑफ पार्टियों के रुप में कार्य करें। इन्हें कहा गया कि वे तब तक गोलीबारी न करें जब तक कोई विद्रोही उनकी ओर से भागने की कोशिश न करे। फिर श्री राशेखर रेड्डी, ए ए सी के नेतृत्व वाली मुख्य असॉल्ट पार्टी हर तरह की सावधानी बरतते हुए टेंटों की ओर बढ़ी। जब मुख्य असॉल्ट पार्टी टेंट से लगभग 30 मीटर दूरी पर पहुंची तो अचानक ही पुलिस पार्टी पर गोलीबारी हुई। तब श्री राजशेखर रेड्डी, ए ए सी ने पुलिस के रुप में अपनी पहचान दी और उनसे आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। जब चेतावनी का कोई असर नहीं हुआ तो पुलिस पार्टी ने भी निजी रक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए विद्रोहियों पर गोलीबारी कर दी जो 20 मिनट तक जारी रही। तब अचानक ही श्री डी. राजशेखर रेड्डी. ए ए सी ने महसूस किया कि विद्रोही, जो संख्या में अधिक थे और पहाड़ी पर ऊंचाई में खाई में मोर्चा लिए हुए थे, ने पूरी पुलिस पार्टी का सफाया करने के ध्येय से पार्टी को धीरे-धीरे चारों ओर से घेरना शुरु कर दिया। इसी बीच विद्रोहियों ने दो कट-ऑफ पार्टी, जो मुख्य असॉल्ट पार्टी की ओर बढ़ रही थी, को रोकने के लिए उन पर ग्रेनेड फेंकने और क्लेमोर सुरंगों से विस्फोट करने भी शुरु कर दिए। फिर श्री राजशेखर रेड्डी, ए ए सी ने महसूस किया कि वे चारों ओर से फंस गए हैं तथा इनके सामने गंभीर खतरा है और ग्रुप के सभी पुलिस कर्मियों का जीवन संकट में है। इन्होंने महसूस किया कि जब तक विद्रोहियों पर पलट कर साहसपूर्ण हमला नहीं किया जाता है तब तक ये जीवित नहीं बच सकते हैं। अनुकरणीय सूझ-बूझ का विरला प्रदर्शन, असामान्य साहस, असाधारण बहादुरी, वीरता का उत्कृष्ट कृत्य और कर्तव्यपरायणता तथा व्यावसायिक मानकों को प्रदर्शित करते हुए इन्होंने विद्रोहियों पर एक ग्रेनेड फेंका और अपनी स्वचालित बंदूक से विद्रोहियों पर गोलीबारी की तथा उनकी ओर बढ़े। इनके साथ ग्रुप के केवल दो कनिष्ठ कमांडो आए। इस साहसिक कृत्य से टेंट के विद्रोही अपनी जान बचा कर भाग खड़े हुए और बाकी विद्रोही पहाड़ी के ऊपर ऊंचाई पर बनी अपनी मोर्चेबंदी को छोड़ कर बिखर गए। लेकिन श्री डी. राजशेखर रेड्डी, ए ए सी, जो विद्रोहियों की ओर आगे बढ़ रहे थे, को अपनी सुरक्षा के लिए कोई आड़ नहीं मिली। यद्यपि इन्होंने

विद्रोहियों के पुलिस कार्मिकों की हत्या करने के इरादों को सफल नहीं होने दिया लेकिन ये विद्रोहियों की गोलियों के शिकार हो गए। यद्यपि, उनके शरीर से अत्यधिक रक्त बह रहा था और दर्द हो रहा था फिर भी इन्होंने उस समय तक अपने हथियार से विद्रोहियों पर गोलीबारी जारी रखी जब तक वे वहां से भाग खड़े नहीं हो गए। श्री डी. राजशेखर रेड्डी, ए ए सी ने महान बलिदान दिया तथा पुलिस कार्मिकों के जीवन बचाए और दो घंटे बाद इन्होंने अंतिम सांस ली। घटना के बाद क्षेत्र का सर्वेक्षण करने पर चार एस बी बी एल हथियार, एक डी बी बी एल हथियार, 8 एम एम की एक राइफल, एक रिवाल्वर, 30 एम एम स्प्रिंगफील्ड की एक राइफल, एक आइकोन वी एच एफ सेट, दो बारुदी सुरंगे, एक क्लेमोर माइन, 51 एम एम का एक बम और 35 किट बैग आदि बरामद हुए।

इस मुठभेड़ में (दिवंगत) श्री डी. राजशेखर रेड्डी, ए ए सी ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 4 मई, 2003 से दिया जाएगा ।

(बरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 140- प्रेज/2005-राष्ट्रपति, आन्ध्र प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. वी. शिवराम प्रसाद, डिप्टी असॉल्ट कमांडर/आर आई
2. बी. मुरली, एस सी (1721)
3. एल. लक्ष्मीनारायण, ए आर, पी सी (280)

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

4.07.2003 को एस पी, आदिलाबाद जिला से यह सूचना प्राप्त होने पर कि गांधीनगर एस सी कालोनी, बेल्लमपल्ली नगर, आदिलाबाद जिले के एक निजी मकान में वामपंथी पीपुल्स वार एक्शन टीम के सदस्य शरण लिए हुए हैं, श्री वी. शिवराम प्रसाद के नेतृत्व में जिला विशेष पार्टी, एस आई वन टाउन, पी एस बेल्लमपल्ली टाउन के 15 सदस्यों के साथ बिना समय गंवाये एस 4-बी ए /यूनिट उक्त मकान की ओर रवाना हुई। इसका कारण यह था कि अपनी चाल के रुप में पी डब्ल्यू जी, अपना स्थान बदलते रहने के लिए जानी जाती थी। श्री वी. शिवराम प्रसाद, डिप्टी असॉल्ट कमांडर की योजना के अनुसार मकान के पिछवाड़े से ए ए सी श्री के.ए. नायडू के नेतृत्व वाले आउटर कोर्डन का विस्तार किया गया और आउटर कोर्डन से संकेत मिलने के बाद इस आपरेशन के नेता श्री वी. शिवराम प्रसाद, डिप्टी असॉल्ट कमांडर, बचाव टीम और इनर कोर्डन के साथ मकान की ओर बढ़े तथा मकान के दरवाजे, खिड़की और मकान के अन्य हिस्सों को कवर कर उसे घेर लिया। जिस समय इनर कोर्डन आगे बढ़ रहा था उस समय इन्होंने 2 लोगों को मकान से बाहर आते देखा। नामजद 1 ने इनर कोर्डन के कार्मिकों को निदेश दिया कि वे उन 2 व्यक्तियों को पकड़ लें। उनसे पूछताछ करने के बाद उन्होंने बताया कि 3 व्यक्ति मकान के अंदर हैं और उनके पास

हथियार हैं तथा वे पी डब्ल्यू जी उग्रवादी कार्यकर्ता हैं। श्री वी शिव राम प्रसाद, डिप्टी असॉल्ट कमांडर ने विद्रोहियों को चेतावनी दी कि वे दरवाजे से अपने हथियार बाहर फेंक कर आत्मसमर्पण कर दें। लेकिन जब चेतावनी का कोई असर नहीं हुआ तो श्री वी. शिवराम प्रसाद, डिप्टी असॉल्ट कमांडर ने गोलीबारी करने का आदेश दिया। श्री वी. शिव राम प्रसाद, डिप्टी असॉल्ट कमांडर और बचाव पार्टी ने मकान के दरवाजे और खिड़की की ओर गोलीबारी कर दी। दरवाजा खोला गया और उस पर पर्दा लटका हुआ था। मकान में छिपे विद्रोहियों ने भी खिड़की से गेट और छत की ओर गोलीबारी करनी शुरु कर दी। मकान की छत एस्बेस्टॉस सीमेंट की शीटों से बनी थी। विद्रोहियों ने मकान की दीवार के पीछे मोर्चा लिया हुआ था जहां पर गोलीबारी का उन पर कोई असर नहीं हो रहा था। श्री वी. शिवराम प्रसाद, डी ए सी ने श्री बी. मुरली, एस सी (1721) और श्री एल. लक्ष्मीनारायण, ए आर, पी सी 280 को आदेश दिया कि वे पत्थरों से मकान की छत तोड़ दें और ग्रेनेड गिराये। आपरेशन के दौरान श्री मुरली, एस सी और श्री एल. लक्ष्मीनारायण, ए आर ने 5 ग्रेनेड गिराये और विद्रोहियों ने छत के सुराख से अंधाधुंध ग्रेनेड बाहर फेंके। विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण नहीं किया और वे "विप्लवम बर्धिल्लली", "इंक्लाब जिंदाबाद" के नारे लगा रहे थे। विद्रोहियों की गोलीबारी से श्री वी. शिवराम प्रसाद, डी ए सी ने यह जान लिया कि मकान में दो कमरे हैं और जब पुलिस पार्टी ग्रेनेड फेंक रही है तो वे एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रहे हैं। श्री वी. शिवराम प्रसाद, डी ए सी ने इनर कोर्डन पार्टी को आदेश दिया कि वे मकान के रोशनदानों को तोड़ दें जो मकान के चार तरफ अर्थात् प्रत्येक कमरे में दो-दो रोशनदान थे। पार्टी ने चारों रोशनदानों को तोड़ दिया और श्री वी. शिवराम प्रसाद, डी ए सी के आदेश के अनुसार चार कार्मिकों ने एक ही समय में चार ग्रेनेड गिरा दिए। दो कमरों में एक साथ ग्रेनेडों के विस्फोट हुए तथा विद्रोहियों की ओर से न तो कोई आवाज आई/और न ही जवाबी गोलीबारी हुई। श्री वी. शिवराम प्रसाद, डी ए सी, श्री मुरली, एस सी और श्री एल. लक्ष्मीनारायण, ए आर ने मकान में प्रवेश किया और मकान के दूसरे कमरे, जिसे मकान मालिक द्वारा किचन और रहने के कमरे के रुप में इस्तेमाल किया जा रहा था, में 3 शव देखे। श्री वी. शिवराम प्रसाद, डी ए सी और श्री मुरली, एस सी ने महसूस किया कि कमरे में रखा गया एल पी गैस सिलेंडर में रिसाव हो रहा है। श्री वी. शिवराम प्रसाद, डी ए सी के निदेश पर तत्काल ही श्री मुरली, एस सी ने गैस कनेक्शन अलग कर दिया और उसे मकान के बाहर ले गए। निम्नलिखित 3 विद्रोही मारे गए:-

नंगपल्ली श्रीहर उर्फ शंकर (एक्शन टीम प्रभारी और जयपुर एल जी एस कमांडर)
इप्पा हनुमंतु उर्फ नरसन्ना (अल्लमपल्ली एल जी एस कमांडर और एक्शन टीम का सदस्य)
गोदारी राजेन्द्र उर्फ कृष्णा (एक्शन टीम का सदस्य)

मकान से निम्नलिखित हथियार, गोली-बारुद और अन्य वस्तुयें बरामद हुई :-

1.	9 एम एम आई ए आई काबाईन	-	1
2.	7.33 माउसर पिस्तौल	-	1
3.	7.33 रिवाल्वर	-	1
4.	नकदी	-	3,650/-रुपए
5.	साहित्य		
6.	किट बैग	-	1
7.	33 गोली-बारुद		

इस मुठभेड़ में मारे गए विद्रोही, विधायक सी एम पुरुषोत्तम, बेल्लमपल्ली, आदिलाबाद जिले के सशस्त्र

रिजर्व के एक हैड कांस्टेबल और 4 कांस्टेबलों की हत्या करने तथा जिले में अन्य कई मामलों में संलिप्त होने के अपराधी थे। दो विद्रोहियों में प्रत्येक पर 2 लाख रुपए और बाकी पर 1 लाख रुपए का इनाम था। इससे आन्ध्र प्रदेश और विशेष रुप से आदिलाबाद जिले, जिसे विद्रोही आंदोलन का केन्द्र बिन्दु माना जाता था, में पीपुल्स वार को गहरा धक्का लगा। इस ऑपरेशन में श्री वी. शिवराम प्रसाद, डी ए सी, श्री बी. मुरली, एस सी (1721) और श्री एल. लक्ष्मीनारायण, ए आर पी सी 280 ने अनुकरणीय सूझ-बूझ और योजना, असामान्य साहस, असाधारण बहादुरी, वीरता के उत्कृष्ट कृत्य और कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया। श्री वी. शिवराम प्रसाद, डी ए सी ने पुलिस पार्टी का नेतृत्व किया जिसमें जनता, मकान के चारों ओर जमा हुए लोगों और पुलिस कार्मिकों, जो नजदीकी लड़ाई में गोली-बारी कर रहे थे, में से कोई घायल नहीं हुआ या किसी को हानि नहीं हुई। श्री बी. मुरली, एस सी (1721) और श्री एल. लक्ष्मीनारायण, ए आर पी सी 280 ने भी दुश्मन की गोलीबारी के जोखिम का सामना किया क्योंकि छत सीमेंट की शीटों से बनी थी, इन्होंने छत तोड़ कर ग्रेनेड फेंक कर उत्कृष्ट कार्य का परिचय दिया।

इस मुठभेड़ में, सर्वश्री वी. शिवराम प्रसाद, डिप्टी असॉल्ट कमांडर, बी. मुरली, एस सी और एल. लक्ष्मीनारायण, ए आर, पी सी ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 4 जुलाई, 2003 से दिया जाएगा ।

(बरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 141- प्रेज/2005-राष्ट्रपति, आन्ध्र प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री के. देवेन्द्र रेड्डी,
प्रारक्षित उप-निरीक्षक (अब उप-निरीक्षक)

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

02.08.2003 को, नक्शा स. 65 बी/8 (1:5) में पहचान किए गए क्षेत्र, जो सीधी पहाड़ियों और घने वन से घिरा है, में विद्रोहियों की गतिविधि के बारे में विशिष्ट सूचना मिलने पर श्री के. देवेन्द्र रेड्डी, आर एस आई को अपनी पार्टी के साथ कौशेट्टिवई के निकट वन में मार्गनिर्देशन के लिए भेजा गया। पूरा अभियान दो दिन तक चला और इस ध्येय और सूचना के साथ, कैंप स्थल के निकट नक्सलियों द्वारा लगाई गई संभावित घातों, क्लेमोर सुरंगों और बारुदी सुरंगों के बारे में पार्टी को पूरी तरह से बता दिया गया था और उनसे कहा गया था कि वे फील्ड क्राफ्ट के सिद्धांतों का कड़ाई से पालन करें। इसके बाद उन्हें जिला मुख्यालय से 0200 बजे भेज दिया गया। पार्टी को कौशेट्टिवई गांव के बाहरी हिस्से में उतार दिया गया और फिर इन्होंने पूर्वी दिशा से वन की छान-बीन करनी शुरु की। उसी दिन लगभग 1730 बजे, जब पार्टी पहाड़ियों की छान-बीन कर रही थी, श्री के. देवेन्द्र रेड्डी, आर एस आई ने .344 पहाड़ी के निकट नाले में कुछ पद्चिन्ह देखे तथा नाले में हाथ से बनाए कुण्ड से हाथ से पानी निकालने के ताजे चिन्ह भी देखे। ये पद चिन्ह .344 पहाड़ी की ओर जा रहे थे। पार्टी ने सावधानीपूर्वक उन पद्चिन्हों का पीछा किया

और उस समय तक आधी पहाड़ी पर चढ़ना जारी रखा जब पद चिन्ह दिखाई देने बंद हो गए। लेकिन श्री के. देवेन्द्र रेड्डी, आर एस आई ने आशा नहीं छोड़ी और चढ़ना जारी रखा । चोटी से लगभग 20 गज की दूरी तक चढ़ने के बाद श्री के. देवेन्द्र रेड्डी, आर एस आई ने कुछ पत्तियां देखी जो वहां के उस वन की पत्तियों से अलग थी तथा जो आस-पास के वन से नहीं मिलती थी। इस पर इन्हें संदेह हुआ कि कोई, संभवतः विद्रोही, भोजन करने के लिए ये पत्ते लाए हों, इसलिए इन्होंने पहाड़ी पर चढ़ना जारी रखा। श्री के. देवेन्द्र रेड्डी, आर एस आई ने पहाड़ी की चोटी पर एक प्लास्टिक का टैंट देखा और टैंट से कुछ आवाजें सुनी। तब श्री के. देवेन्द्र रेड्डी, आर एस आई ने हमला करने का निर्णय लिया, इसलिए पार्टी को तीन ग्रुपों में बांटा गया। जब कि दो ग्रुपों को दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्वी दिशा में कट-ऑफ के रुप में रखा गया, श्री के. देवेन्द्र रेड्डी, आर एस आई के नेतृत्व वाला तीसरा ग्रुप रेंगते हुए पहाड़ी के अंतिम बिन्दु पर चढ़ गया क्योंकि सीधे हो कर चलने से इनके बारे में पता चल सकता था। यदि श्री के. देवेन्द्र रेड्डी, आर एस आई अपने ग्रुप के साथ उत्तरी दिशा से टैंट के निकट पहुंच जाते तो घेराव पूरा हो जाता लेकिन दलम के संतरी द्वारा उनसे पूछताछ करने पर दक्षिण पश्चिम दिशा से पहले कट-ऑफ ग्रुप द्वारा नियत समय से पहले गोलीबारी करने से पेड़ के निकट बैठे संतरी ने पुलिस पार्टी पर गोलीबारी कर दी इसलिए दुश्मन से अपनी रक्षा करने के लिए पुलिस पार्टी के पास गोलीबारी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। अतः इन्होंने तत्काल ही पलट कर जबाबी गोलीबारी की। दूसरी ओर श्री के. देवेन्द्र रेड्डी, आर एस आई, जो विद्रोहियों के टैंट के सामने खड़े थे, पर स्वचालित हथियारों से भारी गोलीबारी हुई और ये अपने जीवन की परवाह किए बगैर बहादुरी से आगे बढ़े और इन्होंने अपनी स्वचालित राइफल से जबाबी गोलीबारी कर दी जिसके परिणामस्वरुप एक क्षेत्रीय कमेटी सचिव सहित तीन विद्रोही मारे गए। यह दिन की कम होती रोशनी में 1855 बजे से 1910 बजे के बीच हुआ। जब गोलीबारी बंद हो गई तो आर एस आई के आह्वान पर पुलिस पार्टी उस क्षेत्र की ओर बढ़ी, तलाशी ली और एक महिला के शव सहित चार शव वहां पर पाए गए, 6 हथियार (.303 की दो राइफलों और 8 एम एम की 2 राइफलों सहित), 10 किट बैग, पानी की केन आदि बरामद किए गए। श्री के. देवेन्द्र रेड्डी, आर एस आई और उनकी टीम के साहसिक कृत्य से पी डब्ल्यू जी को भारी नुकसान हुआ जिसमें 1) पशुला बिक्सापति उर्फ चन्द्रन्ना, पी पी जी नरसमपेट क्षेत्रीय कमेटी सचिव और सदस्य, वारंगल-खम्माम एरिया कमेटी, 2) मनुबोथ्याल यदक्का उर्फ रदक्का, पत्नी लिंगैया उर्फ लिंगन्ना (येल्लेन्दु दलम का कमांडर), डिप्टी कमांडर, चन्द्रन्ना दलम, 3) पूनेम पापा राव उर्फ भूपति उर्फ लक्षमैया, सदस्य, चन्द्रन्ना दलम 4) जेरुपुला बग्गु उर्फ रंगन्ना, सदस्य, चन्द्रन्ना दलम मारे गए।

इस मुठभेड़ में श्री के. देवेन्द्र रेड्डी, आर एस आई (अब एस आई) ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 2 अगस्त, 2003 से दिया जाएगा ।

(बरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 142- प्रेज/2005-राष्ट्रपति, आन्ध्र प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री ए. नरेश कुमार,
उप निरीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

7 मार्च, 2003 को अपर पुलिस अधीक्षक (ओप्स), करीम नगर के निर्देशों के अनुसार चेंदुर्थी पी एस की सीमाओं में अभियान चलाने के लिए श्री ए. नरेश कुमार, उप-निरीक्षक (एस आई) के नेतृत्व में एक डिस्ट्रिक्ट गार्ड असॉल्ट यूनिट भेजी गई। अगले दिन की सुबह 0600 बजे इन्होंने आगे बढ़ना शुरु किया, बावूसाइपेट, लचमपेट थांडा, जलपति थांडा और इसके आस-पास के क्षेत्रों में छिपने के स्थानों की जांच की तथा 0830 बजे गोविन्द्रजुला गुट्टा, डुब्बा थांडा के निकट पहुंचे। जब पुलिस पार्टी गांव में पहुंची तो लुंगी पहने 4-5 व्यक्तियों ने पुलिस पार्टी से बचने के लिए अलग-अलग दिशाओं में भागना शुरु किया। इसके तुरंत बाद श्री ए. नरेश कुमार, एस आई ने उनमें से दो, जो गोविन्द्रजुला गुट्टा की ओर भाग रहे थे और जिन पर विद्रोही होने का संदेह था तथा जिस ढंग से पुलिस पार्टी को देख कर उन अज्ञात व्यक्तियों ने भागना शुरु किया, का पीछा किया। उनकी इस गतिविधि से श्री ए. नरेश कुमार, एस आई को उनके विद्रोही होने का पक्का विश्वास हो गया। पुलिस पार्टी को तेजी से पीछा करते देख, वे देवुनी गुट्टा की ओर भागे और उन्होंने वहां पर खड़ी की हुई बाइसिकल ली ताकि बचना आसान हो जाए। इसे देख कर, श्री ए. नरेश कुमार, एस आई ने पुलिस पार्टी को आदेश दिया कि वे पैदल ही लगातार उनका पीछा करें और इन्होंने एक पुलिस कांस्टेबल 2645 अशोक को अपने साथ लिया तथा एक सिविलियन की मोटर साइकिल ली और विपरीत दिशा में चल पड़े ताकि संदिग्ध लोगों को पकड़ा जा सके। जैसे ही श्री ए. नरेश कुमार, एस आई उनके नजदीक पहुंचे वैसे ही विद्रोहियों में से एक ने अपने छोटे हथियार से इन पर गोलीबारी कर दी। श्री नरेश कुमार, एस आई से केवल 10 मीटर की दूरी पर विद्रोहियों की इस कार्रवाई को देख कर इन्होंने बाइक रोक दी और तत्काल विद्रोहियों पर गोलीबारी कर दी तथा साथ ही इन्होंने बाइक पर पीछे बैठे सिपाही अर्थात् पी सी 2645 को आदेश दिया कि वह भी अपनी रक्षा के लिए विद्रोहियों पर गोलीबारी करे। श्री ए. नरेश कुमार, एस आई ने एक छोटी चट्टान की आड़ ली और विद्रोहियों पर गोलीबारी जारी रखी। दोनों ही विद्रोही गोली लगने के कारण तत्काल मारे गए। जिस स्थान पर दोनों ओर से गोलीबारी हुई थी उसकी तलाशी लेने पर मारे गए विद्रोहियों से एक 7.62 पिस्तौल और एक एच ई 36 ग्रेनेड बरामद हुआ। मारे गए दोनों विद्रोहियों की पहचान बाद में कतुकम करुणाकर उर्फ नजीर पुत्र नरसैया, 27 वर्ष, जाति का कपू, निवासी बंदापल्ली, डिप्टी सी ओ, जनशक्ति और इनुगुला महांकली उर्फ देवन्ना पुत्र राजैया, 30 वर्ष, जाति से कूर्मा, निवासी किस्तमपेट (गांव), दलम सदस्य के रुप में हुई। मारे गए विद्रोहियों ने कई अपराधों में भाग लिया था जिसमें दो कांस्टेबलों हेंकू नायक और संकेपल्ली कृष्णा, कोडिमियल पी एस, बट्टीमल (गांव), कोनारावपेट मंडल में 11.2.2003 की बर्बर हत्या में शामिल है। यह एक उत्कृष्ट फील्ड मुठभेड़ है और सिरसिला सब-डिविजन में अपनी तरह की अकेली है जिसमें श्री ए. नरेश कुमार, एस आई ने बहादुरी से विद्रोहियों की गोलियों का सामना किया तथा अपने जीवन को अत्यधिक जोखिम में डाल कर विद्रोहियों का पीछा किया और दो खूंखार विद्रोहियों को मार गिराया।

इस मुठभेड़ में श्री ए. नरेश कुमार, उप निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 8 मार्च, 2003 से दिया जाएगा ।

(बरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 143- प्रेज/2005-राष्ट्रपति, आन्ध्र प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्वश्री

1. मनीष कुमार सिन्हा, भा.पु.से., अपर पुलिस अधीक्षक
2. के. वामसीधर, ए ए सी/आर एस आई

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

24.06.2003 को लगभग 0700 बजे श्री मनीष कुमार सिन्हा, अपर पुलिस अधीक्षक को सूचना मिली कि पी डब्ल्यू के 15-20 टाइगर प्रोजेक्ट दलम प्रकाशम जिले के मरकापुर सब-डिविजन के अंतर्गत पेड्डारवीडू के पुलिस स्टेशन पर हमला करने की योजना बना रहे हैं और वे प्रकाशम जिले के चिंतलमुडुपि गांव के घने जंगल से हो कर जा रहे हैं। यह अभियान चिंतलमुडिपि के घने जंगल में चलाया जाना था जो पी डब्ल्यू का गढ़ है। श्री सिन्हा, अपर पुलिस अधीक्षक ने श्री के. वामसीधर के साथ एक विस्तृत योजना बनाई और ग्रेहाउड्स यूनिट के कार्मिकों तथा विशेष पार्टियों के साथ अभियान के लिए चल पड़े। पुलिस कार्मिकों को दो ग्रुपों में बांटा गया ताकि संदिग्ध क्षेत्र को कवर कर उसका घेराव किया जा सके। इन दो ग्रुपों में से एक-एक का नेतृत्व सर्व श्री सिन्हा और वामसीधर ने किया। श्री मनीष कुमार सिन्हा, भा.पु.से. और श्री के. वामसीधर ने पहाड़ी पर स्थित एक पेड़ के निकट कुछ हलचल महसूस की जो पहाड़ी से लगभग 100 मीटर की दूरी पर था। वहां से अज्ञात व्यक्तियों के फुसफुसाने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। एक बार जब श्री सिन्हा और उनकी यूनिट ने यह महसूस कर लिया कि वह आवाज विद्रोहियों की है तो इन्होंने पार्टी को दो भागों में बांटने की आकस्मिक योजना बनाई और नक्सलियों की ओर बढ़ने लगे। श्री मनीष कुमार सिन्हा, भा.पु.से., श्री के. वामसीधर, ए सी सी, श्री टी. नरेन्द, जे सी 2621 और श्री यू. श्रीनिवास चारी एस सी, 1759 एक ग्रुप में और डी ए सी श्री एम. माधव राव तथा ए सी सी श्री यादगिरि दूसरे ग्रुप में थे। विद्रोही, जो पहाड़ियों में से एक पहाड़ी पर शरण लिए हुए थे, ने उस पहाड़ी को छोड़ दिया क्योंकि उन्होंने काफी पहले ही पुलिस पार्टी की चाल भांप ली तथा उन्होंने पुलिस पार्टी को भारी नुकसान पहुंचाने के लिए उन पर अचानक हमला करने की योजना बनाई। इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने आगे बढ़ रही पुलिस पार्टी के रास्ते में कई क्लेमोर सुरंगे बिछा दी। जब पुलिस पार्टी पहाड़ी की तलहटी में पहुंची तो विद्रोहियों ने पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध गोलीबारी कर दी तथा साथ ही क्लेमोर सुरंगों में भी विस्फोट कर दिए। ये क्लेमोर सुरंगे श्री के. वामसीधर, ए सी सी के बिल्कुल सामने फटीं लेकिन इससे ये भयभीत नहीं हुए और इन्होंने अपना साहसिक अभियान जारी रखा। श्री के. वामसीधर, ए सी सी ने यह नोटिस किया कि विद्रोहियों का एक ग्रुप, विद्रोहियों के दूसरे ग्रुप को गोलीबारी की आड़ में असॉल्ट पार्टी की ओर बढ़ रहा है ताकि पुलिस पार्टी को घेर कर उनकी हत्या की जा सके। श्री मनीष कुमार सिन्हा ने श्री के. वामसीधर, ए सी सी के साथ मिल

कर एक चक्कर लगाया और रेंगते हुए विद्रोहियों की ओर बढ़े तथा एक चतुराई पूर्ण चाल चली, यद्यपि विद्रोहियों की ओर से भारी गोलीबारी हो रही थी। लेकिन अपने जीवन की परवाह किए बगैर तथा गंभीर जोखिम का खतरा उठाते हुए श्री मनीश कुमार सिन्हा, भा.पु.से. और श्री के. वामसीधर, ए सी सी ने अपने स्वचालित हथियारों से तेजी से गोलीबारी शुरु की तथा आगे बढ़े और विद्रोहियों से 30 मीटर की दूरी तक पहुंच गए। विद्रोहियों और पुलिस पार्टी के बीच हुई भारी गोलीबारी लगभग एक घंटे तक चली जिसके परिणामस्वरुप चार खूंखार विद्रोही मारे गए। शांति पत्नी श्रीनु उर्फ महेश, एरिया कमेटी सचिव, सी पी आई (एम एल) पी डब्ल्यू और टाइगर प्रोजेक्ट दलम। कोंडासीमा एनिमा उर्फ उमा, पुत्री नागेश्वर राव, सी पी आई (एम एल), पी डब्ल्यू, सदस्य। थुम्मेला वेंकटेश्वरलू उर्फ सागर, पुत्र चिन्ना वैंकट सुबैया, सी पी आई (एम एल), पी डब्ल्यू दलम सदस्य और एस. प्रसाद उर्फ जीवन, पुत्र नगैया, सीपी आई (एम एल) पी डब्ल्यू दलम सदस्य। मुठभेड़ के बाद क्षेत्र का सर्वेक्षण करने के बाद .303 की दो राइफलें, एस बी बी एल की दो राइफलें, एक तपंचा, एक डे वाइनोक्यूलर और बड़ी मात्रा में गोली-बारुद बरामद हुआ। सर्व श्री सिन्हा और वामसीधर ने ये परिणाम प्राप्त करने के लिए अनुकरणीय व्यक्तिगत साहस, नेतृत्व और बहादुरी का परिचय दिया।

इस मुठभेड़ में सर्वश्री मनीष कुमार सिन्हा, भा.पु.से., अपर पुलिस अधीक्षक और श्री के. वामसीधर, ए सी सी/आर एस आई ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 24 जून, 2003 से दिया जाएगा ।

(बरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 144- प्रेज/2005-राष्ट्रपति, असम पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. रौनक अली हजारिका, ए पी एस, पुलिस अधीक्षक
2. जतिन्द्र नाथ सेकिया, उप-निरीक्षक (यू बी)
3. बिपुल रे, ए बी सी/586
4. हृषिकेश रे, ए बी सी/556

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

मजिगांव गांव में कुछ कट्टर उल्फा विद्रोहियों के छिपे होने के बारे में 22.7.2004 को अपराह्न 1.40 बजे गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए श्री रौनक अली हजारिका, ए पी एस, पुलिस अधीक्षक, बोंगइगांव ने तत्काल इस

मामले पर श्री लुंगरिडिंग, भा.पु.से., उप-महानिरीक्षक (डब्ल्यू आर), कोकराझार, जो उस समय एस पी कार्यालय, बोंगइगांव का निरीक्षण कर रहे थे, के साथ चर्चा की और उप-पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय), ओ/सी बोंगइगांव पी एस, टी-एफ आई आदि के साथ अभियान चलाने की एक योजना बनाई तथा तत्काल ही सशस्त्र डी ई एफ के उपलब्ध कार्मिकों के साथ धाईगांव पी एस के अंतर्गत मजिगांव की ओर रवाना हुए और क्षेत्र का घेराव कर दिया। जब पुलिस पार्टी जंगल में छान-बीन कर रही थी उसी समय विद्रोहियों ने पुलिस पार्टी को लक्ष्य करके उन पर एक हथगोला फेंका लेकिन सौभाग्य से पुलिस पार्टी को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। इसी बीच, विद्रोहियों ने पुलिस पार्टी पर गोलीबारी भी शुरु कर दी। तत्काल ही एस.पी.आर.ए. हजारिका, बोंगइगांव, एस आई. जतिन्द्र नाथ सेकिया, ए बी सी/586 बिपुल रे और ए बी सी/556 हृषिकेश रे ने भी पलट कर गोलीबारी कर दी और गोलीबारी करते हुए आगे बढ़े। इसके परिणामस्वरुप मुठभेड़ में एक उल्फा विद्रोही मारा गया। बाद में उसकी पहचान हितेश रे उर्फ भतीजा उर्फ सेलन मेधी, पुत्र धजेन राय, सुंदरी पी एस सिदली, जिला, चिराग के रुप में हुई जो एक कट्टर उग्रवादी था तथा बोंगइगांव जिले का स्वं-भू उल्फा एरिया कमांडर था। उसके कब्जे से चीन में निर्मित एक एम-20 पिस्तौल, दो मैग्जीनें, जीवित गोला बारुद के 3 राउंद, 2 (दो) हथगोले, एक आई ई डी जिसमें 3½ कि.ग्रा. प्लास्टिक विस्फोटक था, एक डिटोनेटर, एक कामचलाऊ पेंसिल, दस बैटरी सैल, जो रिमोट कंट्रोल डिवाइस में फिट किए गए थे, एक डायरी और उल्फा संगठन से संबंधित कुछ अभिशंसी दस्तावेज बरामद हुए। इस घटना के बाद पी ओ और निकटवर्ती जंगलों की भी पूरी छान-बीन की गई लेकिन उसके साथी विद्रोहियों का कोई सुराग नहीं मिला। कुछ समय बाद सी आर पी एफ पार्टी को सूचित किया गया और अनुवर्ती तलाशी अभियान में पुलिस पार्टी की सहायता करने के लिए वे भी पी ओ पहुंच गए। मारा गया उल्फा उग्रवादी कई व्यक्तियों की हत्या करने में संलिप्त था।

इस मुठभेड़ में, सर्वश्री रौनक अली हजारिका, ए पी एस, पुलिस अधीक्षक, जतिन्द्र नाथ सेकिया, एस आई(यू बी), बिपुल रे, ए बी सी/586 और हृषिकेश रे, ए बी सी/556 ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

वे पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 22 जुलाई, 2004 से दिया जाएगा ।

(बरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 145- प्रेज/2005-राष्ट्रपति, असम पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री गोबिन बोराह, (मरणोपरांत)

कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

27.08.2004 को कमांडो बटालियन, गुवाहटी के गोबिन बोराह, सी.आई. आपरेशन ड्यूटी पर टीम के एक भाग के रुप में अपर पुलिस अधीक्षक श्री पी.आर. कर, डिब्रूगढ़ डी ई एफ के साथ जा रहे थे। भाटी नामदंग गांव के किसी लीला बोराह के मकान में एक महिला कार्यकर्ता सहित तीन उग्रवादियों की उपस्थिति के संबंध में लगभग 1600 बजे सूचना मिलने पर इनकी टीम ने गांव में एक अभियान शुरु किया और 1800 बजे तक ये उस स्थल पर रहे। कमांडो गोबिन बोराह से कहा गया कि वे एक तरफ से लक्ष्यगत मकान की ओर बढ़ने के लिए कमांडो की एक टीम का नेतृत्व करें। जब गोबिन बोराह की टीम उग्रवादियों के सामने आई तो उग्रवादियों ने उन पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई। जब उन पर गोलीबारी की जा रही थी तो कमांडो गोबिन बोराह आगे होकर अपनी टीम का नेतृत्व कर रहे थे। इसके परिणामस्वरुप, उनकी जांघ और कमर पर कई गोलियां लगी। घायल होने के बावजूद गोबिन बोराह ने अनुकरणीय साहस और सन्निकट खतरे के सामने अत्यधिक कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया और साथ ही अपनी टीम की गतिविधियों को कवर करते हुए पलट कर गोलीबारी की। कमांडो गोबिन बोराह तब तक उग्रवादियों पर गोलीबारी करते रहे जब तक वे अचेत हो कर गिर नहीं गए और उन्हें वहां से हटा नहीं दिया गया। इसके बाद जिस दिशा में गोबिन बोराह गोलीबारी कर रहे थे उस दिशा में रक्तकुंड दिखाई दिया। यद्यपि उग्रवादी गंभीर रुप से घायल थे फिर भी वे बच कर भागने में सफल हो गए और उनके ग्रुप का सरगना नुमल चेतिया उर्फ समर बासुमतारी, जिसकी गोबिन बोराह की टीम के साथ हुई गोलबीारी में दांई आंख चली गई थी, को बाद में पकड़ लिया गया। यद्यपि कमांडो गोबिन बोराह को शीघ्र ही वहां से हटा लिया गया था लेकिन अस्पताल में घावों के कारण उनकी मृत्यु हो गई। कमांडो गोबिन बोराह ने गंभीर खतरे में अपनी निजी सुरक्षा की तनिक भी परवाह किए बगैर अनुकरणीय साहस, नेतृत्व और कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया जिसके परिणामस्वरुप उनकी टीम सुरक्षित रही और उल्फा के खतरनाक कार्यकर्ता नुमल चेतिया उर्फ समर बासुमतारी, जो मुठभेड़ में गंभीर रुप से घायल हुआ था, को पकड़ा जा सका। मुठभेड़ स्थल से एक मैग्जीन के साथ एक पिस्तौल (सं: 884310), 6 राउंद जीवित गोलियां, एक पैकेट जिसमें 3.660 कि. ग्रा. आर डी एक्स था, एक चीनी हथगोला, 5 नग डिटोनेटर, एक वायरलेस सेट (केनवुड), 5 नगर स्क्रू ड्राइव, एक छोटा रेडियो और अन्य वस्तुयें बरामद हुईं।

इस मुठभेड़ में (दिवंगत) श्री गोबिन बोराह, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 27 अगस्त, 2004 से दिया जाएगा ।

(बरूण मित्रा)

निदेशक

सं0 146- प्रेज/2005-राष्ट्रपति, असम पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री अरबिन्द कक्कोती (मरणोपरांत)

कांस्टेबल, ए बी सी/215

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

गांव बोरखुरिहा (गंगापुखरी) पी एस नलबाड़ी में उल्फा उग्रवादियों के एक ग्रुप के ठहरे होने के संबंध में प्राप्त सूचना के आधार पर 30.10.2003 को लगभग 1130 बजे श्री जीतमल डोले, ए पी एस, अपर पुलिस अधीक्षक(मुख्यालय), नलबाड़ी के नेतृत्व में एक पुलिस पार्टी ने उस गांव की ओर कूच किया। जैसे ही पुलिस पार्टी ने श्री मदन कलिता और श्री बदन कलिता के मकान का घेराव किया वैसे ही एक उग्रवादी ने, जो मकान के सामने खड़ा था, पुलिस पार्टी पर गोलीबारी कर दी। उसी समय यू एम जी और ए के श्रृंखला की राइफलों से लैस लगभग 12 से 14 सशस्त्र उग्रवादी उस मकान से बाहर आये और उन्होंने मकान के पिछवाड़े की ओर भागना शुरु किया। उग्रवादियों ने मकान की कंकरीट की दीवार के पीछे मोर्चा लिया और पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध गोलीबारी कर दी। आगे बढ़ रही पुलिस पार्टी पर भारी गोलीबारी की गई जिसके कारण इन्हें मजबूर हो कर रेंगते हुए निकट के पानी के तालाब तक जाना पड़ा लेकिन ए बी सी/215 अरबिंद कक्कोती साहसपूर्वक उत्तर की ओर से छिपते हुए उग्रवादियों की ओर बढ़े और अपनी ए के-47 सर्विस राइफल से उन पर गोलीबारी कर दी और मौके पर ही एक उग्रवादी को मार गिराया। इन्होंने लगभग एक घंटे तक गोलीबारी जारी रखी लेकिन अंततः जब इनका गोला-बारुद समाप्त हो गया तो उग्रवादियों ने इन्हें पकड़ लिया और गोली मार कर इनकी हत्या कर दी तथा इनके कब्जे से ए के-47 राइफल और एक मोटोरोला हैंड सैट छीन लिया। उग्रवादियों के इतने बड़े ग्रुप के साथ इनकी इस वीरोचित लड़ाई से अन्य पुलिस कार्मिकों को लड़ाई जारी रखने का साहस मिला। अन्यथा आगे बढ़ रहे 5/6 और पुलिस कार्मिकों के हताहत होने की आशंका थी। अन्य पुलिस कार्मिकों ने तत्काल मोर्चा संभाला और ए के राइफलों से पलट कर गोलीबारी की। चूंकि उग्रवादी भारी हथियारों (यू एम जी) से लैस थे इसलिए पुलिस पार्टी की गोलीबारी के आगे उन्होंने घुटने नहीं टेके और वे तब तक गोलीबारी करते रहे जब पुलिस कुमुक वहां नहीं पहुंची। उस स्थान की ओर आ रही कुमुक पुलिस पार्टी के वाहन की आवाज सुन कर उग्रवादियों ने चारों ओर आर पी जी सैल फेंकने शुरु कर दिए। तथापि, कुछ समय बाद उग्रवादियों ने आर पी जी सैल फेंकने बंद कर दिए और बांस के झुरमुटों की आड़ में भागना शुरु कर दिया। पुलिस पार्टी ने उनका पीछा किया लेकिन वे किसी अन्य उग्रवादी को पकड़ने में सफल नहीं हो सके। भारी गोलीबारी के कारण पूरी जांच की गई। सेना और सी आर पी एफ युक्त और कुमुक आने पर उस स्थान से दो शव, एक उग्रवादी का और दूसरा ए बी सी/215 अरबिंद कक्कोती का, मकान के पिछवाड़े में मिला। एक आर पी जी लांचर, चार नग, आर पी जी सैल और अभिशंषी दस्तावेज बरामद हुए।

इस मुठभेड़ में (दिवंगत) श्री अरबिंद कक्कोती, कांस्टेबल, ए बी सी/215 ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 30 अक्तूबर, 2003 से दिया जाएगा ।

(वरूण मित्रा)

निदेशक

सं0 147- प्रेज/2005-राष्ट्रपति, असम पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. लोंगनीत तेरांग,
   अपर पुलिस अधीक्षक
2. रिपुल दास,
   पुलिस उपाधीक्षक (प्रोबी)
3. जितुमनी बोराह,
   उप-निरीक्षक (यू बी)
4. अनंत बोराह,
   ए बी सी/500
5. जयंत बोराह,
   ए बी सी/499

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

4.4.2004 को बोरापाथर पुलिस स्टेशन के अन्तर्गत चांगपूल गांव में उल्फा आतंकवादियों की आवाजाही के बारे में गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए गोलाघाट के पुलिस अधीक्षक ने श्री लोंगनीत तेरांग, अपर पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) गोलाघाट को क्षेत्र में गश्त/तलाशी करने का निर्देश दिया। तदनुसार, उसी दिन लगभग 1100 बजे श्री एल. तेरांग, अपर पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय), गोलाघाट ने श्री रिपुल दास, ए पी एस उपाधीक्षक (पुलिस), उप निरीक्षक जितुमनी बोराह, गोलाघाट डी एस बी, ए बी सी/500 अनंत बोराह तथा ए बी सी /499 जयन्त बोराह गश्त लगाने तथा उल्फा आतंकवादियों को पकड़ने की दृष्टि से चांगपूल गांव में घात लगाने के लिए बोरपाथर की तरफ चल पड़े। चांगपूल गांव में गश्त के दौरान, पुलिस पार्टी संदिग्ध आतंकवादियों द्वारा लगाई गई घात में फंस गई जिन्होंने पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध गोली चलाना शुरू कर दिया। सन्निकट खतरे को भांपते हुए, पार्टी ने तत्काल मोर्चा संभाल लिया तथा अपनी सुरक्षा के लिए आतंकवादियों की तरफ गोलीबारी कर जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी तथा आतंकवादी आक्रमण का मुकाबला शुरू कर दिया। पुलिस पार्टी ने भारी गोलीबारी की स्थिति में शान्त और युक्तियुक्त तरीके से रणनीतिपूर्वक, रेंगना शुरू कर दिया तथा अपनी जान को जोखिम में डाल कर आतकवादियों के साथ नजदीकी मुकाबला प्रारम्भ कर दिया। जब दोनों पक्षों में गोलीबारी चल रही थी, दो आतंकवादी पुलिस पार्टी पर रुक-रुक कर गोलीबारी करते हुए वहां से भागने की कोशिश करते हुए देखे गए। वे दोनों भिन्न-भिन्न दिशाओं की तरफ भाग रहे थे जिसके लिए पांच सदस्यीय पुलिस टीम ने स्वयं को विभाजित कर उनका पीछा किया। 10/15 मिनट की भीषण मुठभेड़ में, आतंकवादियों की तरफ पुलिस टीम द्वारा कुल 120 राउन्ड गोलीबारी की गई। जब गोलीबारी रूकी, पी ओ. की तलाशी ली गई तथा गोलियों से छलनी अज्ञात आतंकवादियों के दो शव मिले। अन्य आतंकवादियों को पकडने के लिए भी आस पास के क्षेत्र की गहन तलाशी ली गई, परन्तु घने बांसों वाले नाले का लाभ उठाते हुए वे पी ओ से भागने में सफल रहे। बाद में मृत आतंकवादियों की पहचान (i) भाबा गोगोई उर्फ टुटू उर्फ दीपज्योति बरूआ, उल्फा का स्वयंभू सर्जेन्ट मेजर, पुत्र नूमल गोगोई सरुपाथर पी एस के अन्तर्गत नं. 1 मोराजन गांव तथा (ii) नरेन सैकिया उर्फ नोरेन कंवर उर्फ नागा उर्फ नवाज्योति कवंर, उल्फा का स्वयंभू कोरपोरल पुत्र नालिया सैकिया, सरूपाथर पुलिस स्टेशन के अन्तर्गत नं0 11 गंधकोकोई गांव। पी ओ और मृत आतंकवादियों के शवों की गहन तलाशी के दौरान दो मेगजीनों सहित 1 ए.के.-56 राइफल, एक मेगजीन सहित

एक 9 एम एम ब्राउनिंग पिस्टल, ए.के.-56 के 61 राउन्ड तथा 9 एम एम गोला बारूद के 4 नग, 4 इलैक्ट्रोनिक डेटोनेटर्स, 6 उल्फा मांग पत्र, एक वायरलैस सेट तथा 6 खाली कारतूस बरामद और जब्त किए गए।

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री लोंगनीत तेरांग, अपर पुलिस अधीक्षक, रिपुल दास, पुलिस उपाधीक्षक, जितुमनी बोराह, उप-निरीक्षक (यू बी), अनंत बोराह, ए बी सी/500 तथा जयंत बोराह, ए बी सी/499 ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 4 अप्रैल, 2004 से दिया जाएगा ।

(बरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 148- प्रेज/2005-राष्ट्रपति, असम पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. पंकज शर्मा, ए पी एस,
   पुलिस अधीक्षक
2. अब्दुल गफूर,
   सहायक उप-निरीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

भागवती टी एस्टेट के 2 अपहृत व्यक्तियों नामतः (i) सरत दत्ता और (ii) राकेश कुमार, जिनका 21.02.2004 को बागान से अपहरण किया गया था को बरामद करने के लिए 24.02.2004 को यू पी डी एस आतंकवादियों के सम्भावित ठिकानों और जंगल क्षेत्र में एक तलाशी अभियान आयोजित किया गया। तदनुसार श्री पंकज सरमा, एस.पी. कर्बी ऐंगलोंग के सीधे पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अन्तर्गत एक व्यापक तलाशी अभियान आयोजित किया गया। उप निरीक्षक जयन्त कलिता, पी आर सी/हवलदार सुकलेश्वर बोरदोलोई, पी आर /757 अरूण सी एच. दास, पी आर सी/762 अतुल डेका, पी आर सी/634 प्रबोध बोरदोलोई और पी आर सी/677 प्रजीत दास को थेलू पहाड़ लेकठे बस्ती भेजा गया। सहायक उप निरीक्षक अब्दुल गफूर के नेतृत्व में एक पार्टी जब अचानक आतंकवादियों द्वारा की जा रही भारी गोलीबारी की गिरफ्त में आ गई, तो पुलिस पार्टी ने जवाबी कार्रवाई की तथा देर तक चली मुठभेड के पश्चात अन्ततः 2 अपहृत व्यक्तियों को आतंकवादियों की गिरफ्त से सही सलामत बरामद कर लिया गया। मुठभेड की समाप्ति के पश्चात तलाशी की गई, एक यू पी डी एस शिविर ध्वस्त किया जा चुका था। बड़ी संख्या में हथियार और गोला बारुद बरामद किए गए तथा 3 यू पी डी एस केडरों को गिरफ्तार किया गया। ई.एस. अधिनियम की धारा 5 के साथ पठित सशस्त्र अधिनियम की धारा 25 (आई-बी) (ए)/27 के साथ पठित भारतीय दंड संहिता की धारा 120(बी)/121(ए)122/307 के तहत, बोकाजन पुलिस स्टेशन में दर्ज मामला सं. 35/2004 में इसका संदर्भ है। लेकठे बस्ती के समीप थेलूपहाड़ स्थित पी ओ, बोरापथर ओ.पी. से 38 कि.मी. दूर है। जंगल के रास्ते से पी.ओ. की तरफ 15 कि.मी. चलने के पश्चात रात हो गई तथा अंधेरा छा गया। जंगल के अन्दर तथा पहाडों के बीच दृश्यता शून्य स्तर पर आ गई। इन विपरीत परिस्थितियों में श्री पंकज शर्मा के लिए यह

निर्णय लेना कठिन हो गया कि क्या वे रात में आगे बढ़े अथवा भोर होने की प्रतीक्षा करें। उनके मन में यह दुविधा थी कि यदि बल रात्रि के दौरान आगे बढ़ता है तो उन्हें बंजर क्षेत्र, घने जंगलों, लहरदार घाटियों, अनेक छोटे-छोटे नदी-नालों और पहाड़ियों जैसी सभी प्रकार कि विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त, कई घात स्थलों वाला यह क्षेत्र आतंकवादियों का अड्डा था। दूसरी तरफ, यदि बल भोर होने की प्रतीक्षा करता है तो वे पीछे छूट जायेंगे और घटनास्थल पर कुछ मिलने की आशा धूमिल हो जाएगी। अन्ततः श्री पंकज सरमा ने उपलब्ध बल के साथ रात में ही जंगल और पहाड़ों में घुसने तथा अचानक अभियान चलाने के लिए, जहां तक सम्भव हो सके, जल्दी से जल्दी थेलूपहाड़ स्थित घटनास्थल पर पहुंचने का निर्णय लिया। पहाड़ियों के पीछे से थेलूपहाड़ की कठिन ऊंचाई चढ़ने के पश्चात पार्टी अपराह्न 11:45 बजे घटनास्थल पर पहुंची। पहाड़ी के तल पर पहुंचने के पश्चात इन्होंने युक्तिसंगत मोर्चा संभाल लिया तथा भूमि पर लेट कर अंधेरे में आतंकवादियों का पता लगाने की कोशिश की। इन्हें कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, परन्तु ये फिर भी अंधेरे में किसी भी हरकत को देख कर उनका पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस पार्टी ने उच्च तुगंता वाले क्षेत्र में स्थित शिविर की तरफ धीरे-धीरे बढ़ना शुरू कर दिया और गहन तलाशी शुरू कर दी। तलाशी के दौरान श्री सरमा को यू पी डी एस से संबंधित अनेक दस्तावेज बरामद हुए। शिविर को ध्वस्त करने के बाद गोला बारूद से लैस एक ए.के.47 मेगजीन तथा यू पी डी एस का व्यक्तिगत सामान बरामद किया गया। जैसे ही श्री सरमा और पार्टी वापस आने के लिए तैयार हुई, उनके स्थान से लगभग 50 गज दूर एक बडा धमाका हुआ। समग्र बल ने तत्काल लेटते हुए मोर्चा संभाल लिया। बल को क्षति पहुंचाने की इच्छा से वार्ता -विरोधी यू पी डी एस आतंकवादियों ने पास की पहाड़ी से हथगोले फेंके। श्री सरमा ने पार्टी को उस दिशा में गोलीबारी द्वारा जवाबी कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित किया तथा सबसे पहले गोलीबारी की शुरूआत करके वे स्वयं दल में शामिल हो गए। श्री सरमा और उनकी पार्टी की बहादुरीपूर्ण कार्रवाई ने आतंकवादियों को भागने पर विवश कर दिया, जो अंधेरे, पहाड़ी क्षेत्र और घने जंगल का लाभ उठाते हुए गायब होने में सफल हो गए। श्री सरमा के नेतृत्व, साहस और वीरतापूर्ण कार्रवाई के कारण, आतंकवादी सुरक्षा बलों को कोई क्षति नहीं पहुंचा सके तथा वहां से भागने के लिए मजबूर हुए तथा अपहृत व्यक्तियों को बचा लिया गया। 3 यू पी डी एस केडरों तथा बचाए गए 2 पीड़ितों के बयान से पता चला कि उन्होंने शिविर में आतंकवादियों के पास ए.के.-47 राइफल, यू एस कारबाइन, राकेट लांचर, एल एम जी, एम एम जी तथा छोटे हथियार आदि जैसे सभी प्रकार के हथियार देखे थे। यह बचाव अभियान, अदम्य साहस का अनूठा उदाहरण है। यह मुठभेड़ विपरीत परिस्थितियों में हुई थी जहां पुलिस की संख्या थोड़ी-बहुत थी तथा आतंकवादियों की संख्या 30 से अधिक थी। पुलिस पार्टी ने अपहृत व्यक्तियों को बिना किसी हानि के बरामद किया। आतंकवादियों को अधिकतम नुकसान हुआ जिनमें कई घायल हुए तथा मारे गए। इस तथ्य को जानने के बावजूद कि यह वार्ता-विरोधी यू पी डी एस आतंकवादियों का सक्रिय शिविर है और यहां अनेकों आतंकवादी छुपे हुए हैं, रात में शुरू किए गए दूसरे प्रयास में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया तथा शिविर ध्वस्त किया गया। इस कार्रवाई से उस छोटी सी पुलिस टीम की उच्चकोटि की कर्तव्यनिष्ठा, संकल्प और प्रेरणा का पता चलता है जिसने समग्र पुलिस बल को गौरवान्वित किया। यह अभियान कठिन पहाड़ी क्षेत्र में चलाया गया जहां सुरक्षा कार्मिकों की तुलना में आक्रमणकारी लाभ की स्थिति में थे और उनकी संख्या अधिक थी। श्री सरमा की त्वरित कार्रवाई और साहस से ऐसा बड़ा परिणाम सामने आया।

इस मुठभेड़ में, श्री पंकज शर्मा, पुलिस अधीक्षक तथा श्री अब्दुल गफूर, सहायक उप निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 24 फरवरी, 2004 से दिया जाएगा ।

([illegible])
निदेशक

सं0 149- प्रेज/2005-राष्ट्रपति, असम पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. हरेन चन्द्र दास,
   उप-निरीक्षक
2. अहमद हुसैन मजूमदार,
   उप-निरीक्षक
3. अनिसुर रहमान,
   यू बी कांस्टेबल
4. श्री जगदीश डेका,
   यू बी कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

6.08.2003 को लगभग 4.20 बजे अपराह्न उप निरीक्षक हरेन चन्द्र दास ओ.सी. तमारहाट पुलिस स्टेशन को सूचना प्राप्त हुई कि दो व्यक्ति नामतः मोहम्मद खैरूल आलम मिंया, अध्यक्ष, कमान दांगा गांव पंचायत तथा मोहम्मद निजामुद्दीन शेख, श्यामगुड़ी एल.पी. स्कूल के मुख्य अध्यापक का बंदूक की नोक पर श्रीरामपुर रेलवे गेट से कुछ आतंकवादियों द्वारा अपहरण कर लिया गया है तथा उन्हें राजबोंगशिपाड़ा की तरफ से ले जाया गया है। इस सूचना की प्राप्ति पर, उप निरीक्षक हरेन चन्द्र दास, उप निरीक्षक अहमद हुसैन मजुमदार, यू बी सी 25 अनिसुर रहमान तथा यू बी सी 20 जगदीश डेका के साथ वहां के लिए रवाना हुए। गांव पहुंचने पर इन्हें सूचना मिली कि चार उल्फा आतंकवादियों ने एक संतोष बर्मन के घर में अपहृत व्यक्तियों को रखा हुआ है। जैसे ही पुलिस पार्टी उक्त घर पर पहुंची, आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोली चलाना शुरू कर दिया। मोहम्मद खैरूल आलम अपने सीने पर चोट के साथ घर से बाहर भागे और उनके पीछे-पीछे दो आतंकवादी एक पिस्तौल और हथगोलों के साथ बाहर निकले। घर में महिला और बच्चों की उपस्थिति को देखते हुए पुलिस पार्टी ने आतंकवादियों पर यादृच्छिक रुप से गोली चलाने की बजाय नजदीकी लड़ाई में एक-एक करके आतंकवादियों का मुकाबला करने का निर्णय लिया। कमरे से बाहर निकले दो आतंकवादियों में से एक संतोष बर्मन था। उसने पुलिस पार्टी पर हथगोला फेंकने की कोशिश की परन्तु वह पुलिस पार्टी द्वारा गोलीबारी में मारा गया। दूसरा आतंकवादी उप निरीक्षक हरेन दास की तरफ भागा तथा पिस्तौल के साथ इन पर कूदा। दोनों ही सन्तुलन खो देने के कारण चारपाई पर गिर पड़े। उप निरीक्षक हरेन दास आतंकवादी के नीचे थे। आतंकवादी ने पुलिस अधिकारी के सिर पर पिस्तौल रखकर उप निरीक्षक हरेन दास को गोली मारने की कोशिश की। परन्तु अदम्य साहस के साथ उप निरीक्षक दास, आतंकवादी की पिस्तौल को परे हटाने में सफल हो गए और इन्होंने अपनी पिस्तौल आतंकवादी के गले पर रख दी और गोली चला दी। उसी समय, यू बी सी 25 अनिसुर रहमान भी आगे आ गए तथा एक तरफ से आतंकवादी पर गोली चला दी। दूसरे अपहृत व्यक्ति का इस्तेमाल करते हुए एक और आतंकवादी घर से बाहर निकल आया। मोहम्मद निजामुद्दीन शेख जो भागता हुआ घर से बाहर निकल रहा था, उसने पुलिस पार्टी पर फेंकने की दृष्टि से मृत संतोष बर्मन के हाथ से हथगोला उठाने की कोशिश की लेकिन पुलिस पार्टी ने उसे मार गिराया। इसके बाद पुलिस पार्टी ने घर की तलाशी ली तथा हरेश्वर राय नामक एक उल्फा आतंकवादी को गिरफ्तार कर लिया। तीन खूंखार उल्फा आतंकवादी मारे गए तथा एक गिरफ्तार कर लिया गया।

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री हरेन चन्द्र दास, उप-निरीक्षक, अहमद हुसैन मजूमदार, उप-निरीक्षक, अनिसुर रहमान, यू बी कांस्टेबल और जगदीश डेका, यू बी कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 6 अगस्त, 2003 से दिया जाएगा ।

(बरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 150- प्रेज/2005-राष्ट्रपति, छत्तीसगढ़ पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री धर्मेन्द्र कुमार गर्ग,
अपर पुलिस अधीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

22 अगस्त, 2003 को श्री धर्मेन्द्र कुमार गर्ग को सूचना मिली कि माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर (इंडिया) के कुछ सशस्त्र नक्सलवादी, बलरामपुर पुलिस जिले में पुलिस स्टेशन रामानुजगंज, गांव चाकी बसकटिया के जंगल में शरण लिए हुए हैं। नक्सलवादी हथियारों, हथगोलों तथा बारूदी सुरंगों से लैस थे। इन्होंने तत्काल अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया तथा नक्सलवादियों को पकड़ने के लिए उस क्षेत्र में अभियान चलाया। इन्होंने स्वयं पुलिस पार्टी का नेतृत्व किया तथा क्षेत्र और अभियान के बारे में पुलिस कार्मिकों को ब्रीफ किया। सूचना के अनुसार पुलिस पार्टी चिन्हित क्षेत्र तक पहुंची। इनके नेतृत्व में पुलिस पार्टी युक्तियुक्त योजना के साथ कठिन और दुर्गम जंगल में घेरा डालने में सफल रही। पुलिस पार्टी ने बसकटिया जंगल में गांव चाकी, लोधा तथा इन्द्रपुर खोरी से लगने वाली सड़कों के तिराहे के पास घात लगाई। लगभग 1900 बजे प्रसिद्ध ठाकुर, जोनल कमान्डर छत्तीसगढ झारखंड जोनल कमेटी के नेतृत्व में 12 नक्सलवादियों के एक सशस्त्र गेंग को गांव चाकी की तरफ आते हुए देखा गया। पुलिस पार्टी ने नक्सलवादियों को चुनौती दी तथा उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। नक्सलवादियों ने पुलिस पार्टी पर गोली चलाना शुरू कर दिया तथा एक हथगोला फैंका। पुलिस पार्टी ने तत्काल मोर्चा संभाल लिया तथा आत्मरक्षा में गोली चलाना शुरू किया। मोर्चा संभालने के लिए पुलिस पार्टी को आदेश देकर इन्होंने अत्यधिक बुद्धिमता से अपने पुलिस कार्मिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की। इन्होंने नक्सलवादी गोलीबारी के मुख्य आवेग को अपने ऊपर लेकर स्वयं को साहसपूर्वक जोखिम में डाला। अत्यधिक नाजुक स्थिति तथा बड़ी संख्या में आतंकवादियों की परवाह किए बिना श्री धमेन्द्र गर्ग ने विरोधियों को अस्थिर करने के लिए हमला करने का निर्णय लिया। अचानक इन्होंने देखा कि एक नक्सलवादी हथगोला लिए पुलिस पार्टी को उड़ाने के लिए उनकी तरफ दौड़ रहा है। श्री गर्ग अपनी सुरक्षा की चिन्ता किए बिना सीधे आक्रमण के लिए आगे बढ़े। आतंकवादियों ने उनकी तरफ भारी गोलीबारी करके जवाबी कार्रवाई शुरू की। इस समय साहस खोये बिना, श्री गर्ग ने अपनी ए.के.47 राइफल के साथ नक्सलवादी पर धावा बोल दिया। कांपती हुई आवाज में "क्रान्ति, क्रान्ति" सुना गया तथा उस व्यक्ति को जमीन पर गिरते हुए देखा गया। इस हमले ने नक्सलवादियों के बीच भय पैदा कर दिया और वे अपनी जान बचाने के लिए भागे। लगभग चार घंटे तक गोलीबारी होती रही। मुठभेड़ के पश्चात क्षेत्र की तलाशी ली गई। सिंगल बैरल बारह बोर बन्दूक, आठ जिन्दा कारतूस, बारह बोर के तीन खाली कारतूस, एक हथगोला, एक टिफिन बम तथा कुछ कागजातों और अन्य सामग्री वाले एक बैग सहित एक नक्सलवादी का शव बरामद हुआ। मृत नक्सलवादी की

पहचान प्रसिद्ध ठाकुर, जोनल कमान्डर छत्तीसगढ़ झारखंड जोनल कमेटी के रूप में की गई। श्री गर्ग ने अपनी जान की परवाह किए बगैर बहादुरी से लड़ाई की।

इस मुठभेड़ में, श्री धर्मेन्द्र कुमार गर्ग, अपर पुलिस अधीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 22 अगस्त, 2003 से दिया जाएगा ।

(बरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 151 - प्रेज/2005-राष्ट्रपति, छत्तीसगढ़ पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री हरप्रताप सिंह,
निरीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

20.12.2002 को 14.30 बजे विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई कि 9-10 खूंखार नक्सलवादी पुलिस जिला बलरामपुर में गांव करोंधा पुलिस स्टेशन कुसमी में रह रहे हैं। शस्त्रों और गोलाबारूद से सज्जित 1 ए पी सी, 2 हैड कांस्टेबलों, 4 कांस्टेबलों के साथ पुलिस स्टेशन कुसमी के स्टेशन अधिकारी श्री हर प्रताप सिंह तत्काल गांव करोंधा की तरफ दौड़े तथा गांव सुरबेना टोला चंदादांडी की तरफ खूंखार नक्सलवादियों की आवाजाही के बारे में पूछताछ की। श्री सिंह ने बल के साथ 5 कि.मी. लम्बे जोखिम भरे क्षेत्र, घने जंगल को पार किया तथा पैदल ही गांव सुरबेना टोला चंदादांडी पहुंचे। उनको जानकारी मिली कि 9 नक्सलवादी मकुड नगेसिया के घर में खाना तैयार कर रहे हैं। श्री सिंह ने अपने बल को ऊबड़-खाबड़ क्षेत्र और दुश्मन नक्सलवादियों से खतरे की संभावना के बारे में काफी संक्षेप में ब्रीफ किया। इन्होंने मकुड नगेसिया के घर को घेर लिया और 7 पुलिस कार्मिकों की पार्टी का नेतृत्व किया तथा गांववासियों अथवा नक्सलवादियों को कोई आभास तक नहीं हुआ। पुलिस पार्टी ने कारगर हमला करने के लिए घर तक पहुंचने हेतु जटिल क्षेत्र की काफी दूरी रेंग कर तय की। पुलिस पार्टी को देखने के पश्चात, नक्सलवादी संतरी ने पुलिस पार्टी पर भारी गोलीबारी करना शुरू कर दिया। गोली कांस्टेबल सूर्यकान्त कश्यप के कंधे के काफी नजदीक से गुजरी तथा एक गोली उनकी टोपी को फाड़ती हुई निकल गई तथा ये बाल-बाल बच गए। श्री सिंह ने आतंकवादियों को आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी परन्तु उनकी गोलीबारी जारी रही। नक्सलवादियों से भारी गोलीबारी का सामना करने के बावजूद, श्री एच.पी. सिंह ने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की चिन्ता किए बिना बल को काफी सशक्त नेतृत्व प्रदान किया। नक्सलवादियों के ठिकानों की दिशा में गोलीबारी करते हुए ये साहस के साथ रेंगते हुए आगे बढ़े। इस समय, बिना साहस खोए, श्री एच.पी. सिंह ने अपनी ए.के.-47 राइफल से नक्सलवादी पर भारी गोलीबारी कर धावा बोल दिया तथा इसके परिणामस्वरूप दो खूंखार नक्सलवादी मारे गए। इससे नक्सलवादियों के बीच भय फैल गया और वे अपनी जान बचाने के लिए भागे। तलाशी लेने पर दो खूंखार नक्सलवादी (1) पी डब्ल्यू जी नक्सलवादी पी जी ए संगठन का ग्रुप कमांडर (1) तिराना उर्फ गिरेन्द्र उर्फ दीपक पुत्र शुभा सिंह, आयु लगभग 25 वर्ष, गांव नौ पुलिस स्टेशन पंकी, जिला पलामू, राज्य झारखंड (2) डिप्टी कमांडर सीताराम उर्फ सीता पुत्र सुखू कुजुर, आयु 25 वर्ष, गांव नौगोई, पी एस डुमरी जिला गुमला राज्य झारखंड मृत पाए गए तथा स्थल से भारी मात्रा में शस्त्र और गोला बारूद बरामद हुआ। भीषण विपरीत परिस्थितियों में, श्री एच.पी. सिंह ने साहस और पराक्रम के साथ सामाना करते हुए अदम्य साहस, वीरता और नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया जिससे आतंकवादी घटनास्थल पर हथियार और गोलाबारूद छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए भागने पर विवश हो गए। अपनी सूझबूझ और अभियान क्षमता के साथ इन्होंने न केवल अपने कार्मिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की बल्कि

अपनी स्वयं की सुरक्षा की चिन्ता किए बिना गांववालों के जान और माल की भी रक्षा की। संवेदनशील स्थिति और बड़ी संख्या में आतंकवादियों की उपस्थिति से विचलित हुए बिना वे नक्सलवादियों की गोलीबारी का सामना करते हुए कर्त्तव्यपालन से ऊपर उठ गए और मिशन को सफल बनाया। श्री एच.पी. सिंह ने अदम्य साहस, पराक्रम और उच्च कोटि की कर्त्तव्यनिष्ठा के कारण ही नक्सलवादियों के विरूद्ध अपनी शानदार सफलता को संभव बनाया।

इस मुठभेड़ में, श्री हरप्रताप सिंह, निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 20 दिसम्बर, 2002 से दिया जाएगा ।

(बरूण मित्रा)

निदेशक

सं0 152 - प्रेज/2005-राष्ट्रपति, हरियाणा पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री पूरन चंद,
निरीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

29 अप्रैल, 2004 को पूर्वाह्न लगभग 3.40 बजे कांस्टेबल राजेश कुमार सं0 1467/जी जी एन को अशोक विहार, गुडगांव के क्षेत्र में अपराधी सुभाष की उपस्थिति के बारे में गुप्त सूचना प्राप्त हुई जिसने पुलिस स्टेशन दादरी, जिला भिवानी के क्षेत्र में 14,62,000/- रूपए की डकैती डाली थी। इन्होंने सबसे पहले अपराधी की उपस्थिति की पुष्टि की तथा श्री पूरन चंद, निरीक्षक, सी आई ए-II गुडगांव को सूचित किया, निरीक्षक पूरन चंद ने तत्काल तीन छापा पार्टियां तैयार की ओर ठिकाने को घेर लिया। परन्तु इसी बीच, इलाके के आवारा कुत्तों ने भोंकना शुरू कर दिया जिससे अपराधी सतर्क हो गया। पुलिस की उपस्थिति को देखते हुए उसने घर की छत से पुलिस पार्टी पर गोली चलाई तथा घर के पिछले हिस्से में छत से कूद पड़ा। श्री पूरन चंद, निरीक्षक के नेतृत्व में पुलिस पार्टी ने सरकारी जीप में अपराधी का पीछा करना शुरू कर दिया तथा वह कालोनी में गायब होने में सफल हो गया। उस समय उसने बनियान और पायजामा पहन रखा था। अन्य दो पार्टियों ने उसे कालोनी में तलाशना शुरू कर दिया। कुछ समय पश्चात जनता द्वारा उसे दुबारा देखा गया तथा उन्होंने निरीक्षक पूरन चंद को सूचित कर दिया कि अपराधी रेलवे लाइन की तरफ भाग रहा है। उसे कांस्टेबल चांद सिंह सं0 550/जी जी एन ने गांव सराय अलावर्दी के तालब के निकट देखा और इन्होंने उसे निरीक्षक पूरन चंद के नेतृत्व वाली पार्टी की तरफ भागने के लिए विवश कर दिया। निरीक्षक पूरन चंद ने उसे पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी। परन्तु उसने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और भागता रहा। भागते समय, उसने दुबारा पुलिस पार्टी पर गोली चलाई। उसकी गोली के कारण जीप का आगे का शीशा टूट गया और गोली कांस्टेबल ड्राइवर मंजीत सिंह, 1133/जी जी एन की दांयी बाजू में लगी तथा जीप की सीट में घुस गई। निरीक्षक पूरनचंद और कांस्टेबल देश राज, 917/जी जीएन वाहन से बाहर कूद पड़े तथा उसे आत्मसमर्पण करने की दुबारा चेतावनी दी। परन्तु अपराधी ने निरीक्षक पूरन चंद पर गोली चला दी जो बाल-बाल बचे। निरीक्षक पूरन चंद ने आत्मरक्षा और पुलिस पार्टी की रक्षा हेतु जवाब में गोली चलाई जो अपराधी के पेट में लगी और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसे तत्काल दबोच लिया गया तथा उसकी जेब से एक 12 बोर देशी पिस्तौल तथा एक .303 बोर देशी पिस्तौल बरामद की गई। उसे तत्काल सिविल अस्पताल, गुडगांव में भर्ती किया गया जहां

उसने दम तोड़ दिया। पुलिस स्टेशन, सदर गुड़गांव में अपराधी के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 25/54/59 के तहत दिनांक 29.04.2004 को मामला एफ आई आर सं0 218 दर्ज किया गया था। अभियुक्त खूंखार अपराधी था तथा पी.एस बोंड के गंभीर अपराध के चार मामलों में घोषित अपराधी भी था। निरीक्षक पूरन चंद की सूचना पर भिवानी पुलिस द्वारा बाद में उसके अन्य साथी विकास, निवासी गांव बोंड को गिरफ्तार कर लिया गया तथा उसके कब्जे से 13,70,000/- रूपए की राशि बरामद की गई। इस तरह निरीक्षक पूरन चंद के नेतृत्व में पुलिस कार्मिकों ने उत्कृष्ट कार्य निष्पादन, व्यावसायिक कौशल तथा अभियान में सूझबूझ का परिचय दिया। इन्होंने खूंखार अपराधी को भागने नहीं दिया तथा अपनी जान जोखिम में डालते हुए वाहन में तथा पैदल कई किलोमीटर तक उसका पीछा किया।

इस मुठभेड़ में, श्री पूरन चंद, निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 29 अप्रैल, 2004 से दिया जाएगा ।

(बरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 153 - प्रेज/2005-राष्ट्रपति, हरियाणा पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. बलवान सिंह,
   पुलिस उपाधीक्षक
2. राजेश कुमार, (मरणोपरांत)
   कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

10.01.2004 को अपराह्न लगभग 1215 बजे एक पुलिस पार्टी भा.दं.सं. की धारा 307 के तहत एफ आई आर सं. 1812/97 मामले में विचारणाधीन अभियुक्त हेमन्त कुमार को श्री बी एम बजाज, अपर सत्र न्यायाधीश, गुड़गांव के सम्मुख प्रस्तुत करने के पश्चात न्यायालय से बाहर आ रही थी। अचानक, प्रतिद्वन्दी गैंग के 4 खूंखार अपराधियों ने हेमन्त कुमार पर गोलीबारी करते हुए उस पर हमला कर दिया। कांस्टेबल राजेश कुमार, 1634/जी जी एन, जो दो कांस्टेबलों के साथ अभियुक्त हेमन्त कुमार को एस्कोर्ट करते हुए चल रहे थे, ने अपराधियों को पकड़ने तथा हेमन्त कुंमार और साथी पुलिस कार्मिकों की जान बचाने के प्रयास में उन पर झपट पड़े। तथापि, अपराधियों ने बिल्कुल नजदीक से कांस्टेबल राजेश कुमार पर गोली चला दी। कांस्टेबल राजेश कुमार गंभीर रुप से घायल हो गए तथा उन्होंने दम तोड़ दिया। हेमन्त कुमार भी गोली लगने से गंभीर रुप से घायल हो गया तथा एक सप्ताह पश्चात उसकी भी मृत्यु हो गई। तथापि, पुलिस एस्कोर्ट के अन्य सदस्य घटनास्थल से गांव पीपली, पुलिस स्टेशन खरखोदा, जिला सोनीपत के एक अपराधी दीपक पुत्र श्री करतार सिंह को तत्काल पकड़ने में सफल रहे। उसके कब्जे से चीन निर्मित 7.62 बोर की एक स्वचालित पिस्तौल, .38 बोर की एक रिवाल्वर, 7 जिन्दा कारतूस तथा दो खाली कारतूस बरामद किए गए। इस मामले में, पुलिस स्टेशन शहर गुड़गांव में भा.दं.सं. की धारा 302/307/332/353/34 तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 25/54/59 के तहत दिनांक 10.01.2004 को एफ आई आर सं. 20 दर्ज की गई थी। अन्य अपराधी न्यायालय परिसर से सफेद मारुति कार नं. एच आर-26 एन-4825 में भाग गए। यह सूचना मिलने पर, श्री बलवान सिंह, पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय गुड़गांव ने अन्य पुलिस कार्मिकों के साथ अपराधियों का पीछा करना शुरु कर दिया। पुलिस के पीछा करने के दबाव को महसूस करते हुए अपराधियों ने अपने वाहन को सड़क के किनारे छोड़ दिया तथा पास ही के सरसों के खेतों में घुस गए तथा गांव बेगमपुर खटोला फार्म हाउस और खेतों के क्षेत्र में लम्बी सरसों की फसल में छुप गए। श्री बलवान सिंह, पुलिस उपाधीक्षक ने पुलिस पार्टियों को सर्वप्रथम बड़े क्षेत्र को घेरने तथा सावधानीपूर्वक आगे बढ़ने का निर्देश दिया। घेराव के पश्चात दो अपराधी सरसों के खेतों में से बाहर निकल कर खुले में आ गए तथा पुलिस पार्टी पर गोली चलाना शुरु कर दिया। अभियुक्तों की गोलियाँ पुलिस मोबाइलों को लगी तथा एक गोली ए एस आई प्रेम सिंह के सिर के दाहिने हिस्से को छू कर निकली। अभियुक्तों को लगातार चेतावनी दी जा रही थी तथा उनसे आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया परन्तु वे पुलिस कार्मिकों पर गोली चलाते रहे। कोई और विकल्प न रहने पर, पुलिस पार्टियों ने आत्मरक्षा में जवाबी गोलीबारी की तथा दो अपराधियों को मार गिराया जबकि अन्य अभी भी सरसों के खेतों में छुपे हुए थे। शव परीक्षा के पश्चात उनकी पहचान राजेन्द्र उर्फ राजेश पुत्र भूप सिंह निवासी डाबला, पुलिस स्टेशन सदर झज्जर, जिला झज्जर और कैलाश उर्फ बुग्गा पुत्र श्री महाबीर सिंह निवासी चर्खा वाली ढाणी, पतराम गेट भिवानी के रुप में की गई। श्री बलवान सिंह पुलिस उपाधीक्षक ने नेतृत्व संभाला तथा सावधानीपूर्वक आगे बढ़ते रहे। तभी अचानक तीसरा अपराधी

श्री बलवान सिंह, पुलिस उपाधीक्षक के सम्मुख आ गया और उन पर गोली चला दी। श्री बलवान सिंह, पुलिस उपाधीक्षक नीचे झुक गए तथा गोली लगने से बाल-बाल बचे। तब श्री बलवान सिंह, पुलिस उपाधीक्षक ने आत्मरक्षा में अपनी सर्विस रिवाल्वर से गोली चलाई जो अपराधी की बांयी जांघ में लगी। अपनी जान की परवाह किए बिना श्री बलवान सिंह पुलिस उपाधीक्षक ने रेंगते हुए अपराधी की तरफ बढ़ना जारी रखा तथा उसे आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी। अपराधी हताश होकर खड़ा हो गया तथा गुस्से में अंधाधुंध गोलीबारी शुरु कर दी तथा गोलियों का सामना करने के लिए पुलिस पर चिल्लाया। तब पुलिस ने आत्मरक्षा में उसे सब तरफ से घेर लिया और अन्ततः अपराधी मारा गया जिसकी पहचान शव परीक्षा के बाद रुपेश पुत्र श्री धर्म चंद निवासी कृपा राम की ढाणी, मेहम गेट भिवानी के रुप में की गई। तत्पश्चात पुलिस स्टेशन सदर गुड़गांव में भा.दं.सं. की धारा 307/332/353/186/506 तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 25/54/59 के तहत दिनांक 10.01.2004 को एक अन्य मामला एफ आई आर सं. 25 दर्ज किया गया। खतरनाक हथियार, नामतः एक 7.65 एम एम स्वचालित कारबाइन, उसके 11 जिन्दा तथा 10 खाली कारतूस, देश में निर्मित एक 315 बोर, एक 7.65 बोर स्वचालित इटालियन पिस्तौल 2 जिन्दा और 9 खाली कारतूसों के साथ, 11 जिन्दा और 9 खाली कारतूसों के साथ एक 9 एम एम स्वचालित इटालियन पिस्तौल बरामद किए गए। इसके अलावा, जांच के दौरान यह पाया गया कि अपराधी संदीप गरोली के सक्रिय अन्तर राज्यीय गैंग से संबंधित थे तथा खतरनाक अपराधों अर्थात लूटमार, डकैती, हत्या, सरकारी कर्मचारियों पर हमले आदि के 25 से अधिक मामलों में शामिल थे। यह गैंग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पिछले 4 वर्षों से सक्रिय था और इसने आम जनता के बीच आतंक पैदा किया हुआ था। श्री बलवान सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, मुख्यालय गुड़गांव ने व्यापक सतर्कता और व्यावसायिक कुशलता के साथ सम्पूर्ण अभियान को संचालित किया। इन्होंने न केवल उच्चकोटि की कर्त्तव्यनिष्ठा का ही परिचय दिया बल्कि अपराधियों द्वारा की गई गोलीबारी का सामना करते हुए अपने जीवन को जोखिम में डालकर अत्यधिक साहस और वीरता का भी परिचय दिया। अपनी ड्यूटी करते समय अपने जीवन को समर्पित करके कांस्टेबल राजेश कुमार ने भी अनुकरणीय वीरता का परिचय दिया।

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री बलवान सिंह, पुलिस उपाधीक्षक तथा (दिवंगत) राजेश कुमार कांस्टेबल, ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 10 जनवरी, 2004 से दिया जाएगा ।

(बरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 154 - प्रेज/2005-राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री रणदीप कुमार,
पुलिस उप अधीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

गांव मोरियां पुलिस स्टेशन मंजाकोटे में तीन आतंकवादियों की उपस्थिति के संबंध में विशिष्ट सूचना प्राप्त होने पर श्री रणदीप कुमार, पुलिस उपाधीक्षक (ओ पी एस) राजौरी ने कमान्डो ग्रुप राजौरी, पुलिस स्टेशन मंजाकोटे की टुकडियों तथा सेना के साथ दिनांक 11 जुलाई, 2004 को लक्षित क्षेत्र को घेर लिया। टुकडियों की आवाजाही को देख कर आतंकवादी गांव के साथ लगे घने जंगल में चले गए। जब टुकडियां जंगल की तरफ बढ़ रही थी तो आतंकवादियों ने उन पर गोलीबारी की और गांव जमौला की तरफ भाग खड़े हुए। टुकडियों ने जवाब में गोलीबारी की तथा एक आतंकवादी को घायल कर दिया। इस अधिकारी और टुकडियों द्वारा इन आतंकवादियों का गांव जमौला तक पीछा किया गया। क्षेत्र का घेराव किया गया तथा तलाशी के दौरान आतंकवादी, जोकि मक्का के खेतों में छुपे हुए थे, ने भारी गोलीबारी शुरू कर दी। हालांकि, टुकडियों ने जवाब में गोलीबारी की फिर भी मक्का के खेतों में छुपे आतंकवादियों की वास्तविक स्थिति का पता लगाना बहुत ही कठिन था। इसलिए, मक्का के खेतों में घुसना बहुत ही कठिन कार्य था क्योंकि आतंकवादी अन्दर से गोली चला रहे थे तथा यह घातक सिद्ध हो सकता था। पुलिस उपाधीक्षक रणदीप कुमार ने रणनीति तैयार की तथा एक तरफ से आतंकवादियों को उलझाए रखने के लिए टुकडियों को कहा तथा एक कांस्टेबल निसार खान सं0 112/आर, के साथ अधिकारी ने दूसरी तरफ से मक्का के खेतों में प्रवेश किया। मक्का के खेतों में कुछ हरकत पाए जाने पर आंतकवादियों ने उस दिशा में गोलीबारी की। तथापि, पुलिस उपाधीक्षक और कांस्टेबल सही सलामत बच गए। श्री रणदीप कुमार और कांस्टेबल निसार खान ने तत्काल जवाबी गोलीबारी की तथा उनको मार गिराया। भारी गोलीबारी के बीच अपने जीवन की परवाह किए बिना श्री रणदीप कुमार अडिग रहे तथा प्रतिबंधित हुजी गुट से संबंधित दो खूंखार आतंकवादियों को समाप्त करने में सफल रहे। उनमें से एक की पहचान अब्बास उर्फ अबु विलाल, हुजी गुट के डिवीजनल कमान्डर के रूप में की गई जिसने इलाके में दहशत पैदा कर रखी थी तथा जो गम्भीर/मुघलान क्षेत्र में कई सिविलियनों की हत्याओं में भी संलिप्त था।

इस मुठभेड़ में, श्री रणदीप कुमार, पुलिस उप अधीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 11 जुलाई, 2004 से दिया जाएगा ।

(बरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 155 प्रेज/2005-राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. विशाल शूर,
   उप निरीक्षक
2. अनिल कुमार,
   हैड कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

26/27 जुलाई, 2004 के बीच की रात को कश्मीर पुलिस को गांव ब्रजलु से अमनु तक आतंकवादियों की आवा-जाही के संबंध में विशिष्ट सूचना प्राप्त हुई। उप निरीक्षक विशाल शूर के नेतृत्व में एक छोटी सी टीम जिसमें आठ पुलिस कार्मिक शामिल थे, ने गांव ब्रजलु और अमनु के बीच नाले में घात लगाई। लगभग 2130 बजे पुलिस पार्टी द्वारा कुछ संदिग्ध हरकत देखी गई। पुलिस पार्टी द्वारा चुनौती देने पर, आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी करना शुरू कर दिया तथा पुलिस कार्मिकों को मारने के लिए हथगोले भी फेंके। श्री विशाल शूर, उप निरीक्षक तथा हैड कांस्टेबल अनिल कुमार ने तत्काल जमीन पर मोर्चा संभाला तथा एक आतंकवादी, जिसने मिट्टी के ढेर के पीछे मोर्चा संभाल रखा था, की तरफ रेंगते हुए बढ़ना शुरू कर दिया। उप निरीक्षक विशाल शूर और हैड कांस्टेबल अनिल कुमार अपनी जान की परवाह किए बिना मिट्टी के ढेर के समीप पहुंचने में सफल हो गए। छुपे हुए आतंकवादियों ने पुलिस कार्मिकों पर गोली चलाना शुरू कर दिया। जवाब में गोलीबारी की गई जिसके परिणामस्वरूप एक कट्टर विदेशी आतंकवादी मारा गया, जो कई पुलिस मुखबिरों की हत्याओं में संलिप्त था तथा कई बार घेराबन्दी से भागने में सफल रहा था। मारे गए आतंकवादी की पहचान आसिफ अली उर्फ अंसारी पुत्र हकीम अली, निवासी हकीम मुगल गुजरात, पाकिस्तान, हिज्बी-ई-इस्लामी गुट के जिला कमान्डर के रूप में की गई। कार्रवाई स्थल से चीनी पिस्तौल-01, चीनी पिस्तौल मैग-01, गोलाबारुद-07 राउन्ड, हाथगोला-01, तथा कुछ कागजात बरामद किए गए।

इस मुठभेड़ में, श्री विशाल शूर, उप निरीक्षक और श्री अनिल कुमार, हैड कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 26 जुलाई, 2004 से दिया जाएगा ।

(बरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 156 - प्रेज/2005-राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री मोहम्मद असलम, (मरणोपरान्त)
कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

एच एम पी पी आर का एक पाक अधिकृत कश्मीर नेशनल कमान्डर, आतंकवादी अजीम, कोई अपूर्व कार्रवाई करने की योजना बना रहा था, की उपस्थिति के संबंध में विशिष्ट सूचना पर 20.06.2004 को गांव डोडासन पैन, थानामंडी में एक अभियान चलाया गया। जब पुलिस पार्टी ठिकाने के समीप पहुंची तो छुपे हुए आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी करना शुरू कर दिया तथा भीषण गोलीबारी शुरू हो गई। इस कार्रवाई के दौरान, एक समय आतंकवादियों ने लाभप्रद पोजीशन ग्रहण कर ली थी जिसके कारणवश समग्र पुलिस पार्टी का जीवन खतरे में पड़ सकता था। इसे देखते हुए, कांस्टेबल मोहम्मद असलम सं0 1058/आर तत्काल यह जानते हुए कि वह बहुत नजदीक से आतंकवादियों की गोलीबारी की परिधि में आ गए हैं, ये आतंकवादी पर टूट पड़े। दोनों के बीच हाथापाई होने लगी जिसके दौरान कांस्टेबल ने उच्च कोटि की जिम्मेदारी का परिचय दिया तथा अपने साथियों के जीवन बचाने और एक खूंखार आतंकवादी को मारने में सफल रहे। 3 मेगजीनों तथा 60 राउन्ड गोलाबारूद सहित एक ए.के.-56 बरामद की गई।

इस मुठभेड़ में, (दिवंगत) श्री मोहम्मद असलम, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 20 जून, 2004 से दिया जाएगा ।

(बरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 157 - प्रेजं/2005-राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री जे एल शर्मा,
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

पी पी अरनास के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत खरोग-केडी क्षेत्र में ए एन ई की उपस्थिति के संबंध में विशिष्ट सूचना प्राप्त होने पर 01.09.2004 को श्री जे एल शर्मा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रेसाई तत्काल पुलिस कैम्प अरनास पहुंचे जहां इन्होंने एक अभियान की योजना बनाई तथा अभियान पार्टी को तीन ग्रुपों में विभाजित कर दिया। जब अधिकारी के नेतृत्व में मुख्य पार्टी लक्षित क्षेत्र की तरफ बढ़ रही थी तो आतंकवादियां ने अंधाधुंध गोलीबारी करना शुरू कर दिया जिसका जवाब मुख्य पार्टी द्वारा मोर्चा संभालने के पश्चात दिया गया। अधिकारी ने छुपे हुए आतंकवादियों का ध्यान बांटने के लिए कवरिंग पार्टी को गोलीबारी करने का आदेश दिया तथा कुछ ही समय में एस एस पी, रेसाई के नेतृत्व में मुख्य पार्टी ने छुपे हुए आतंकवादियों को घेर लिया। जैसे ही एक आतंकवादी मुख्य पार्टी पर हथगोला फेंकने के लिए ठिकाने से बाहर निकला, अधिकारी ने अपनी जान की परवाह किए बिना उच्च कोटि के साहस का परिचय दिया तथा अभियान पार्टी पर हथगोला फैंकने से पूर्व उस आतंकवादी को मार गिराया। इसके बाद, लगभग तीन घंटों तक आतंकवादियों और अभियान पार्टी के बीच भीषण गोलीबारी होती रही जिसके परिणामस्वरूप विगत 6/7 वर्षों से इस क्षेत्र में सक्रिय एच एम गुट के एक खतरनाक खूंखार आतंकवादी नामतः मुश्ताक अहमद उर्फ फारूख पुत्र मामु गुज्जर, निवासी डोडा, तहसील महोरे मारा गया। इसके अलावा, मारे गए आतंकवादी के कब्जे से हथियार, गोला बारूद, भारतीय मुद्रा में कुछ नगदी भी बरामद की गई।

इस मुठभेड़ में, श्री जे एल शर्मा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 1 सितम्बर, 2004 से दिया जाएगा ।

(वरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 158 - प्रेज/2005-राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री त्रिलोचन सिंह,
उप निरीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

18.08.2004 को गांव डोडासन पैन, रजौरी में किसी शौकत शाह के घर में आतंकवादी की उपस्थिति के बारे में विशिष्ट सूचना पर उप निरीक्षक त्रिलोचन सिंह सं0 7543/एन जी ओ की कमान में कमान्डो ग्रुप तथा पुलिस स्टेशन राजौरी के कार्मिकों सहित एक पुलिस टीम ने तत्काल एक अभियान की योजना बनाई । दो अन्य कांस्टेबलों के साथ उप निरीक्षक ने शौकत शाह के घर पर दस्तक दी। उसी क्षण, संवासियों ने दरवाजा खोल दिया तथा उप निरीक्षक और दो कांस्टेबलों ने भीतर प्रवेश किया, आतंकवादियों ने घर की महिलाओं को ढाल बनाकर पुलिस पार्टी पर गोली चलाई। सिविलियनों को हताहत होने से बचाने के लिए पुलिस पार्टी ने जवाब में गोली नहीं चलाई तथा आतंकवादी को घर से बाहर आने दिया तथा चालाकी से उसको लड़ाई में उलझाए रखा। घर से बाहर आने के पश्चात आतंकवादी मक्का के खेत की तरफ भागा। अपनी जान की परवाह किए बिना, उप निरीक्षक ने खेत में उसका पीछा किया तथा इसी बीच अन्य पुलिस अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंच गए। पांच घंटे तक चली मुठभेड़ में आतंकवादी मारा गया। उसकी पहचान अबु सुफियान उर्फ तलहा अफाकी निवासी पाक, जिला कमान्डर, एच एम पी पी आर गुट के रूप में की गई। वर्ष 2002 और 2003 में अबु सुफियान कई निर्दोष लोगों की हत्या में संलिप्त था। इस अभियान को स्वतंत्र रूप से पुलिस द्वारा चलाया गया तथा उप निरीक्षक त्रिलोचन सिंह द्वारा दिखाए गए साहस और वीरता के कारण, पुलिस अभियान में शामिल जम्मू और कश्मीर पुलिस कार्मिकों अथवा सिविलियनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और वह एच एम पी पी आर के सबसे वांछित शीर्ष कमान्डर को मारने में सफल रहे। एक ए.के.-47, मेगजीन ए.के.-47-04 नग, गोलाबारूद ए.के.-80 राउन्ड, हथगोले-02 नग, पाउच-1 नग, मेट्रिक्स शीट-01 नग तथा 01 डायरी बरामद की गई।

इस मुठभेड़ में, श्री त्रिलोचलन सिंह, उप निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 18 अगस्त, 2004 से दिया जाएगा ।

(बरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 159 - प्रेज/2005-राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री सय्यैद अब्दुल शबीर,
सहायक उप निरीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

गांव गुन्डीपोडा, बीरवाह में अल-बदर गुट के कट्टर/उच्च रैंक के आतंकवादियों की उपस्थिति के संबंध में विशिष्ट सूचना प्राप्त होने पर 08.06.2004 को 128 बटालियन 19, बटालियन सी आर पी एफ और 34 आर आर की एक-एक कम्पनी की सहायता से श्री राकेश कुमार धर, पुलिस उपाधीक्षक ओप्स बडगाम की कमान में एक विशेष पुलिस टीम वहां के लिए रवाना हुई। क्षेत्र को सील कर दिया गया तथा आतंकवादियों, जिन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया, ने टुकडियों पर अंधाधुंध गोली चलाना शुरू कर दिया। पुलिस उपाधीक्षक ने तत्काल सहायक उप निरीक्षक सय्यैद अब्दुल शबीर से सं0 6970/एन जी ओ को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक टुकड़ी के साथ मकान के पिछले हिस्से की तरफ जाने के लिए कहा। पार्टी ने मोर्चा संभाल लिया तथा आतंकवादियों को घर से बाहर निकलते हुए देखा। अधिकारी, सहायक उप निरीक्षक सय्यैद शबीर और इनके कार्मिकों ने प्रभावपूर्ण तरीके से उन्हें नियंत्रित किया तथा दोनों आतंकवादियों को घटनास्थल पर ही मार गिराया। मारे गए आतंकवादी, जिनकी पहचान अली हसनैन उर्फ डाक्टर, निवासी गुजरांवाला, पाक अधिकृत कश्मीर (अल-बदर गुट के डिप्टी चीफ) तथा बड़गाम के लिए अल-बदर के जिला कमान्डर अबु हमजा के रूप में की गई जो आई ई डी विशेषज्ञ थे तथा कई आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त थे।

दो घंटों से अधिक तक चली इस मुठभेड़ के दौरान, सहायक उप निरीक्षक सय्यैद अब्दुल शबीर ने सिविलियनों को हताहत होने से बचाने के लिए अत्यधिक संयम बरता। इस वीरतापूर्ण कार्रवाई की अभियान में जुटे संलग्न सुरक्षा बलों के साथ-साथ स्थानीय जनता द्वारा काफी प्रशंसा की गई क्योंकि इस मुठभेड़ के दौरान कोई सिविलियन/एस एफ/पुलिस कार्मिक हताहत नहीं हुआ ।

इस मुठभेड़ में, श्री सय्यैद अब्दुल शबीर, सहायक उप निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, राष्ट्रपति के पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 8 जून, 2004 से दिया जाएगा ।

(बरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 160 - प्रेज/2005-राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. अशोक कुमार,
   उप निरीक्षक
2. आशिक हुसैन,
   एस जी कांस्टेबल
3. वसीम अहमद,
   एस जी कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

इस विशिष्ट सूचना के आधार पर कि बटालियन कमान्डर की कमान में एच एम गुट के आतंकवादी गांव तंगोरा अखल में उपस्थित हैं तथा गंभीर अपराध अर्थात् निर्दोष यात्रियों की हत्या/व्यपहरण करके डर पैदा करने तथा यात्रा में बाधा डालने की मंशा से श्रीनगर-बलताल रोड पर अमरनाथ जी यात्रियों पर हमला करने के संबंध में बैठक करने की योजना बना रहे हैं। पुलिस तत्काल हरकत में आ गई और अतिसावधानीपूर्वक योजना बनाने के पश्चात 20.07.2004 को पुलिस उपाधीक्षक (आपरेशन) द्वारा गांव में एक अभियान शुरू किया गया। तलाशी पार्टी की पहुंच की भनक लगते ही उन्हें मारने तथा पीछे हटाने के लिए आतंकवादियों ने पास के मक्का के खेत से तलाशी पार्टी की तरफ अंधाधुंध गोली चलाई जिससे कि वे स्वयं भागने के लिए रास्ता बना सकें। पुलिस पार्टी ने तुरन्त बड़े मक्का के खेत में घेरा डाल दिया तथा आतंकवादियों द्वारा की जा रही भारी गोलीबारी के बावजूद उनके भागने के सभी रास्तों को रोक दिया। बाद में आतंकवादियों को आत्मसमर्पण करने की चुनौती दी गई परन्तु उन्होंने इसकी कोई परवाह नहीं की तथा हथगोले फैंकना शुरू कर दिया, बैक अप सहायता के लिए 24 आर आर टुकडियों ने बाहरी घेराबंदी की। आपरेशन के दौरान उप निरीक्षक अशोक कुमार सं0 5905/एन जी ओ, एस जी कांस्टेबल आशिक हुसैन सं0 195/जी बी एल तथा एस जी कांस्टेबल वसीम अहमद 128/जी बी एल ने अपने जीवन को भारी जोखिम में डालते हुए स्वेच्छा से विशाल/घने मक्का के खेत में प्रवेश किया तथा आतंकवादियों की तरफ से भारी गोलीबारी और हथगोलों के हमले के बावजूद आतंकवादियों के काफी निकट पहुंच गए। युक्तियुक्त तरीके से जवाबी कार्रवाई की तथा दो घंटों तक आपस में गोलीबारी होती रही। अधिकारी एच एम गुट के एक कट्टर आतंकवादी कमान्डर को समाप्त करने में सफल रहे जिसकी पहचान शबीर अहमद शाह उर्फ डाक्टर अबरार कोड 05 पुत्र जी एच रसुल शाह निवासी, तांगाचत्तर अखल कंगन, बी वर्ग में आने वाले एच एम गुट के बटालियन कमान्डर के रूप में की गई तथा यह विगत सात वर्षों से वांछित था। यह आतंकवादी इस क्षेत्र में उत्पीड़न और लूट खसोट सहित सुरक्षा बलों/बेगुनाह लोगों की अनेक हत्याओं के लिए जिम्मेवार था। मुठभेड़ स्थल/हलाक आतंकवादी "कमान्डर" से 01-ए के राइफल तथा दो मेगजीन बरामद की गईं। श्री अशोक कुमार, उप निरीक्षक, एस जी कांस्टेबल अशिक हुसैन, एस जी कांस्टेबल वसीम अहमद तथा मुठभेड़ पार्टी ने आतंकवादियों से समर्पण के साथ लड़ने में, सम्पूर्ण जोश के साथ अडिग साहस और वीरता का परिचय दिया तथा कट्टर/वांछित आतंकवादी कमान्डर को मार गिराया।

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री अशोक कुमार, उप निरीक्षक, आशिक हुसैन, एस जी कांस्टेबल तथा वसीम अहमद, एस जी कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 20 जुलाई, 2004 से दिया जाएगा ।

(बरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 161 - प्रेज/2005-राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. एस.ए. मजताबा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
2. ग्रेवाल सिंह, (मरणोपरान्त) कांस्टेबल
2. शौकत अमीन, (मरणोपरान्त) कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

18.12.2003 को लगभग 1100 बजे एक अज्ञात आतंकवादी ने सेना कार्मिक का ढोंग रच कर राजौरी पूंछ रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक के आवास में घुसने का प्रयास किया। कांस्टेबल शौकत अमीन सं0 593/पी. ने उसे अपनी पहचान बताने के लिए कहा तथा उसे डी.आई.जी. के आवास में घुसने से रोकने का प्रयास किया। दोनों में हाथापाई हुई और इस हाथापाई में आतंकवादी ने कांस्टेबल पर गोली चलाई। आतंकवादी को डी आई जी कार्यालय की तरफ भागते देख, श्री एस.ए. मजताबा, एस.एस.पी. राजौरी, कांस्टेबल ग्रेवाल सिंह सं0 1104/आर के साथ डी आई जी राजौरी पूंछ रेंज के कार्यालय की तरफ दौड़े। उनकी इस कार्रवाई को देखने के पश्चात, आतंकवादी ने एस एस पी और कांस्टेबल ग्रैवाल सिंह पर गोली चलाई। अपनी जान तथा व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बिना एस एस पी और कांस्टेबल, डी आई जी कार्यालय की तरफ दौड़े तथा कार्यालय कार्मिकों को कवर प्रदान किया जिन्हें भवन से निकाल दिया गया। तत्पश्चात, एस.एस.पी. और कांस्टेबल ने भवन के पिछले हिस्से की तरफ आतंकवादी का पीछा किया। आतंकवादी ने लाभप्रद मोर्चा संभालते हुए भारी गोलीबारी की तथा एस एस पी और कांस्टेबल पर हथगोले फेंके। इस लड़ाई में कांस्टेबल ग्रेवाल सिंह सं0 1104/आर. को गोली लगी जिसके कारण बाद में उन्होंने अस्पताल में दम तोड दिया। सर्म्पण, कर्त्तव्यनिष्ठा तथा उत्कृष्ट साहस के कारण डी आई जी कार्यालय के स्टाफ की जान बची।

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री एस.ए. मजताबा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, (दिवंगत) ग्रेवाल सिंह कांस्टेबल तथा (दिवंगत) शौकत अमीन, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 18 दिसम्बर, 2003 से दिया जाएगा ।

(बरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 162 - प्रेज/2005-राष्ट्रपति, महाराष्ट्र पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्रीकृष्ण सूर्यकांत पेडनेकर (मरणोपरांत)

पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

30.8.2002 को 00.55 बजे, पंत नगर पुलिस स्टेशन के पी एस आई श्री जयेन्द्र सावंत को सूचना प्राप्त हुई कि घाटकोपर रेलवे स्टेशन, घाटकोपर के नजदीक स्थित होटल साई लीला में दो मोटर वाहन चोर बैठे हुए हैं। सूचना प्राप्त होने पर पी एस आई श्री जयेन्द्र सावंत और पता लगाने वाला स्टाफ तत्काल होटल साई लीला के निकट पहुँचे, इन्होंने देखा कि दो व्यक्ति संदेहास्पद तरीके से होटल की सीढ़ियों से तेजी से नीचे उतर रहे हैं। पी एस आई जयेन्द्र सावंत ने स्टाफ को सतर्क कर दिया और इन दो व्यक्तियों को रुकने के लिए कहा। उन्होंने रुकने की बजाय, भागने का प्रयास किया। पुलिस पार्टी ने उनका पीछा किया और उन्हें पकड़ लिया। एक अभियुक्त पी एस आई जयेन्द्र सावंत, हैड कांस्टेबल राजेन्द्र घडगे और पी एन सुभाष पाणिग्रही द्वारा पकड़ लिया गया। उसी समय पी सी महागांवकर और सरवे दूसरे अभियुक्त को पकड़ने का प्रयास कर रहे थे। उनसे बचने के प्रयास में, अभियुक्त ने पी एस आई जयेन्द्र सावंत और एच सी घडगे को उनकी बाँहों के अगले हिस्से में काट लिया। धक्का-मुक्की को देखकर और यह महसूस करते हुए कि उनके साथियों को अभियुक्तों को पकड़ने में दिक्कत महसूस हो रही है, पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर श्री श्रीकृष्ण पांडेकर, जो, आवश्यकता पड़ने पर, हल्के पुलिस वाहन के स्टियरिंग व्हील्स पर तैयार बैठे हुए थे, तत्काल पी एस आई जयेन्द्र सावंत और स्टाफ की सहायता हेतु तेजी से आगे बढ़े। जब तक ये उस टीम के पास पहुंचते, संदिग्ध व्यक्ति ने अपनी कमर में लगी पिस्तौल निकाल ली और श्री पांडेकर पर गोली चला दी। श्री पांडेकर छाती में गोलियां लगने से जख्मी हो गए। वे गंभीर रुप से घायल होने के बावजूद भी, सहायता हेतु आगे आने का प्रयास कर रहे थे। तथापि, उनके दायें बाजू में एक और गोली लगी। गिरने से पहले इन्होंने अपने साथियों को जोर से चिल्लाकर बताया कि संदिग्ध व्यक्ति ने उन पर गोली चलाई है और वे उसे बच कर न जाने दें। वे जख्मों के कारण वहीं गिर पड़े। अपनी छाती में गोलियों के घावों के बावजूद, श्री पांडेकर ने मौत को सामने देखते हुए अपने साथियों को सतर्क करने और अपने साथियों को उसके बच कर भाग न निकल सकने के लिए चेताने में अनुकरणीय साहस और असाधारण कर्तव्य निष्ठा का परिचय दिया। तत्पश्चात, पी एस आई जयेन्द्र सावंत, हैड कांस्टेबल घडगे और पी सी पाणिग्रही अभियुक्त को काबू में करने और उसे शस्त्र विहीन करने में सफल हो गए। उसके कब्जे से इटली निर्मित एक पिस्तौल, तीन राऊंद और एक मोबाइल फोन बरामद किया। घायल पी सी ड्राइवर श्री पांडेकर को एच सी घडगे द्वारा तत्काल राजावड़ी अस्पताल ले जाया गया और तत्पश्चात इन्हें सिआन अस्पताल ले जाया गया जहां इन्होंने 6.9.2003 को घावों के कारण दम तोड़ दिया। दिवंगत श्री श्रीकृष्ण पांडेकर अपने वाहन में सुरक्षित रह सकते थे लेकिन अपराधी के बचने की आशंका को देखते हुए और अपराधी को काबू में करने हेतु एक अतिरिक्त व्यक्ति की जरुरत को महसूस करते हुए इन्होंने निर्भय होकर उच्चकोटि की समर्पण भावना का परिचय दिया। अभियुक्त का नाम मोहम्मद इरशाद उर्फ छोटू कमारु हसन शेख के रुप में प्रकट किया गया। वह अभियुक्त जो भाग गया था, गिरफ्तार किए गए अभियुक्त का साथी था और उसका नाम मोहम्मद रफीक जुमराती शेख उर्फ राजू बताया गया। जांच के दौरान, यह पता चला कि दोनों अभियुक्त कुख्यात थे और वे दुःसाहसी लूटपाट सहित गंभीर किस्म के ग्यारह अपराधों में संलिप्त थे। पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर श्री पांडेकर ने अनुकरणीय साहस और कर्तव्य के प्रति समर्पण की भावना का परिचय दिया।

इस मुठभेड़ में, दिवंगत श्री श्रीकृष्ण सूर्यकांत पेडनेकर, पुलिस कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 30 अगस्त, 2002 से दिया जाएगा ।

(बरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 163 - प्रेज/2005-राष्ट्रपति, मध्य प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री संजीव सिंह भदोरिया (मरणोपरांत)
हैड कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

चंबल रेंज का भिंड जिला डकैती प्रभावित क्षेत्र है। गिजुररा जिला भिंड के ज्ञान सिंह गुर्जर की सनसनीखेज हत्या 22.6.2002 को गांव कैरारा पी एस बरासो में एक लखन सिंह और उसके साथियों द्वारा की गई। 22.6.2002 को हुई इस घटना से गांव में काफी आतंक फैल गया। पी एस मेहगांव के एस ओ पी एस बरासो, ए एस आई आर बी एस यादव, ए एस आई बी पी द्विवेदी, एच सी संजीव सिंह भदोरिया सं. 96 को साथ लेकर एस डी ओ पुलिस सुरेन्द्र जैन के नेतृत्व में एक पुलिस दल और डी ई एफ तथा एस ए एफ के अन्य कार्मिक घटनास्थल की ओर तेजी से भागे। यह विशिष्ट सूचना प्राप्त होने पर कि गांव कैरारो के राजेश और कालीचरण ब्राह्मण के घरों में अभियुक्त छिपे हुए हैं, एस डी ओ मेहगांव श्री जैन ने अपराधियों को गिरफ्तार करने हेतु एक पुलिस पार्टी बनाई। ए एस आई बी पी द्विवेदी के नेतृत्व वाले दल में आर बी एस यादव, ए एस आई,एच सी संजीव सिंह भदौरिया सं. 96 और अन्य पुलिस कार्मिक थे। वे वहां पहुँचे, और 22.6.2002 को लगभग 21.20 बजे, इन्होंने राजेश और कालीचरण शर्मा के घरों, जहां अपराधियों के छिपे होने की संभावना थी, को घेर लिया। कालीचरण शर्मा के घर की छत पर अपराधियों को देखकर, पुलिस पार्टी ने अभियुक्त को समर्पण करने के लिए कहा। प्रत्युत्तर में, कालीचरण शर्मा ने अपनी 12 बोर की बंदूक से पुलिस पार्टी पर गोलीबारी की, जिसके कारण पुलिस कार्मिकों की जानें खतरे में पड़ गईं। इस नाजुक समय पर पुलिस ने गोली न चलाने का निर्णय लिया चूंकि इससे गांव के कई निर्दोष लोगों की जानें जा सकती थीं, क्योंकि कालीचरण शर्मा का घर गांव के बीच में स्थित था। किसी अप्रिय घटना को टालने के लिए, एच सी संजीव सिह भदौरिया मौके की नजाकत को देखते हुए खुले मैदान में आ गए। इन्होंने अपराधियों से पुनः समर्पण करने के लिए कहा लेकिन अभियुक्त लखन सिंह ने संजीव सिंह पर गोली चला दी लेकिन वे घायल होने से बाल-बाल बच गए। किन्तु स्थिति की बाध्यता के कारण, संजीव सिह भदौरिया अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए, अपनी राइफल को लोड करने के पश्चात स्थिति को काबू में करने के लिए बहादुरी के साथ आगे बढ़े और अपनी बैरल की दिशा अपराधियों की ओर कर दी, लेकिन दुर्भाग्यवश वे गोली लगने से गंभीर रुप से घायल हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। यह गोली कालीचरण शर्मा द्वारा चलाई गई थी। श्री संजीव भदौरिया, हैड कांस्टेबल उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता का परिचय देते हुए अपनी आखिरी सांस तक बहादुरी से लड़े।

इस मुठभेड़ में, (दिवंगत) श्री संजीव सिंह भदौरिया, हैड कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 22 जून, 2002, से दिया जाएगा ।

(बरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 164 - प्रेज/2005-राष्ट्रपति, मध्य प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. साजिद फरीद शापू,
   पुलिस अधीक्षक
2. राम दयाल मिश्रा,
   उप निरीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

11.3.2004 को मध्य रात्रि में लगभग 1.00 बजे श्री साजिद फरीद शापू , पुलिस अधीक्षक, भिंड को सूचना प्राप्त हुई कि डकैत कालिया जाटव अपने 3-4 सशस्त्र साथियों के साथ गांव ज्ञानपुरा से किसी का अपहरण करने की मंशा से गांव ज्ञानपुरा, पी एस दाबोह, जिला भिंड के जंगल में पनाह लिए हुए हैं । श्री शापू ने तत्काल पी एस दाबोह में अपने पुलिस बल को इकट्ठा किया। श्री शापू, उस सर्द मध्यरात्रि को पी एस दाबोह पहुँचे और अधिकारियों और कार्मिकों को अभियान के संबंध में ब्रीफ किया। इन्होंने फिर कार्मिकों को तीन पर्टियों में बांट दिया और प्रत्येक पार्टी का नेतृत्व एक अधिकारी कर रहा था। तब, मुखबिर द्वारा दी गई सूचना के आधार पर पार्टियां ज्ञानपुरा गांव पहुंची और वहां से मुखबिर द्वारा बताए गए गंतव्य स्थल की ओर चल पड़ी। पुलिस पार्टी ने तलाशी शुरू कर दी और विभिन्न स्थानों पर घात भी लगा दी। प्रातः लगभग 3.15 बजे, जब पुलिस पार्टियों में से एक पार्टी घात लगाने के लिए पोजीशन ले रही थी कि तभी सामने की दिशा से अचानक गोलियों की बौछार हुई जिससे सभी आश्यचर्यचकित रह गए । श्री शापू, जिनकी पार्टी भारी गोलीबारी के बीच आ गई थी, ने तत्काल वायरलैस सेट के माध्यम से अन्य दो पुलिस पार्टियों को सतर्क कर दिया और अपराधियों को समर्पण करने के लिए ललकारा लेकिन उन्होंने पुलिस पार्टी को मारने की मंशा से इन पर अंधाधुंध गोलीबारी जारी रखी। पुलिस अधीक्षक श्री शापू और थानाध्यक्ष पी एस फूप, श्री आर डी मिश्रा बाल-बाल बच गए क्योंकि दोनों खड़े हुए थे और गोलियां निकल गईं। दोनों अधिकारी तत्काल जमीन पर गिर गए। अपने अधिकारियों को जमीन पर गिरते देख बल के मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता था। ऐसी नाजुक स्थिति में, पुलिस अधीक्षक ने खतरे की परवाह न करते हुए एक उदाहरण प्रस्तुत किया और उस स्थिति में नहीं घबराए और धैर्य के साथ हमले का जवाब देने का निर्णय लिया तथा अपनी एस एल आर से गोलीबारी शुरू कर दी और अपने साथियों को जवाबी गोलीबारी करने के लिए प्रोत्साहित किया। अपराधियों द्वारा चलाई गई प्रत्येक गोली उनकी जान के लिए खतरा थी। अपने नेता की वीरतापूर्ण कार्रवाई के कारण न केवल बल का मनोबल ही बढ़ा बल्कि उनमें नया जोश भर गया। श्री शापू ने दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन करते हुए गोलीबारी जारी रखी। इन्होंने स्वयं एक उदाहरण प्रस्तुत करके अपने साथियों को एकजुट किया और फिर से उनमें आत्म-विश्वास पैदा किया। पुलिस

अधीक्षक ने फिर उप निरीक्षक आर डी मिश्रा, हैड कांस्टेबल-कमलेन्द्र और राजवीर को उस स्थान की ओर रेंगते हुए आगे बढ़ने के लिए कहा जहां से अपराधी गोलीबारी कर रहे थे, जैसे ही वे उस जगह के नजदीक पहुँचे, तभी मिट्टी के टीले के पीछे छिपे हुए दो व्यक्तियों ने उप निरीक्षक आर डी मिश्रा और हैड कांस्टेबल कमलेन्द्र सिंह को निष्क्रिय करने की मंशा से, उन पर गोलीबारी शुरू कर दी। यहां उप निरीक्षक आर डी मिश्रा ने वास्तव में साहस और समय रहते सूझबूझ का परिचय देते हुए हैड कांस्टेबल कमलेन्द्र को धक्का देकर नीचे गिरा दिया और उन्होंने नीचे लेटते हुए तत्काल पोजीशन ले ली तथा अपराधियों पर गोलीबारी शुरू कर दी। दोनों अपराधी जमीन पर गिर पड़े। लेकिन तभी उनमें से एक तत्काल उठ खड़ा हुआ और उसने उप निरीक्षक मिश्रा और उनकी पार्टी पर पुनः गोलीबारी शुरू कर दी। इस नाजुक क्षण में, श्री शापू तत्काल तेजी से आगे बढ़े और अपने जीवन और सुरक्षा की परवाह किए बगैर मौके के अनुसार कार्रवाई की और अपराधियों को ढूंढ लिया, और उन पर अपनी एस एल आर से गोलीबारी की जिसके परिणामस्वरूप अपराधी नीचे गिर पड़ा। इसके पश्चात शीघ्र ही गिरोह के शेष सदस्यों ने वापिस पीछे हटना शुरू कर दिया। श्री शापू के नेतृत्व वाली पुलिस पार्टी ने भाग रहे डकैतों का पीछा किया लेकिन वे अंधेरे और घने जंगल का लाभ उठाकर भागने में कामयाब हो गए। मृत व्यक्ति की पहचान गिरोह के सरगना कल्लू उर्फ कालिया जाटव के रूप में की गई जिस पर मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से 10,000/- रूपये और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से 5,000/- रू0 का पुरस्कार था। उसके पास से एक 315 बोर की इंग्लिश राइफल बरामद की गई। इस पूरे अभियान में श्री साजिद फरीद शापू ने अनुकरणीय साहस, कर्त्तव्य के प्रति संपूर्ण समर्पण, अतिसावधानीपूर्वक योजना बनाने, चातुराईपूर्ण एवं प्रोत्साहित करने वाले नेतृत्व का प्रदर्शन किया। इन्होंने दृढ़ संकल्प, साहस एवं कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया। आसन्न खतरे के सामने उत्कृष्ट नेतृत्व और कर्तव्यपरायणता का उदाहरण प्रस्तुत किया जिसकी वजह से इनके साथी बहादुरी से लड़े एवं इस मुठभेड़ में सफलता हासिल की। इसी प्रकार उप निरीक्षक आर डी मिश्रा ने भी हिम्मत, पराक्रम, सूझबूझ और साहस का परिचय दिया। श्री मिश्रा ने जिस प्रकार के साहस का प्रदर्शन किया ऐसा यदा-कदा ही देखने में आता है।

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री साजिद फरीद शापू, पुलिस अधीक्षक और राम दयाल मिश्रा, उप निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 12 मार्च, 2004 से दिया जाएगा ।

(वरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 165 प्रेज/2005-राष्ट्रपति, मध्य प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री शंभू सिंह जाट,
निरीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

18.9.2000 को निवारी उप जेल से अदालत में गवाही हेतु ले जाते समय अपने भाई मुकेश यादव के साथ पुलिस हिरासत से फरार होने के पश्चात डकैत जयहिन्द यादव के गिरोह ने मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ और दतिया जिलों में आतंक फैला रखा था। लूटपाट के कारण यह गिरोह अत्यधिक कुख्यात हो गया था और आतंक का पर्याय बन गया था। दो वर्ष के अल्प समय में ही इस गिरोह ने हत्या, हत्या के प्रयास, डकैती, अपहरण और लूटपाट के दो दर्जन से ज्यादा अपराध किए। गिरोह के डकैत जयहिन्द यादव को पकड़नें के लिए पुलिस अधीक्षक, टीकमगढ़ के अनुदेश पर, निरीक्षक शंभू सिंह जाट ने 3 जी डी कांस्टेबलों, 1 हैड कांस्टेबल, ड्राइवर हैड कांस्टेबल के साथ 7 और 8 फरवरी, 2002 को ओर्चा रोड से बारास्ता गांव लिधोरा से होकर गांव मौनपुरा तक गहन गश्त की। गांव मौनपुरा में रात को रुकने के पश्चात, पुलिस बल 9 फरवरी, 2002 की प्रातः गांव सुजानपुरा पहुंचा। निरीक्षक जाट ने गांव सुजानपुरा में पहले से ही रुके पुलिस गार्ड से एक हैड कांस्टेबल और दो कांस्टेबलों को इकठ्ठा किया। मत्या भेलशा जंगल और देवताघाट से जामनी नदी तक तलाशी अभियान शुरु किया। जामनी नदी के तट के साथ-साथ चलने के पश्चात बल जैसे ही मजगाटा घाट के पास पहुँचा, तभी इन्होंने घने जामुन के वृक्षों के नीचे दो डकैतों को राइफलों के साथ बैठे देखा। जब पुलिस पार्टी उनकी गतिविधियों को भांप रही थी तभी इन्होंने तीन और डकैतों को जामनी नदी के पत्थरों के पीछे देखा। जयहिन्द यादव गिरोह की उपस्थिति का संदेह होने पर, निरीक्षक शंभू सिंह जाट ने डकैतों को अपने हथियारों के साथ समर्पण करने के लिए कहा लेकिन डकैतों ने पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरु कर दी। एक गोली निरीक्षक जाट के सिर के ऊपर से सनसनाती हुई निकल गई और ये बाल-बाल बच गए। पुलिस पार्टी ने अपने बचाव में डकैतों पर गोलियां चलाईं। अनुकरणीय साहस का प्रदर्शन करते हुए और अपनी जान की परवाह न करते हुए, श्री शंभू सिंह जाट ने अपनी राइफल से जवाबी गोलीबारी की और साथ ही अपने साथियों से आत्मरक्षा में अपनी राइफलों से गोलीबारी करने का निदेश दिया। आपसी गोलीबारी लगभग डेढ़ घंटे तक जारी रही। इसी बीच, तीन डकैत घने वृक्षों, बड़े पत्थरों का लाभ उठाकर और जामनी नदी को पार करके यूकारा की ओर भाग गए। तब पुलिस द्वारा मुठभेड़ स्थल की तलाशी लेने पर दो डकैत गंभीर रुप से जखमी पाए गए। उन्होंने अपने नाम इस प्रकार बताए :-

(1) डकैत मुकेश ब्राह्मण, निवासी उप्रे, पी एस गोराघाट, जिला दतिया, जिसके सिर पर 3000/-रु0 का इनाम था।

(2) डकैत महेश काच्छी, निवासी निवारी, पी एस निवारी, जिला टीकमगढ़। उनसे 21 जिंदा कारतूसों के साथ एक 12 बोर डी बी, 15 जिंदा कारतूसों के साथ एक 12 बोर एस बी और नित्य प्रयोग की अन्य वस्तुएं बरामद की गईं। उनकी क्रमशः 13 और 9 जघन्य अपराधों में तलाश थी। घायल डकैतों ने अन्य तीन डकैतों, जो भाग गए थे, के नाम बताए जो निम्न प्रकार हैं :-

1. गिरोह का सरगना जयहिन्द यादव
2. डकैत महेश डांगी
3. डकैत चैना डांगी

पुनः पुलिस पार्टी ने निरीक्षक शंभू सिंह जाट के नेतृत्व में अन्य डकैतों को पकड़ने के लिए जंगल में अपना तलाशी अभियान जारी रखा। जब तलाशी अभियान चल रहा था, उस समय एक गोली निरीक्षक शंभू सिंह जाट के दायें कान के नजदीक से सनसनाती हुई निकल गई। डकैतों ने नारे भी लगाए और अश्लील भाषा का प्रयोग किया तथा पुलिस कार्मिकों को मारने की धमकी दी। अचानक हुई गोलीबारी से भयभीत हुए बिना और हिम्मत दिखाते हुए निरीक्षक जाट ने जवाबी गोलीबारी की। इन्होंने ठंडे दिमाग से काम लेते हुए और कर्तव्यपरायणता का परिचय देते हुए आत्मरक्षा में डकैतों की ओर तत्काल दो गोलियां चला दीं जो उन डकैतों में से एक को लगी। दो डकैत नामतः जयहिन्द यादव और चैना डांगी घने वृक्षों और नदी में पड़े बड़े-बड़े पत्थरों का लाभ उठाते हुए बच कर निकलने में कामयाब हो गए। तलाशी लेने पर, घटनास्थल से एक शव बरामद हुआ। जिसकी पहचान डकैत महेश पुत्र हरचरण डांगी निवासी उप्रे, पी एस गोरघाट, जिला दतिया के रुप में हुई जिसके सिर पर 10,000/-रु0 का पुरस्कार था। घटनास्थल से 21 जिंदा कारतूसों के साथ एक देशी माऊजर राइफल बरामद की गई। डकैत महेश डांगी टीकमगढ़ और दतिया जिलों में 17 जघन्य अपराधों जैसे हत्या, अपहरण के लिए जिम्मेवार था।

इस मुठभेड़ में, श्री शंभू सिंह जाट, निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 9 फरवरी, 2002 से दिया जाएगा ।

(वरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 166 - प्रेज/2005-राष्ट्रपति, मध्य प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

केदार लाल शर्मा (मरणोपरांत)
सहायक उप निरीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

16 फरवरी 2003 को, कांस्टेबल-537 सुरेन्द्र सिंह सिकरवर के साथ तैनात एक मुखबिर से श्री अंगद सिंह कुश्वाहा, एस डी ओ पी करेरा को एक विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई कि कुख्यात डकैत हाकिम सिंह बुंदेला अपने भाई डकैत उमराव सिंह बुंदेला, निवासी कुदारी, जिला दतिया, चंदन सिंह मान सिंह ठाकुर के घर में गांव जगदोरा (बलूशा का पुरा) में शरण लिए हुए हैं और उनकी मंशा जघन्य अपराध करने की है। इस सूचना के प्राप्त होने पर, एस डी ओ पी करेरा खतरनाक हथियार जैसे एस एल आर, .303 राइफल, रिवाल्वर और पर्याप्त मात्रा में गोलाबारुद के साथ ए एस आई केदार लाल शर्मा पी एस करेरा हैड कांस्टेबल 67 सुरेन्द्र सिंह, हैड कांस्टेबल 151 राजबीर सिंह, ए एस आई रणबीर सिंह यादव, कांस्टेबल-537 रविन्द्र सिंह, सी /803 निहाल अहमद, एस ए एफ कांस्टेबल 04 रणबीर सिंह, हैड कांस्टेबल 829 नासिर खान, एच सी 26 रमेश सिंह, कांस्टेबल -320 राजपाल सिंह, कांस्टेबल 242 बिरेन्द्र सिंह, हैड कांस्टेबल 529 उदयवीर सिंह, एस ए एफ कांस्टेबल 399 रघुराज सिंह, कांस्टेबल 577 उमेश, कांस्टेबल 607 मुकेश नागर को लेकर घटनास्थल की ओर तेजी से बढ़े । लगभग 1600

बजे, पुलिस पार्टी उस जगह पर पहुँच गई और कुछ घरों के संवासियों की तलाशी शुरु कर दी जिसके दौरान इन्होंने एक दरवाजे को बाहर से ताला लगा देखा लेकिन उसके अंदर से कुछ आवाज आ रही थी। इस पर पुलिस पार्टी को कुछ संदेह हुआ। पुलिस पार्टी उसका ताला तोड़ने में सफल हो गई लेकिन फिर भी दरवाजा नहीं खुला क्योंकि वह अंदर से बंद किया गया था।पुलिस पार्टी ने कमरे के अंदर आंसू गैस के ग्रेनेड फेंकने का निर्णय लिया। ए एस आई केदार लाल शर्मा ने मिट्टी की बनी कुछ टाइलों (खपरों) को हटाने और उसमें एक छेद बनाने का प्रयास किया ताकि कमरे के अंदर आंसू गैस का ग्रेनेड फेंका जा सके, लेकिन अचानक डकैतों ने अपनी राइफल की बैरल निकाल ली और तत्काल गोलीबारी शुरु कर दी जिसके पश्चात श्री के एल शर्मा मूर्छित होकर गिर पड़े। शेष पुलिस पार्टी ने सुरक्षित दूरी बनाए रखकर उस घर को चारों ओर से घेर लिया और डकैतों को गोलीबारी करके उलझाए रखा और श्री केदार लाल शर्मा,जो गोली लगने से घायल हो गए थे, को खींच कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने में कामयाब हो गए । ए एस आई केदार लाल शर्मा की हालत तेजी से खराब होने लगी और अंत में उन्होंने उसी जगह प्राण त्याग दिए। इस सूचना के प्राप्त होने के तुरंत पश्चात पुलिस अधीक्षक स्वयं पर्याप्त कार्मिकों की कुमुक और शस्त्र/ गोलाबारुद के साथ उस जगह की ओर तेजी से गए और उस घर के चारों ओर मजबूत घेराबंदी कर दी। डकैत घर के अंदर से विभिन्न दिशाओं में निरंतर गोलीबारी करते रहे। पुलिस पार्टी ने भी अपनी आत्मरक्षा में जवाबी गोलीबारी जारी रखी। 17.2.2003 को तड़के (पौ फटते ही) डकैतों को आंसू गैस के गोलों की मदद से उस घर के बाहर निकलने के लिए विवश कर दिया गया और गोलीबारी के पश्चात, डकैत को मार गिराया गया। बाद में उसकी पहचान, हाकिम सिंह बुंदेला निवासी गांव कुदारी, पी एस- थारेट, जिला- दतिया के रुप में की गई जिसके सिर पर 20 हजार रु0 का पुरस्कार था। वह कम-से-कम चार दर्जन जघन्य अपराधों के लिए जिम्मेवार था और वर्ष 1994 से फरार था। कई प्रयुक्त और जिंदा कारतूस के साथ एक .306 बोर की यू एस निर्मित राइफल, 20 हजार रु0 नगद और रोजमर्रा के इस्तेमाल की वस्तुएं बरामद की गईं। इस साहसिक मुठभेड़ में पुलिस पी एस- करेरा के ए एस आई श्री केदार लाल शर्मा ने अनुकरणीय साहस और उच्चकोटि के नेतृत्व का परिचय दिया । उन्होंने अत्यधिक जोखिम उठाते हुए अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए जान की बाजी लगा कर अपना जीवन बलिदान कर दिया।

इस मुठभेड़ में, दिवंगत श्री केदार लाल शर्मा, सहायक उप निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 16 फरवरी, 2003 से दिया जाएगा ।

(बरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 167 - प्रेज/2005-राष्ट्रपति, मणिपुर पुलिस निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

(1) एच. देवेन्द्र सिंह,
उप निरीक्षक

(2) ए सुभाष सिंह
जमादार

(3) मोहम्मद अब्दुल बारिक
राइफलमैन

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

6 जनवरी 2004 को प्रातः लगभग 7.00 बजे हीरोक खनोऊ क्षेत्र में सशस्त्र उग्रवादियों की उपस्थिति के संबंध में विश्वसनीय सूचना प्राप्त होने पर, थौबल जिला कमांडो ने पुलिस अधीक्षक/ थौबल के समग्र पर्यवेक्षण के अंतर्गत क्षेत्र में अभियान चलाया। कमांडो ने विशिष्ट कार्यों के साथ और लगभग दो किमी के क्षेत्रफल को कवर करते हुए स्वयं को तीन ग्रुपों में बांट लिया। उप-निरीक्षक एच. देवेन्द्र सिंह और जे.सी. सं. 517 जमादार ए. सुभाष सिंह दोनों ए के असाल्ट राइफल से सुसज्जित होकर टीम का नेतृत्व कर रहे थे। वे प्रत्येक व्यक्ति की जांच करते हुए बेले पुल से होकर इंगैंगलोक की ओर बढ़े । लगभग प्रातः 7.35 बजे, टीम को सूचना मिली कि सशस्त्रों से लैस कुछ संदिग्ध उग्रवादियों को इंगैंगलोक गांव से पुल की ओर आते देखा गया है। इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए, टीम ने उपने वाहनों को पुल के निकट खड़ा कर दिया और पैदल ही पुल को पार किया। जैसे ही पार्टी पुल के दूसरे सिरे पर पहुँची, तभी उग्रवादियों ने कमांडों पर अपने अधुनातन हथियारों से गोलीबारी शुरु कर दी। टीम का नेतृत्व कर रहे उप निरीक्षक एच देवेन्द्र सिंह और जमादार ए सुभाष सिंह ने तत्काल पुल के खंभे के पीछे पोजीशन ले ली और जवाबी कार्रवाई की। उग्रवादी जो अत्यधिक लाभकारी स्थिति में थे, ने वृक्षों ओर ऊँची उठी हुई एक जगह की आड़ का पूरा लाभ उठाते हुए गोलीबारी जारी रखी। सशस्त्र उग्रवादियों ने भारी गोलीबारी करके कमांडो को उत्तरी दिशा की तरफ जाने से रोके रखा, जो इंगैंगलोक की पहाड़ियों की ओर बच कर निकलने का मुख्य मार्ग था। मुठभेड़ लगभग 15/20 मिनट तक चली। लगभग प्रातः 7.55 बजे गंभीर खतरे को अनदेखा करते हुए, एस आई एच. देवेन्द्र सिंह ने जमादार, ए. सुभाष सिंह और राइफलमैन सं0 132001282 मोहम्मद अब्दुल बारिक (जो एस एल आर पकड़े हुए थे)के साथ नाला पार किया और उस जगह की ओर रेंगते हुए बढ़े जहां उग्रवादियों ने पोजीशन ली हुई थी। जब वे उस जगह के नजदीक पहुँचे तो इन्होंने स्वयं को फैला दिया। जमादार ए. सुभाष सिंह बायीं तरफ, राइफलमैन अब्दुल बारिक दायीं तरफ और एस आई, एच. देवेन्द्र सिंह बीच में हो गए। कुछ दूर रेंगने के पश्चात, एस आई, एच. देवेन्द्र सिंह ने एक उग्रवादी को देखा जो लगातार गोलियों की बौछार कर रहा था। एस आई एच देवेन्द्र सिंह ने अपनी ए के असाल्ट राइफल से गोली चलाकर उस उग्रवादी को वहीं ढेर कर दिया। मृत उग्रवादी की पहचान बाद में प्रतिबंधित गुट कांग्लेई याओल कान्ना लुप (के वाई के एल) के दुर्दान्त उग्रवादी, याईरिपोक खोईरोम मयाई लेकई के नामतः नोंगमैथेम ब्रोजेन सिंह उर्फ रोबर्ट (25) पुत्र एन शामू सिंह के रुप में की गई। उसके सिर और छाती में गोलियां लगी थीं। जमादार ए सुभाष सिंह जब बायीं तरफ रेंगते हुए बढ़ रहे थे तभी इन्होंने 2/3 उगवादियों को नाले की तरफ से उनकी ओर गोलीबारी करते हुए आते देखा। इन्होने भी तत्काल जवाबी गोलीबारी की और उनमें से एक उग्रवादी को वहीं पर मार गिराया। मृत उग्रवादी की पहचान बाद, में हिरोक पार्ट-II देवी मंडोप के एक लैशराम शांतिकुमार सिंह उर्फ पुकचाउ (19) पुत्र (एल) एल. मंगलेम सिंह के रुप में की गई। उसके कंधे में गोली

लगी थी। इसी बीच, अन्य उग्रवादियों ने भी राइफलमैन मोहम्मद अब्दुल बारिक पर गोलीबारी कर दी और इन्होंने भी काफी निकट से उग्रवादियों पर गोलियां चलाईं और उनमें से एक उग्रवादी को वहीं पर मार गिराया। मृत उग्रवादी की पहचान बाद में हिरोक पार्ट-III, इंगैंगलोक के एक थोकचोम परशुराम सिंह (30) पुत्र टी एच. ईबोटोम्बी सिंह के रुप में की गई । मृतक की छाती और गर्दन गोलियों से जख्मी हो गई थी । 4/5 मिनट तक निरंतर गोलीबारी के पश्चात अन्य उग्रवादी जंगल का लाभ उठाकर इंगैंगलोक की ओर बच कर निकल भागने में कामयाब हो गए। कुमुक के आने के पश्चात , उस क्षेत्र की पूरी तरह तलाशी ली गई जहां मुठभेड़ हुई थी। तलाशी के दौरान उस जगह से निम्नलिखित अभिशंसी वस्तुएं / मदें बरामद की गईं:-

(1) एक मैगजीन युक्त और चैंबर में एक जिंदा राउंद के साथ 4 जिंदा कारतूस के साथ बट सं. 416536 वाली चीन निर्मित एक 9 एम एम पिस्तौल

(2) एक वायरलैस सेट (केनवुड)

(3) ए के गोलाबारुद के चले हुए 14 खोल

(4) 9 एम एम गोलाबारुद के चले हुए 4 खोल

(5) पंजीकृत सं. एम एन- 05/9255 वाली एक लाल रंग की मोटरसाईकल कुछ झाड़ियों के पीछे छिपाई गई पाई गई।

(6) हिरोक पार्ट-II, देवी मंडोप के लैशराम शांतिकुमार सिंह उर्फ पुकचाऊ (19) पुत्र एल ओ एल. मंगलेम सिंह के शव से 1,00,000 /- रु. का एक डिमांड लैटर बरामद किया गया।

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री एच. देवेन्द्र सिंह , उप निरीक्षक, ए. सुभाष सिंह , जमादार और मोहम्मद अब्दुल बारिक, राइफलमैन ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 6 जनवरी, 2004 से दिया जाएगा ।

(बरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 168 - प्रेज/2005-राष्ट्रपति, मणिपुर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. सोमायो आर. शिमरे
   सहायक उप निरीक्षक
2. एन. अशोक कुमार सिंह
   हवलदार
3. टीएच. बिजेन सिंह
   राइफलमैन
4. के. किरण सिंह
   कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

19.6.04 को रात लगभग 10.00 बजे एक विश्वसनीय सूचना मिली कि कुछ सशस्त्र युवक, जिनका पीपल रिवोल्यूशनरी ऑफ कांग्लेईपाक (प्रीपाक) के कार्यकर्ता होने का संदेह था, विध्वंसकारी और नापाक गतिविधियों की दृष्टि से क्वाकेईथेल थोनाऊजेम केकई में इधर-उधर घूम रहे हैं और वहां शरण लिए हुए हैं। इस विश्वसनीय सूचना के प्राप्त होने पर, तीन मारुती जिप्सी वाहनों में ए एस आई सोमायो आर. शिमरे, ए एस आई पी. अचौबा और हवलदार सं. 739 अशोक सिंह के नेतृत्व में इंफाल पूर्वी जिला पुलिस कमांडो की एक टीम अपराधियों को पकड़ने के लिए उक्त क्षेत्र की ओर शीघ्रता से रवाना हुई। रात लगभग 11.00 बजे, सी डी ओ टीम क्वाकेथेल थाऊनाऊजेम लेकई पहुँची। तेङ्गीम सड़क पर, चल वाहन खड़े करने के पश्चात, अपराधियों को हैरत में डालने और उन्हें पुलिस टीम के आने का पता न चल सके, टीम चतुराई के साथ पैदल आगे बढ़ी। इसके पश्चात बच कर भाग निकलने के संभावित मार्गों पर विचार करके, उक्त क्षेत्र में विशेष रुप से वर्तमान में क्वाकेईथेल थोनाऊजेम लेकई, में किलांग चाजिंग के एक सांसाम राकेश (28) पुत्र एस. कुल्ला के निवास जहां तथाकथित प्रीपाक कार्यकर्ताओं के पनाह लेने का संदेह था, में एक तलाशी अभियान चलाया।

2. पुलिस कमांडो टीम, सभी प्रकार की तैयारी करने के पश्चात उक्त घर की ओर चल दी। अचानक ए एस आई सोमायो आर. शिमरे के नेतृत्व में पुलिस कमांडो टीम की एक यूनिट, जो शरण लिए गए स्थल की पूर्वोत्तर दिशा से आ रही थी, अंदर पनाह लिए हुए यू जी द्वारा अधुनातन हथियारों से की गई भारी गोलीबारी की जद में आ गई। तुरंत जवाबी कार्रवाई करते हुए, पुलिस टीम ने उस दिशा की तरफ गोलीबारी शुरु कर दी जहां से गोलीबारी हो रही थी। यू जी काडर लाभकारी स्थिति में थे, चूंकि पुलिस टीम अनजान क्षेत्र में उबड़-खाबड़ स्थान में थी। फिर भी, पुलिस टीम विशेष रुप से ए एस आई सोमायो आर शिमरे और राइफलमैन सं. 653 टी एच. बिजेन सिंह ने मुकाबला जारी रखा। पुलिस कमांडो टीम की वीरतापूर्ण कार्रवाई के कारण, यू जी, जिनकी संख्या लगभग 5 (पांच) थी, ने अपने को तितर-बितर कर, उस क्षेत्र के उत्तर-पश्चिमी दिशा की ओर बच कर भागने का प्रयास किया। भाग रहे सशस्त्र युवकों का पीछा करते हुए, ए के राइफल से लैस ए एस आई सोमायो आर. शिमरे और एस एल आर से लैस राइफलमैन सं. 653 बिजेन सिंह आगे बढ़े। इस गोलीबारी की भीषण लड़ाई में, राइफलमैन सं. 653 टीएच.

बिजेन सिंह बायीं तरफ की जांघ और पेट के दांयी तरफ गोली लगने से गंभीर रुप से घायल हो गए। इसी बीच, हवलदार सं. 739 अशोक सिंह के नेतृत्व में पुलिस कमांडो टीम की दूसरी यूनिट भाग रहे यू जी को रोकने की दृष्टि से उत्तरी दिशा से पहुँच गई। वहाँ दिखाई भी कम दे रहा था और भारी वर्षा के कारण पराक्रमी पुलिस कमांडो टीम के डब्ल्यू/टी सेट प्रभावित हो जाने की वजह से संचार सुविधा में बाधा आ रही थी जिसके परिणामस्वरुप यू जी काडरों की पोजीशन के बारे में डब्ल्यू/टी सेट के माध्यम से सूचना देने में रुकावट पैदा हो गई थी। पुलिस टीम की यूनिट, विशेष रुप से, कार्बाइन से लैस हवलदार सं. 739 अशोक और एस एल आर से लैस सी/सं. 9801044 के. किरण सिंह ने भाग रहे यू जी, जो क्रमशः अपनी 9 एम एम और ए.के-56 से लगातार गोलीबारी कर रहे थे, की ओर बढ़े। पुलिस यूनिट उबड़-खाबड़ अनजान क्षेत्र के कारण पुनः अलाभकारी स्थिति में थी और हवलदार सं. 739 अशोक और सी/सं. 9801044 के. किरण सिंह दलदल वाले धान के खेत, जो भाग रहे यू जी और पुलिस यूनिट के बीच में थे, के कारण तेजी से आगे नहीं बढ़ पाए। इसी बीच, सी/सं. 9801044 के. किरण सिंह भी बायें हाथ की कोहनी और बायीं पसली में गोलियां लगने से घायल हो गए। हवलदार सं. 739 अशोक बहादुरी से आगे बढ़े और उनमें से एक यू जी पर कूद पड़े जो भागने का प्रयास कर रहा था। इस गुत्थम-गुत्था लड़ाई में हवलदार सं. 739 अशोक पर एक अज्ञात यू जी ने छोटे हथियार का प्रयोग करके गोली चला दी तथा इन्हें गंभीर रुप से घायल कर दिया। फिर भी, हवलदार सं. 739 ने हार नहीं मानी और इन्होंने कुछ ही मिनटों में यू जी काडर को भी मार गिराया। कमांडो की साहसिक कार्रवाई के कारण, एक यू जी मारा गया और निम्नलिखित शस्त्र और गोलाबारुद बरामद किया गया :-

(1) एक तरफ 1(एक) 9 एम एम पिस्तौल माऊजर वर्के ओबेनडोर्फ्ट गैम्ब्ट और पंजीकरण सं. 8081-7488 वाली मोड 90- डी ए कैल. 9 एम एम पैराबीलियम

(2) 9 एम एम गोलाबारुद के 5 जिंदा राऊंद के साथ 1(एक) मैगजीन

(3) 2(दो) हरे रंग की मच्छरदानियां

(4) 2(दो) जोड़ी जूते इत्यादि।

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री सोमायो आर. शिमरे, सहायक उप निरीक्षक, एन. अशोक कुमार सिंह, हवलदार, टीएच. बिजेन सिंह, राइफलमैन और के. किरण सिंह, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 19 जून, 2004 से दिया जाएगा ।

(बरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 169 – प्रेज/2005-राष्ट्रपति, मणिपुर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक /वीरता के लिए पुलिस पदक/वीरता के लिए पुलिस पदक का बार सहर्ष प्रदान करते हैं: -

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1.	टी एच. कृष्णातोम्बी सिंह, निरीक्षक	(वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक)
2.	एच. ईश्वरचंद, कांस्टेबल	(वीरता के लिए पुलिए पदक)
3.	मोहम्मद मुहाशिन, कांस्टेबल	(वीरता के लिए पुलिस पदक)
4.	विल्सन होकिप, कांस्टेबल	(वीरता के लिए पुलिस पदक)
5.	के एच. रणजीत सिंह, कांस्टेबल	(वीरता के लिए पुलिस पदक का बार)
6.	के एच. कुमार चोथे, कांस्टेबल	(वीरता के लिए पुलिस पदक)

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

मणिपुर के तीन घाटी उग्रवादी गुटों नामतः यू एन एल एफ, पी एल ए और के वाई के एल ने अप्रैल 2004 में आयोजित संसदीय चुनाव, 2004 के बहिष्कार का आवहान किया। इस संबंध में आम जनता पर अपनी इच्छा थोपने के लिए, इन गुटों ने मतदाताओं को डराने, चुनाव एजेंटों इत्यादि को जान से मारने के प्रयास शुरु कर दिए। इसके परिणामस्वरुप, 19.4.2004 को आयोजित चुनाव के प्रथम चरण ई वी एम को छीनने, निर्वाचन ड्यूटी पर लगे वाहनों को जलाने, सुरक्षा कार्मिकों पर घात लगाकर हमला करने इत्यादि के कारण घाटी में तुलनात्मक रुप से कम मतदान हुआ। विभिन्न एजेंसियों से प्राप्त आसूचना जानकारियों से यह पता चलता था कि ये गुट 26.4.2004 को आयोजित किए जाने वाले चुनाव के दूसरे चरण में तोड़-फोड़ करने के हरसंभव प्रयास करेंगे। विशेष रुप से, इन रिपोर्टों से यह पता चला था कि वे उन चुनाव मतदान केन्द्रों, जो दूर-दराज के तलहटी क्षेत्रों में स्थित हैं, में मतदान संबंधी ड्यूटियों पर जाने वाली मतदान पार्टियों और सुरक्षा कार्मिकों को निशाना बनाएंगे। इसी बीच, पुलिस अधीक्षक पूर्वी इंफाल को आसूचना रिपोर्टें प्राप्त हुईं कि लगभग 30/40 एम पी एल एफ काडर का शस्त्रों से सुसज्जित एक ग्रुप, इस मार्ग से जाने वाले मतदान और सुरक्षा कार्मिकों पर घात लगाने के उद्देश्य से याईरिपोक से मोईरांगप्युरेल तक के मार्ग के चारों ओर घात लगाए बैठा है। दूसरे चरण के लिए इन क्षेत्रों में 12 मतदान केन्द्र स्थित थे। उपर्युक्त सूचना के प्राप्त होने पर, पुलिस अधीक्षक पूर्वी इंफाल ने उस क्षेत्र को क्लिअर करने और वहां जाने वाली मतदान पार्टियों और सुरक्षा कार्मिकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए श्री टी एच. कृष्णातोम्बी सिंह, निरीक्षक, ओ/सी कमांडो यूनिट, पूर्वी इंफाल जिला की कमान के अंतर्गत 40 कमांडो कार्मिकों वाले एक विशेष कार्य बल की तैनाती की। श्री टी एच. कृष्णातोम्बी सिंह और इनकी पुलिस पार्टी 25.4.2004 की प्रातः जिला मुख्यालय, पूर्वी इंफाल से उक्त क्षेत्र के लिए चल पड़ी। इसी दिन दोपहर में, लगभग 1230 बजे श्री टी एच. कृष्णातोम्बी सिंह के नेतृत्व में जब कमांडो, अन्य कमांडो टीमों के साथ एक मारुती जिप्सी में येरिपोल-कैथिलामन्बी गांव को जोड़ने वाली सड़क से कैथिलमन्बी गांव की ओर जा रहे थे, तभी सामने की तरफ से तेज गति से एक मारुति वैन आई। कमांडो पार्टी को देखकर, वैन अचानक एक स्कूल इमारत के नजदीक खड़ी हो गई और इसी के साथ उसमें सवार लोगों ने ए के राइफल और लिथोडे बमों जैसे अधुनातन हथियारों से श्री टीएच. कृष्णातोम्बी सिंह के वाहन पर गोलियां चलाईं। निरीक्षक टी एच. कृष्णातोम्बी सिंह और इनकी पार्टी ने तत्काल जवाबी गोलीबारी की और एक दम अपने वाहन रोक कर, जल्दी से उससे कूद पड़े और वाहन के पीछे आड़ ले ली। कार्य बल के अन्य सदस्य काफी पीछे थे और वे आस-पास के क्षेत्र में घात लगाए बैठे थे और मारुती वैन में छिपे अतिवादियों की ओर से की जा रही भारी गोलीबारी के कारण तत्काल

उस जगह पर पहुँच नहीं सकते थे। श्री टी एच. कृष्णातोम्बी सिंह और टीम के सदस्यों ने भारी गोलीबारी से अपना बचाव करना था। हालांकि, वे इससे पूरी तरह से अचंभित हो गए थे और अपने को खतरे में पड़ा देख श्री कृष्णातोम्बी ने अपना धैर्य नहीं खोया। इन्होंने तुरंत स्थिति को नियंत्रण में लिया और हमले का मुकाबला करने संबंधी उपाय करने हेतु टीम के सदस्यों को सुव्यवस्थित किया। इन्होंने अनुमान लगा लिया कि वे तीन व्यक्ति हैं जो गोलीबारी कर रहे हैं। दो व्यक्तियों के पास ए के-राइफल थीं, उनमें से एक वैन के सामने वाली सीट से और दूसरा वाहन की पीछे की सीट से गोलीबारी कर रहा था। तीसरा व्यक्ति वाहन के पिछले हिस्से से एम-79 लांचर से लिथोडे बमों को दाग रहा था। मारुति वैन में सवार सशस्त्र युवकों के अतिरिक्त, नजदीक छिपे हुए अन्य अतिवादी, जिनकी संख्या लगभग 30/40 थी, भी मुठभेड़ में शामिल हो गए और इस प्रकार उनकी संख्या, वास्तव में मुठभेड़ में जुटे कमांडो की संख्या से बहुत ज्यादा हो गई। इस प्रकार, कई दिशाओं से भारी गोलीबारी हो रही थी। इस नाजुक मौके पर, कमांडों को मारुति वैन से की जा रही गोलीबारी से जान जाने के तत्काल खतरे का भी ध्यान रखना था। श्री कृष्णातोम्बी ने अपने टीम के सदस्यों, कांस्टेबल ईश्वर चन्द और मोहम्मद मोहशिम को लीथोडे बमों को दागने वाले व्यक्ति को ढूंढने और उसे निशाना बनाने तथा कांस्टेबल रणजीत और विल्सन होकिप, जिनके पास ए के-47 राइफल थी, को पिछली सीट से ए के राइफल से गोली चला रहे व्यक्ति को निशाना बनाने तथा अपने कांस्टेबल ड्राइवर कुमार चोथे, को कवरिंग फायर प्रदान करने के निदेश दिए। इन्होंने स्वयं, वाहन के पीछे से ए के राइफल से गोलियां चला रहे व्यक्ति को काबू करने का निर्णय लिया। ये सी आई ऑपरेशन के अपने दीर्घकालीन अनुभव का इस्तेमाल करके फुर्ती और चतुराई से वैन की ओर बढ़े जबकि कांस्टेबल ड्राइवर कुमार चोथे ने अपनी 9 एम एम पिस्तौल से कवरिंग फायर दिया और उसी समय वे खुले में आ गए। कांस्टेबल रणजीत और कांस्टेबल विल्सन होकिप वैन की तरफ फुर्ती से जाने में सफल हो गए और इन्होंने लक्षित व्यक्ति, जो वैन के सामने की सीट से ए के राइफल से गोलियां चला रहा था, को मार गिराया। उसी प्रकार, कांस्टेबल ईश्वरचंद, जिनके पास एस एल आर थी और कांस्टेबल मोहशिन, जिनके पास ए के-47 राइफल थी, भी अपने-अपने लक्ष्यों से निपटने के लिए जिम्मेवार थे। निरीक्षक कृष्णातोम्बी जब अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए खुले में आ गए तो इन पर गोली चलाई गई। तथापि, ये अपना बचाव करने में सफल हो गए और इन्होंने अपनी ए के-47 राइफल से सटीक गोलीबारी करके अपने लक्ष्य को मार गिराया। मारुति वैन का ड्राइवर भी मुठभेड़ में गोलियां लगने से घायल हो गया। बाद में यह पाया गया कि उस वैन का अपहरण किया गया था और उसके ड्राइवर को इसे चलाने के लिए विवश किया गया था। इस मुठभेड़ में मारे गए तीन उग्रवादियों की पहचान निम्नलिखित के रुप से हुई :-

(1) सलाम जॉय सिंह (उम्र लगभग 20 वर्ष) आंद्रो ऊनामबोल के अमू सिंह का पुत्र, जो यू एन एल एल आर्मी फाइटिंग ग्रुप का एक सदस्य था। वह उनमें से था जो उस वाहन के सामने की सीट से ए के राइफल से गोली चला रहा था।

(2) कोनजेंगबाम चौबा सिंह उर्फ लामजिंगबा (उम्र लगभग 25 वर्ष) येरिपोक यामबेम लेकई के के. मणी सिंह का पुत्र, यू एन एल एफ आर्मी फाइटिंग ग्रुप का स्वंभू लांस कॉरपोरल। यह वही व्यक्ति था जो लीथोडे बम दाग रहा था।

(3) तोंगब्राम रतन सिंह उर्फ लांसेम्बा (उम्र लगभग 27 वर्ष) फनजंगखोंग के टी. मोहन सिंह का पुत्र, यू एन एल एफ आर्मी फाइटिंग ग्रुप का स्वंभू लांस कॉरपोरल। यह वही व्यक्ति था जो उस वैन के पीछे से ए के राइफल से गोलियां चला रहा था।

इस मुठभेड़ में कृष्णातोम्बी और इनकी टीम के सदस्यों ने अनुकरणीय साहस, कर्तव्यपरायणता और व्यावसायिकता का परिचय दिया। इन सभी कर्मियों ने उग्रवादियों द्वारा की जा रही भारी गोलीबारी के सम्मुख आकर,

सुविचारित ढंग से सोच-समझकर जोखिम उठाया। इन्होंने चतुराई, साहस और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन करके, विपरीत स्थिति को अपने अनुकूल बना लिया। इस मुठभेड़ में यू एन एल एफ की हार ने तीनों उग्रवादी गुटों के काडरों का मनोबल गिरा दिया जिसके परिणामस्वरुप, संसदीय चुनाव का उत्तरवर्ती चरण तुलनात्मक रुप से ज्यादा शांतिपूर्वक संपन्न हुआ और घाटी के क्षेत्र में काफी संख्या में मतदाता आए। मुठभेड़ में मारे गए उग्रवादियों से निम्नलिखित शस्त्र और गोलाबारुद बरामद किया गया :-

(i) सं. 130668-के-कन्नार-सी ओ पी यू वाला एक लीथोडे बम लांचर एम-79
(ii) लीथोडे बम के बारह जिंदा राऊंद
(iii) सं. 3926072 और 3923858/28858 वाली दो ए के-56 राइफलें
(iv) ए के-56 गोलाबारुद के आठ जिंदा राऊंद

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री टीएच. कृष्णातोम्बी सिंह, निरीक्षक, एच. ईश्वरचंद, कांस्टेबल, मोहम्मद मुहाशिन, कांस्टेबल, विल्सन होकिप, कांस्टेबल, केएच. रणजीत सिंह, कास्टेबल और के एच. कुमार चोथे, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, राष्ट्रपति का पुलिस पदक/पुलिस पदक/पुलिस पदक का बार नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 25 अप्रैल, 2004 से दिया जाएगा ।

(बरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 170 - प्रेज/2005-राष्ट्रपति, उड़ीसा पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री सुरेश चंद्र ढल (मरणोपरांत)

निरीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

2 जून, 2004 की रात को, पीपली पुलिस स्टेशन के सतासा और बारगढ़, मालीबराही, कुलासीखरपतना और बहाबाजा के ग्रामीणों के बीच पहले से चली आ रही दुश्मनी के कारण, बारागढ़, मालीबराही, कुलासीखरपतना और बहाबाजा के लगभग 200 ग्रामीण, हथियारों से लैस होकर एन एच-203 पर बारागढ़ के समीप एकत्र हुए और विरोधी ग्रुप पर हमला करने के लिए लगभग 1(एक) कि.मी. दूर स्थित गांव सतासा की ओर चल दिए। सतासा गांव के 100 से ज्यादा लोग भी हमले का जवाब देने हेतु शस्त्रों से लैस हो गए थे। आसन्न झगड़े की ऐसी भयानक स्थिति की सूचना के प्राप्त होते ही, श्री सुरेश चंद्र ढल, पिपली पुलिस स्टेशन के प्रभारी निरीक्षक अन्य अधिकारियों और पुलिस स्टेशन में उपलब्ध सशस्त्र पुलिस रिजर्व बल की एक टुकड़ी को साथ लेकर समय गवांए बगैर उस जगह की ओर तुरंत रवाना हो गए। दंदामुकुन्दपुर बाजार पहुँचने पर, इन्हें दंगे पर उतारु भीड़ को नियंत्रित करने हेतु गांव सतासा के नजदीक तीन अधिकारियों के साथ बल की उपलब्ध टुकड़ी को तैनात करना पड़ा। इस प्रकार, इन्हें अन्य चार गांवों की दो सौ गांववासियों की भीड़, जो अब दंदामुकुन्दपुर बाजार की ओर बढ़ना शुरु हो गई थी, की ओर अकेले ही जाना पड़ा। हालांकि, अकेले होते हुए भी इन्होंने कारगर रुप से बीच-बचाव किया और बस स्टॉप के नजदीक इस दंगाई भीड़ को रोक लिया। तथापि वे अभी भी सतसा गांव पर हमला करने की धमकी दे रहे थे और वे उनसे केवल 200 गज की दूरी पर ही थे। इन्होंने इस दंगाई भीड़ में समझौता कराया और उन्हें तितर-बितर करने का प्रयास किया और इस प्रकार गंभीर रक्तपात होने से बचा लिया। जिस समय श्री ढल उग्र भीड़ के साथ विचार-विमर्श में लगे थे उसी समय एक शरारती व्यक्ति नामतः अशोक जेना ने श्री एस सी ढल, निरीक्षक पर एक बम फेंका जिससे वे गंभीर रुप से घायल हो गए और वहीं जमीन पर गिर पड़े। श्री एस सी ढल ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। निरीक्षक एस सी ढल ने अपनी ड्यूटी के दौरान अपनी जान की परवाह न करके अनुकरणीय साहस और कर्त्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया और इस प्रकार खून-खराबा होने से बचा लिया।

इस मुठभेड़ में, दिवंगत श्री सुरेश चंद्र ढल, निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 2 जून, 2004 से दिया जाएगा ।

(बरूण मित्रा)

निदेशक

सं0 171- प्रेज/2005-राष्ट्रपति, तमिलनाडु पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. थीरु के. विजय कुमार, भा.पु.से. (वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक)
   अपर महानिदेशक
2. थीरु एफ.एम. हुसैन, (वीरता के लिए पुलिस पदक)
   पुलिस उपाधीक्षक (अब अपर पुलिस अधीक्षक)
3. थीरु एन के सेथांमराई कन्नान, (वीरता के लिए पुलिस पदक)
   पुलिस अधीक्षक
4. थीरु एन. राजाराजन, (वीरता के लिए पुलिस पदक)
   निरीक्षक (अब पुलिस उपाधीक्षक)
5. एस. वैल्लादुरई, (वीरता के लिए पुलिस पदक)
   उप-निरीक्षक (अब पुलिस उपाधीक्षक)
6. एम. श्रवणन (वीरता के लिए पुलिस पदक)
   ग्रेड-I (अब उप-निरीक्षक)
7. वी. कुमारेसन, (वीरता के लिए पुलिस पदक)
   ग्रेड-II (अब हैड कांस्टेबल)

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

उनके प्रतिभाशाली अधीनस्थ अधिकारियों के सहयोग से थीरु के. विजय कुमार, भा.पु.से. द्वारा "आपरेशन कोकून" में किए गए प्रयास सफल हुए। इसके लिए गुप्त रुप से योजना तैयार की गई थी। एस टी एफ के भेदिए कर्नाटक और तमिलनाडु में फील्ड में विभिन्न सैक्टरों और जेलों में तैनात किए गए थे। इनमें से कुछ भेदिए नलसाज, मिस्त्री, बस में काम करने वाले कर्मचारी और यहां तक कि कुछ को रसोइयों के रुप में नियुक्त किया गया था। सभी तीनों पुलिस अधीक्षकों को एक-एक बड़ी परियोजना आवंटित की गई थी। कर्नाटक एस टी एफ के साथ निकट सहयोग करके वीरप्पन को उसके गढ़ से बाहर निकालने के लिए उस दस्यु के सुरक्षित गढ़ के चारों तरफ संयुक्त टुकड़ियों का जाल बिछाया गया था। इस रणनीति का फल छः महीने बाद उस समय मिला जब वीरप्पन छितरे वन क्षेत्र में आपॅरेशन स्थल के पूर्वी छोर की ओर बढ़ा। वीरप्पन के चाय-पीने के साथी चन्द्रगौड़ा, जिसकी भावनात्मक सुभेद्यता इस काम के लिए उपयोगी साबित हुई, को प्रलोभन देकर इन दोनों के बीच मतभेद पैदा करने का बीज बोया गया। सतर्क निगरानी और फील्ड जानकारियों का विश्लेषण करने के बाद "ऑपरेशन कोकून" की अभेद्य योजना तैयार की गई। व्यावसायिक कौशलता और असाधारण गोपनीयता तथा अत्यधिक साहसिक घुसपैठ को आधार बनाकर "ऑपरेशन कोकून" को सफलतापूर्वक सम्पन्न करने के लिए यह आपरेशन उच्चस्तरीय समन्वय और चतुराई पूर्ण निष्पादन पर निर्भर था। प्रत्येक अधिकारी ने बड़े ही गुप्त तरीके से कार्रवाई की क्योंकि गोपनीयता

बनाए रखना सबसे बड़ी बात थी। इसका अर्थ था कष्टप्रद सामंजस्य तथा पारस्परिक समन्वय। एक बार पाप्परापट्टी को मिलनस्थान आर वी निर्धारित कर लिए जाने के बाद पारपरापट्टी जाने वाली सभी सड़कों को पुलिस उपायुक्तों, निरीक्षकों और उनकी विशेष आपरेशनल टीमों की प्रच्छन्न मौजूदगी द्वारा सील कर दिया गया। समग्र ऑपरेशन अचिन्हित निजी वाहनों में, सिविलियन कपड़ों में चलाया गया। विभिन्न स्थानों (प्वॉइंट) पर आगमन, प्रवेश के तरीके, रेडियों साइलैंस तथा कूट संकेतों आदि के द्वारा और अधिक गोपनीयता बरती गई। सबसे विलक्षण पहलू वह तरीका था जिसके द्वारा वीरप्पन की सेलुलर सिक्रेट कट आउट प्रणाली को उसके विरुद्व हथियार के रुप में परिवर्तित कर दिया गया। अभियान में चालक श्रवणन और उप निरीक्षक वैलादुरई की विशिष्ट तैनाती एक अति जोखिमपूर्ण कार्य था। एक कुमारेसन पी सी 1619, जिसे तीन दिनों के लिए अलग-थलग करके ांव में छोड़ा गया था, से मिली छोटी-मोटी महत्वपूर्ण जानकारी से ऑपरेशन को और चतुरतापूर्ण बनाने में मदद मिली। "ऑपरेशन कोकून" के लिए तीन कोर टीमें, जोकि त्वरित प्रतिक्रिया और अनुकूलनशीलता के लिए विख्यात एस टी एफ की सर्वोत्तम टीम थी, तैनात की गई। इन टीमों को ए डी जी पी श्री के विजय कुमार द्वारा व्यक्तिगत रुप से 100 से अधिक बार कठोर अभ्यास करवाया गया। ये एस टी एफ चांदमारी रेंज से रेत की बोरियों से भरी सिविलियन लौरी में निकले जैसे कि मानो वे प्रशिक्षण अभ्यास के लिए निकले हों। गन्नों से भरी एक लौरी जिसका कूट-नाम स्वीट बॉक्स था, अचानक नाकाबंदी करने के लिए उसके साथ-साथ चली। ए डी जी पी और एस पी जिन्होंने पहले आर वी प्वाइंट की टोह ली थी, सिविलियन वाहन में निकले। वे आर वी से मात्र 10-11 मिनट की ही दूरी पर थे जब उन्हें ये संदेश मिला कि कोकून अर्थात एम्बुलैंस वैन मुख्य पापरापट्टी धर्मपुरी मुख्य सड़क पर चल रही है। लगभग 2245 बजे एक पुलिस वाहन, जिसे एम्बुलैंस की शक्ल दी गई थी, आपरेशन क्षेत्र में रुक गया। श्री विजय कुमार उस वाहन से एक मीटर की दूरी पर चालक सीट की तरफ आगे दाईं दिशा में खड़े थे और इन्होंने तत्काल निरीक्षक राजाराजन के सहयोग से चालक श्रवणन की, पेड़ के पीछे आड़ लेने में मदद की। तब तक उप निरीक्षक वैल्लादूरई भी आगे की बांई सीट से कूद पड़े। इन्होंने कुछ ही सेकंडो में चालक श्रवणन और वैलादुरई से गैंग की मौजूदगी और उनके हथियारों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हासिल कर ली। श्री विजय कुमार ने चिल्ला कर यह जानकारी एस पी और अन्य लोगों को दी। वीरप्पन और उसके आदमी राइफलों और हथगोलों से लैस पूरी तरह से तैयार थे। किसी भी गलत चाल से वह भारी संख्या में लोगों को हताहत करके भाग सकते थे। दस्यु के आदमियों ने गोलीबारी करके जवाबी कार्रवाई शुरु की। स्थिति से कारगरता से निपटने के लिए श्री विजय कुमार दाएं से बाएं आए। वे पीछे की तरफ भागे जहां तब तक पी सी कुमारेसन पहले ही पहुंच चुके थे। इन्होंने वहां दृढ़ता से मोर्चा संभाल लिया। वहां उनकी मोर्चाबंदी से गैंग के बच निकलने का रास्ता अवरुद्ध हो गया। यह देखने पर कि दाहिनी तरफ विद्यालय भवन के ऊपर एस टी एफ टीम द्वारा ले जाया गया एक्सटेंशन लैम्प वीरप्पन के आदमियों द्वारा की गई गोलीबारी के कारण क्षतिग्रस्त हो गया है, इन्होंने आगे की कार्रवाई की चतुराई के साथ व्यूह रचना की। ये प्रत्येक कदम पर आगे होकर पुलिस अधीक्षक और टीम के अन्य सदस्यों का मार्गदर्शन कर रहे थे।

थीरु एफ एम हुसैन वेश बदल कर सादे कपड़ों में 22.30 बजे मुख्य मिलन स्थान (आर वी) पर पहुंचे। इन्होंने अपनी तीन टीमों को एम्बुलैंस रुकने के स्थान पर तैनात किया, एक टीम को विद्यालय भवन के ऊपर, एक टीम को मोबाइल बंकर लौरी पर और एक टीम को उसी लोरी के पीछे इमली के पेड़ के नीचे तैनात कर दिया। उन्होंने स्वयं मोबाइल बंकर लौरी के आगे कवर ले ली जिससे जब एम्बुलैंस, मोबाइल बंकर के पास रुके तो वे बिजली की गति से

कार्रवाई करके उप निरीक्षक वैल्लादूरई को एम्बुलैंस से बाहर निकालकर निर्धारित सुरक्षित स्थान पर पहुंचा सके। योजनानुसार उप निरीक्षक वैल्लादुरई एम्बुलैंस से कूद पड़े। थीरु एफ एम हुसैन ने उनको बाहों में ले लिया और उन्हें तेजी से कवर की सुरक्षा में ले गए। पुलिस अधीक्षक द्वारा सार्वजनिक घोषणा प्रणाली पर वीरप्पन गैंग को आत्मसमर्पण करने के लिए भी कहा गया लेकिन एम्बुलैंस के अंदर बैठे व्यक्तियों ने इसका जवाब गोलीबारी करके दिया। गैंग द्वारा एम्बुलैंस के अंदर से थीरु एफ एम हुसैन पर गोलीबारी की गई। उनके पेट के दाएं हिस्से में छर्रों से चोटें आई। उन्होंने जवाबी गोलीबारी की और सड़क के दूसरी तरफ जाने के लिए अपना मोर्चा छोड़ दिया। ये इमली के पेड़ के पीछे टीम में शामिल हो गये। कुछ ही मिनटों में गोलीबारी रुक गई और थीरु हुसैन हमले का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार होकर एम्बुलैंस के अंदर कूद गए। चूंकि घायलों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर इन्होंने घायल व्यक्तियों के हथियार छीन लिए और वन दस्यु वीरप्पन और उसके तीन साथियों की पहचान कर ली। घावों से बहते खून की परवाह न करते हुए इन्होंने शीघ्रता और युक्तिपूर्वक कार्रवाई करते हुए अनुठे साहस का परिचय दिया। वाहन के कमांडर को बचाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका और अंततः एम्बुलैंस में घुसने की इनकी कार्रवाई उच्चतम बहादुरी का परिचायक है ।

थीरु एन. राजाराजन, अपनी टीम को पूरी तरह से छद्म-वेश में साथयामंगलम से धर्मपुरी लाए मानो यह टीम प्रशिक्षण ड्रिल पर हो। ये तयशुदा मिलन स्थान पर ठीक समय पर पहुंचे और शीघ्र ही व्यवस्थित हो गए। जब उस स्थान पर ऐंबुलैंस पहुंची तो थीरु. एन. राजाराजन और इनकी टीम ने वन दस्यु वीरप्पन और उसके सहयोगियों के विरुद्व आगे की कार्रवाई की गति तेज कर दी। मुठभेड़ में थीरु एन. राजाराजन ने वीरता का परिचय दिया। इनका जीवन निश्चित जोखिम में था लेकिन इसकी अनदेखी करते हुए इन्होंने एस टी एफ दल को बचाया। इन्होंने कवर फायर कर सहायता प्रदान की और अपने जीवन को जोखिम में डालते हुए निकट से जवाबी गोलीबारी की। जब दोनों ओर से गोलीबारी रुक गई तो ये ऐंबुलैंस में गए और गंभीर रुप से घायल वीरप्पन और उसके सहयोगियों से हथियार निकाल दिए। इन्होंने आपरेशन में साहसिक और निर्णायक भूमिका निभाई।

थीरु एन.के. सेंथामराइ कन्नान, भा.पु.से. को वन दस्यु वीरप्पन के विरुद्व आपरेशन में मुख्य भूमिका सौंपी गई थी। इन्होंने वीरप्पन के महत्वपूर्ण सूत्र को एस टी एफ के विश्वसनीय मुखबिर के रुप में सफलतापूर्वक परिवर्तित किया। यद्यपि यह महत्वपूर्ण संपर्क सूत्र था, वस्तुतः इन्होंने पिछले आठ महीनों से धर्मपुरी के वनों में गैंग की वास्तविक गतिविधि पर नजर रखी हुई थी और चालाकी से काम लिया था। इन्होंने वीरप्पन के कई महत्वपूर्ण सूत्रों को एस टी एफ की तरफ किया और वीरप्पन को वन से बाहर आने के लिए उसे सफलतापूर्वक प्रलोभन दिया। थीरु. एन.के. सेंथामराइ कन्नान प्रलोभन दे कर न केवल वीरप्पन और उसके गैंग के तीन सदस्यों को पूर्व-निर्धारित मिलन स्थल तक लाने में सफल हुए बल्कि इन्होंने आगे भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अभियान के दिन 18 अक्तूबर, 2004 को वीरप्पन गैंग के साथ नजदीकी मुठभेड़ में, जो लगभग 20 मिनट तक चली, इन्होंने स्वयं असॉल्ट टीमों का नेतृत्व किया और अपने जीवन को गंभीर खतरे में डाल कर गोलीबारी नियंत्रित करने और टीम तैनाती का समन्वय करने में प्रमुख भूमिका निभाई। निकट के स्कूल की छत के ऊपर से सार्वजनिक घोषणा प्रणाली पर गैंग को आत्मसमर्पण करने की चेतावनी देने के बाद इन्होंने गैंग के विद्रोही सदस्यों, जिन्होंनें स्कूल की ओर गोलीबारी शुरु कर दी थी, पर गोलीबारी कर दी। एक बार फिर ये उतर कर उस स्थल की ओर गए जहां विशेष कार्य बल के प्रमुख थे और बिजली की गति से लगातार आगे की कार्रवाई का समन्वय किया तथा प्रभावी जवाबी गोलीबारी की। इनकी बुद्धिमत्तापूर्ण तैनाती और सतर्क योजना के परिणामस्वरुप यह आपरेशन सफल हुआ जिसमें एस टी एफ का कोई कार्मिक गंभीर रुप से घायल नहीं हुआ। इनकी निर्भीक कार्रवाई, धैर्य और संकल्प असाधारण स्वरुप के हैं और प्रेरक हैं।

थीरु एस. वैल्लादुरई ने वीरप्पन और उसके गैंग को ऐंबुलैंस वाहन में निर्दिष्ट स्थल तक लाने में असाधारण साहस का परिचय दिया। पूर्व-निर्धारित स्थल तक वाहन लाने के बाद थीरु वैल्लादुरई ने वाहन छोड़ दिया और तेजी से सुरक्षित स्थान पर चले गए। जब गैंग ने आत्मसमर्पण आदेश नहीं माना और गोलियों की बौछार कर दी तो ये टीम को निकट ही सुरक्षित स्थान पर ले गए। इन्होंने बंकर लॉरी के सामने मोर्चा लेकर स्वयं भी गोलीबारी शुरु कर दी। गोलीबारी और जवाबी गोलीबारी के हृदय की गति रोकने वाले उन क्षणों में ये ऐंबुलैंस के बांये से सामने आ कर नजदीकी टीम का मार्गदर्शन कर रहे थे और यह सुनिश्चित कर रहे थे कि वह गैंग इन्हें कोई बेवजह क्षति न पहुंचाने पाए या बच कर भागने की कोशिश न करे। इस अभियान में अंतर्निहित अत्यधिक जोखिम से पूरी तरह से वाकिफ होने पर भी ये अत्यंत खतरनाक गैंग को यहां तक लाए थे। इन्होंने वन दस्यु वीरप्पन और उसके साथियों के सामने अपने निर्भीक रवैये और अनुकरणीय साहस का परिचय दिया। थीरु वी. श्रवणन, उप निरीक्षक, धर्मपुरी जिला, को पुलिस वाहन को ऐंबुलैंस में बदलने का काम सौंपा गया था। वीरप्पन गैंग को लाने के लिए ऐंबुलैंस वाहन चलाने के खतरनाक और नाजुक कार्य करने के लिए ये स्वंय आगे आए। छोटी सी गलती का मतलब निश्चित मौत थी। ये खतरनाक गैंग के साथ वाहन चला रहे थे और इन्होंने आपरेशन क्षेत्र में पाप्परापट्टी गांव में वह वाहन खड़ा किया। इसके बाद वे तुरंत वाहन से उतरे और सुरक्षित स्थान में चले गए। इसके बाद इन्होंने जवाबी गोलीबारी करके आपरेशन में भाग लिया। जब ये वाहन में ड्राइवर की सीट पर बैठे थे और इसके बाद जब ये वाहन से बाहर आकर अपने साथियों के साथ मिल कर गैंग से लड़ाई लड़ रहे थे तो दोनों ही दशाओं में इन्हें जोखिम की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी।

थीरु वी. कुमारेसन, हैड कांस्टेबल, 1619 को आपरेशन से तीन दिन पहले धर्मपुरी जिले के पाप्परापट्टी गांव में तैनात किया गया था। इन्होंने गांव के लोगों पर पैनी नजर रखे हुई थी और आपरेशन कोकून से संबंधित महत्वपूर्ण आसूचना एकत्र की। इन्होंने विभिन्न सड़कों, उनके चिह्न आदि के बारे में महत्वपूर्ण सूचना पहुंचाई। एस टी एफ प्रमुख और पुलिस अधीक्षक के साथ आपरेशन कोकून का ब्लू प्रिंट तैयार करने में इनकी मुख्य भूमिका थी। 18.10.2004 की रात को इन्होंने ऐंबुलैंस के अंदर गैंग के सदस्यों की गतिविधि और संभावित संख्या के बारे में एस टी एफ टीम को सूचित किया। इस प्रकार इन्होंने योजना निष्पादित करने के लिए महत्वपूर्ण सूचना प्रदान की। इनके द्वारा लिया गया जोखिम, हर पल इनके जीवन को गंभीर खतरा था। वे ऐंबुलैंस के पीछे-पीछे गए और खतरे को दरकिनार करते हुए शीघ्र ही आपरेशन स्थल पर पहुंच गए। ये उत्साह के साथ खतरे के क्षेत्र में निरंतर रुप से कार्य कर रहे थे और अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर पर इन्होंने गोलीबारी करके टीम की सहायता की। इन्होंने गैंग को बच कर नहीं जाने दिया। इन्होंने प्रभावी जवाबी गोलीबारी भी की और बाद में उस समय चतुराईपूर्ण कवर भी प्रदान किया जब एस टी एफ अधिकारी ऐंबुलैंस में घुसे।

की गई बरामदगी :-

(i)	ए के-47 राइफल	-	2
(ii)	एस एल आर राइफल	-	1 नग
(iii)	12 बोर गन	-	1 नग
(iv)	ए के-47 अतिरिक्त मैगजीन	-	1 नग
(v)	ए के-47 राउंद	-	90 नग
(vi)	एस एल आर राउंद	-	82 नग

(vii)	12 बोर के कारतूस	-	25 नग
(viii)	ग्रेनेड	-	3 नग
(ix)	नकद	-	5,48,293रुपये

और कपड़ों, जेवरों, इलैक्ट्रोनिक सामान इत्यादि की 186 मदें गैंग से जब्त की गई।

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री थीरु के विजय कुमार, भा.पु.से., अपर महानिदेशक, थीरु एफ एम हुसैन, पुलिस उपाधीक्षक, थीरु एन के संथामराई कान्नान, पुलिस अधीक्षक, थीरु एन. राजाराजन, निरीक्षक, एस. वैल्लादूरई, उप निरीक्षक, एम. श्रवणन, ग्रेड-I और वी. कुमारेसन, ग्रेड-II ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, राष्ट्रपति के पुलिस पदक/पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 18 अक्तूबर, 2004 से दिया जाएगा।

(बरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 172 - प्रेज/2005-राष्ट्रपति, त्रिपुरा पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री तिमिर दास
उप पुलिस अधीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

13.7.2004 को लगभग 0945 बजे, श्री तिमिर दास, एस डी पी ओ को सुमंतापाड़ा के नजदीक जंगल में शस्त्रों से पूरी तरह से लैस ए टी टी एफ ग्रुप के 18-20 सदस्यों की उपस्थिति के संबंध में एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए, श्री तिमिर दास, ओ सी, चंपाहोर पी एस, के एच डब्यू पी एस के ए एस आई डी. रुद्रपाल और 16 टी एस आर कर्मी एक्स-छोदई पी एस, सुमंतापाड़ा के लिए रवाना हुए। लगभग 1045 बजे, जब वे तुलाशिखर टी एस आर कैंप पहुँचे तब इन्होंने और ज्यादा बल एकत्र करने का प्रयास किया चूंकि उनके साथ उपस्थित कर्मियों की संख्या शस्त्रों से पूरी तरह से लैस ए टी टी एफ के इतने बड़े ग्रुप के विरुद्ध अभियान चलाने के लिए पर्याप्त नहीं थी। तथापि, चूंकि पार्टियां तुलाशिखर कैंप से एक और ऑपरेशन चलाने के लिए चल पड़ी थीं और इसलिए उन्हें और ज्यादा बल कर्मी नहीं मिल सके। अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा के परिणामों की चिंता किए बगैर, श्री तिमिर दास अपने उपलबध बल के साथ, अतिवादियों को हैरत में डालने की दृष्टि से सामान्य मार्ग की बजाय

पगडंडी के रास्ते सुमंतापाड़ा की ओर चल पड़े। लगभग 1450 बजे वे गांवों से होकर न गुजरते हुए विपरीत दिशा से पगडंडी के रास्ते अतिवादी ग्रुप के संभावित छिपने के अड्डे के निकट पहुँचे। ऑपरेशन पार्टी ने उपलब्ध फायर कवर का इस्तेमाल करते हुए पहाड़ी के ऊपरी हिस्से पर पोजीशन ले ली। कुछ समय प्रतीक्षा करने के पश्चात इन्होंने गांव में असामान्य हलचल देखी और वे चौकन्ने हो गए। लगभग 45 मिनट के पश्चात, ऑपरेशनल पार्टी को अगली पहाड़ी के ऊपरी हिस्से पर एक अतिवादी ग्रुप की मौजूदगी की पुष्टि हो गई। लगभग 1525 बजे इन्होंने चार अतिवादियों को अधुनातन हथियारों के साथ पहाड़ी से नीचे उतरते देखा। अतिवादियों के ग्रुप ने ऑपरेशनल पार्टी को देख लिया और उन्होंने तत्काल ऑपरेशनल पार्टी को लक्ष्य करके अपने निजी हथियारों से गोलीबारी शुरु कर दी। श्री तिमिर दास अपनी जान और व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए रेंगते हुए आगे बढ़े और एक पेड़ के तने के पीछे पोजीशन लेकर इन्होंने अतिवादियों को लक्ष्य करके अपने व्यक्तिगत हथियार से जवाबी गोलीबारी की। उस समय तक, पहाड़ी के ऊपरी हिस्से पर छिपे हुए अतिवादी ग्रुप ने भी ऑपरेशन पार्टी पर गोलीबारी शुरु कर दी। गोलीबारी लगभग 30 मिनट तक जारी रही, उसके पश्चात अतिवादी ग्रुप घने जंगल की आड़ का लाभ उठाकर भाग खड़ा हुआ। गोलीबारी रुकने के लगभग 15 मिनट पश्चात, ऑपरेशन पार्टी ने उस क्षेत्र की संपूर्ण तलाशी ली। ऑपरेशन पार्टी को अन्य अभिशंसी वस्तुओं के साथ-साथ दो ए के श्रृंखला की राइफलें, तीन ए के श्रृंखला की मैगजीन और ए के श्रृंखला के गोलाबारुद के इकहत्तर राउंड बरामद किए। अज्ञात ए टी टी एफ अतिवादी ग्रुप के एक सदस्य का शव भी बरामद किया गया।

इस मुठभेड़ में, श्री तिमिर दास, उप पुलिस अधीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 13 जुलाई, 2004 से दिया जाएगा ।

बरुण मित्रा

(बरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 173 - प्रेज/2005-राष्ट्रपति, त्रिपुरा पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री सरुता रंजन देबबर्मा (मरणोपरांत)
उप निरीक्षक (यू बी)

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

22.8.2004 को 0005 बजे ओ/सी पी एस को गुप्त स्रोत से सूचना मिली कि एन एल एफ टी (बी एम) ग्रुप के लगभग 15/16 अतिवादियों का एक ग्रुप, एन एल एफ टी (बी एन) अतिवादी ग्रुप के सहयोगी (कॉलेबोरेटर), प्रकाश सरदपाड़ा-पी/एस टकरजला के समपराई देबबर्मा के पुत्र उत्तम देबबर्मा के साथ अमरेन्द्र नगर-टकरजला रोड पर जीप के ड्राइवर और सवारियों का अपहरण करने की मंशा से पैलाभंगा और जंगालिया के बीच कुछ अज्ञात स्थानों पर ठहरे हुए हैं। इस सूचना के आधार पर, एस डी पी ओ बी एल जी श्री माणिक दास, एस आई प्रणब सेनगुप्ता ओ/सी टी के जे पी एस, टी के जे पी एस के उप निरीक्षक सरुता रंजन देबबर्मा, छठी ए/आर भूतपूर्व - टी के जे के मेजर अमर सिंह क्वात्रा और असम राइफल स्टाफ की एक टुकड़ी ने गमन बाजार और पैलाभंगा क्षेत्र में एक अभियान चलाने की योजना बनाई। योजना के अनुसार, ऑपरेशन पार्टी ने जंगालिया पाड़ा में घात लगाई और प्रातः तक अतिवादी ग्रुप की प्रतीक्षा की। 22.8.04 की सुबह, ऑपरेशन पार्टी को पुनः एक और सूचना प्राप्त हुई कि अतिवादी ग्रुप इस समय पी एस से दक्षिण की ओर लगभग 5 कि.मी. की दूरी पर टकरजला पी एस के अंतर्गत पैलाभंगा में ठहरा हुआ है। तदनुसार, एस डी पी ओ बी एल जी, टी के जे पी/एस के उप निरीक्षक सरुता रंजन देबबर्मा, छठी असम राइफल्स के मेजर अमर सिंह क्वात्रा और छठी असम राइफल्स, भूतपूर्व टी के जे कैंप के दो अन्य असम राइफल्स कर्मियों को साथ लेकर तीन सिविल जीपों में सवार होकर अमरेन्द्र नगर से पैलाभंगा की ओर चल दिए। लगभग 0815 बजे, उपर्युक्त वाहन पैलाभंगा पहुँचे और उस समय नागरिक के भेष में अतिवादियों में से एक ने पहली जीप सं. टी आर 01-ए-3083 को रोकने का संकेत दिया और तत्काल कार्रवाई करते हुए एस डी पी ओ बी एल जी, ओ/सी पी/एस और मेजर क्वात्रा अतिवादी को पकड़ने हेतु उस पर कूद पड़े। जब ऑपरेशन पार्टी अतिवादी के साथ हाथापाई में उलझी हुई थी, तभी सड़क के किनारे जंगल में छिपे हुए अतिवादी ग्रुप ने इनको लक्ष्य करके अंधाधुंध गोलीबारी शुरु कर दी। ऑपरेशन पार्टी ने भी अपने निजी हथियारों से जवाबी गोलीबारी शुरु कर दी। उसी समय, उप निरीक्षक सरुत रंजन देबबर्मा जो दूसरी जीप में थे, अपनी जीप से तत्काल कूदे और अतिवादी ग्रुप को लक्ष्य करके अपने हथियार से उन पर गोलीबारी शुरु कर दी। वे अपनी जान की बाजी लगाकर अतिवादियों की भारी गोलीबारी की जद में आए अपने वरिष्ठ अधिकारियों की जान बचाने हेतु आगे आए। इसी बीच, अतिवादियों में से एक ने अपने स्वचालित हथियार से उप निरीक्षक सरुता रंजन देबबर्मा को लक्ष्य करके गोली चला दी जिसके कारण उप निरीक्षक सरुता रंजन देबबर्मा गोली लगने से जख्मी हो गए और तत्पश्चात उन्होंने दम तोड़ दिया। आपसी गोलीबारी लगभग 20 मिनट तक चलती रही। इसके पश्चात, अतिवादियों ने घने जंगल की आड़ लेते हुए पीछे हटना शुरु कर दिया। मुठभेड़ के पश्चात ऑपरेशन पार्टी ने स्थल की पूर्ण रुप से तलाशी ली और गोलियों से घायल अज्ञात अतिवादी का 1(एक) शव बरामद किया। उस जगह से 1(एक) ए के-56 राइफल, 3 (तीन) मैगाजीन, 72 (बहत्तर) राउंद, ए के-राइफल के 8(आठ) खाली केस और .38 " पिस्तौल के इस्तेमाल किए गए गोलाबारुद के 5(पांच) खाली केस बरामद किए गए।

इस मुठभेड़ में, (दिवंगत)श्री सरुता रंजन देबबर्मा, उप निरीक्षक (यू बी) ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 22 अगस्त, 2004 से दिया जाएगा ।

(बरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 174 - प्रेज/2005-राष्ट्रपति, त्रिपुरा पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री पिनाकी सामंता ,
सहायक कमांडेट

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

31.07.04 को 9 बजे के लगभग श्री सामंता को अपने गुप्त सूत्रों से सूचना मिली कि 15/16 अतिवादियों (जिनका ए टी टी एफ के होने का संदेह था) का एक ग्रुप, कल्याणपुर पुलिस स्टेशन के अन्तर्गत वांडरलोंग गांव में और इसके आस -पास घूम रहा है। इन्होंने तत्काल कार्रवाई की और अपने कैम्प तुलसीखर से दक्षिणी-पश्चिम में लगभग 18 किमी वांडरलोग गांव की ओर रवाना हो गए।सड़क की स्थिति बहुत खराब थी और वहां पर अधिकतर घात, सुरगें और आई ई डी लगी होती थी । अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की बिल्कुल भी चिन्ता किए बगैर ये उपलब्ध केवल एक गैर बुलेट-प्रुफ जिप्सी के साथ वांडरलोंग गांव के लिए निकल पड़े। इन्होंने टेलिफोन पर अपने अपने उच्च अधिकारियों को सूचना दी तथा तलाशी और घात लगाने लिए अपने साथ मात्र छः टी एस आर कार्मिकों को लेकर इन्होंने अभियान शुरु कर दिया। इसी बीच कमांडेंट ने समीप के गांव दुललिया और अकराबारी (दोनों वांडरलोंग गांव से लगभग 4 किमी दूर है) में नाका स्थापित करके इनकी पार्टी को तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए एस डी पी ओ (खोवई) को सूचित करने के अलावा रामचन्द्र घाट और अम्पूरा स्थित पास के टी एस आर कैम्पों को आदेश दिए। आस पास के क्षेत्र की गहन तलाशी के बाद, श्री सामंता ने वांडरलोंग गांव में घात लगाने का निर्णय लिया। घात पार्टी का स्काउट-1 होने के नाते जब श्री सामंता , अतिवादी ग्रुप की घात में प्रवेश करने की प्रतिक्षा कर रहे थे तो इन्होंने वांडरलोंग के एक छोर की तरफ एक व्यक्ति को आते देखा जो एक अपरिचित लड़की के साथ बातचीत करने लगा। श्री सामंता उनसे पूछताछ करने के लिए अपने प्रारम्भिक मोर्चे से रेंगते हुए और गोलीबारी की उपलब्ध प्राकृतिक कवर का फायदा उठाते हुए आगे बढ़े। जैसे ही वे उनके पास पहुचे और उन्हें ललकारा, अचानक पास के जंगलों में छिपे उग्रवादियों ने ए के - 47, एस एल आर आदि जैसे अत्याधुनिक हथियारों से अंधाधुंध गोलीबारी शुरु कर दी।

भाग्यवश, श्री सामंता को गोली नहीं लगी और इन्होंने तत्काल जवाब में गोली चलाई और अपने कार्मिकों को उग्रवादियों की गोलीबारी से बचाने तथा उन पर प्रभावपूर्ण गोलीबारी करने हेतु अपने कार्मिकों को सुविधापूर्ण स्थिति उपलब्ध कराने के लिए निडरता से लगातार जवाबी गोलीबारी की जिसके परिणामास्वरुप उग्रवादियों को गांव के उस कोने में पनाह लेने के लिए विवश होना पड़ा जहां अभियान पार्टी के अन्य सदस्यों ने, जो पहले से ही वहां मोर्चा संभाले हुए थे, इन पर गोली चलाई। श्री सामंता ने 10 राउंद गोलियां चलाई जो पूरी तरह नियंत्रित और कारगर थी। गोलीबारी समाप्त होने के पश्चात अभियान पार्टी ने आसपास के जंगल क्षेत्र की तलाशी ली और 7-62 एम एम एस एल आर की एक मैगजीन, जिसमें 4 जीवित राउंद थे, और उग्रवादियों द्वारा चलाए गए कारतूसों के कुछ खाली केस और 5565 रुपए केवल बरामद किए। अज्ञात विद्रोही का एक शव, जिसकी पहचान बाद में अशोक देव बर्मा उर्फ सरुआ, उर्फ गुमसा, उर्फ ए टी टी एफ के स्वयंभू सार्जेंट पीटर देव बर्मा सिधई पुलिस स्टेशन के अन्तर्गत दैगोबारी के रमेश देव वर्मा के पुत्र के रुप में की गई । वह ए टी टी एफ का खुंखार क्षेत्रीय कमांडर था तथा आई ई डी विशेषज्ञ था । सड़क के किनारे घास -पत्तियों पर खून के धब्बे भी देखें गए जिनसे पता चलता है कि कुछ अन्य उग्रवादी भी घायल हुए थे लेकिन वे भागने में सफल हो गए। श्री सामंता की उत्कृष्ट वीरता और त्वरित कार्रवाई के कारण ही उग्रवादियों को पार्टी पर हावी होने और लाभप्रद पोजीशन संभालने तथा किसी को हताहत करने से पहले ही अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा ।

इस मुठभेड़ में, श्री पिनाकी सामंता, सहायक कमांडेंट ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 31 जुलाई, 2004 से दिया जाएगा ।

वरुण मित्रा

(वरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 175 – प्रेज/2005-राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री,

1. अखिल कुमार,
   पुलिस अधीक्षक
2. गंगा नारायण मिश्रा
   पुलिस उपाधीक्षक
3. विनोद कुमार श्रीवास्तव,
   निरीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

27.05.2003 को तड़के , श्री अखिल कुमार के नेतृत्व में पुलिस पार्टी का संतू लोध के सशस्त्रों से पूरी तर सज्जित गिरोह के साथ भीषण मुकाबला हुआ, जिसके परिणामस्वरुप आतंक के पर्याय संतू लोध और उसके एक साथी का खत्मा हो गया।मुठभेड़ के दौरान श्री अखिल कुमार, एस पी बांदा सौभाग्य से बच गए क्योंकि दो गोलियां उनके सीने में लगी । ये अवश्यंभावी मौत से बच गए क्योंकि इन्होंने बुलैट-प्रुफ जैकेट पहनी हुई थी। गोली लगने से भी वह घबराए नहीं। वह अदम्य साहस और वीरता के साथ अपने कर्मियों का मार्गदर्शन करते रहे और उन्हें प्रोत्साहित करते रहे। इसी बीच, पुलिस उपाधीक्षक श्री गंगा नारायण मिश्रा और निरीक्षक श्री वी के श्रीवास्तव, तमाम विषम परिस्थितियों के बावजूद एक आदमी से दूसरे के पास जा - जाकर उन्हें प्रेरित करते रहे। इस कार्रवाई में, इन्होंने अपने जीवन को भारी जोखिम में डाल दिया क्योंकि गोलियां लगातार इनके सिर के ऊपर से चल रही थी। अंधेरी रात में हुई इस मुठभेड़ में दुर्दान्त अपराधी संतू लोध और उसका नजदीकी सहयोगी लक्खु मारे गए। यह परिपूर्ण पुलिस योजना , रणनीति और समन्वय का एक उदारण था जिसमें पुलिस पार्टी द्वारा उस समय अत्यधिक संयम दिखाया जब उन पर भारी खतरा मंडरा रहा था।

इस मुठभेड़ में, श्री सर्व/ श्री अखिल कुमार, पुलिस अधीक्षक, गंगा नारायण मिश्रा, पुलिस उपाधीक्षक और विनोद कुमार श्रीवास्तव, निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 27 मई, 2003 से दिया जाएगा ।

(बरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 176 - प्रेज/2005-राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. अनंत देव,
   अपर पुलिस अधीक्षक
2. अनिल कुमार सिंह,
   प्लाटून कमांडर

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक दुर्दान्त अपराधी अशोक कुमार उर्फ शूटर पर पुलिस महानिरीक्षक वाराणसी ने 10,000 रुपये का नकद इनाम रखा हुआ था। वह अनुबंधित हत्याओं और फिरौती के लिए कुख्यात था, फिर भी उसके कुकृत्यों ने लोगों में इतना भय और आतंक पैदा कर दिया था कि लाखों रुपये लुटाने के बाद भी किसी ने पुलिस के पास अधिकारिक शिकायत दर्ज कराने की हिम्मत नहीं की। अशोक सिंह उर्फ शूटर और उसके साथी जगदम्बा सिंह, जिन पर लूटमार और हत्या इत्यादि के 17 मामले थे और अपर पुलिस अधीक्षक अनंत देव, प्लाटून कमांडर (पीसी) अनिल कुमार सिंह एवं कुछ अन्य के नेतृत्व वाली एस टी एफ की टीम के बीच एक दुःसाहसी और खूनी मुठभेड़ हुई। 5.7.2001 को पूर्वाह्न 6 बजे के लगभग लखनऊ में गुदम्बा रोड गांव रसूलपुर के नजदीक पिकनिक स्थल जहां सैर करने के लिए मुख्यतः धनी और प्रभावशाली व्यक्ति ही जाते हैं, पर सुबह-सुबह सनसनीखेज अपराध करने के इरादे से दो गुण्डे इकट्ठा हुए थे। पुलिस पार्टी ने दोनों गुन्डों को पहचान लिया और अनंत देव ने उन्हें आत्मसमर्पण के लिए कहा। अनंत देव के कहने पर समर्पण करने के बजाए, गुंडो ने पुलिस वालों को मारने के इरादे से काफी निकट से गोलीबारी शुरु की। अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की तनिक भी परवाह न करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक अनंत देव और प्लाटून कमांडर अनिल कुमार सिंह ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए त्वरित कार्रवाई की और गुंडों पर गोलीबारी करते हुए उनका पीछा किया। जब गुन्डों को समर्पण करवाने के सभी प्रयास विफल हो गए, तब पुलिस पार्टी ने रणनीतिक रुप से और प्रभावपूर्ण जवाबी में जवाबी गोलीबारी की। दोनों गुण्डे गम्भीर रुप से घायल हो गए और उन्हें तुरंत चिकित्सा सहायता के लिए अस्पताल ले जाया गया परन्तु ड्यूटी पर तैनात डाक्टरो ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनसे एक .38 बोर और .32 बोर के दो रिवाल्वरों के साथ बड़ी मात्रा में गोलबारुद बरामद किया गया।

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री अनंत देव, अपर पुलिस अधीक्षक, अनिल कमार सिंह, प्लाटून कमांडर ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 5 जुलाई, 2001 से दिया जाएगा ।

वरुण मित्रा

(बरूण मित्रा)

निदेशक

सं0 177 - प्रेज/2005-राष्ट्रपति, उत्तर पदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. दलजीत सिंह चौधरी,
   वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
2. दिनेश कुमार यादव,
   उप निरीक्षक
3. राम कुमार यादव,
   कांस्टेबल
4. राजेन्द्र सिंह,
   कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

05.03. 2005 को 14.15 बजे दलजीत सिंह चौधरी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एस एस पी) इटावा, विश्वसनीय सूचना पर अपने धावा दल का नेतृत्व करते हुए जिला औरिया के पुलिस स्टेशन अजीत मल के कार्यक्षेत्र में पड़ने वाली गौहानी और जाजपुर की घाटियों में पहुंचे, जहां राजन गुर्जर गैंग रुका हुआ था। एस एस पी की धावा पार्टी में उपनिरीक्षक दिनेश कुमार यादव , कांस्टेबल रामकुमार और राजेन्द्र सिंह शामिल थे। योजना के अनुसरण में, भागने के रास्तों को रोकने के लिए नाका पार्टियों को रणनीतिक रुप से तैनात किया गया। एस ओ जी टीम के सदस्यों द्वारा धावा पार्टी को कवर प्रदान किया गया। तथापि, गैंग ने पुलिस पार्टी को पहाड़ी पर चढ़ते हुए देख लिया तथा एस एस पी को मारने के लिए उन पर गोली चलाई। एस एस पी ने अत्यधिक साहस के साथ गैंग को चुनौती दी परन्तु उसके जबाव में उन्होंने गोलियों की बौछार की जो इनकी बुलैट प्रुफ जैकेट पर लगी तथा वे बाल-बाल बचे। धावा पार्टी ने आत्मसुरक्षा में सुविचारित हमला बोला परन्तु इसी बीच बदमाशों ने गोलीबारी की और एक अपहृत व्यक्ति को घायल कर दिया जो पुलिस की ओर दौड़ रहा था। उसको तत्काल बचा लिया गया । गैंग में 20-25सदस्य थे जो हथियारों से पूरी तरह लैस थे उन्होंने पुनःसंगठित होकर होकर दोबारा मोर्चा संभाल लिया तथा अंधाधुंध गोलीबारी की। साहसी एस एस पी के नेतृत्व के अन्तर्गत पुलिस पार्टी ने अपनी जान को जोखिम में डालकर अनूठी वीरता और साहस के साथ निरन्तर कार्रवाई जारी रखी तथा पश्चिम में लगभग 500 गज की दूरी पर गैंग लीडर ने आमने-सामने की लड़ाई में एस एस पी को अपने आपको बचाने की चुनोती और इन्हें मारने की दृष्टि से इन पर गोलीबारी की। एस एस पी ने अपनी जान की परवाह किए बगैर और अपने कर्त्तव्य के प्रति सम्पूर्ण समर्पण और निष्ठा के साथ उत्कृष्ट पराक्रम और वीरता दिखाते हुए आत्मरक्षा में अपनी ए.के. 47 राइफल से गोलीबारी का जवाब दिया। गोलियां राजन को लगी और वह जमीन पर गिर पड़ा। लवली पाण्डेय ने कांस्टेबल राम कुमार यादव और कांस्टेबल राजेन्द्र सिंह पर गोली चलाना शुरु कर दिया तथा इन्होंने भी आत्मरक्षा में गोलियां चलाई जिसके कारण वह गिर पड़ी। राजन के एक सहयोगी ने उपनिरीक्षक दिनेश कुमार यादव को मारने के लिए गोली चलाई लेकिन इन्होंने भी स्वयं को बचाने के पश्चात आत्मरक्षा में गोलियां चलाई जिसके परिणामस्वरुप गैंग का सदस्य शांत हो गया। एस ओ जी की टीम ने भागते हुए डकैतों का पीछा किया तथा उनमें से एक को घायल कर दिया

जिसकी बाद में मृत्यु हो गई। इस तरह दिन दहाड़े हुई आमने-सामने की मुठभेड़, जो कि लगभग 2 घंटे तक चली , के परिणामस्वरुप अन्तर्राज्यीय गैंग का मुखिया राजन गुर्जर और उसके तीन दुर्दान्त सदस्य मारे गए। बुलैट प्रुफ जैकटों के कारण एस एस पी और इनकी पार्टी घायल होने से बच गई। बाद में इन अपरीचित अपराधियों की पहचान मुन्ना सिंह भदूरिया पुत्र मछाल सिंह, निवासी गांव गरिहामालु सिंह पुलिस स्टेशन बधपुरा जिला इटावा तथा योगेन्द्र मल्ला उर्फ यादव पुत्र श्री राम, निवासी मन्दरियांव मल्ला अंडावा पुलिस स्टेशन बकवार,जिला इटावा के रुप में की गई। मुठभेड़ के बाद निम्नलिखित बरामदगियां की गईः-

(1) एक सेमी ऑटोमेटिक राइफल, यूएस निर्मित स्प्रिग फिल्ड, .306 केलीबर (फैक्ट्री निर्मित)
(2) दो बोल्ट एक्शन राइफल, .303 केलीबर, मार्क 3 (फैक्ट्री निर्मित)
(3) एक वोल्ट एक्शन राइफल, .315 केलीबर (फैक्ट्री निर्मित)
(4).306 केलीबर, 226 राउंद और दो खाली खोल
(5) .303 केलीबर, 100 जीवित राउंद, 14 नष्ट हुए राउंद और 05 खाली खोल
(6) .315 केलीबर, 235 जीवित राउंद 03 खाली खोल।
(7) 512243/- रुपये मात्र(पांच लाख बारह हजार दो सौ तैंतालीस रुपये मात्र)
(8) बहुत से स्वर्ण आभूषण, लैटर पेड और दैनिक प्रयोग की सामग्री।
(9) एक अपहृत व्यक्ति अंकूर, 12 वर्ष।

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री दलजीत सिंह चौधरी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, दिनेश कुमार यादव, उप-निरीक्षक, राम कुमार यादव, कांस्टेबल और राजेन्द्र सिंह, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 5मार्च, 2005 से दिया जाएगा ।

वरुण मित्रा

(बरूण मित्रा)

निदेशक

सं0 178 - प्रेज/2005-राष्ट्रपति, उत्तरांचल पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

1.श्री महेश चन्द्र यादव,
कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

श्री महेश चन्द्र, कांस्टेबल, पुलिस स्टेशन विकास नगर, जिला देहरादून, 6-7जून, 2003 के बीच की रात को डाकपत्थर रोड (विकासनगर) पर रंगरुट कांस्टेबल महेन्द्र कुमार के साथ पिकेट डयूटी पर था, जब श्रीमती कमला देवी ने उन्हें सूचित किया कि उसके घर में चोरी हुई । वह रंगरुट कांस्टेबल महेन्द्र कुमार के साथ मौके पर गए और इन्होंने भागते हुए संदिग्ध व्यक्ति का पीछा किया जो एक घर के अन्दर घुस गया। जब कांस्टेबल महेश चन्द्र घर की सीढ़ियां चढ़ रहे थे तो इन पर गोलियां चलाई गई और एक गोली इनके कंधे के अन्दर घुस गई जिससे ये बुरी तरह घायल हो गए तथापि इन्होंने जवाबी गोलीबारी की और अपराधी को बचने का मौका नहीं दिया। इसी बीच, पुलिस कुमुक आ गई और आगे हुई गोलीबारी में अपराधी मारा गया। मृत अपराधी की पहचान सुरेश (कल्लू) के रुप में हुई। मृतक से .38 बोर की एक पिस्तौल बरामद हुई। पुलिस रिकार्ड के अनुसार मृत अपराधी पुलिस स्टेशन विकासनगर का हिस्ट्रीशीटर था। उसके विरुद्ध कुछ वर्षों पहले विकासनगर पुलिस स्टेशन द्वारा 10 अपराधिक मामलों में आरोप पत्र दाखिल किए गए थे।

इस मुठभेड़ में, श्री महेश चन्द्र यादव, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 7 जून, 2003 से दिया जाएगा ।

(बरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 179 - प्रेज/2005-राष्ट्रपति, उत्तरांचल पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री आर.बी.चमोला,
उप-निरीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

सतपाल और नेकपाल लूटपाट, हत्या ओर अपहरण सहित अनेक आपराधिक मामलों में वांछित थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने सतपाल पर 5000 रुपये का इनाम घोषित किया हुआ था। इन अपराधियों के बारे में सूचना मिलने पर, उप निरीक्षक श्री आर बी चमोला ने 5.6.2002 को 21.20 बजे गन्दीखाता जांच चौकी के पास वाहनों की जांच करनी शुरु की। उस समय एक मारुती कार पुलिस अवरोधक से टकराई और भाग रही थी। अचानक कार से पुलिस कार्मिकों पर गोलीबारी शुरु हुई और पुलिस ने भी आत्मरक्षा में जवाबी गोलीबारी की और अपराधियों को समर्पण के लिए कहा। गोलीबारी के दौरान, दो अपराधी घायल हो गए जिनकी पहचान बाद में सतपाल और नेकपाल के रुप में हुई। तथापि 2 अन्य अपराधी बच निकले। उनसे 2 सी एम पी 12 बोर, 13 जिन्दे और 9 दागे हुए कारतूस और एक मारुती कार (डी ए कयू 7439) बरामद हुई।

इस मुठभेड़ में, श्री आर बी चमोला, उपनिरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 5 जून, 2002 से दिया जाएगा ।

(बरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 180 - प्रेज/2005-राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. पी एम जीनगर,
   सहायक कमांडेट
2. संजय उपाध्याय,
   निरीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

गांव बरेनवार, जिला बड़गाम जम्मू और कश्मीर में एक आतंकवादी की उपस्थिति के संबंध में आसूचना जानकारी के आधार पर 29 फरवरी/1मार्च, 2004 के बीच की रात को बी एस एफ की 76वीं बटालियन की टुकड़ी द्वारा अभियान की योजना बनाई ओर अभियान शुरु किया। एक छोटी टीम जिसमें श्री पी एम जीनगर सहायक कमांडेंट और निरीक्षक (जी) संजय उपाध्याय शामिल थे, आधी रात को लक्षित गांव में घुसे, उस घर के पीछे गए और उग्रवादी की उपस्थिति की पुष्टि की। पार्टी, ऑपरेशन बेस में वापिस आयी और योजना की रुपरेखा बनाई। योजना के अनुसार, श्री जीनगर, ए सी की कमान में जवानों ने लगभग 02:30 बजे लक्षित घर की घेराबंदी कर ली और तलाशी अभियान शुरु किया। जब तलाशी अभियान मोहम्मद शबीर नजर के घर में चल रहा था, तो घर में छुपा हुआ उग्रवादी अपनी कवर से बाहर आया और तलाशी पार्टी पर गोलीबारी करते हुए बचने का हताशापूर्ण प्रयास किया । उग्रवादी की चाल को समझते हुए , श्री जीनगर, ए सी और श्री उपाध्याय, निरीक्षक ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए स्वयं उसके सामने आकर उग्रवादी को रोका। उग्रवादी ने पोजीशन ले ली और श्री जीनगर और श्री उपाध्याय पर गोलीबारी केन्द्रित की। तथापि, दोनों श्री जीनगर और उपाध्याय अपनी सुरक्षा और गोलीबारी की तनिक भी परवाह न करते हुए उसके मोर्चे के नजदीक पहुंच गए और नजदीकी लड़ाई में उसे मार गिराया। क्षेत्र की तलाशी लेने पर, चीन निर्मित एक पिस्तौल, एक वायरलैस सेट और गोलाबारुद सहित मृत उग्रवादी का शव बरामद हुआ। मृत आतंकवादी की पहचान अब्दूल रशीद खांडे (रेना) उर्प सुजाद कोड नाम फैजल पुत्र वली मोहम्मद रैना (खांडे) निवासी हसीपुरा, जिला बडगाम (जम्मू और कश्मीर) हिजबुल मुजाहिद्दीन (एच एम) गुट के दुर्दान्त बटालियन कमांडर के रुप में हुई।

इस मुठभेड़ में,सर्व/श्री पी एम जीनगर,सहायक कमांडेंट और संजय उपाध्याय, निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 1 मार्च, 2004 से दिया जाएगा ।

(बरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 181 प्रेज/2005-राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री जी.सुशीलन (मरणोपरात)
हैड कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

आम चुनाव , 2004 के अवसर पर आर-III सीमा सुरक्षा बल तदर्थ बटालियन गठित की गई थी । इस बटालियन को छत्तीसगढ में दांतेवाड़ा जिले के अत्याधिक नक्सली गतिविधि बहुल क्षेत्रों में ड्यूटी पर तैनात किया गया था। 19 अप्रैल, 2004 को स्थानीय पुलिस के तीन कार्मिकों के साथ एक अधिकारी और छत्तीस अन्य रैंकों की एक पार्टी को दुर्घटना मुक्त चुनाव सुनिश्चित करने हेतु गश्त लगाने और क्षेत्र प्रभुत्व स्थापित करने के लिए पुष्पक भेजा गया था। हैड कांस्टेबल जी. सुशीलन, स्काउट के रुप में सीमा सुरक्षा बल की एक टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे। जब गश्त लगाने वाला दल गुंडम गांव के निकट पहुंचा तो निकटवर्ती वन में छिपे नक्सलियों ने उक्त पार्टी पर आई ई डी विस्फोट किया और उसके बाद अंधाधुंध गोलीबारी कर दी जिसके परिणामस्वरुप हैड कांस्टेबल जी. सुशीलन, किरचे लगने से गंभीर रुप से घायल हो गए। लेकिन हैड कांस्टेबल जी. सुशीलन ने गंभीर रुप से घायल होने पर भी अद्वितीय साहस का परिचय दिया और सटीक जवाबी गोलीबारी की। उक्त हैड कांस्टेबल द्वारा प्रदर्शित साहसिक कृत्य से प्रेरित हो कर दूसरे कार्मिकों ने नक्सलियों को उलझाये रखा जिसके कारण उन्हें दुर्घटना स्थल से भागने पर मजबूर होना पड़ा । लेकिन घायलावस्था में ही हैड कांस्टेबल जी. सुशीलन की मृत्यु हो गयी। हैड कांस्टेबल जी. सुशीलन ने अपनी सुरक्षा की बिल्कुल भी परवाह किए बिना और गंभीर रुप से घायल होने के बावजूद जिस उच्चकोटि के साहस, धैर्य और दृढ निश्चय का परिचय दिया उसके परिणामस्वरुप अपने लोगों और सामान को भारी हानि/क्षति होनी से बच गई।

इस मुठभेड़ में (दिवंगत) श्री जी. सुशीलन , हैड कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 19 अप्रैल, 2004 से दिया जाएगा ।

बरुण मित्रा

(बरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 182 - प्रेज/2005-राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. आई.एस.राणा,
   कमांडेंट
2. जी.एच.खान,
   कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

बटनूर (बिस्मल) जिला पुलवामा, जम्मू और कश्मीर के सामान्य क्षेत्र के वनों में विदेशी उग्रवादियों की मौजूदगी के संबध में विशिष्ट सूचना पर कार्रवाई करते हुए श्री आई एस राणा, कमांडेंट, 120 बटालियन, सीमा सुरक्षा बल(बी एस एफ) ने योजना बनाई और 7 जून , 2004 को क्षेत्र में एक अभियान शुरु किया। योजना के अनुसार श्री आई एस राणा, कमान्डेंट के नेतृत्व में एक छोटी पार्टी लक्ष्यगत क्षेत्र की ओर बढ़ी। दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में पैदल चलने के बाद बिना किसी को पता चले यह पार्टी लक्ष्य क्षेत्र में पहुंची। जब यह पार्टी और आगे घने वन की ओर बढ़ रही थी तभी पत्तों के झुरमुटों में छिपे उग्रवादियों ने बी एस एफ की टुकड़ियों पर भारी गोलीबारी शुरु कर दी और इसके बाद ग्रेनेड फेंके । ग्रेनेडों में से एक ग्रेनेड श्री आई एस राणा, कमांडेंट और उनके साथी कांस्टेबल जी एच खान के निकट गिरा और फटा । लेकिन वे बाल-बाल बच गए। उग्रवादियों की गोलीबारी से घबराये बिना श्री राणा और उनकी पार्टी ने मोर्चा लिया और जवाबी गोलीबारी की । इसी बीच श्री राणा, कमांडेंट और कांस्टेबल जी एच खान ने असाधारण साहस का परिचय दिया और रेंगते हुए चुपके -चुपके आगे बढ़े। अचानक एक उग्रवादी छिपने की अपनी जगह से बाहर कूदा और उसने श्री राणा, कमांडेंट और कांस्टेबल खान पर अंधाधुंध गोलीबारी कर दी। लेकिन दोनों ने अपने होशो-हवास पर काबू रखते हुए फुर्ती से अपना मोर्चा संभाला, जवाबी गोलीबारी की और एक उग्रवादी को घायल करने में सफल हो गए। तथापि, घायल उग्रवादी एक पत्थर के पीछे मोर्चा संभालने में सफल हो गया और उसने दोनों पर गोलीबारी करनी जारी रखी। यद्यपि, पार्टी ने जवाबी गोलीबारी की थी लेकिन क्योंकि उग्रवादी खाई में सुरक्षित थे इसलिए यह प्रभावी नहीं हो सकी।उग्रवादी का सफाया करने के उद्देश्य से श्री राणा, कमांडेंट और कांस्टेबल जी. एच. खान अपनी सुरक्षा की बिल्कुल भी परवाह किए बिना और गोलीबारी से विचलित हुए बिना रेंगते हुए उग्रवादी के मोर्चे के निकट पहुंचे और निकट की नजदीकी लड़ाई में एक उग्रवादी को मौके पर ही गोली से मार गिराया। क्षेत्र की तलाशी लेने पर ए के शृंखला की एक राइफल ,दो हथ गोलों और गोली बारुद के साथ मृत उग्रवादी का शव बरामद हुआ । मारे गए उग्रवादी की पहचान जैश-ए-मोहम्मद गुट के अब्दुल हकीम सिदीक, निवासी रावलकोट, पाकिस्तान के रुप में हुई ।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री आई. एस. राणा, कमांडेंट और जी एच खान, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 7 जून, 2004 से दिया जाएगा ।

(बरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 1183 - प्रेज/2005-राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल , के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. वेद प्रकाश,
   कांस्टेबल
2. कुलदीप सिंह,
   हैड कांस्टेबल
3. वी. के. लांगू
   सहायक कमांडेंट

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

17 अक्तूबर, 2003 को लगभग 1015 बजे गश्त लगाने वाले एक दल ई एक्स-43 बटालियन, सीमा सुरक्षा बल ने मुख्य मंत्री, जम्मू और कश्मीर के निवास स्थान, एम ए रोड, श्रीनगर के निकट दो उग्रवादियों को रोका। गश्ती लगाने वाले दल ने नियंत्रित गोलीबारी करते हुए उग्रवादियों का पीछा किया ताकि सिविलियनों को हताहत होने से बचाया जा सके जब कि उग्रवादियों ने भारी और अंधाधुंध गोलीबारी की और फिर ग्रेनेड फेंके जिसके परिणामस्वरूप कांस्टेबल श्री गोपाल और हैड कांस्टेबल राजेन्द्र सिंह गोली लगने से जख्मी हो गए और घायलावस्था में ही उनकी मृत्यु हो गई। गश्ती लगाने वाले दल ने उग्रवादियों को मुख्य मंत्री के निवास स्थान में घुसने से रोकने के लिए जवाबी गोलीबारी की। उग्रवादी किसी तरह डा. अली जान परिसर ,एम ए रोड पर एक प्रमुख शॉपिंग आर्केड में मोर्चा लेने में सफल हो गए। इस घटना की सूचना मिलने पर श्री प्रमोद कुमार, स्थानापन्न कमांडेंट 43 बटालियन, सीमा सुरक्षा बल ने तत्काल उस स्थल की ओर कूच किया। स्थिति का जायजा लेने के बाद इन्होंने उग्रवादियों की भारी गोलीबारी और फेंके जा रहे ग्रेनेडों के बीच सीमा सुरक्षा बल के मृत कार्मिक को वहां से हटाया। इस कार्रवाई के दौरान, किरचे लगने से वे घायल हो गए लेकिन फिर भी ये उस स्थान से नहीं हटे। इसी बीच, श्री वी.आर. बहल, ए डी आई जी, सी आई ओ पी एस-II भी कुमुक के साथ मौके पर पहुंच गए। इसके बाद बिल्डिंग से बाहर निकलने के सभी रास्तों को कवर किया गया जिससे उग्रवादी वहां से बच कर न जा पाएं। इसी बीच , यह पता लगा लिया गया कि दूसरी और तीसरी मंजिल पर सिविलियन तो नहीं फंसे हैं। तदुनसार, श्री वी. आर. बहल, ए डीआई जी और कांस्टेबल वेद प्रकाश ने

अपनी सुरक्षा की तनिक भी परवाह किए बिना तीसरी मंजिल में प्रवेश किया। इस चाल को देख कर उग्रवादियों ने अपने सुरक्षित स्थान से श्री वी. आर. बहल और कांस्टेबल वेद प्रकाश पर गोलियां चलाने पर अपना ध्यान केंद्रित किया। कुछ समय बाद कांस्टेबल वेद प्रकाश , उग्रवादियों की सही स्थिति का पता लगाने में सफल हो गए। प्रभावी गोलीबारी कर उग्रवादियों को निष्क्रिय करने के उद्देश्य से वे सामने आए और उग्रवादियों पर गोलीबारी कर दी जिससे उग्रवादियों में से एक गंभीर रुप से घायल हो गया। तथापि , उग्रवादियों द्वारा चलाई गई गोलियों में से एक गोली कांस्टेबल वेद प्रकाश की दाईं जांघ में लगी जिससे वे गिर पड़े लेकिन इन्होंने फिर भी उग्रवादियों को उलझाये रखा। कांस्टेबल वेद प्रकाश की गंभीर स्थिति को भांपते हुए श्री वी. आर. बहल ने अपने जीवन को जोखिम में डालते हुए उग्रवादियों द्वारा फेंके जा रहे ग्रेनेडों के बीच घायल कांस्टेबल को सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया। इस कार्रवाई में, श्री बहल भी किरचें लगने से घायल हो गए। घायल होने पर भी श्री बहल ने आगे बढ़ना जारी रखा, ग्रेनेड फेंके और उग्रवादियों को दूसरी मंजिल की ओर भागने पर मजबूर कर दिया। इस अवसर का लाभ उठाते हुए वे फंसे हुए सिविलियनों और घायल कार्मिकों को सुरक्षित स्थान पर ले गए। अगले दिन यह निर्णय लिया गया कि बिल्डिंग पर धावा बोला जाए। इसके लिए एक धावा बोलने वाले दल का गठन किया गया। सं. 873322346 हैड कांस्टेबल कुलदीप सिंह, धावा बोलने वाले दल के एक सदस्य थे। उग्रवादियों की भारी गोलीबारी और फेंके गए उनके ग्रेनेडों के बीच बिना किसी सुरक्षा कवच के इन्होंने अपने दल का नेतृत्व किया और निर्भीक हो कर आग बढ़े। आगे बढ़ते समय उग्रवादियों की एक गोली इन्हें लगी। इससे विचलित हुए बिना तथा अपनी सुरक्षा की तनिक भी परवाह किए बगैर इन्होंने उग्रवादियों पर भारी गोलीबारी कर दी और उनमें से एक को मार गिराया। जब दूसरे उग्रवादी ने देखा कि उसका सहयोगी मारा गया है तो वह पहली मंजिल की ओर भागा और वहां पर उसने शौचालय में मोर्चा संभाल लिया तथा वहां से पुलिस कार्मिकों पर ग्रेनेड फेंके। यह देखते हुए कि उग्रवादी को समाप्त करना कठिन है, श्री प्रमोद कुमार , 2 आई सी और श्री वी.के. लांगू, सहायक कमांडेंट ने अपनी जान की परवाह नहीं की और भारी गोलीबारी के बीच शौचालय की ओर बढ़े। अपने जीवन को भारी खतरे में डालते हुए जब श्री वी.के. लांगू , शौचालय के निकट पहुँचे तो इन्होंने रोशनदान से हथगोले फेंके। विस्फोट के परिणामस्वरुप उग्रवादी, शौचालय से बाहर निकल आया और श्री लांगू तथा श्री प्रमोद कुमार पर गोलीबारी कर दी। उग्रवादी की एक गोली श्री लांगू को लगी। गोलीबारी और घायल होने से विचलित हुए बगैर दोनों अधिकारियों ने उत्कृष्ट साहस का परिचय दिया और उग्रवादी की ओर बढ़े तथा उसे मार गिराया। उस क्षेत्र की तलाशी लेने पर ए के श्रृंखला की दो राइफलों, आठ ग्रेनेडों और गोली बारुद के साथ मारे गए उग्रवादियों के शव बरामद हुए। मारे गए उग्रवादियों की पहचान अरशद-उदल, निवासी-चक - 68 खनबल और मोहम्मद नसीर खान निवासी मलखान बीर के रुप में की गई। दोनों ही पाकिस्तानी राष्ट्रिक थे।

इस मुठभेड़ में सर्व /श्री वेद प्रकाश, कांस्टेबल, कुलदीप सिंह, हैड कांस्टेबल और वी.के. लांगू , सहायक कामंडेंट ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 18 अक्तूबर, 2003 से दिया जाएगा ।

बरूण मित्रा
(बरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 184 - प्रेज/2005-राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक/पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1.	(दिवंगत) विक्रम जीत सिंह, एस जी कांस्टेबल	वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक
2.	संदीप वजीर, उप पुलिस अधीक्षक	वीरता के लिए पुलिस पदक
3.	जोगिन्दर सिंह, उप पुलिस अधीक्षक	वीरता के लिए पुलिस पदक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

17.10.2003 को लगभग 1000 बजे दो विदेशी आतंकवादी, एम.ए. रोड, श्रीनगर पर अली जान शॉपिंग कॉप्लेक्स के नजदीक प्रकट हुए और दो बी एस एफ कर्मियों पर गोलीबारी करके उन्हें वहीं पर मार गिराया। आतंकवादियों ने, आगे, शॉपिंग कॉप्लेक्स के अंदर भागते समय, उस क्षेत्र में आतंक पैदा करने के लिए सड़क की तरफ ग्रेनेड फेंके। कॉप्लेक्स में प्रवेश करने के पश्चात, आतंकवादियों ने स्वयं को सुरक्षित जगह में छिपा लिया। सूचना के प्राप्त होने पर, एस एस पी श्रीनगर के नेतृत्व वाली पुलिस पार्टी जिसकी सहायता बी एस एफ की एक टुकड़ी कर रही थी, श्री एम.ए. शाह, डी आई जी, सी के आर, श्रीनगर की कमान के अंतर्गत स्थिति से निपटने के लिए तेजी से उस स्थल की ओर रवाना हुई। कुछ समय के पश्चात, पुलिस महानिदेशक श्री गोपाल शर्मा, भी उस स्थान पर पहुँच गए और ऑपरेशन की कमान संभाल ली। उस घटना के समय कंप्यूटर का प्रशिक्षण ले रहे विद्यार्थियों सहित कुछ निर्दोष सिविलियन भी उस इमारत के अंदर फंस गए थे। उन्हें बचाने और जान एवं माल की सुरक्षा करने के उद्देश्य से, आतंकवादियों को बार-बार समर्पण करने के लिए कहा गया लेकिन उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। लक्ष्य को प्राप्त करने की दृष्टि से आतंकवादियों को थकाने के लिए, इस ऑपरेशन को 24 घंटों के लिए आगे बढ़ा दिया गया। पुलिस महानिदेशक जम्मू और कश्मीर के गहन पर्यवेक्षण की अधीन निष्पादित एक सुनियोजित योजना के तहत, इमारत के अंदर और इसके साथ लगी इमारतों में भी फंसे निर्दोष सिविलियनों को रात ढलने से पहले बिना किसी नुकसान के बचा लिया गया। सुबह होने पर उपर्युक्त पार्टी ने, इससे होने वाली किसी भी क्षति को टालने के लिए उचित सावधानियां बरतते हुए आतंकवादियों के विरुद्ध आगे कार्रवाई शुरु की। उन्हें पुनः समर्पण करने के लिए कहने पर, आतंकवादियों ने भारी गोलीबारी शुरु कर दी जिसका छापामार पार्टी ने कारगरता से जवाब दिया। छापामार पार्टी ने अनुकरणीय साहस का परिचय दिया और अपनी जान की परवाह किए बगैर गोलीबारी करने वाले आतंकवादियों के नजदीक पहुंचने के लिए आगे बढ़े। इस परस्पर गोलीबारी में दो आतंकवादी, किसी भी सिविलियन को जान और माल की क्षति पहुंचाए बिना, उसी जगह पर मार गिराए गए। मारे गए आतंकवादियों की पहचान बाद में, एल ई टी आतंकवादी गुट से जुड़े अबू जुनैद एवं अबु हबीबुल्लाह के रुप में की गई। इस ऑपरेशन में, श्री संदीप वजीर, उप पुलिस अधीक्षक गंभीर रुप से जख्मी हो गए जबकि एस जी कांस्टेबल विक्रम जीत सिंह ने अपने जीवन का बलिदान दिया। मारे गए उग्रवादियों से निम्नलिखित बरामदगियां की गईं :-

1.	ए के 47 राइफल	-	1 नग (क्षतिग्रस्त)
2.	ए के 56 राइफल	-	1 नग (क्षतिग्रस्त)
3.	ए के मैगजीन	-	2 नग (बगैर स्प्रिंग के)
4.	मैगजीन का टूटा भाग	-	1 नग

5.	ए के 47 के राऊंद	-	11 नग
6.	अप्रयोज्य राउंद	-	4 नग
7.	अप्रयोज्य पाऊच	-	1 नग

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री (दिवंगत) विक्रम जीत सिंह, एस जी, कांस्टेबल, संदीप वजीर, उप पुलिस अधीक्षक और जोगिन्दर सिंह, उप पुलिस अधीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, राष्ट्रपति का पुलिस/पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 18 अक्तूबर, 2003 से दिया जाएगा ।

वरुण मित्रा

(वरूण मित्रा)

निदेशक

सं0 185 प्रेज/2005-राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक/पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. श्री मुश्ताक अहमद मीर, हैड कांस्टेबल	वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक (मरणोपरांत)
2. श्री राम प्रीत, कांस्टेबल	वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक (मरणोपरांत)
3. वी. एस. तिवारी, सहायक कमांडेंट	वीरता के लिए पुलिस पदक
4. सुरेन्द्र कुमार निरीक्षक	वीरता के लिए पुलिस पदक
5. प्रदीप कुमार कांस्टेबल	वीरता के लिए पुलिस पदक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

उग्रवादियों की मौजूदगी के बारे में विशिष्ट सूचना मिलने पर, कार्रवाई करते हुए सीमा सुरक्षा बल की टुकड़ियों ने 1आर आर की टुकड़ियों के साथ योजना बनाई और 16 सितम्बर, 2003 को ग्राम-नार्विन, जिला पुलवामा,जम्मू और कश्मीर की घेराबंदी की और तलाशी अभियान चलाया। लक्ष्य क्षेत्र में पहुँचने पर, टुकड़ियों को तीन भागों में बांटा गया। ग्रामीणों को सभा क्षेत्र में एकत्र करने के बाद मकानों की तलाशी ली गई। जब तलाशी ली जा रही थी तो गोशाला में छिपे उग्रवादियों ने अचानक ग्रेनेड फेंके तथा भारी गोलीबारी कर दी। पार्टी ने मोर्चा संभाला और जवाबी गोलीबारी की और उग्रवादियों को अपने मोर्चे से बाहर आने पर मजबूर कर दिया। इसी बीच दो उग्रवादियों ने बच कर भाग निकलने की कोशिश में ग्रेनेड फेंक कर घेराबंदी तोड़ने की भरसक कोशिश की । इस पर श्री वी एस तिवारी , सहायक कामंडेंट, कांस्टेबल राम प्रीत और कांस्टेबल प्रदीप कुमार ने समुचित कार्रवाई की और गोलीबारी कर उग्रवादियों को उलझाए रखा। दोनों ओर से की गई गोलीबारी और ग्रेनेड फेंकने से श्री वी.एस. तिवारी के बाएँ बाजू और दायीं कलाई में किरचें लगने से कई घाव हो गए

लेकिन श्री तिवारी ने उग्रवादियों को उलझाए रखा और उन्हें बचकर निकलने नहीं दिया। इस पर उग्रवादियों ने आड़ के पीछे मोर्चा संभाला और गोलीबारी तेज कर दी। कांस्टेबल राम प्रीत ने यह अनुमान लगा लिया कि उग्रवादी उनकी पार्टी को और अधिक हानि पहुंचा सकते हैं इसलिए अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना ये अपनी आड से निकल कर बाहर आए और उग्रवादियों में से एक उग्रवादी के निकट आकर, उसे मौके पर ही मार गिराया। इसी बीच दूसरे उग्रवादी ने बहुत देर तक गोलीबारी करके कांस्टेबल राम प्रीत को गंभीर रुप से घायल कर दिया। यद्यपि , कांस्टेबल राम प्रीत को अस्पताल ले जाया गया लेकिन घायलावस्था में उनकी मृत्यु हो गई। कांस्टेबल राम प्रीत को घायल करने के बाद दूसरे उग्रवादी ने बच कर भागने की कोशिश की लेकिन श्री वी. एस. तिवारी , सहायक कमांडेंट ने अपने जख्मों की परवाह न करते हुए कांस्टेबल प्रदीप कुमार के साथ उग्रवादी का पीछा किया। भाग रहे उग्रवादी ने एक मकान में शरण ली और भारी गोलीबारी कर दी जिसके परिणामस्वरुप श्री तिवारी और कांस्टेबल प्रदीप कुमार गोलियां लगने से घायल हो गए। गोलियों से गंभीर रुप से घायल होने के बावजूद श्री तिवारी और कांस्टेबल प्रदीप कुमार ने अदम्य साहस का परिचय दिया और उग्रवादी के मोर्चे की घेराबंदी की और उसे मौके पर ही मार गिराया। अभियान क्षेत्र के दूसरे छोर पर सीमा सुरक्षा बल की टुकड़ियों और तीसरे उग्रवादी के बीच भयंकर गोलीबारी चल रही थी। जब उग्रवादी ने देखा कि उसका सहयोगी मारा गया है तो वह घबरा गया और बच कर भाग निकलने की कोशिश में भारी गोलीबारी करते हुए अपने मोर्चे से बाहर निकल आया। इस पर निरीक्षक सुरेन्द्र कुमार और हैड कांस्टेबल मुश्ताक अहमद मीर ने तत्काल कार्रवाई की और उग्रवादी को रोका। उसने तुरंत पोजीशन ले ली और निरीक्षक सुरेन्द्र कुमार पर ग्रेनेड फेंका और भारी गोलीबारी की। इससे निरीक्षक सुरेन्द्र कुमार के दोनों पैरों पर किरचें लगने और दाईं जांघ में गोली लगने से कई जख्म हो गए। इन जख्मों के बावजूद निरीक्षक सुरेन्द्र कुमार ने हैड कांस्टेबल मुश्ताक अहमद मीर के साथ उग्रवादी को उलझाए रखा। जब हैड कांस्टेबल मुश्ताक अहमद मीर ने देखा कि निरीक्षक सुरेन्द्र कुमार गंभीर रुप से घायल हो गए हैं तो अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना ये अपने मोर्चे से बाहर आए और उक्त उग्रवादी को निष्क्रिय करने के उद्देश्य से उसके मोर्चे की ओर बढे। लेकिन इस कार्रवाई के दौरान उग्रवादी द्वारा किए गए भारी विस्फोट और गोलीबारी से वे गंभीर रुप से घायल हो गए। यद्यपि हैड कांस्टेबल मुश्ताक अहमद मीर के शरीर से अत्यधिक रक्त बह रहा था फिर भी यह महसूस करते हुए कि उक्त उग्रवादी बचकर निकल भागने की कोशिश कर सकता है, इन्होंने अपने जीवन को जोखिम में डाला और इससे पहले कि इनकी हिम्मत जबाव दे दे इन्होंने एक नजदीकी लड़ाई में उस उग्रवादी को मार गिराया। हैड कांस्टेबल मुश्ताक अहमद मीर को तत्काल अस्पताल ले जाया गया जहां घावों के कारण इनकी मृत्यु हो गई। क्षेत्र की तलाशी लेने पर ए के शृंखला की तीन राइफलों , एक पिस्तौल, छः हथगोलों ,एक रेडियो सेट और एक ग्लोबल सेटेलाइट फोन के साथ उग्रवादियों के तीन शव बरामद हुए। मारे गए उग्रवादियों की पहचान निम्नानुसार की गई:

(क) अबू उमई उर्फ उमर, निवासी पाकिस्तान । यह बडगांव , पुलवामा, सोफियां, कुलगांव और अनंतनाग में लश्कर-ए-तैयबा गुट का आपरेशनल कमांडर था।

(ख) अबू वालिद उर्फ वालिद निवासी पाकिस्तान। यह लश्कर-ए-तैयबा गुट का डिस्ट्रिक्ट कमांडर था।

(ग) मोहम्मद अमीन वानी पुत्र अब्दुल अजीज वानी निवासी- सोफियां , जम्मू और कश्मीर।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री (दिवंगत) मुश्ताक अहमद मीर, हैड कांस्टेबल, (दिवंगत) राम प्रीत, कांस्टेबल, वी.एस. तिवारी, सहायक कमांडेंट, सुरेन्द्र कुमार, निरीक्षक और प्रदीप कुमार, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, राष्ट्रपति का पुलिस पदक/ पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के

लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 16 सितम्बर, 2003 से दिया जाएगा ।

(बरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 186 - प्रेज/2005-राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री सी.डी.सोमन्ना,
कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

मलास, जिला ऊधमपुर (जम्मू और कश्मीर) के सामान्य क्षेत्र में उग्रवादियों की मौजूदगी के संबंध में आसूचना रिपार्ट पर कार्रवाई करते हुए, 102 बटालियन, सीमा सुरक्षा बल (बी एस एफ) ने 8 मई, 2004 को उक्त क्षेत्र का तलाशी अभियान शुरु किया । लगभग 1730 बजे जब बी एस एफ की कांबेट टीम मलास नाले की ओर बढ़ रही थी उसी समय उग्रवादियों ने इन पर अंधाधुंध गोलीबारी कर दी। टुकड़ियों ने जवाबी गोलीबारी की और मुठभेड़ शुरु हो गई। मुठभेड़ के दौरान एक गोली, कांस्टेबल सी. डी. सोमन्ना की बाईं बांह को भेदती हुई निकल गई। इसके कारण बह रहे अत्यधिक रक्त से विचलित हुए बिना कांस्टेबल सोमन्ना ने उत्कृष्ट साहस का परिचय दिया और चतुराई से उग्रवादी के मोर्चे के नजदीक पहुंच गए और अचूक निशाना लगा कर उग्रवादियों में से एक को मौके पर ही ढेर कर दिया। दूसरे उग्रवादी ने गोलीबारी जारी रखी लेकिन मुठभेड़ में मारा गया। क्षेत्र की तलाशी लेने पर ए के शृंखला की दो राइफलों, तीन हथगोलों, एक रेडियो सेट और गोली-बारुद के साथ दो उग्रवादियों के शव बरामद हुए । मारे गए उग्रवादियों की पहचान तारिक हुसैन, कूट नाम मुस्तकिन और मुल्ला उमर कूट नाम उमर, के रुप में की गई । ये दोनों पाकिस्तानी राष्ट्रिक थे।

इस मुठभेड़ में श्री सी डी सोमन्ना, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 8 मई, 2004 से दिया जाएगा ।

(बरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 187 - प्रेज/2005-राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. एस. प्रताप सिंघा (मरणोपरांत)
   कांस्टेबल
2. मकबूल पेयर (मरणोपरांत)
   कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

खान मोहल्ला, गांव नरवाह, जिला पुलवामा (जम्मू और कश्मीर) के एक अब्दुल अहमद खान के घर में उग्रवादियों की मौजूदगी के संबंध में एक विशिष्ट सूचना के आधार पर, 71वीं बटालियन की टुकड़ियों ने 17 जनवरी, 2004 को एक ऑपरेशन की योजना बनाई और उसे शुरु किया। योजना के अनुसार, एक पार्टी जिसमें एक अधिकारी, दो अधीनस्थ अधिकारी और सैंतालिस अन्य रैंक थे, उस गांव की ओर तेजी से रवाना हुए। अपने लक्ष्य क्षेत्र पर पहुँचने पर, टुकड़ियों को दो ग्रुपों में बाँट दिया गया और दो दिशाओं से गांव की घेराबंदी कर दी गई। टुकड़ियों की मौजूदगी महसूस करने पर, घर के अंदर छिपे उग्रवादियों ने भारी गोलीबारी शुरु कर दी। तत्काल, पार्टी कमांडर श्री बी बी सिधरा, डी सी ने स्थिति का जायजा लिया और कांस्टेबल मकबूल पेयर तथा अपनी पोजीशन बदल ली और उग्रवादियों को निष्क्रिय करने के उद्देश्य से और चुपके से लक्षित घर की ओर बढ़े। खतरा महसूस होने पर, दो उग्रवादी उस घर से बाहर कूद पड़े और अंधाधुंध गोलीबारी करते हुए भागने का प्रयास किया तथा कांस्टेबल एस. प्रताप सिंघा, जिन्हें लक्षित घर के निकट अंदरुनी घेराबंदी पर तैनात किया गया था, को जख्मी कर दिया। अपने जख्मों से भयभीत हुए बिना और अपनी सुरक्षा की तनिक भी परवाह न करते हुए, कांस्टेबल प्रताप सिंघा ने अत्यधिक साहस का परिचय देते हुए, भाग रहे उग्रवादियों का पीछा किया और दम तोड़ने से पहले उनमें से एक उग्रवादी को घायल कर दिया। ऑपरेशन के दूसरे चरण में, तीसरा उग्रवादी, जिसने स्वयं आड़ के पीछे पोजीशन ले ली थी, टुकड़ियों पर अंधाधुंध गोलीबारी कर रहा था। जबाबी गोलीबारी की गई लेकिन वह कारगर नहीं थी। उस उग्रवादी को निष्क्रिय करने के उद्देश्य से, कांस्टेबल मकबूल पेयर, अपनी सुरक्षा की जरा सी भी परवाह न करते हुए, उग्रवादी की पोजीशन की ओर खतरनाक ढंग से रेंगते हुए आगे बढ़े और उसके साथ हुई हाथापाई में उसे गोली मार कर ढेर कर दिया। तथापि, इस कार्रवाई में, वे कई जगह गोलियां लगने से जख्मी हो गए और बाद में उन्होंने घावों के कारण दम तोड़ दिया। उस क्षेत्र की तलाशी लेने पर, उस मारे गए उग्रवादी के शव के साथ-साथ एक ए के श्रृंखला की राइफल, चार ए के मैगजीन, एक हैंड ग्रेनेड और गोलाबारुद बरामद किया गया। मारे गए उग्रवादी की पहचान बाद में, एच एम गुट के मोहम्मद युसुफ डार पुत्र गुलाम मोहम्मद डार निवासी चुखर्द, पुलवामा (जम्मू और कश्मीर) के रुप में की गई।

इस मुठभेड़ में, (दिवंगत) श्री एस. प्रताप सिंघा, कांस्टेबल और (दिवंगत) श्री मकबूल पेयर, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 17 जनवरी, 2004 से दिया जाएगा ।

वरुण मित्रा

(वरूण मित्रा)

निदेशक

सं0 188 - प्रेज/2005-राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री उदय वीर सिंह,
कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

उग्रवादियों की मौजूदगी के संबंध में विशिष्ट सूचना के आधार पर 120 बटालियन सीमा सुरक्षा बल और 42 आर आर की टुकड़ियों द्वारा 5 अगस्त, 2003 को ग्राम- लुरागाम, त्राल, जिला पुलवामा (जम्मू और कश्मीर) में एक संयुक्त अभियान चलाया गया था। लक्ष्यगत मकान के चारों ओर घेराबंदी करने के बाद आपरेशनल पार्टी ने उग्रवादियों से आत्मसमर्पण करने के लिए कहा लेकिन ऐसा करने की बजाए उन्होंने घेरा तोड़ने के लिए कोर्डन पार्टी पर भारी गोलीबारी की और ग्रेनेड फेंके। तथापि,सतर्क टुकड़ियों ने जवाबी गोलीबारी की और उग्रवादियों को कवर लेने पर मजबूर कर दिया। उग्रवादियों को मकान से बाहर निकालने के उद्देश्य से पार्टी ने मकान के अंदर ग्रेनेड फेंके जिसके परिणामस्वरुप उग्रवादियों में से एक उग्रवादी मकान से बाहर निकल आया और उसने कोर्डन पर अंधाधुंध गोलीबारी की और ग्रेनेड फेंके लेकिन टुकड़ियों ने उसे मार गिराया। छिपे हुए उग्रवादी ने जब देखा कि उसका साथी मारा गया है तो उसने गोलीबारी तेज कर दी। दोनों ओर से हुई इस गोलीबारी में मकान में आग लग गई और मकान आग की लपटों में समा गया। उग्रवादी , गर्मी और धुआं तथा टुकड़ियों की सीधी गोलीबारी नहीं सह सका इसलिए उसने कोर्डन पर ग्रेनेड फेंक कर बच निकलने का अंतिम प्रयास किया। इस नाजुक मौके पर कांस्टेबल उदयवीर सिंह, जो लक्ष्यगत मकान के निकट क्षेत्र में तैनात थे, ने बहुत फुर्ती से कार्रवाई की। इन्होंने अपनी सुरक्षा की परवाह नहीं की और अनुकरणीय साहस का परिचय देते हुए ये उग्रवादी के मोर्चे की ओर बढ़े तथा उसे मौके पर ही मार गिराया। क्षेत्र की तलाशी लेने पर एक ए के राइफल ,एक हथगोला, एक यू बी जी एल ग्रेनेड,एक रेडियो सेट और गोली-बारुद के साथ दो उग्रवादियों के शव बरामद हुए। मारे गए उग्रवादी की पहचान अयाज शाहीन उर्फ शाहीन पुत्र मौलवी मुबारकशाह,निवासी पाकिस्तान और अयाज हजम उर्फ जरार पुत्र गुलाम अहमद हजम,निवासी सतुरा, त्राल (जम्मू और कश्मीर) के रुप में की गई।

इस मुठभेड़ में श्री उदयवीर सिंह, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 5 अगस्त, 2003 से दिया जाएगा ।

बरुण मित्रा

(बरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 189 - प्रेज/2005-राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक/पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. संजय यादव
   द्वितीय कमान अधिकारी
   (सेकेंड-इन-कमांड) — वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक
2. मोहम्मद इशाक
   कांस्टेबल — वीरता के लिए पुलिस पदक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

ग्राम तंसार, जिला-अनंतनाग, जम्मू और कश्मीर में उग्रवादियों की मौजूदगी के संबंध में विशिष्ट सूचना पर कार्रवाई करते हुए 27 मई, 2004 को सीमा सुरक्षा बल (बी एस एफ) और 9 आर आर की टुकड़ियों द्वारा एक संयुक्त घेराबंदी और तलाशी अभियान की योजना बनाई गई और उसे संचालित किया गया। योजना के अनुसार टुकड़ियों द्वारा गांव की घेराबंदी की गई और एक तलाशी अभियान चलाया गया। श्री संजय यादव, द्वितीय कमान अधिकारी (सेकेन्ड इन कमांड), 90 बटालियन , सीमा सुरक्षा बल के नेतृत्व वाला तलाशी दल जब गोशाला की तलाशी ले रहा था तो छिपे हुए उग्रवादियों ने इस दल पर भारी गोलीबारी करने के बाद ग्रेनेड फेंके। पार्टी ने जवाब में गोलियां चलाईं और भयंकर गोलीबारी शुरु हो गई। इस अवस्था में दो उग्रवादियों ने भारी गोलीबारी की कवर में और हथगोले फेंकते हुए बच कर निकलने की कोशिश की। कांस्टेबल मोहम्मद इशाक, जो उग्रवादियों के छिपने के ठिकाने के बहुत निकट अनुकूल स्थान पर तैनात थे, ने अपनी सुरक्षा की परवाह नहीं की और सामने आ गए तथा उत्कृष्ट साहस का परिचय देते हुए उग्रवादियों में से एक को मौके पर ही मार गिराया। इसके बाद दूसरा उग्रवादी बिजली की गति से श्री संजय यादव की ओर बढ़ा लेकिन श्री यादव ने लड़ाई के दौरान अद्वितीय निर्भीकता और अदम्य साहस का परिचय देते हुए क्षण भर में ही उग्रवादी पर दो बार किक मारी जिसके परिणामस्वरुप उग्रवादी हथियार पकड़े रखने का संतुलन खो बैठा। इससे पहले कि उग्रवादी संतुलन बनाता और गोलीबारी करता, श्री यादव ने फुर्ती से गोलीबारी करके उसे वहीं ढेर कर दिया। तीसरा उग्रवादी घेरा तोड़ने में सफल हो गया और उसने भागने की कोशिश की लेकिन लगातार चल रही लड़ाई में बी एस एफ और सेना की टुकड़ियों ने उसे मार गिराया। क्षेत्र की तलाशी लने पर पर ए के शृंखला की तीन राइफलों, एक अंडर बैरल ग्रेनेड लांचर , पंच हथगोले और गोली बारुद के साथ तीन उग्रवादियों के शव बरामद हुए । मारे गए उग्रवादियों की पहचान निम्नानुसार की गई।

(क) फारुख अहमद शेख पुत्र गुलाम अहमद शेख, निवासी मोहनपुरा
(ख) जावेद अहमद डार, पुत्र गुलाम नबी डार, निवासी मोहनपुरा और
(ग) इम्तियाज अहमद वानी, पुत्र गुलाम हसन वानी, निवासी अरेह

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री संजय यादव, द्वितीय कमान अधिकारी (सेकेंड-इन-कमांड)और मोहम्मद इशाक, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, राष्ट्रपति का पुलिस पदक/ पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 27 मई, 2004 से दिया जाएगा ।

(बरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 190 - प्रेज/2005-राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं -

अधिकारी का नाम और रैंक
श्री सत्य सिंह,
हैड कांस्टेबल (मरणोपरांत)

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

2004 के संसदीय चुनावों के कारण आर-II बी एस एफ तदर्थ बटालियन गठित की गई थी। इस बटालियन को छत्तीसगढ़ में जिला दांतेवाडा में पुलिस स्टेशन जागर के अन्तर्गत अतिसंवेदनशील नक्सलवादी गतिविधि बहुल क्षेत्र में चुनाव ड्यूटी के लिए तैनात किया गया था। 22 अप्रैल, 2004 को बटालियन की बी कम्पनी की टुकड़ियों को पैदल ही अरनपुर घाटी के रास्ते बछेली भेजा गया था। वह आई ई डी और नक्सलवादी बहुल क्षेत्र था। हैड कांस्टेबल सत्य सिंह एक पुलिस कांस्टेबल सहित दो अन्य कांस्टेबलों के साथ आई ई डी का पता लगाने के लिए निपुणता के साथ सड़क के दोनों तरफ पैदल ही छानबीन करते हुए टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे । टुकड़ी पैदल ही लगभग 15 कि.मी. चलने के पश्चात अरनपुर घाटी पहुंची जो कि पहाड़ी भूभाग से घिरा सघन काष्ठ क्षेत्र था तथा सड़क के दोनों ओर पत्थरों के ढेर लगे हुए थे। इस क्षेत्र में कोई पगडंडी अथवा वैकल्पिक मार्ग नहीं था। लगभग 12:50 बजे जब हैड कांस्टेबल सत्य सिंह पथरीले क्षेत्र की तरफ बढ रहे थे तो नक्सलवादियों ने इलेक्ट्रानिक रुप से एक आई ई डी विस्फोट किया। आई ई डी विस्फोट स्काउट के निकट हुआ जिसके परिणामस्वरुप हैड कांस्टेबल सत्य सिंह गंभीर रुप से घायल हो गए। आई ई डी विस्फोट के तत्काल बाद, नक्सलवादियों ने टुकड़ियों पर भारी मात्रा में गोलीबारी करना शुरु कर दिया। खतरे को भांपते हुए, हैड कांस्टेबल सत्य सिंह ने गंभीर रुप से घायल होने और लगातर खून बहने के बावजूद गोलीबारी द्वारा नक्सलवादियों को उलझाए रखा तथा उन्हें घटना स्थल से भागने के लिए विवश कर दिया। तथापि, हैड कांस्टेबल सत्य सिंह ने गंभीर रुप से घायल होने के कारण प्राण त्याग दिए । हैड कांस्टेबल सत्य सिंह ने अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना और गंभीर रुप से घायल होने के बावजूद उच्च कोटि की वीरता, धैर्य और संकल्प का परिचय दिया जिसके परिणामस्वरुप उन्होंने अपने कार्मिकों तथा सामग्री को भारी नुकसान / हानि से बचा लिया। वीरतापूर्ण कार्रवाई स्थल से निम्नलिखित वस्तुएँ बरामद की गई:-

(क) पाइप बम्ब के टुकड़े (आई ई डी)

(ख) 40 मीटर फ्लैक्सिबल बिजली की तार।

इस मुठभेड़ में, (दिवंगत) श्री सत्य सिंह, हैड कांस्टैबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 22 अप्रैल 2004 से दिया जाएगा ।

(बरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 191 – प्रेज/2005-राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. लखवीर सिंह
   सहायक कमान्डेंट
2. हिम्मत सिंह नेगी,
   उप निरीक्षक
3. बाबू पी.
   कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

गांव बटनूर, जिला पूलवामा, जम्मू और कश्मीर में शस्त्रों से पूरी तरह लैस कट्टर आतंकवादियों की उपस्थिति के संबंध में विशिष्ट सूचना के आधार पर कमान्डेंट 120 बटालियन बी एस एफ ने 21.6.2004 को लक्षित गांव में एक अभियान की योजना बनाई तथा उसे शुरु किया। योजना के अनुसार, श्री लखवीर सिंह, सहायक कमान्डेंट, टुकड़ियों के साथ गांव की तरफ दौड़े। जब घेराबंदी की जा रही थी तो भागने की चेष्टा में एक आतंकवादी टुकड़ियों पर भारी गोलीबारी करते हुए लक्षित घर की खिड़की से बाहर कूदा। घर में छुपे दूसरे आतंकवादी ने भी भागने वाले आतंकवादी को कवरिंग फायर प्रदान करने के लिए घेराबंदी पार्टी पर भारी गोलीबारी की। इस बात का अंदाजा लगाते हुए कि आतंकवादी भाग जाएगा, श्री लखवीर सिंह, सहायक कमान्डेंट अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की चिन्ता किए बिना और अदम्य साहस का परिचय देते हुए, आतंकवादी के सम्मुख आ खड़े हुए तथा निकट की मुठभेड़ में उसे तुरन्त मार गिराया। अभियान के दूसरी तरफ घर में छुपा दूसरा आतंकवादी अभी भी गोलीबारी कर रहा था तथा घेराबंदी पार्टी पर हथगोले फैंक रहा था। अपनी पोजीशन से, छुपे हुए आतंकवादी को समाप्त करने में कठिनाई महसूस करने पर, कांस्टेबल बाबू पी. अपनी जान को भारी जोखिम में डाल कर और अटूट साहस का प्रदर्शन करते हुए युक्तिपूर्वक, आतंकवादी की भारी गोलीबारी के बीच लक्षित घर की तरफ आगे बढ़े और उस घर में प्रवेश कर गए। इनकी इस कार्रवाई को देख कर आतंकवादियों ने अपनी गोलीबारी का मुंह कांस्टेबल बाबू पी की तरफ कर दिया। आतंकवादियों की गोलीबारी की परवाह किए बगैर, कांस्टेबल बाबू पी ने मोर्चा संभाला तथा अपनी सटीक गोलीबारी से

आतंकवादी को घायल कर दिया और उसे घर से बाहर कूदने पर विवश कर दिया। घायल आतंकवादी ने भागने के प्रयास में आड़ ले ली तथा घेराबन्दी पार्टी पर अंधाधुंध गोलीबारी कीं । खतरे को भांपते हुए उप निरीक्षक हिम्मत सिंह नेगी, जो कांस्टेबल बाबू पी को कवरिंग फायर प्रदान कर रहे थे, फुर्ती से आतंकवादी पर टूट पड़े और अपनी सुरक्षा की बिल्कुल भी परवाह किए बगैर उस आतंकवादी को उसी स्थान पर समाप्त कर दिया। क्षेत्र की तलाशी लेने पर ए के शृखंला की दो राइफलों, दो हथगोलों, एक रेडियो सेट तथा गोलाबारुद के साथ दो आतंकवादियों के शव बरामद किए गए। मृत आतंकवादी की पहचान बशीर अहमद शेख पुत्र अब्दुल मजीद शेख, निवासी सीतापुर सोफियान, जम्मू और कश्मीर तथा अबू अंसारी उर्फ यासीर निवासी पाकिस्तान के रुप में गई।

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री लखवीर सिंह, सहायक कमान्डेंट, हिम्मत सिंह नेगी, उपनिरीक्षक तथा बाबू पी. कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्य परायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 21 जून, 2004 से दिया जाएगा ।

बरूण मित्रा

(बरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 **192** - प्रेज/2005-राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक /पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्वश्री

1. दलबीर सिंह, निरीक्षक — वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक (मरणोपरांत)
2. डी डी शर्मा, हैड कांस्टेबल — वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक (मरणोपरांत)
3. अब्दुल तस्लीम, कांस्टेबल — वीरता के लिए पुलिस पदक
4. मुकेश कुमार, कांस्टेबल — वीरता के लिए पुलिस पदक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

जम्मू और कश्मीर के राजौरी जिले के पुलिस स्टेशन कालाकोटे के गांव बरोह के एक घर में आतंकवादियों की उपस्थिति के संबंध में एक सूत्र द्वारा उपलब्ध करवाई गई विशिष्ट सूचना पर कार्रवाई करतेहुए 91 बटालियन बी एस एफ की टुकड़ियों ने 9 सितम्बर, 2004 को गांव में एक अभियान शुरु किया।

गांव में पहुंचने पर टुकड़ियों ने लक्षित घर के चारों तरफ कड़ी घेराबन्दी की। लगभग 10:20 बजेक्षेत्र का सर्वेक्षण करने के लिए एक आतंकवादीघर से बाहर निकल आया। टुकड़ियाँ को देखने पर उसने तत्कालमोर्चा संभाल लिया और भारी गोलीबारी शुरु कर दी और उसके बाद पार्टी पर हथगौले फैंके । गोलीबारी की चिन्ता किए बिना, कांस्टेबल अब्दुल तस्लीम और कांस्टेबल मुकेश कुमार अपनी स्वयं की व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बिना बहादुरी से गोलियों का सामना करते हुए आतंकवादियों के मोर्चे की तरफ आगे बढे। आतंकवादियों के मोर्चे के निकट पहुंचने के पश्चात ये अत्यधिक साहस का परिचय देते हुए आतंकवादी पर टूट पड़े और उसे वहीं पर ढेर कर दिया। अन्य आतंकवादी, जो घर के अन्दर छुपा हुआ था, ने हथगौले फैंके तथा घेराबन्दी पर गोलीबारी करना शुरु कर दिया। टुकडियों द्वारा जवाबी गोलीबारी की गई परन्तु वह कारगर सिद्ध नहीं हो रही थी क्योंकिआतंकवादीनेअच्छीतरह किलेबंदीकर रखी थी। इस मौके पर, निरीक्षक दलबीर सिंह और हैड कांस्टेबल डी. डी. शर्मनि पहल की। आतंकवादी को समाप्त करने के उद्देश्य से निरीक्षक दलबीर सिंह तथा हैड-कांस्टेबल डी. डी. शर्मा अपनी स्वयं की सुरक्षा की परवाह किए बिना तथा उच्च कोटि के साहस का परिचय देत हुए निपुणता के साथ लक्षित घर की तरफ आगे बढे। जब वे लक्षित घर तक पहुंच गए तो दोनों घर के अन्दर हथगौला फेंकने के इरादे से घर के पीछे से उपर चढ गए। परन्तु आतंकवादियों ने उनकी इस कारावाई को देख लिया। खतरे को भांपते हुए वह तत्काल घर से बाहर निकल आया तथा समीप के मक्का के खेत में कूद पड़ा। गोलीबारी की आड़ में मोर्चा संभालने के पश्चात आतंकवादी ने भारी गोलीबारी की तथा निरीक्षक दलवीर सिंह और हैड कांस्टेबल डी डी शर्मा पर हथगोले फेंके जिसके परिणामस्वरुप दोनों ही गोली / किरचें लगने के कारण गम्भीर रुप से जख्मी हो गए। गंभीर रुप से घायल होने तथा लगातार खून बहने के बावजूद निरीक्षक दलबीर सिंह और हैड कांस्टेबल डी डी शर्मा ने प्रभावपूर्ण तरीके से आतंकवादी को उलझाए रखा तथा दोनों ने दम तोडने से पूर्व निकट की लडाई में आतंकवादी को उसी स्थान पर मार गिराया। क्षेत्र की तलाशी लेने पर ए के शृंखला की दो राइफलों,चीन निर्मित चार हथगोले, एक वायरलेस सेट तथा गोलाबारुद सहित आतंकवादियों के दो शव बरामद किए गए। मारे गए आतंकवादियों की पहचान रब -उल-नवाज उर्प शिराज असामी निवासी तहसील -मिलसी, जिला बेहदी, पाकिस्तान तथा सलील-ई-इस्लाम पुत्र सफारी निवासी पाकिस्तान के रुप में की गई।

इस मुठभेड़ में, सर्व श्री(दिवंगत) दलवीर सिंह, निरीक्षक, (दिवंगत) डी डी शर्मा, हैड कांस्टेबल अब्दुल तस्लीम, कांस्टेबल तथा मुकेश कुमार, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, राष्ट्रपति कापुलिस पदक/ पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 9 सितम्बर, 2004 से दिया जाएगा ।

(वरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 193 - प्रेज/2005-राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :-

अधिकारी का नाम और रैंक

1. श्री टी. एच. दाहीरीमाओ
   कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

गांव लुरगाम, त्राल,जिला पुलवामा (जम्मू और कश्मीर) में एक कट्टर आतंकवादी की उपस्थिति के संबंध में विशिष्ट सूचना के आधार पर 120 बटालियन बी एस एफ की टुकडियों ने 24/25 फरवरी 2003 को एक अभियान की योजना बनाई तथा उसे शुरु किया। योजना के अनुसार, एक अधिकारी दो अधीनस्थ अधिकारियों तथा 30 अन्य रैंकों वाली एक पार्टी गांव लुरगाम की तरफ रवाना हुई तथा तीन संदिग्ध लक्षित घरों की घेराबन्दी की। लगभग 250100 बजे सूत्रों द्वारा इस बात की पुष्टि की गई कि एक कट्टर आतंकवादी एक घर में फंसा हुआ है तथा निराश होकर भागने का प्रयास कर रहा है। पार्टी कमान्डर ने तत्काल घेराबन्दी को पुन: व्यवस्थित किया तथा बच कर निकल भागने के सभी रास्तों को बन्द कर दिया। 25 फरवरी 2003 को पौ फटते ही पार्टी कमान्डर ने सभी तीन घरों पर एक साथ धावा बोलने का निर्णय लिया तथा तदनुसार प्रत्येक घर के लिए छापा मार पार्टियां तैनात की। जब छापा अभियान चल रहा था , तो एक घर में छुपे आतंकवादी ने भारी मात्रा मे गोलीबारी शुरु कर दी और पार्टी को काबू में कर लिया। गोलीबारी का जवाब दिया गया परन्तु वह प्रभावपूर्ण सिद्ध नहीं हो रही थी क्योंकि आतंकवादी ने अच्छी तरह किलेबन्दी की हुई थी। इस नाजुक घड़ी में कांस्टेबल टी. एच दाहीरीमाओ ने पहल की। अपनी स्वयं की सुरक्षा की चिन्ता किए बिना आतंकवादियों की भारी गोलीबारी के बीच घर के एकदम समीप पहुंच गए और लाभप्रद स्थान पर मोर्चा संभाल लिया। खतरे को भांपते हुए आतंकवादी ने कांस्टेबल दाहीरीमाओ पर भारी गोलीबारी करते हुए अपनी पोजीशन को बदलने का प्रयास किया। आतंकवादी की गोलीबारी से भयभीत हुए बिना तथा असाधारण साहस का प्रदर्शन करते हुए कांस्टेबल दाहीरीमाओ आतंकवादी पर टूट पड़े तथा निकट की मुठभेड़ में उसको मार गिराया। क्षेत्र की तलाशी लेने पर एक ए.के राइफल , एक हथगौला , एक रेडियो सेट तथा गोलाबारुद के साथ आतंकवादी का शव बरामद किया गया। मृत आतंकवादी की पहचान अब्दुल रशीद मलिक, निवासी चाक मिहुरा (त्राल) जम्मू और कश्मीर के रुप में की गई ।

इस मुठभेड़ में, श्री टी. एच दाहीरीमाओ, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 24 फरवरी, 2003 से दिया जाएगा ।

(बरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 194 - प्रेज/2005-राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक /पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्वश्री

1. जयवीर सिंह, वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक (मरणोपरांत)
   कांस्टेबल
2. रजनीश कुमार, वीरता के लिए पुलिस पदक
   सहायक कमांडेंट
3. बाली मोहम्मद,
   कांस्टेबल वीरता के लिए पुलिस पदक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

17 मई 2004 को आतंकवादियों ने माहु क्षेत्र, जिला राजौरी, जम्मू और कश्मीर में 3 गढ़वाल की एक घात पर गोली बारी शुरु कर दी । 3 गढ़वाल की टुकड़ियों ने तत्काल क्षेत्र की घेराबन्दी की। 18 मई 2004 को पौ फटने पर 3 गढ़वाल के कमान अधिकारी के अनुरोध पर बड़ी संख्या में 142 बटालियन बी एस एफ की कुमुक उस क्षेत्र की तरफ रवाना हुई तथा चालू अभियान में शामिल हो गए । आतंकवादियों को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया । परन्तु उन्होंने अपनी गोलीबारी तेज कर दी जिसके परिणामस्वरुप 3 गढ़वाल के दो कार्मिक और बीएस एफ का एक कार्मिक गोली/ किरचें लगने से घायल हो गए। आतंकवादियों को भागने से रोकने के लिए घेराबन्दी को और सुदृढ किया गया। लगभग 190245 बजे आतंकवादियों ने श्री रजनीश कुमार, सहायक कमान्डेंट के नेतृत्व वाली बी एस एफ की घेराबन्दी पार्टी पर भारी मात्रा में गोली बारी करते हुए घेराबन्दी को तोडने का प्रयास किया । इन्होंने नेतृत्व के अनूठे गुणों का परिचय दिया और अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बिना श्री रजनीश कुमार, सहायक कमांडेंट, कांस्टेबल जय वीर सिंह तथा कांस्टेबल बाली मोहम्मद आतंकवादियों के सामने आ गए तथा सटीक जवाबी गोलीबारी करके निकट के मुकाबले में एक आतंकवादी को मार गिराया तथा अन्य आतंकवादियों को काबू कर लिया। परन्तु इस कार्रवाई में सभी गोली लगने से घायल हो गए। मुकाबले में आई चोटों और लगातार खून बहने के बावजूद इन्होंने बाकी आतंकवादियों पर गोलीबारी करना जारी रखा जिसके कारण आतंकवादी घेराबन्दी के अन्दर अपने ठिकाने में वापस छुपने को विवश हो गए। तथापि, कांस्टेबल जयवीर सिंह ने घायल होने के कारण अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। नाजुक स्थिति का आकलन करने पर अतिरिक्त बी एस एफ टुकडियों को अभियान में शामिल होने के लिए कहा गया । बाकी आतंकवादी बी एस एफ और सेना की टुकड़ियों पर सारा दिन और रात अपनी कवर से लगातार गोलीबारी करते रहे तथा भागने के कई प्रयास किए । परन्तु सतर्क टुकड़ियों ने आतंकवादियों को भागने नहीं दिया तथा 22 मई, 2004 तक गोलीबारी करके उन्हें रोके रखा। चूंकि आतंकवादियों की तरफ से अब कोई गोलीबारी नहीं हो रही थी इसलिए 22 मई, 2004 को 16:00 बजे तलाशी ली गई तथा अन्ततः 23 मई 2004 को 15:30 बजे अभियान समाप्त कर दिया गया। तलाशी के दौरान, अभियान के दौरान मारे गए आतंकवादियों के छः शव, निम्नलिखित शस्त्रों, गोलाबारुद और अन्य मदों सहित बरामद किए गए:-

ए के राइफल- 06 नग
ए के मैग- 18 नग
ए के गोलाबारुद - 473 राउन्ड
यू बीजी एल - 01 नग

यू बी ग्रेनेड - 07 नग
हथगौले- 05 नग
स्टनगौले -01 नग
आई ई डी - 02 नग
एंटिना सहित रेडियो सेट- 03 नग
भारतीय मुद्रा- 44,908/- रुपए
सैल- 31नग
दूरबीन- 01 नग

जबकि मारे गए तीन आतंकवादियों की पहचान इरफान भट्ट उर्फ अबू तरब, पुत्र मोहम्मद अशरफ, जिला झेलम,पाकिस्तान, रशीद उर्फ जाँबाज , पुत्र अबू रहमान, निवासी सबरस, तहसील महौरे, जिला उधमपुर, जम्मू और कश्मीर तथा मोहम्मद इकबाल उर्फ मोहम्मद फैसल, पुत्र मलिक ए बी सतार, जिला कोटली, पाकिस्तान के रुप में की गई, अन्य तीन आतंकवादियों की पहचान नहीं हो सकी।

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री दिवंगत जयवीर सिंह, कांस्टेबल, रजनीश कुमार, सहायक कमान्डेंट तथा बाली मोहम्मद, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, राष्ट्रपति का पुलिस पदक/ पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 19 मई , 2004 से दिया जाएगा ।

(बरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 195 - प्रेज/2005-राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री सुधीर कुमार बमेता (मरणोपरांत)

सहायक कमांडेंट

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

नाला-2 पोस्ट के नजदीक नियंत्रण रेखा पर उग्रवादी की गतिविधि के संबंध में सूचना प्राप्त होने पर, धन्ना गांव (सोजी), मंदिर मंडी, जिला पुंछ, जम्मू और कश्मीर के नजदीक फॉरवर्ड डिफेन्डिड लोकेलिटी (एफ डी एल) पॉइंट 8688 और शीला रिज के बीच के क्षेत्र में 16/17 जुलाई, 2002 के बीच की रात को बी एस एफ की 28वीं बटालियन और 11 मराठा लाइट इंफैन्टरी की टुकड़ियों द्वारा एक संयुक्त अभियान चलाया गया। जब तलाशी अभियान चल रहा था, तभी दो उग्रवादियों, जिन्होंने मक्का के खेत में मजबूत मोर्चाबंदी की हुई थी, ने हथगोले फेंके और श्री सुधीर कुमार, सहायक कमांडेंट के नेतृत्व वाली तलाशी पार्टी पर भारी गोलीबारी करके इनका पीछा किया। श्री सुधीर कुमार, जो सबसे आगे चल कर नेतृत्व कर रहे थे, गोलियां और किरचें लगने से गंभीर रुप से घायल हो गए। अपनी सुरक्षा की जरा सी भी परवाह न करते हुए इन्होंने गोलीबारी करते हुए उग्रवादियों पर धावा बोल दिया और अपने साथियों को जवाबी हमले के लिए प्रेरित किया। इस कार्रवाई में, इन्होंने काफी निकट की लड़ाई में उग्रवादियों में से एक को मार गिराया, हालांकि इन्हें अन्य उग्रवादी द्वारा की गई गोलीबारी से पुनः गोलियां लगीं। इस अधिकारी की साहसिक कार्रवाई से प्रेरित होकर, जवानों ने जोश के साथ जवाबी हमला किया और इस प्रकार अन्य उग्रवादी की ओर से किए जाने वाले हमले को विफल कर दिया तथा आगे हताहत होने की संभावना को समाप्त कर दिया। गंभीर रुप से जख्मी होने के बावजूद, यह अधिकारी, व्यक्तिगत मिसाल कायम करते हुए तब तक अपनी पार्टी का नेतृत्व करते रहे जब तक उनकी सांस में सांस रही। दूसरे उग्रवादी ने भागने का हताशापूर्ण प्रयास किया लेकिन वह चौकस बैठे कर्मी द्वारा मार गिराया गया। उस क्षेत्र की तलाशी लेने पर दो उग्रवादियों के शवों के साथ-साथ एक ए के श्रृंखला की राइफल, एक यू बी जी एल, चार यू बी जी एल ग्रेनेड, दो हैंड ग्रेनेड, दो आई ई डी, तीन रेडियो सेट और काफी मात्रा में गोला बारुद बरामद किया गया। इस कार्रवाई में, अधिकारी ने बल की सर्वोच्च परंपराओं को बनाए रखते हुए अत्यधिक साहस, अभूतपूर्व वीरता और आत्म-बलिदान के लिए तत्पर रहने का परिचय दिया।

इस मुठभेड़ में, (दिवंगत) श्री सुधीर कुमार बमेता, सहायक कमांडेंट ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 17 जुलाई, 2002 से दिया जाएगा ।

वरुण मित्रा

(वरूण मित्रा)

निदेशक

सं0 196 – प्रेज/2005-राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक /पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्वश्री

1. वाई एन राय,
   सहायक कमान्डेंट वीरता केलिए पुलिस पदक
2. देव सिंह,
   हैड कांस्टेबल वीरता के लिए पुलिस पदक
3. ई .जी. राव,
   हैड कांस्टेबल वीरता के लिए पुलिस पदक
4. टी .ए. सिंह,
   कांस्टेबल वीरता के लिए पुलिस पदक
5. के. के. पाण्डेय,
   कांस्टेबल वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक (मरणोपरांत)

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

24.11.2002 को लगभग 18:45 बजे रघुनाथ मन्दिर परिसर के आस पास विद्युत आपूर्ति अवरुद्ध होने के कारण अंधेरे का फायदा उठाते हुए एक फिदाईन ने श्रद्धालुओं के साथ रघुनाथ मन्दिर के अहाते में प्रच्छन्न रुप से घुसने का प्रयास किया। आतंकवादी कुछ हथगौले फेंकते हुए मुख्य द्वार पर जामा-तलाशी लेने वाली जगह से निकल गया जिसके कारण हो हल्ला मच गया क्योंकि श्रद्धालू इधर-उधर भागने लगे। मन्दिर के प्रांगण में पूर्ण अंधेरा था। हो हल्ले और अंधेरे का लाभ उठाते हुए आतंकवादी मन्दिर के परम पावन मन्दिर गर्भ की तरफ भागने में सफल रहा। कांस्टेबल के. के. पाण्डेय, जो कि प्रागंण के प्रवेश के निकट स्थित मोर्चा सं. 1 में संतरी डयूटी कर रहे थे, ने तत्काल और बहादुरी से कार्रवाई की। अंधेरे में फिदाईन का पता लगाने तथा उसे निष्क्रिय करने के लिए कांस्टेबल के.के.पाण्डेय अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना फुर्ती से अपने बंकर से बाहर निकले और अपनी राइफल से फिदाईन की तरफ छः राउन्ड गोली चलाई जिसकी वजह से फिदाईन की गतिविधि बन्द हो गई और मान्दर परिसर में अन्य सभी संतरियों सहित श्रद्धालू सतर्क हो गए तथा तत्काल कवर केलिए झुक गए। तथापि, आतंकवादी द्वारा चलाई गई एक आकस्मिक गोली उनके नाजुक अंग पर लगी जो घातक सिद्ध हुई तथा इस तरह उन्होंने (कांस्टेबल) ने उसी स्थान पर घायलावस्था में दम तोड़ दिया। इसी बीच, कांस्टेबल टी. ए. सिंह ने छत से फिदाईन को उलझाए रखा। अंधेरे का लाभ उठाते हुए आतंकवादी मंदिर गर्भगृह की तरफ बढा तथा खंबों के पीछे कवर ले ली। कांस्टेबल टी. ए. सिंह द्वारा और प्रयास करने के दौरान आतंकवादी ने इन पर एक हथगौला फेंका। हैड कांस्टेबल ई.जी.राव ने फिदाईन का पता लगाने में कांस्टेबल टी.ए.सिंह का साथ दिया। परस्पर भारी गोलीबारी के पश्चात हैड कांस्टेबल ई जी. राव आतंकवादी को उलझाए रखने की मंशा से छत के अंत में उसके मोर्चे की तरफ बढ़े। इस प्रक्रिया में, आतंकवादी ने उन पर गोली चला दी जिसके कारण ये गम्भीर रुप से घायल हो गए। तब तक , श्री वाई. एन. राय, सहायक कमांडेंट तथा हैड

कांस्टेबल देव सिंह वहाँ पहुंच गए और निपुणता के साथ अपने कौशल का इस्तेमाल करते हुए वे रेंगते हुए एक मोबाईल बुलेट प्रुफ बंकर की तरफ पहुंचे । श्री वाई. एन. राय तथा हैड कांस्टेबल देव सिंह ने मोबाइल बंकर के पीछे मोर्चा संभाल लिया, ग्रिल गेट के सामने पहुंचे जहां से ये आतंकवादी को प्रभावपूर्ण ढंग से काबू करने की बेहतर स्थिति में थे। सही समय पर कार्रवाई करते हुए श्री वाई. एन. राय और हैड कांस्टेबल देव सिंह बंकर से बाहर निकले तथा आमने सामने की लड़ाई में आतंकवादी को उसी स्थान पर मार गिराया। अगली सुबह यह सूचित किया गया कि अन्य एक आतंकवादी, जो पिछली रात भाग गया था, राजेन्द्र मार्किट स्थित एक घर में घुस गया है। श्री वाई. एन. राय और कांस्टेबल देव सिंह साथ की इमारत के छत की ओर बढ़े और वहां सामरिक दृष्टि से पोजीशन ले ली। आतंकवादी उस इमारत के प्रथम तल पर एक कमरे में छुपा हुआ था। श्री वाई . एन. राय और हैड कांस्टेबल देव सिंह ने आतंकवादी पर गोलीबारी करना शुरु कर दिया तथा कमरे में हथगौले फेंके। निपुणता से कार्रवाई करते हुए श्री राय कमरे के पास पहुंच गए तथा देखा कि आतंकवादी ने बड़ी चालाकी से पोजीशन ले रखी है। श्री वाई. एन. राय सहायक कमांडेंट ने आतंकवादी पर गोलियों की बौछार की तथा वापस कूदने का प्रयास किया परन्तु आतंकवादी द्वारा चलाई गई एक गोली उनके बायें बाजू पर लगी। हैड कांस्टेबल देव सिंह, जो कि श्री राय के एकदम पीछे थे, ने गोलीबारी की तथा घायल श्री राय को बाहर निकाला। तत्पश्चात एल एम जी फायर तथा मैटल पाईपों का इस्तेमाल करके दीवार में एक छेद किया गया जिसके जरिए हथगौले फेंके गए तथा आतंकवादी मारा गया। सी आर पी एफ कार्मिकों के अलावा सेना, सिविल पुलिस कार्मिकों तथा अधिकारियों ने भी उक्त अभियान में भाग लिया। श्री एस कोंस्टेनटाइन, डी आई जी, सी आर पी एफ, जम्मू , श्री बी. एस. गिल , सी ओ - 49 बटालियन तथा अन्य सी आर पी एफ अधिकारियों सहित श्री पी. एल गुप्ता , आई जी पी जम्मू जोन, श्री दिलबाग सिंह, डी आई जी जम्मू रेंज तथा श्री फारुख अहमद एस एस पी जम्मू ने व्यक्तिगत रुप से अभियान का पर्यवेक्षण किया।

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री वाई. एन. राय, सहायक कमान्डेंट, देव सिंह, हैड कांस्टेबल, ई.जी.राव, हैड कांस्टेबल,टी.ए. सिंह, कांस्टेबल तथा दिवंगत के.के.पाण्डेय ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, राष्ट्रपति का पुलिस पदक/ पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 24 नवम्बर , 2002 से दिया जाएगा ।

(बरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 197 - प्रेज/2005-राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री जोगिन्दर पाल,
कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

सी/109 बटालियन की एक टुकड़ी 25.6.2004 से लोक सेवा आयोग कार्यालय, रेजिडेन्सी रोड, पी एस-कोठी बाग, श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर में तैनात की गई थी। प्रत्येक रविवार को, पी एस सी कार्यालय के सामने के फुटपाथ पर एक खुला बाजार लगा करता था। 31.10.04 को भी रविवार बाजार लगा हुआ था और खरीदारी हेतु काफी भीड़ लगी हुई थी। 31.10.04 को हैड कांस्टेबल पी बी निकम उक्त पोस्ट पर गार्ड/पोस्ट कमांडर के रुप में कार्यरत थे और सं. 889910155 कांस्टेबल जोगिन्दर पाल और कांस्टेबल महेश भगत उक्त पोस्ट के सामने गश्त ड्यूटी कर रहे थे। लगभग 1645 बजे हैड कांस्टेबल पी बी निकम ने उपर्युक्त पोस्ट के सामने दो व्यक्तियों (सिविलियनों) को संदेहास्पद स्थिति में घूमते देखा। हैड कांस्टेबल पी बी निकम ने तत्काल कांस्टेबल जोगिन्दर पाल और कांस्टेबल महेश भगत को इन दोनों संदिग्ध व्यक्तियों पर निगरानी रखने के लिए कहा। दोनों कांस्टेबलों ने इन दोनों संदिग्ध व्यक्तियों पर अपनी निगरानी केन्द्रित कर दी और उनका पीछा किया। ये दो संदिग्ध व्यक्ति कुछ दूरी तक गए और फिर रविवार बाजार (संडे मार्किट) में अन्य जनता के साथ मिल गए। तथापि, कांस्टेबल जोगिन्दर पाल उनकी तलाश में आगे गए और उनके साथ सी टी/जी डी महेश भगत भी गए। जब कांस्टेबल जोगिन्दर पाल भीड़ में आगे बढ़े तभी अचानक संदिग्ध व्यक्तियों में से एक व्यक्ति ने कांस्टेबल जोगिन्दर पाल की गर्दन की ओर पिस्तौल तान दी और काफी निकट से ट्रिगर दबा दिया। खतरे को महसूस करके और संदिग्ध व्यक्ति को पहचानते हुए, कांस्टेबल जोगिन्दर पाल तत्काल घूम गए। इस कार्रवाई के समय, संदिग्ध व्यक्ति ने अपनी पिस्तौल से एक गोली चलाई जो कॉस्टेबल जोगिन्दर पाल की गर्दन के पिछली तरफ लगी। तत्काल, कांस्टेबल जोगिन्दर पाल ने भी दो राऊंद गोली चलाई और उक्त हमलावर को जख्मी कर दिया। हमलावर पेट में गोली लगने से घायल हो गया और कुछ कदम चलने के पश्चात सड़क पर ही गिर पड़ा। कांस्टेबल जोगिन्दर पाल, उसकी तरफ तेजी से गए और उसकी तलाशी ली तथा 7 जिंदा राऊंद और 1 मैगजीन के साथ एक चीनी पिस्तौल बरामद की। संदिग्ध व्यक्ति की पहचान बशीर अहमद भट पुत्र मोहम्मद इस्माइल भट, उम्र 30 वर्ष, निवासी टंगपोरा, बटमाल्लो श्रीनगर (जम्मू और कश्मीर) और हिजबुल-मुजाहिद्दीन के एरिया कमांडर के रुप में की गई। 1.11.2004 को जख्मों के कारण उसकी मृत्यु हो गई। अन्य संदिग्ध व्यक्ति, जो उस व्यक्ति के साथ था, ने भी वहां से भागने का प्रयास किया लेकिन कांस्टेबल महेश भगत ने उसे पहचान लिया और तत्काल उस पर दो राऊंद गोलियां चला कर भाग रहे संदिग्ध व्यक्ति का हाथ जख्मी कर दिया जिसके कारण वह नीचे गिर गया। उग्रवादी ग्रुप के साथ उसके संबंधों की सिविल पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। स. 889910155 कांस्टेबल जोगिन्दर पाल ने गोली लगने से गंभीर रुप से जख्मी होने के बावजूद अपने जख्मों की चिंता न करते हुए उत्कृष्ट बहादुरी और वीरता का परिचय दिया। अपनी जान को जोखिम में डालकर गोलियाँ लगने से घायल होने के बावजूद भी अपनी जान की परवाह न करते हुए, इन्होंने न केवल दुर्दान्त उग्रवादी को जख्मी किया बल्कि उससे शस्त्र/गोला बारुद भी बरामद किया।

इस मुठभेड़ में, श्री जोगिन्दर पाल, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 31 अक्तूबर, 2004 से दिया जाएगा ।

बरुण मित्रा

(बरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 198 - प्रेज/2005-राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्वश्री

1. पी. एस. राजेन्द्रन,
   हैड कांस्टेबल
2. एस. बाबू,
   कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

14.3.2004 को विश्वसनीय सूचना मिलने पर भुपालपल्ली पुलिस स्टेशन के उप निरीक्षक और उनकी टीम के साथ पुल्ला शोभन कुमार , ओ / एस निरीक्षक , आन्ध्र प्रदेश पुलिस , भुपालपल्ली की समग्र आपरेशनल कमान्ड के अर्न्तगत सी आर पी एफ की डी /83 बटालियन के एक हैड कांस्टेबल तथा 7 कांस्टेबलों सहित सं. 710543567 एस आई / जी डी चन्द्र वल्लभ की कमान में डी/ 83 बटालियन, सी आर पी एफ की एक टुकडी छापे और तलाशी अभियान के लिए लगभग 0245 बजे कासिमपल्ली क्षेत्र, पुलिस स्टेशन भुपालपल्ली जिला वारंगल, आंध्र प्रदेश के लिए लारियों से निकली। लगभग 0505 बजे पार्टी अनसनपल्ली गांव के बाहरी क्षेत्र में उतरी। लगभग 06:00 बजे घेराबन्दी पार्टी ने अनसनपल्ली गांव में क्षारला रवि के घर को घेर लिया जो कि वारंगल जिले के भुपालपल्ली पुलिस स्टेशन की सीमा पर पुलिस स्टेशन कोय्यूर, जिला करीमनगर में पड़ता है। पी डब्ल्यू जी संतरी, जो खिड़की के पास खड़ा था, ने घर के आस पास आपरेशन पार्टी को देख लिया तथा अन्यों को तत्काल सतर्क कर दिया। आपरेशन पार्टी ने नक्सलवादियों को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। बार-बार अनुरोध के बावजूद नक्सलवादियों ने स्वचालित हथियारों से आपरेशन पार्टी पर गोली चला दी। इसी बीच, पिछले दरवाजे से दो नक्सलवादी घर से भाग गए। तब आपरेशन पार्टी ने भागने वाले नक्सलवादियों का पीछा किया तथा उन पर गोलीबारी करना शुरु कर दिया। उन्हें चोटें आई परन्तु वे घने कपास के खेतों से भाग गए। एक महिला नक्सलवादी घर से भागी तथा आस पास के दो घरों के के बीच तंग रास्ते(गली) में मोर्चा लेने के पश्चात उसने डी/83 बटालियन, सी आर पी एफ के पुल्ला

शोभन कुमार, ओ/एस , निरीक्षक, सं. 86110254, एच सी/जी डी पुलिस स्टेशन राजेन्द्रन तथा सं. 015242316 सीटी/जीडी एस. बाबू, वाली आपरेशन पार्टी के उप- समूह पर स्वचालित हथियार से भारी गोलीबारी की।हालांकि सं. 861160254 एच सी/जी डी पी एस राजेन्द्रन पर भारी गोलीबारी हो रही थी परन्तु अपनी जान की परवाह किए बिना इन्होंने महिला आतंकवादी की तरफ चतुराई से आगे बढकर अदम्य साहस का परिचय दिया तथा उसे स्पष्ट रुप से देखने पर, अपनी जान को गंभीर जोखिम में डाल कर अपनी इन्सास (आई एन एस ए एस) राइफल से गोली बारी की। महिला नक्सलवादी को गोली लगी तथा उसके पास वहां से भागने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा था और उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई। उसके आगे सं 86110254 एच सी /जी डी पी. एस राजेन्द्रन विशिष्ट साहस का परिचय देते हुए महिला नक्सलवादी की तरफ युक्ति पूर्वक आगे बढे और 30 राउन्ड गोला बारुद से लैस उसकी .30 यू.एस कारबाइन तथा 2 मैगजीन छीन ली। मृत महिला नक्सलवादी की पहचान बाद में जोरिका सराना उर्फ वेनुला राधा उर्फ सुगुमक्का उर्फ सुगुना पत्नी समुन्ना, निवासी तेकुमाटला, चित्याल मंडल के रुप में की गई जो पहले जिला वारंगल, चित्याल- भुपलपल्ली की क्षेत्रीय समिति सदस्य था तथा वेंकटपुर एल जी एस की कमान्डर तथा अब सी पी आई (एम एल) पी डब्ल्यू जी की हाल में गठित भुपलपल्ली प्लेन एरिया स्कवाड की सी ओ थी । इसी बीच, पुल्ला शोभन कुमार और सी टी /जी डी एस. बाबू अन्य भागते हुए नक्सलवादी , जो .303 राइफल से इन पर गोली चला रहा था, का पता लगाने में समर्थ रहे । अपनी जान की परवाह किए बिना तथा असाधारण साहस का परिचय देते हुए उन्होंने कुछ दूरी से उसका पीछा किया। डी/83 बटालियन के सं. 015142018 सी टी/जी डी टी. थिरुपति रेड्डी द्वारा की गई कवरिंग गोलीबारी की सहायता से पुल्ला शोभन कुमार ओर सी टी /जी डी एस बाबू तेजी से और चालाकी से आगे बढे तथा भागते हुए नक्सलवादी को मार गिराया। उसके कब्जे से एक .303 राइफल तथा 40 राउन्ड गोला बारुद बरामद किया गया। आतंकवादी की पहचान क्षारला रवि निवासी अनसनपल्ली, पी.एस.कोय्यूर, जिला करीमनगर के रुप में की गई । अभियान में दो नक्सलवादियों के किट बैग तथा उन राजनैतिक नेताओं, की सूची वाले अभिशंसी पी डब्ल्यू जी दस्तावेज भी बरामद किए गए, जो सी पी आई (एम एल) पी डब्ल्यू जी , भुपालपल्ली पुलिस द्वारा कोय्यूर पुलिस स्टेशन को शव, हथियार और गोला बारुद तथा अन्य सामान सौंप दिया गया।

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री पी.एस.राजेन्द्रन, हैड कांस्टेबल तथा एस. बाबू, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 14 मार्च, 2004 से दिया जाएगा ।

(बरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 199 - प्रेज/2005-राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

1. श्री सत्यबीर सिंह (मरणोपरान्त)
हैड कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

11 सितम्बर, 2004 को 2005 बजे वांगूगाँव पुलिस स्टेशन कुम्बी,जिला बिशनुपुर (मणिपुर) में स्थित केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की 132 वीं,बटालियन की बी कम्पनी की एक टुकड़ी ने वांगूपुल, इम्फाल नदी पर घात लगाई । लगभग 2035बजे दो अज्ञात संदिग्ध लोग पुल की दूसरी तरफ से घात के स्थान की ओर आए। जब संदिग्ध व्यक्ति नजदीक आए तो हैड कांस्टेबल सत्यबीर सिंह ने उन्हें रुकने तथा अपनी पहचान बताने के लिए कहा। अज्ञात संदिग्ध व्यक्तियों ने तुरंत ग्रेनेड निकाला और हैड कांस्टेबल सत्यबीर सिंह पर फेंका। ग्रेनेड हैड कांस्टेबल के पास फटा और वह किरचें लगने से गम्भीर रुप से घायल हो गए। हैड कांस्टेबल सत्यबीर सिंह ने अपनी घावों की परवाह न करते हुए तुरन्त जवाबी कार्रवाई की और उस पर गोली चलाई जिससे वह स्थल पर ही मारा गया। अन्य संदिग्ध यू जी अंधेरे और घनी बांस की झाड़ियों की आड़ में बच निकला। मृत यू जी, जिसकी पहचान टी बरोजेन सिंह (24 वर्ष) प्रीपाक (पी आर ई पी ए के) ग्रुप के स्वंभू कार्पोल के रुप में हुई, से दो जिन्दे कारतूसों सहित एक पिस्तौल और एक केनवुड वाकी-टाकी बरामद हुआ। हैड कांस्टेबल सत्यबीर सिंह ने घावों के कारण दम तोड़ दिया। हैड कांस्टेबल श्री सत्यबीर सिंह के साहसी और तुरन्त कार्रवाई के कारण अपनी टुकड़ी के कार्मिकों की जान बच गई। हैड कांस्टेबल ने गम्भीर खतरे का सामना करते हुए उच्च कोटि की वीरता और सर्वोच्च बलिदान का परिचय दिया।

इस मुठभेड़ में, दिवंगत श्री सत्यबीर सिंह, हैड कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 11 सितम्बर, 2004 से दिया जाएगा ।

(बरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 200 - प्रेज/2005-राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

चौधरी विनोद भाई, (मरणोपरांत)

कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

नालोंगबाड़ी/तुलाबाड़ी गांव के क्षेत्र में स्वंभू सार्जेंट अशोक देब बर्मा की अगुवाई में 11-12 विद्रोहियों की आवा-जाही की गुप्त सूचना के आधार पर, 1.7.2004 को सिविल पुलिस और सी आर पी एफ की ई/68 बटालियन की 2 प्लाटूनों के साथ श्री एम एस उपाध्याय, सहायक कमांडेंट (ओ.सी. ई/68 बटालियन, सी आर पी एफ) द्वारा एक संयुक्त ऑपरेशन की योजना बनाई गई। ऑपरेशन हेतु जाते समय एस आई/जी डी हर्ष सिंह नेगी के साथ एक प्लाटून को बाराबाड़ी/पगलाबाड़ी मैदान ट्रैक पर कालाबाड़ी चौराहे पर लगभग 1915 बजे कुछ अज्ञात लोग मिले। जब उन्हें ललकारा गया तो उन अज्ञात विद्रोहियों द्वारा सी आर पी एफ कर्मियों पर गोलीबारी की गई। इसके जवाब में तत्काल गोलीबारी की गई। गोलीबारी की सूचना मिलने पर, श्री एम.एस. उपाध्याय, ए सी जो तलाशी हेतु अपनी टुकड़ी के साथ आगे बढ़ने के लिए घेराबंदी की प्रगति की प्रतीक्षा कर रहे थे, तत्काल बी.पी. वाहन के साथ कुमुक के रुप में आगे बढ़े। 10 मिनट के भीतर वे घटनास्थल पर पहुँच गए और इन्होंने स्थिति का जायजा लिया तथा उस क्षेत्र में रह रहे कुछ ग्रामीणों से बातचीत की ताकि उन विद्रोहियों, जो जवाबी गोलीबारी के कारण वहां से भाग गए थे, की आगे आवा-जाही की संभावित दिशा को समझा जा सके। अपेक्षित जानकारियां प्राप्त करने के पश्चात और घोर अंधेरे के दौरान भाग रहे अतिवादियों का "तीव्रता से पीछा करने" में शामिल जोखिम के बावजूद, इन्होंने पुनः एक बार अपनी टुकड़ियों को ब्रीफ किया और चतुराईपूर्ण ढंग से डोंगरबाड़ी गांव की ओर बढ़े। अग्रणी प्लाटून जब डोंगरबाड़ी गांव के बाहरी क्षेत्र में पहुँची, तो कांस्टेबल चौधरी विनोद भाई पार्टी, गाइड/स्काउट ने लगभग 2045 बजे आगे एक धुंधली आकृति देखी और उसे ललकारा। इसके प्रत्युत्तर में पास ही की झोपड़ी में छिपे कुछ अन्य अज्ञात विद्रोहियों ने गोलीबारी शुरु कर दी और उक्त कांस्टेबल चौधरी को गंभीर रुप से घायल कर दिया, जिन्होंने घायल होने के बावजूद अपने व्यक्तिगत हथियार से जवाबी गोलीबारी की। कुछ समय के लिए निरंतर होती रही आपसी गोलीबारी के दौरान, श्री उपाध्याय अपनी सुरक्षा/संरक्षा की परवाह किए बिना चतुराई के साथ आगे बढ़े और उस स्थल पर पहुँच गए। उन्होंने तत्काल, बादलों से आच्छादित घोर अंधेरे के बावजूद झोपड़ियों की घेराबंदी की और बी पी वाहन द्वारा घायल कांस्टेबल को वहां से हटाने की व्यवस्था की। जब पार्टी द्वारा कांस्टेबल विनोद भाई को वहां से हटाया गया तो उनकी राइफल मैगजीन खाली पाई गई जिससे यह स्पष्ट संकेत मिलता था कि उन्होंने घायल होने के बावजूद साहसपूर्ण ढंग से 40 राऊंद चलाए थे। बाद में कांस्टेबल विनोद भाई को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कल्याणपुर में तत्काल "प्राथमिक चिकित्सा" करने के पश्चात, आगे आपाती मामले के रुप में जी बी पंत अस्पताल, अगरतला ले जाया गया। तथापि, अथक प्रयासों के बावजूद घायल कांस्टेबल विनोद भाई को बचाया नहीं जा सका।

इस मुठभेड़ में, (दिवंगत) चौधरी विनोद भाई, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

वह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 1 जुलाई, 2004 से दिया जाएगा ।

(बरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 201 - प्रेज/2005-राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री बिप्लब मंडल.
सहायक कमांडेंट

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

श्री बिप्लब मंडल, सहायक कमांडेंट की कमान में एफ/39 बटालियन सी आर पी एफ की टुकड़ी ने 9.8.2000 को सुआरा (लखाड़ी के निकट) में एक संयुक्त अभियान चलाया जिसमें दो एल-ई-टी उग्रवादी मारे गए और 2 ए के-47 राइफल, एक पिस्तौल, एक वायरलैस सैट, दो ग्रेनेड और अन्य गोलाबारुद/दस्तावेज बरामद किए गए। 10.8.2000 की सुबह-सुबह ही एक सिविलियन ने श्री बिप्लब मंडल ए/सी को सूचित किया कि दो उग्रवादी, जो 9.8.2000 को सुआरा ऑपरेशन में से बच कर भाग निकले थे, सोरेना चौड़ा गांव (गुर्हा गलयाल) में स्थित एक घर में छिपे हुए हैं। श्री बिप्लब मंडल, ए/सी टुकड़ियों के साथ तत्काल तेजी से गांव सोरेना चौड़ा की ओर गए। जब पार्टी उक्त घर के नजदीक पहुँची और तलाशी अभियान शुरु किया गया तब वह घर खाली पाया गया। पूरे क्षेत्र की घेराबंदी कर दी गई। एक ग्रामीण ने अधिकारी और टुकड़ी को बताया कि हथियार ले जाते हुए दो संदिग्ध व्यक्ति जंगल की ओर गए हैं। श्री मंडल ने साथ-साथ, उस क्षेत्र में उग्रवादियों की मौजूदगी के संबंध में वायरलैस पर एस पी कठुआ सहित सभी संबंधितों को सूचित किया। इसी बीच सिविल पुलिस और गांव के वी डी सी सदस्य भी वहां पहुँच गए और एक संयुक्त अभियान चलाया गया। ऑपरेशन के दौरान, उग्रवादियों ने गोलीबारी शुरु कर दी और टुकड़ियों को लक्ष्य बनाते हुए ग्रेनेड फेंके। उग्रवादियों द्वारा चलाई गई गोली एक होमगार्ड कर्मचारी नामतः मंजीत सिंह को लगी और उन्होंने वहीं प्राण त्याग दिए। श्री बिप्लब मंडल, ए/सी 39 बटालियन, जो मारे गए होमगार्ड मंजीत सिंह के काफी नजदीक मोर्चाबंदी किए हुए थे, ने तत्काल अपनी पोजीशन बदल ली और अपनी जान की परवाह न करते हुए एक ग्रेनेड फेंका और उग्रवादियों की पोजीशन की ओर कारगर रुप से गोलीबारी भी की जिसके परिणामस्वरुप एक उग्रवादी मारा गया जिसकी पहचान हरकत-उल-मुजाहिद्दीन गुट से संबंध रखने वाले नरसुल्लाह कोड नाम वाले एक भाड़े के विदेशी सैनिक के रुप में की गई। मारे गए उग्रवादी से एक ए के-47 राइफल, 6 ए के-47 मैगजीन, ए के-47 के 51 जिंदा राऊंद, दो हैंड ग्रेनेड, एक वायरलैस सैट, बेल्ट और 15070/रु0 की भारतीय मुद्रा इत्यादि बरामद किए गए। घने जंगल और ऊबड़-खाबड़ क्षेत्र के कारण, दूसरा उग्रवादी भागने में कामयाब हो गया। मारे गए उग्रवादी का शव और बरामद किए गए शस्त्र/गोलाबारुद सिविल पुलिस (रामकोट पुलिस पोस्ट) को सौंप दिया गया। इस संबंध में, एक प्रथम सूचना रिपोर्ट संबंधित पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई। श्री बिप्लब मंडल ए/सी 39 बटालियन ने अपनी टुकड़ी के साथ 12.8.2000 को सोरेना चौड़ा गांव में एक अन्य संयुक्त अभियान में

भी भाग लिया जिसमें एक उग्रवादी मारा गया जो उसी गांव में 10.8.2000 को हुई मुठभेड़ के दौरान पहले बच कर भाग निकला था। 12.8.2000 को संयुक्त अभियान में मारे गए उग्रवादियों से शस्त्र/गोलाबारुद तथा विस्फोटक भी बरामद किए गए।

इस मुठभेड़ में, श्री बिप्लब मंडल, सहायक कमांडेंट ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 10 अगस्त, 2000 से दिया जाएगा ।

वरुण मित्रा।

(वरूण मित्रा)

निदेशक

सं0 202 – प्रेज/2005-राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. मूल चंद पंवार,
   कमांडेंट
2. अश्वजीत गायकवाड़,
   कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

30.7.2004 को इस गुप्त सूचना के आधार पर कि कुछ कट्टर विद्रोही, गांव कृष्णा प्रसाद पाड़ा (छागरिया) ग्राम सभा-अशीघर, पी एस- जिरानिया, जिला पश्चिमी त्रिपुरा के क्षेत्रों में राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों में लगे हुए हैं, एक विशेष आपरेशन की योजना बनाई गई। श्री मूल चंद पंवार, कमांडेंट 68 बटालियन सी आर पी एफ ने स्वयं धावा पार्टी के साथ ऑपरेशन का नेतृत्व किया जिसे विद्रोहि (यों) को पकड़ने के लिए फुर्ती और कारगर ढंग से धावा बोलना था। इन्होंने बुद्धिमत्ता के साथ योजना बनाई और दूर-दराज के क्षेत्र में ऑपरेशन हेतु जाते समय, विद्रोहियों को विस्मित करने के इरादे को ध्यान में रखते हुए अपनी पार्टी गठित की। समुचित रुप से ब्रीफिंग और तैयार करने के पश्चात, ये अपनी पूरी पार्टी के साथ, 31.7.2004 को लगभग 0100 बजे कैंप से चल दिए और लगभग 0300 बजे गांव छागरिया (कृष्णा प्रसाद पाड़ा) के नजदीक पहुँचे। 0345 बजे तक श्री पंवार ने चतुराई के साथ स्टॉप्स/कट ऑफ्स पोजीशन तैयार कर ली और विद्रोहियों को जाल से बच कर भाग निकलने का कोई भी अवसर न देने के लिए अपनी टीम को समझाया। उसके पश्चात वे अपनी धावा टीम के सदस्यों के साथ सावधानीपूर्वक चुपके-चुपके उस घर की ओर बढ़े जहां उपलब्ध जानकारी के अनुसार विद्रोहियों के पूरी रात ठहरने की बात कही गई थी। वर्षा के कारण खराब हो चुके पर्वतीय उबड़-खाबड़ रास्ते को होशियारी के साथ पार करते हुए ये घने जंगल के सीमावर्ती गांव के बाहरी क्षेत्र में "टिला" (छोटी पहाड़ी) पर एक चिन्हित घर के नजदीक पहुँचे। इन्होंने अपने चुनिंदा साथियों के साथ पहले यह सुनिश्चित किया कि विद्रोहियों द्वारा वहां कोई सन्तरी तो तैनात नहीं किया गया है लेकिन वहां कोई नहीं था। इन्होंने और इनकी टीम ने कुछ और समय तक प्रतीक्षा की और घर के संवासियों को उठने और स्वयं घर से बाहर आने का इंतजार किया। लगभग 0445 बजे घर के अंदर जो संवासी थे वे जाग गए और स्वयं घर के बाहर आने

लगे लेकिन वे घर के चारों ओर सी आर पी एफ पार्टी को देखकर चकित रह गए। उन्हें चेतावनी दी गई कि अपने हाथ उठाकर और कोई हल्ला-गुल्ला किए बिना बाहर आ जाएं। बच्चों और महिलाओं सहित 9 संवासी बाहर निकल आए। जब श्री मूल चंद पंवार, कमांडेंट ने अपनी धावा पार्टी के कुछ अन्य साथियों के साथ आगे बढ़ना शुरु किया तभी संवासियों में से एक व्यक्ति ने कदाचित पकड़े जाने से बचने के लिए, एक महिला की आड़ लेते हुए अपनी स्वचालित पिस्तौल से श्री पंवार पर गोली चलाई और घर के बिल्कुल पीछे स्थित एक नाले/जंगल के माध्यम से स्वयं को बचाने के लिए भागना शुरु कर दिया। श्री पंवार, जो उस विद्रोही के काफी निकट थे, ने चतुराई और फुर्ती के साथ कार्रवाई करते हुए स्वयं को बचाया इसी के साथ इन्होंने उच्चकोटि की चुस्ती-फुर्ती और सूझ-बूझ का परिचय देते हुए और अपनी निजी सुरक्षा की परवाह किए बिना, उच्चकोटि के साहस, बहादुरी और नेतृत्व का प्रदर्शन करते हुए महिलाओं और बच्चों सहित अन्य लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु अपने हथियार (ए के एम) से विद्रोही पर पलटकर गोली चलाई। सं. 971290703 कांस्टेबल/जी डी अश्वजीत गायकवाड़, जो घर के कोने से श्री पंवार को कवर किए हुए थे, ने भी अपनी एल एम जी के साथ तत्काल विश्वासपूर्ण ढंग से विद्रोही पर गोली चलाई। विद्रोही को इन दोनों द्वारा एक साथ चलाई गई गोलियां लगीं। श्री पंवार तेजी से उस गिर चुके विद्रोही के पास गए और उससे पिस्तौल छीन ली तथा उससे उस क्षेत्र/गांव में अन्य विद्रोहियों के होने की संभावना के संबंध में सूचना उगलवाने के लिए उससे बातचीत करने की कोशिश की लेकिन यह विद्रोही कट्टर विद्रोहियों में से एक था और उसने कोई भी सूचना नहीं दी और अंत में लगभग 7/8 मिनट के पश्चात उसने घावों के करण उसी जगह पर दम तोड़ दिया। बाद में मारे गए विद्रोही और घर की तलाशी लेने पर 9 एम एम की चीनी पिस्तौल और उसकी मैगजीन जिसमें 3 जिंदा राउंद थे, के अतिरिक्त कुछ अभिशंसी दस्तावेज/ए.टी.टी.एफ. कार्डर की दवाईयां, कुछ विद्रोहियों के फोटोग्राफ इत्यादि बरामद किए गए। विद्रोही की पहचान बाद में आल त्रिपुरा टाइगर फोर्स, एक प्रमुख त्रिपुरा विद्रोही गुट के एरिया कमांडर, स्वंभू कॉर्पोरल नयन देब बर्मा उर्फ जगदीश के रुप में की गई जिसके विरुद्ध जी/प्रथम बटालियन, सी आर पी एफ टुकड़ी पर घात लगाकर हमला करने, उनमें से तीन को मारने तथा 5.2.2004 को उनके तीन हथियार ले जाने सहित कई गंभीर किस्म के आपराधिक मामले लंबित थे। यह ए टी टी एफ गुट के लिए बहुत बड़ा झटका था चूंकि उन्होंने पश्चिमी त्रिपुरा जिले के पी एस जिरानिया के अंतर्गत मंडल के अत्यधिक संवेदनशील सेक्टर के अपने एरिया कमांडरों में से एक को खो दिया था।

इस मुठभेड़ में, सर्वश्री मूल चंद पंवार, कमांडेंट और अश्वजीत गायकवाड़, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 31 जुलाई, 2004 से दिया जाएगा ।

वरुण मित्रा

(वरूण मित्रा)

निदेशक

सं0 203 - प्रेज/2005-राष्ट्रपति, सशस्त्र सीमा बल के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री चारु चंद्र पाठक (मरणोपरांत)
सहायक कमांडेंट

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

23 अप्रैल, 2004 को दिवंगत श्री सी सी पाठक इसी बटालियन के श्री राजेन्द्र कुमार, सहायक कमांडेंट के साथ सरकारी कार्य से इंदिरा नगर, श्रीनगर (जम्मू और कश्मीर) में स्थित 7वीं बटालियन के टी ए सी मुख्यालय गए हुए थे। कंपनी मुख्यालय वापिस आते समय, श्री पाठक को सूचना मिली कि कांग्रेस भवन, श्रीनगर में तैनात एस एस बी गार्ड पर उग्रवादियों ने ग्रेनेड से हमला किया है। इस सूचना के प्राप्त होने पर, श्री पाठक अपनी जान और सुरक्षा की परवाह किए बिना और गंभीर खतरे के बावजूद उस जगह (कांग्रेस भवन) की ओर तेजी से गए और उग्रवादियों को ढूंढ़ने और उन्हें निष्क्रिय करने की दृष्टि से तत्काल उनका सामना करने संबंधी उपाय शुरु कर दिए ताकि नागरिकों के जान-माल की सुरक्षा की जा सके। दुर्भाग्यवश, इस कार्रवाई के दौरान, दिवंगत श्री पाठक पर उग्रवादियों, जो पास ही में छिपे हुए थे, द्वारा फेंके गए एक और ग्रेनेड के कारण सिर में गंभीर रुप से चोटें आईं। गंभीर रुप से जख्मी होने के बावजूद, श्री पाठक ने उग्रवादियों को निष्क्रिय करने और अपनी पूरी ताकत के साथ लोगों और उनकी संपत्ति को बचाने का निरंतर प्रयास किया। उस स्थान पर कुमुक के पहुँचने तक इन्होंने गंभीर रुप से घायल होने के बावजूद बहादुरी से उग्रवादी का सामना किया। दुर्भाग्यवश, उनके सिर में चोट लगने के कारण इन्होंने 27.4.2004 को 0630 बजे दम तोड़ दिया।

इस मुठभेड़ में, (दिवंगत) श्री चारु चंद्र पाठक, सहायक कमांडेंट ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 23 अप्रैल, 2004 से दिया जाएगा ।

(बरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 204 – प्रेज/2005-राष्ट्रपति, दिल्ली पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. राजबीर सिंह, सहायक पुलिस आयुक्त (वीरता के लिए पुलिस पदक का तीसरा बार)
2. मोहंद चंद शर्मा निरीक्षक (वीरता के लिए पुलिस पदक का तीसरा बार)

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

एक सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ आतंकवादियों द्वारा जम्मू और कश्मीर से एक ट्रक में हथियार/गोला-बारुद और विस्फोटक लाए जाने की सम्भावना है जिसके पंजीकरण नं. के आखिर में तीन अंक 153 हैं। निगरानी रखी गई और 30.8.2003 को लगभग 2 बजे अपराह्न, एक ट्रक, जिसका रजिस्ट्रेशन नं0 जे के-03-0153 था, पी एस सदर बाजार के क्षेत्र में कुतुब रोड पार्किंग स्थल में खड़ा देखा गया। इस ट्रक और इसके अधिभोक्ताओं पर नजर रखी गई। लगभग सायं 7.45 बजे, दो व्यक्तियों को ट्रक के नजदीक देखा गया। कुछ देर के पश्चात एक छोटे कद का व्यक्ति भी उस ट्रक के पास आया और वह भी चालक के कंपार्टमैंट में घुस गया। उन्हें बात करते और ट्रक की छत पर जाते देखा गया। पुलिस टीम ने उन्हें ललकारा और ट्रक की तलाशी ली। उसमें तीन फल के बक्से पाए गए। उन तीन बक्सों में से एक में 10 हैंड ग्रेनेड, 10 यू बी जी एल शैल और एक यू बी जी एल (अंडर बैरेल ग्रेनेड लांचर) रखे हुए थे। उन व्यक्तियों से अच्छी तरह से पूछताछ करने के बाद उनकी पहचान परवेज अहमद (चालक), फारुक अहमद उर्फ फरुज (क्लिनर) और नूर मोहम्मद तांत्रे उर्फ गुलजार अहमद (छोटे कद का व्यक्ति), के रुप में की गई और ये सभी जम्मू और कश्मीर में पुलवामा के थे। भारतीय दंड संहिता की धारा 120-ख, 121, 121-क, 122, 123, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4, 5 एवं शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत पी एस विशेष प्रकोष्ठ, लोधी कॉलोनी, नई दिल्ली में दिनांक 30.8.2003 की प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 70/2003 के तहत एक मामला दर्ज किया गया। नूर मोहम्मद तांत्रे ने बताया कि उसने इस माल को दो व्यक्तियों को सौंपना था, उनमें से एक निजामुद्दीन के निकट रिंग रोड पर मिलेनियम पार्क पर रहने वाला एक पाकिस्तानी है। वे एक सफेद रंग की मारुती कार में आ रहे होंगे। उसने यह भी बताया कि पाकिस्तानी को वह (नूर मोहम्मद) लाया था और उसे सिकन्दराबाद, उत्तर प्रदेश के एक हबिबुल्लाह को सौंप दिया था जिसने पाकिस्तान में उनके साथ प्रशिक्षण लिया था। उसने दोनों का संक्षिप्त रुप में हुलिया बताया। तत्काल सहायक पुलिस आयुक्त राजबीर सिंह के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई जिसमें निरीक्षक मोहंद चंद शर्मा, निरीक्षक ललित मोहन, उप निरीक्षक गोविन्द शर्मा, उप निरीक्षक संजय दत्त, उप निरीक्षक बद्रीश दत्त, उप निरीक्षक अरविन्द कुमार, उप निरीक्षक राहुल कुमार, उप निरीक्षक उमेश बर्थवाल, उप निरीक्षक मेहताब सिंह, उप निरीक्षक धर्मेन्द्र, उप निरीक्षक पवन कुमार, उप निरीक्षक जय किशन, उप निरीक्षक सतपाल, सहायक उप निरीक्षक ऋषिपाल, सहायक उप निरीक्षक विक्रम, सहायक उप निरीक्षक देवेन्द्र, सहायक उप निरीक्षक नरेन्द्र, सहायक उप निरीक्षक संजीव लोचन, सहायक उप निरीक्षक भूप सिंह, हैड कांस्टेबल सतिन्दर, हैड कांस्टेबल कुलदीप, हैड कांस्टेबल आनंद प्रकाश और कांस्टेबल सुरेन्द्र शामिल थे। मिलेनियम पार्क में एक जाल बिछाया गया। लगभग रात 10.45 बजे, एक कार जिसका रजिस्ट्रेशन नं. डी एल-3 सी एन-8749 था, में दो व्यक्ति आए। जब उन्हें ललकारा गया तो वे कार से बाहर निकल आए और उन्होंने बचने का प्रयास किया। उन्होंने भागते समय गोलियां चलानी शुरु कर दीं। उनकी गोलीबारी का जवाब दिया गया और आपसी गोलीबारी में, दोनों आतंकवादी मारे गए। नूर मोहम्मद द्वारा उनके शवों की पहचान की गई और उसने उनकी पहचान हबीब उर्फ रफीक अहमद उर्फ असलम पुत्र शफीक अहमद निवासी 390, काजीवाड़ा, सिकन्दराबाद, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश, जो

गेट के नजदीक मारा गया था और जहूर अहमद उर्फ मोहम्मद मुमताज शाहिद निवासी जिला कुशाब, पंजाब प्रांत, पाकिस्तान, जो पार्क के अंदर टेढ़ी दीवार के निकट मारा गया था, के रुप में की गई। कुछ निजी सामान जैसे पर्स, नानाविध दस्तावेजों इत्यादि के साथ-साथ दो मृत आतंकवादियों से मैगजीन के साथ दो .30 बोर स्टार चीनी पिस्तौलें बरामद की गईं। मारुती कार की तलाशी लेने पर प्रत्येक में 30 राउंद गोलाबारुद के साथ दो लोडिड मैगजीनों सहित एक ए के-56 राइफ़ल बरामद की गई। कार में 2 लाख रु0 नदक भी पाए गए। यह मामला, पोटा की धारा 03/4/20 और भारतीय दंड संहिता की धारा 186/353/307 एवं शस्त्र अधिनियम की धारा 25/27 के तहत, पी एस हजरत निजामुद्दीन में पुलिस मुठभेड़ के मामले के रुप में दिनांक 31.8.2003 की प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 445 के अधीन दर्ज किया गया और इसकी जांच-पड़ताल दक्षिण जिला पुलिस द्वारा की गई है। आगे पूछताछ करने पर, नूर मोहम्मद तांत्रे ने बताया कि वह घाटी में जैश-ए-मोहम्मद के लिए काम करता रहा है और वह एक प्रशिक्षित उग्रवादी है तथा उसने वर्ष 1990 और 1991 में पाकिस्तान और अफगानिस्तान में प्रशिक्षण प्राप्त किया है। वह इंप्रोवाइज्ड विस्फोटक डिवाईसिज बनाने में विशेषज्ञ है। मूल रुप से जम्मू और कश्मीर के पुलवामा जिले में त्राल का है और वह विगत तीन वर्षों में भूमिगत हो गया था। वह इस समय गांव हस्सीपुरा, तहसील चडोरा, जिला बडगाम, जम्मू और कश्मीर में रह रहा था। उसने यह भी बताया कि पाकिस्तानी उग्रवादी जहूर अहमद का वास्तविक नाम मोहम्मद मुमताज शैद (उम्र 20/20 वर्ष) है, जो पंजाब प्रांत, पाकिस्तान के खुशाब जिले से है और गत दो वर्षों से घाटी में आतंकवादी कार्रवाईयों में लिप्त है। नूर मोहम्मद ने यह भी बताया कि वह एक जैश उग्रवादी नामतः रशीद के संपर्क में था जिससे वह आदेश प्राप्त करता था। रशीद, गाजी बाबा से आदेश प्राप्त करता था। उसके अनुसार रशीद और गाजी बाबा, दोनों, जम्मू और कश्मीर में त्राल की ऊपरी पहाड़ियों की ऊँची जगहों से अपनी कार्रवाईयों को अंजाम दे रहे थे। अभियुक्त नूर मोहम्मद तांत्रे "ए" श्रेणी का उग्रवादी था और वह पूरे कश्मीर के लिए जैश-ए-मोहम्मद के चीफ/डिविजनल कमांडर के रुप में कार्य कर रहा था। वह रशीद, डिप्टी चीफ कमांडर और गाजी बाबा, जैश-ए-मोहम्मद के चीफ कमांडर के सीधे निरीक्षण/नियंत्रण में था। दोनों, पहले ही बी एस एफ के साथ मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं। जम्मू और कश्मीर की पुलिस के रिकॉर्ड के अनुसार, अभियुक्त नूर मोहम्मद तांत्रे उर्फ पीर बाबा उर्फ गुलजार अहमद भट उर्फ उवेस पहले ही 2 मामलों में, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 307, शस्त्र अधिनियम की धारा 7/25 के अंतर्गत पी एस सदर श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर में प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 136/03 और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4/5 के अंतर्गत पी एस सदर श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर में दर्ज मामला प्रथम सूचना रिपोर्ट 248/03 के तहत दर्ज है।

उग्रवादियों के साथ मुठभेड़ के दौरान, सहायक पुलिस आयुक्त राजबीर सिंह ने फुर्ती के साथ टेढ़ी दीवार के नजदीक पोजीशन ले ली। वे प्रशिक्षित उग्रवादी की पिस्तौल से हो रही गोलियों की बौछार का काफी नजदीक से सामना कर रहे थे। बड़ी निडरता और अपनी जान की परवाह न करते हुए और अनुकरणीय साहस और दृढ़ता का परिचय देते हुए इन्होंने उग्रवादियों का बहादुरी से सामना किया और अपनी सर्विस रिवाल्वर से 4 राउंद चलाए।

उग्रवादियों के साथ मुठभेड़ के दौरान निरीक्षक मोहंद चंद शर्मा ने फुर्ती के साथ मिलेनियम पार्क के मुख्य गेट के कोने के निकट पोजीशन ले ली। इन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए और अनुकरणीय साहस और दृढ़ता का परिचय देते हुए प्रशिक्षित उग्रवादी की पिस्तौल से की जा रही गोलियों की बौछार का काफी नजदीक से सामना किया, इन्होंने बहादुरी के साथ उग्रवादी रफीक अहमद उर्फ गुड्डु का सामना किया और अपनी सर्विस रिवाल्वर से 7 राउंद चलाए।

श्री राजबीर सिंह, सहायक पुलिस आयुक्त और निरीक्षक मोहंद चन्द शर्मा, जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालते हुए, इस अभियान में उच्च कोटि की बहादुरी, साहस, प्रेरणा और पेशेवर अंदाज का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, अन्यथा दुर्दान्त आतंकवादी और उनके साथियों ने आतंक फैला दिया होता और वे अपनी आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने में सफल हो सकते थे जिसके परिणामस्वरुप काफी जान और माल का नुकसान हो सकता था।

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री राजबीर सिंह, सहायक पुलिस आयुक्त और मोहंद चंद शर्मा, निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 30 अगस्त, 2003 से दिया जाएगा ।

(बरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 205 - प्रेज/2005-राष्ट्रपति, दिल्ली पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. राहुल कुमार,
   उप निरीक्षक
2. विक्रम,
   हैड कांस्टेबल (अब सहायक उप निरीक्षक)
3. नरेन्द्र,
   हैड कांस्टेबल (अब सहायक उप निरीक्षक)

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

13.12.2002 को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि शस्त्रों से पूरी तरह लैस कुछ आतंकवादी दिल्ली में कुछ आतंकवादी कार्रवाई करने के लिए 14.12.2002 को प्रातः फरीदाबाद की तरफ से एक सफेद मारुती जैन कार में आएंगे। उनको पकड़ने के उद्देश्य से, विशेष प्रकोष्ठ की विभिन्न टीमें फरीदाबाद से आने वाली सड़कों पर अनुकूल स्थानों पर तैनात की गई। 14.12.2002 को प्रातः लगभग 6.00 बजे, सूरजकुंड सीमा पिकेट पर तैनात टीम ने एक सफेद मारुति जेन कार, जिसका रजिस्ट्रेशन (सं. डी एल 7 सी-5921) था, को दिल्ली की ओर आते देखा। टीम ने जांच करने हेतु उसे रुकने का संकेत दिया लेकिन कार ने गति तेज कर दी। तत्काल इस टीम ने अन्य सभी टीमों को सूचित कर दिया और साथ ही उसका पीछा किया। तदनुसार, अन्य टीमें इस कार को रोकने के उद्देश्य से एम बी रोड-सूरजकुंड रोड टी-पॉइन्ट पर मिलीं। जब पुलिस टीमों ने टी-पॉइन्ट पर जेन कार को रोकने का प्रयास किया तो तभी ड्राइवर ने बचने के हताशापूर्ण प्रयास में तुगलकाबाद फोर्ट के नजदीक एम बी रोड पर एक पुलिया में टक्कर मार दी। तीन व्यक्ति कार से बाहर कूद पड़े और आगे बढ़ रही पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरु कर दी। पुलिस टीम के सदस्यों ने भी पोजीशन ले लीं और आत्मरक्षा में जवाबी गोलीबारी की। आगे हुई गोलीबारी में, जो लगभग 50 मिनट तक चली, लश्कर-ए-तैयबा के दो उग्रवादी, जिनकी पहचान बाद में मोहम्मद असलम गोजर और मोहम्मद जावेद मलिक के रुप में की गई, मार गिराए गए। ये दोनों पाकिस्तानी राष्ट्रिक थे। तथापि, तीसरे उग्रवादी ने अंधेरे का लाभ उठाया और बचने में कामयाब हो गया। उनके कब्जे से काफी मात्रा में विस्फोटक, शस्त्र एवं गोलाबारुद बरामद किया गया। उग्रवादियों ने पुलिस पार्टी पर हैंड ग्रेनेड भी फेंके। मुठभेड़ के दौरान उग्रवादियों द्वारा ए के-56 असाल्ट राइफल्स से लगभग 94 राउंद चलाए गए। इस संबंध में भारतीय दंड संहिता की धारा 186/353/307/34, शस्त्र अधिनियम 25/27, पोटा की धारा 3/4 और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा

3/4/5 के अंतर्गत पी एस विशेष प्रकोष्ठ (एस बी) लोधी कॉलोनी, नई दिल्ली में दिनांक 14.12.2002 को एक मामला, प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 78/2002 के तहत दर्ज किया गया।

मारे गए उग्रवादियों से निम्नलिखित बरामदगी की गई:

- 26 जिंदा राउन्द के साथ दो ए के 56 राइफलें
- खाली मैगजीनें
- दो भरी हुई मैगजीनें, प्रत्येक में 30 जिंदा राउंद
- तीन जिंदा हैंड ग्रेनेड
- दो हैंड ग्रेनेड लीवर
- दो हैंड ग्रेनेड पिन्स
- दो जाली पहचान पत्र
- तहरीक-ए-गजनवी शीर्षक से एक पत्र

जब पाकिस्तानी आतंकवादियों ने सूरजकुंड सीमा की पिकेट पर अपनी मारुती जैन कार नहीं रोकी तब उप निरीक्षक राहुल कुमार, जो अन्य टीम के सदस्यों के साथ वहां पोजीशन लिए हुए थे, ने उनका पीछा किया और साथ ही अन्य सदस्यों को सतर्क कर दिया। जैसे ही उग्रवादी अपनी कार से बाहर कूदे और पुलिस पार्टी पर गोलियां चलानी शुरु कर दीं, तभी इन्होंने अपनी कार से छलांग लगा दी और पार्किंग की दीवार के पीछे फुर्ती से पोजीशन ले ली। दोनों उग्रवादियों ने तुगलकाबाद फोर्ट के साथ लगे पार्क में पोजीशन ले ली और अपनी ए के-47 असाल्ट राइफलों से अंधाधुंध गोलियां चलाने लगे। उप निरीक्षक राहुल कुमार ने उग्रवादियों के ठीक सामने पोजीशन ले रखी थी। इस प्रकार वे प्रशिक्षित उग्रवादियों की तरफ से आने वाली गोलियों की बौछार के काफी निकट थे। उग्रवादियों ने पुलिस पार्टी की ओर दो हैंड ग्रेनेड भी फेंके। लेकिन भयभीत हुए बिना उप निरीक्षक राहुल कुमार ने अपनी जान को जोखिम में डालते हुए उग्रवादियों का बहादुरी से मुकाबला किया और अपनी ए के-47 असाल्ट राइफल से 27 राउंद चलाए।

जब उग्रवादियों की जेन कार, सूरजकुंड सीमा की पिकेट से गुजरी तो सहायक उप निरीक्षक विक्रम सिंह ने अपनी टीम के सदस्यों के साथ महरौली-बदरपुर रोड पर अपनी कार में पोजीशन ली हुई थी। जब इन्हें उग्रवादियों की गतिविधि के संबंध में संदेश प्राप्त हुआ तो ये एम बी रोड टी-पॉइन्ट की तरफ चल दिए। जब इन्होंने अपनी टीम के अन्य सदस्यों के साथ उन्हें पकड़ने के उद्देश्य से उग्रवादियों की कार को रोकने का प्रयास किया, तभी उग्रवादियों ने बचने के प्रयास में अपनी कार से तुगलकाबाद फोर्ट के नजदीक पुलिया में टक्कर मार दी। जैसे ही उग्रवादी अपनी कार से बाहर कूदे और पुलिस पार्टी पर गोलियां चलानी शुरु कीं, तभी सहायक उप निरीक्षक एक दम से कार से बाहर निकल आए और इन्होंने पार्किंग दीवार के पीछे पोजीशन ले ली। दो उग्रवादियों ने तुगलकाबाद फोर्ट के साथ लगे पार्क में पोजीशन ले ली और अपनी ए के-47 असाल्ट राइफलों से अंधाधुंध गोलीबारी शुरु कर दी। सहायक उप निरीक्षक विक्रम, प्रशिक्षित उग्रवादियों की तरफ से होने वाली गोलियों के बौछार के काफी नजदीक थे। उग्रवादियों ने पुलिस पार्टी की ओर दो हैंड ग्रेनेड भी फेंके। अपनी जान की परवाह न करते हुए और अनुकरणीय साहस तथा दृढ़संकल्प का परिचय देते हुए, इन्होंने उग्रवादियों का बहादुरी से मुकाबला किया और अपनी ए के-47 असाल्ट राइफल से 16 राउंद चलाए।

कार से ए एस आई नरेन्द्र ने छलांग लगा दी और स्वयं तुगलकाबाद फोर्ट के साथ लगे पार्क के अंदर स्थित डी डी ए स्टोर के पीछे पोजीशन ले ली। उग्रवादियों ने अपनी ए के-47 असाल्ट राइफलों से अंधाधुंध गोलीबारी जारी रखी और पुलिस पार्टी पर दो हैंड ग्रेनेड भी फेंके। अन्य टीम के सदस्यों के साथ समन्वय रखते हुए, सहायक उप निरीक्षक नरेन्द्र ने अपनी जान जोखिम में डालते हुए बहादुरी के साथ उग्रवादियों का मुकाबला किया और अपनी ए के-47 राइफल से 21 राउंद चलाए। सर्व/श्री राहुल कुमार, उप निरीक्षक, विक्रम, हैड कांस्टेबल और नरेन्द्र, हैड कांस्टेबल ने दोनों पाकिस्तानी उग्रवादियों का सफाया करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री राहुल कुमार, उप निरीक्षक, विक्रम, हैड कांस्टेबल और नरेन्द्र, हैड कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 14 दिसम्बर, 2002 से दिया जाएगा ।

वरुण मित्रा

(बरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 206 — प्रेज/2005-राष्ट्रपति, दिल्ली पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

1. श्री महताब सिंह
   उप-निरीक्षक
2. श्री देवेन्द्र
   हैड -कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

21.05.03 को, विशिष्ट सूचना के आधार पर लश्कर -ए-तैयबा का एक सदस्य महबूब, निवासी गांव लोइ, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश का लगभग 11.30 पूर्वाह्न् को भजनपूरा चौक के नजदीक अवैध हथियारों और गोलाबारुद के साथ पकड़ा गया। उसके कब्जे से 8 जीवित कारतूसों सहित एक पिस्तौल बरामद की गई। शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के तहत दिनांक 21.05.2003 को प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 38 /2003 के अधीन पुलिस स्टेशन स्पेशल सेल, लोधी कॉलोनी में एक मामला दर्ज किया गया और जांच शुरु की गई । लगातार पूछताछ करने पर अभियुक्त महबूब ने बताया कि वह लश्कर-ए-तैयबा गुट से संबंधित एक पाकिस्तानी उग्रवादी अब्दूल अजीज उर्फ आरिफ निवासी बहावलनगर, पाकिस्तान के सम्पर्क में था । उसके मनाने पर महबूब भी जेहाद में शामिल हो गया। उसने आगे यह बताया कि उसके कब्जे से बरामद पिस्तौल और कारतूस, आरिफ के पास उसके दीनपुर , नजफगढ़ ठिकाने पर रखे हथियारों - गोलाबारुद और विस्फोटकों के भारी जखीरे का एक हिस्सा है। 21/22.05.03 के बीच की रात को लगभग 4.15 पूर्वाह्न महबूब नजफगढ़ क्षेत्र की दीनपुर कॉलोनी में आरिफ के ठिकाने का पता लगाने के लिए पुलिस पार्टी को साथ ले गया।

पुलिस पार्टी ने दीनपुर, नजफगढ़ में उग्रवादी के घर को कवर कर लिया और श्री राजबीर सिंह, ए सी पी ने उसको आत्मसमर्पण के लिए कहा। पाकिस्तानी उग्रवादी ने पुलिस पार्टी पर गोलीबारी शुरु कर दी। उप-निरीक्षक(एस आई) महताब सिंह ने श्री राजबीर सिंह, ए सी पी के साथ बराबर वाले घर की छत, जो कि सीधे उग्रवादी की गोलीबारी की रेंज में था, पर मोर्चा संभाल लिया। इन्होंने प्रशिक्षित उग्रवादी की ए के - 47 राइफल से हो रही गोलियों की बौछार का बड़ी नजदीक से सामना किया। अपनी जान को खतरे में डालते हुए और उत्कृष्ट किस्म के साहस का प्रदर्शन करते हुए, इन्होंने वीरता के साथ उग्रवादी का सामना किया। इन्होंने अपनी एक के - 47 से 15राउंद गोलियां चलाई और उग्रवादी को निष्प्रभावी करने में अहम भूमिका निभाई ।

हैड कांस्टेबल(एच सी) देवेन्द्र ने निरीक्षक मोहन चंद शर्मा के साथ घर की रसोई की छत पर मोर्चा संभाल लिया, जोकि सीधे उग्रवादी की गोलीबारी की लाईन में था। इन्होंने प्रशिक्षित उग्रवादी की ए के - 47 राइफल से हो रही गोलीबारी का बड़ी नजदीक से सामना किया। इनके अदम्य साहस के परिणामस्वरुप ही आतंकवादी के हमले को निष्क्रिय किया जा सका। उन्होंने बिना किसी भय के वीरता के साथ उग्रवादी का सामना किया। उन्होंने अपनी ए के - 47 से 16 राउंद गोलियां चलाई और उग्रवादी को निष्क्रिय करने में अहम भूमिका निभाई।

उप निरीक्षक महताब सिंह और हैड कांस्टेबल देवेन्द्र ने अपनी जान को जोखिम में डाला और अनुकरणीय साहस, वीरता ओर उत्प्रेरणा का प्रदर्शन किया। उग्रवादियों द्वारा इन सभी अधिकारियों पर गोलीबारी की गई और ये गोलियों से घायल हो सकते थे परन्तु बुलैट प्रुफ जैकेट पहनने के कारण बच गए।

मारे गए उग्रवादी से चार मैगजीनों सहित एक ए के - 47 असॉल्ट राइफल, 92 जिन्दा राउंद और 06 हथगोले बरामद किए गए।

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री महताब सिंह, उप-निरीक्षक और श्री देवेन्द्र , हैड कांस्टैबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 22 मई 2003 से दिया जाएगा ।

(बरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 207 - प्रेज/2005-राष्ट्रपति, दिल्ली पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. पवन कुमार,
   उप निरीक्षक
2. ऋषिपाल सिंह,
   सहायक उप निरीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

2 अप्रैल, 2004 को पटना के एक उद्योगपति श्री एस.एन. सहाय का छुटका संतोष की अगुवाई वाले गैंग द्वारा पाटलीपुत्र कॉलोनी, पटना से अपहरण कर लिया गया था। फिरौती की मांग की कॉल दिल्ली से की गई थी, श्री एस.एन. सहाय को, 20 लाख रुपए की फिरौती लेकर 5/6.4.2004 की रात को छोड़ दिया गया। फिरौती की मांग के लिए की गई कॉलों की जांच की गई और यह पाया गया कि ये कॉलें दिल्ली में बदरपुर, पहाड़गंज और तिलक मार्ग क्षेत्र, से की गई थी। इसके बाद सूचना मिली कि छुटका संतोष और उसके साथी दिल्ली से एक व्यापारी के अपहरण की योजना बना रहे हैं और इस प्रयोजनार्थ वे एक ए के-47 राइफल, मैगजीन और राउंदो की खरीद का सौदा कर रहे हैं। इस सूचना की आगे और जांच की गई। 10.4.2004 को एक विशिष्ट सूचना मिली कि छुटका संतोष अपने साथी अजय के साथ हथियारों की खरीद-फरोक्त के सौदे के लिए मारुती कार सं. डी एल-1-सी.बी.3491 में राय विश्वविद्यालय, हल्दीराम, मथूरा रोड, नई दिल्ली के नजदीक आएगा। एक जाल बिछाया गया और लगभग 11.30 बजे अपराह्न को उक्त कार सर्विस लेन से आती हुई देखी गई और यह राय विश्वविद्यालय से सटे प्लाट सं. ए-42, मथूरा रोड, नई दिल्ली के समीप रोकी गई। उस कार से दो आदमी नीचे उतरे और कार की बगल में खड़े हो गए। जब विशेष प्रकोष्ठ की टीम ने उन्हें पकड़ने के लिए धावा बोला तो वे निर्माणाधीन ए-42 मथूरा रोड के परिसर के अन्दर भाग गए। उन्होंने पुलिस पार्टी पर गोलीबारी शुरु कर दी। पुलिस पार्टी ने अपनी आत्मरक्षा और उन्हें पकड़ने के लिए जवाबी गोलीबारी की। 15-20 मिनट के बाद, जब गुण्डों की तरफ से गोलीबारी रुकी, तो पुलिस पार्टी सावधानीपूर्वक उनके पास पहुंची और छुटका संतोष और उसके साथी अजय सिंह को घायल अवस्था में पाया। एक .32 बोर की एल लामा मेक की पिस्तौल और .30 बोर की एक चीन निर्मित पिस्तौल बरामद हुई। घायल गुण्डों को अस्पताल ले जाया गया जहां उनको मृत घोषित कर दिया गया। मामला, पुलिस स्टेशन सरिता विहार, नई दिल्ली में भारतीय दंड संहिता की धारा 307/186/353/34 और शस्त्र अधिनियम की धारा 25/27 के तहत दिनांक 11.4.2004 को प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 217 के तहत दर्ज किया गया। गुण्डों के पूर्ववृत्त की जांच पटना, बिहार के प्राधिकारियों से करवाई गई। छुटका संतोष उर्फ संतोष पासवान उर्फ राहुल (उम्र 24 वर्ष) पुत्र गिरधारी दास, धुंकी गांव, पुलिस स्टेशन सरमेरा, जिला नालंदा, बिहार का निवास पाया गया और अजय सिंह (उम्र 26 वर्ष) पुत्र स्वर्गीय रामचन्द्र सिंह, बेलाटा, पटना, बिहार का निवासी पाया गया। छुटका संतोष और उसका साथी हत्या, फिरौती के लिए अपहरण, हत्या के प्रयास, डकैती, लूटपाट और पुलिस कार्मिकों पर आक्रमण के 27 से अधिक मामलों में संलिप्त थे।

जब पुलिस पार्टी ने दो दुर्दान्त अपराधियों को पकड़ने की कोशिश की, उनमें से एक की पहचान बाद में संतोष पासवान उर्फ छुटका संतोष के रुप में हुई जो दांयी तरफ (राय विश्वविद्यालय की इमारत की तरफ) भागा था जबकि अन्य की पहचान अजय सिंह के रुप में हुई जो बांयी तरफ (सिटी बैंक बिल्डिंग की तरफ) भागा था और उन्होंने पुलिस पार्टी पर गोलीबारी शुरु करी दी। उप निरीक्षक पवन कुमार ने टीम के अन्य सदस्यों के साथ छुटका संतोष गुण्डे का पीछा किया और उसका मुकाबला किया। इनकी सुरक्षा हेतु कोई कवर नहीं था और वे सीधे गोलीबारी की

लाईन में थे। इन्होंने बड़ी नजदीक से दुर्दान्त अपराधी की पिस्तौल से हुई गोलियों की बौछारों का सामना किया। अपनी जान की परवाह किए बिना और अदम्य साहस और दृढ़ संकल्प का परिचय देते हुए इन्होंने गुण्डे का बहादुरी से सामना किया और अपनी सर्विस पिस्तौल से 5 राउंद चलाए और बिहार के एक अत्यधिक वांछित दु:साहसी गुण्डे को निष्क्रिय करने में भूमिका निभाई।

सहायक उप-निरीक्षक ऋषिपाल सिंह ने टीम के अन्य सदस्यों के साथ गुण्डे अजय सिंह का पीछा किया और उसका मुकाबला किया। उनकी सुरक्षा के लिए कोई कवर नहीं था और वे निर्भीक अपराधी की गोलीबारी की सीधी लाईन में थे। बडी निडरता के साथ इन्होंने अपनी जान को खतरे में डाल दिया और बहादुरी से अपराधी का मुकाबला किया। इन्होंने अपनी पिस्तौल से 5 राउंद चलाए और गुण्डे को निष्क्रिय करने में अहम भूमिका निभाई।

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री पवन कुमार, उप निरीक्षक और ऋषिपाल सिंह, सहायक उप निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 10 अप्रैल, 2004 से दिया जाएगा ।

(वरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 208 - प्रेज/2005-राष्ट्रपति, दिल्ली पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. अरविंद कुमार,
   उप-निरीक्षक
2. धर्मेन्द्र कुमार,
   उप-निरीक्षक
3. उमेश बर्थवाल,
   उप निरीक्षक
4. भूप सिंह,
   सहायक उप निरीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

7.12.2003 को एक विशिष्ट सूचना पर डी-56 खानपुर, एम बी रोड़, नई दिल्ली पर छापा डाला गया और दो आदमियों जिनकी पहचान बाद में तारिफ हुसैन (उम्र 24 वर्ष) और तजीम अहमद उर्फ ककल (उम्र 28 वर्ष), दोनों निवासी रजौरी, जम्मू और कश्मीर के रुप में की गई, को पकड़ा गया। लगातार जांच में उन्होंने बताया कि वे हिजबुल मुजाहिद्दीन पीर पंजाल रेजीमेंट (एच एम पी पी आर) जो हिजबुल मुजाहिद्दीन आतंकवादी गुट से टुटा हुआ गुट है, के सदस्य हैं। उनके बैगों/सामान की जांच करने पर, उनमें दो ए के-56 राइफलें, प्रत्येक 30 राउंदों से भरी हुई 4 मेगजीनें, 2 डेटोनेटर, 4.3 कि.ग्रा. आर डी एक्स, 15 लाख रुपये और 6 हथगोले पाए गए। तदनुसार,

एक मामला पोटा की धारा 3/4/5/20/22 भारतीय दंड संहिता की धारा 121/121क/122/123/120ख, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4/5 और शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के तहत एक मामला दिनांक 07.12.2003 को प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 103/2003 के अन्तर्गत पुलिस स्टेशन विशेष प्रकोष्ठ, लोधी कालोनी, नई दिल्ली में दर्ज किया गया था। जांच-पड़ताल करने पर दोनों उग्रवादियों ने बताया कि हथियारों, गोलाबारुद, विस्फोटक का जखीरा और 15 लाख रुपये हफीज राशीद, एक पाकिस्तानी राष्ट्रिक जो रात को लगभग 10 बजे लोटस टैम्पल, कालकाजी में सफेद मारुती कार सं. डी एल 2 सी ई-8499 में आएगा, को देने थे। इस सूचना पर लोटस टैम्पल कालकाजी में एक जाल बिछाया गया। लगभग शाम 10.15 बजे, एक सफेद मारुती कार सं. डी एल 2 सी ई-8499 वहां आई और लोटस टैम्पल के सामने की दिशा में रुक गई। कार से दो आदमी उतरे और अपनी कार के समीप खड़े हो गए। उन्हें चुनौती दी गई और आत्मसमर्पण के लिए कहा गया परन्तु दोनों ने जल्दी से अपने हथियार निकाल लिए और पुलिस पार्टी पर गोलीबारी शुरु कर दी। पुलिस पार्टी ने अपनी आत्मरक्षा और उन्हें पकड़ने के उद्देश्य से उन पर गोलीबारी दी। आगे हुई गोलीबारी में दोनों आतंकवादी मारे गए। चीनी मूल की .30 केलिबर और तारे के चिह्न वाली दो पिस्तौले बरामद की गई। 16 प्रयुक्त कारतूस और .30 बोर के 31 जीवित कारतूस भी बरामद किए गए। बाद में तारिफ हुसैन और तजीम अहमद ने मृत आतंकवादियों की पहचान हफीज रशीद उर्फ जावेद इकबाल, निवासी अबेताबाद, पाकिस्तान और अली बहादुर उर्फ लियाकत उर्फ बिलाल, निवासी कोटली, मुजफ्फराबाद, पाक अधिकृत कश्मीर के रुप में की गई। उनके द्वारा प्रयोग किए गए वाहन की तलाशी लेने पर, एक पाऊच जिसमें वाहन का पंजीकरण प्रमाणपत्र, 43,000रुपये नगद और सफेद पावडर, जिसका साइनाइड होने का संदेह था, वाले दो पैन बरामद हुए। एक मामला, पोटा की धारा 3/4/20 भारतीय दंड संहिता की धारा 186/353/307/34 और शस्त्र अधिनियम की धारा 25/27 के तहत दिनांक 8.12.2003 को प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 953/2003 के अन्तर्गत पुलिस स्टेशन कालकाजी, नई दिल्ली में दर्ज किया गया।

जब पुलिस पार्टी ने आतंकवादियों को पकड़नें की कोशिश की तो एक आतंकवादी (जिसकी पहचान बाद में अली बहादुर उर्फ बिलाल के रुप में हुई) दायीं तरफ पार्क की ओर भागा और दूसरे, (जिसकी पहचान बाद में हफीज रशीद के रुप में हुई) ने सीधे कालकाजी मंदिर की ओर भागने की कोशिश की और वे पुलिस पार्टी पर लगातार गोलीबारी भी करते जा रहे थे। मुठभेड़ के दौरान, उप निरीक्षक अरविंद कुमार ने बिजली के खम्भे के पीछे पोजीशन ले ली। ये पाकिस्तानी आतंकवादी की गोलीबारी की सीधी दिशा में थे और इन्होंने उस उग्रवादी पर गोलीबारी की जो पीछा करता हुआ इनकी ओर आ रहा था। इन्होंने उग्रवादी के बच निकलने के रास्ते को रोका और लगातार गोलीबारी करते रहे। इन्होंने प्रशिक्षित पाकिस्तानी आतंकवादी द्वारा पिस्तौल से की जा रही गोलियों की बौछार का काफी नजदीक से सामना किया। यहां तक कि आतंकवादी द्वारा चलाई गई कुछ गोलियां बिजली के उस खम्भे पर भी लगी, जहां उप निरीक्षक ने पोजीशन ले रखी थी। विचलित और भयभीत हुए बिना तथा अदम्य साहस और दृढ़ संकल्प का परिचय देते हुए, इन्होंने अपने जीवन को खतरे में डाल दिया और बहादुरी से आतंकवादी का सामना किया।

मुठभेड़ के दौरान, उप निरीक्षक धर्मेन्द्र कुमार ने बांयी दिशा में 2 फूट ऊंची छोटी सी दीवार के पीछे पोजीशन ले ली, और ये सीधे आतंकवादी हफीज रशीद की गोलीबारी के दिशा में थे। इन्होंने उग्रवादी पर गोलीबारी शुरु कर दी। इन्होंने प्रशिक्षित पाकिस्तानी आतंकवादी की पिस्तौल से निकल रही गोलियों की बौछारों का नजदीकी से सामना किया।

उप निरीक्षक उमेश बर्थवाल ने जल्दी से खड़ी हुई पेप्सी ट्रोली के समीप पोजीशन से ली। ये सीधे आतंकवादी अली बहादुर उर्फ बिलाल की गोलीबारी की दिशा में थे। इन्होंने प्रशिक्षित पाकिस्तानी आतंकवादी की पिस्तौल से निकल रही गोलियों की बौछार का नजदीक से सामना किया। विचलित और भयभीत हुए बिना तथा अदम्य साहस एवं दृढ़ संकल्प का परिचय देते हुए इन्होंने अपने जीवन को खतरे में डालते हुए, आतंकवादी का बहादुरी से सामना किया। सहायक उप निरीक्षक भूप सिंह ने पार्क के अन्दर दायीं तरफ छोटी सी दीवार के पीछे

पोजीशन ले ली। ये सीधे पाकिस्तानी आतंकवादी अली बहादुर उर्फ बिलाल की गोलीबारी की दिशा में थे। इन्होंने प्रशिक्षित पाकिस्तनी आतंकवादी की पिस्तौल से निकल रही गोलियों की बौछार का नजदीकी से सामना किया। विचलित और भयभीत हुए बिना तथा अदम्य साहस और दृढ़-संकल्प का परिचय देते हुए, इन्होंने अपनी जान को खतरे में डालते हुए आतंकवादी का बहादुरी से सामना किया।

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री अरविंद कुमार, उप निरीक्षक, धर्मेन्द्र कुमार, उप निरीक्षक, उमेश बर्थवाल, उप निरीक्षक, और भूप सिंह, सहायक उप निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 7 दिसम्बर, 2003 से दिया जाएगा ।

वरुण मित्रा।

(वरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 209 - प्रेज/2005-राष्ट्रपति, दिल्ली पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

सर्व/श्री

1. रमेश शर्मा,
   उप निरीक्षक
2. हरबीर सिंह,
   उप निरीक्षक
3. नरेश शर्मा,
   उप निरीक्षक
4. प्रमोद कुमार,
   सहायक उप निरीक्षक

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:</u>

सोनीपत, हरियाणा में जैन भाइयों का सनसनीखेज अपहरण हुआ था। यह मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 364/420/468/471 के तहत पुलिस स्टेशन सिविल लाइन, सोनीपत, हरियाणा में दिनांक 25.3.2004 की प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 71/04 के अधीन दर्ज किया गया था। अपहरणकर्ताओं ने 2 करोड़ रुपये की फिरौती मांगी थी और दोनों जैन भाईयों को छुडाने से पहले 15 दिनों तक यातनापूर्ण कैद में रखा गया था। फिरौती हेतु यूरोप के देशों से की गई अन्तर्राष्ट्रीय कॉलों ने इस मामले और आपरेशन में रहस्य और सनसनी पैदा कर दी थी। अतः हरियाणा पुलिस ने क्राइम ब्रांच, दिल्ली से सहायता मांगी। निरीक्षक पंकज सूद को, अपनी टीम के साथ जिनमें उप निरीक्षक रमेश शर्मा, उप निरीक्षक हरबीर सिंह, उप निरीक्षक नरेश शर्मा और सहायक उप निरीक्षक प्रमोद कुमार शामिल थे, इस पर कार्य करने लिए तैनात किया गया था। अति सावधानीपूर्वक और वैज्ञानिक तरीके से कार्य करते हुए यह आसूचना विकसित की गई कि यह अपहरण संगठन के लिए धन एकठ्ठा करने के लिए जगतार सिंह उर्फ जग्गा ने

किया है जो पाकिस्तान स्थित परमजीत सिंह पंजवार के नेतृत्व वाले खालिस्तान कमांडो फोर्स का आतंकवादी है और इसमें रतनदीप सिंह उर्फ छोटु, जिस पर यह संदेह है कि युरोपियन देशों में रहता है, द्वारा सहायता की गई है। 28/29.4.2004 के बीच की रात को निरीक्षक पकंज सूद को यह जानकारी मिली कि जगतार सिंह और उसके साथियों से जुडा एक आतंकवादी गुट, मॉडल टाऊन के एक अमीर व्यवसायी का प्रातःकाल की सैर के समय अपहरण करने के इरादे से दिल्ली की ओर आया है। निरीक्षक पंकज सूद के नेतृत्व में एक समर्पित टीम ने फुर्ती से कार्रवाई शुरु की और पुलिस स्टेशन तीमारपुर के क्षेत्र में तीन वाहनों में वजीराबाद रोड पर एक जाल बिछाया। उप निरीक्षक रमेश शर्मा के पर्यवेक्षण के अन्तर्गत ए एस आई प्रमोद कुमार सहित स्टाफ ने सरकारी कवालिस को डब्बल पुलिया के निकट खड़ा किया, निरीक्षक पंकज सूद की देख-रेख में एस आई नेरश शर्मा की कार के साथ स्टाफ सहित एक प्राइवेट मारुती को सूर घाट के समीप खड़ा किया गया तथा एस आई हरबीर सिंह के पर्यवेक्षण में सरकारी जिप्सी को स्टाफ सहित रेडलाइट टी प्वांइट के समीप खड़ा किया गया। सुबह लगभग 4.20 बजे एक मारुती इस्टीम कार को गाजियाबाद से आता हुआ देखा गया। एस आई रमेश शर्मा जो वर्दी में थे, ने वाहन को रुकने का संकेत दिया। परन्तु रुकने की बजाए मारुती इस्टीम में बैठे लोगों ने पिस्तौल निकाली और क्वालिस में पीछा करने वाली पुलिस पार्टी पर गोलीबारी की। शुरु में की गई गोलीबारी आगे वाले शीशे से होकर क्वालिस के स्टेरिंग को लगी। गोलीबारी और क्वालिस द्वारा किए जा रहे पीछे को देखते हुए अन्य दो वाहनों में शेष टीम ने इस्टीम कार का पीछा किया। पीछा करने के दौरान जब क्वालिस ने इस्टीम को ऑवरटेक करने का प्रयास किया तो ड्राईवर जगतार सिंह ने दोबारा क्वालिस पर गोलियां चलाई परन्तु एस आई रमेश शर्मा द्वारा समय से बीच में आ जाने से गोली खिड़की के जरिये क्वालिस के अन्दर छत पर लगी। पुलिस पार्टी ने भी आत्मरक्षा में इस्टीम पर गोलीबारी की जिसके कारण भीषण मुकाबला हुआ। पुलिस द्वारा घेर लिए जाने पर इस्टीम में बैठे व्यक्ति गाड़ी से बाहर निकल आए और भागने के प्रयास में पुलिस पार्टी पर गोलीबारी करने लगे। आत्मरक्षा में गोलीबारी करते हुए पुलिस पार्टी भी वाहनों से बाहर निकल आई। जगतार सिंह और रविन्द्र सिंह को जीवित पकडना, उनसे आतंकवादी गुटों के वास्तविक परिदृश्य और आधार तथा भारत में आतंक फैलाने के उनके नापाक इरादों के बारे में जानने के लिए आवश्यक था। निरीक्षक पंकज सूद, एस आई रमेश शर्मा, एस आई हरबीर सिंह, एस आई नरेश कुमार और ए एस आई प्रमोद कुमार की फ्रंटलाइन टीम ने अपने जीवन को भारी जोखिम में डालते हुए दोनों को जिन्दा पकड़ने के इरादे से उनके काफी निकट आ गए परन्तु निकट की गोलीबारी में इस्टीम में बैठे दोनों आतंकवादियों को गोलियां लगी ओर वे जमीन पर गिर पड़े। घायलों को ऊपचार के लिए तत्काल बाड़ा हिन्दूराव अस्पताल ले जाया गया जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। विदेश निर्मित दो पिस्तौलों सहित अनदगे कारतूस, जिन्दा कारतूस, खाली कारतूस तथा जैन बंधुओं से छिने गए मोबाइल फोन दोनों से बरामद किए गए। इसके साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद से संबंध रखने वाले उत्तरी भारत में फिरौती के लिए अपहरण करने वाली शीर्ष स्तर के आतंकवादियों का खात्मा हो गया जो तबाही और आतंक मचा सकते थे। इससे अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठनों को पुनः संगठित होने और भारत में अपहरणों के नापाक कार्यों के जरिये पैसा इक्ठ्ठे करने के उनके प्रयासों में कमी आएगी। ऐसी विपरीत स्थिति में जहां दुःसाहसी कट्टर सशस्त्र अपराधी गोलीबारी कर रहे थे, विशेषकर निरीक्षक पंकज सूद, एस आई रमेश शर्मा, एस आई हरबीर सिंह, एस आई नरेश कुमार और ए एस आई प्रमोद कुमार की अग्रिम पंक्ति की टीम के गंभीर रुप से हताहत होने की पूर्ण संभावना थी। इन अधिकारियों ने गोली चलाने वाले दोनों आतंकवादियों को जिन्दा पकड़ने के लिए अपने जीवन को जोखिम में डाला और उन दोनों के निकट आए तथा उत्कृष्ट साहस तथा अनूठी वीरता का परिचय दिया और यहां तक कि दोनों अपराधियों को गोली से घायल होने के पश्चात उन्हें उनकी जान बचाने के लिए अस्पताल पहुंचाया। एस आई रमेश शर्मा ने (3 राउंद) एस आई हरबीर सिंह (3 राउंद) एस आई नरेश शर्मा (5 राउंद) तथा ए एस आई प्रमोद कुमार (3 राउंद) गोली चलाई। इन्हें अपने साथियों की जान बचाने के लिए गोली चलानी पड़ी। निरीक्षक पंकज सूद जो कि निशस्त्र थे, एस आई रमेश शर्मा, एस आई हरबीर सिंह, एस आई नरेश कुमार तथा ए एस आई प्रमोद कुमार ने असाधारण अनुठे साहस, वीरता कर्त्तव्यपरायणता, अपने साथियों को बचाने की इच्छाशक्ति, राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति दायित्व और उच्च कोटि की सूझ-बूझ का परिचय दिया।

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री रमेश शर्मा, उप निरीक्षक, हरबीर सिंह, उप निरीक्षक, नरेश शर्मा, उप निरीक्षक और प्रमोद कुमार, सहायक उप निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 29 अप्रैल, 2004 से दिया जाएगा ।

वरुण मित्रा

(वरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 210 - प्रेज/2005-राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक/पुलिस पदक का बार सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व /श्री:-

1. विप्लव कुमार, भा. पु. से. (पुलिस पदक का बार)
   अपर पुलिस अधीक्षक
2. खुदमुख्तियार देव
   उप निरीक्षक
3. गफ्फुर हुसैन,
   कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

07.02.2002 को 1530 बजे, अब. वाहिद पुत्र अब. कबीर भट्ट निवासी मोहल्ला असराराबाद किश्तवाड़ के घर में एक पीटीएम की उपस्थिति के संबंध में विशिष्ट सूचना मिलने पर, अपर पुलिस अधीक्षक किश्तवाड़ श्री विप्लव कुमार, भा.पु.सें. ने पुलिस स्टेशन किश्तवाड़ की पुलिस पार्टी और एस टी एफ किश्तवाड के साथ घर के चारों ओर के क्षेत्र को तुरन्त घेर लिया। जैसे ही तलाशी दल ने घर के प्रथम तल में प्रवेश किया, वहां छुपे उग्रवादी ने अधिकारी के नेतृत्व वाली घेराबंदी पार्टी पर खिड़की से हथगोला फैंका। हथगोला घर की बाहरी दीवार के दूसरी तरफ फटा और घेराबंदी पार्टी के अधिकारी एवं पुलिस कार्मिक बाल-बाल बच गए। अधिकारी ने जल्दी से घर के सभी सिविलियनों / संवासियों को भूतल के कमरों में से, एक कमरे में पहुचा दिया और घेराबंदी पार्टी के पुलिस कार्मिकों को दोबारा से तैनात किया। इसी बीच उग्रवादी ने घेराबंदी पार्टी पर दूसरा हथगोला फेंका और कमरे की खिड़की से जमीन पर कूद पड़ा और अपनी पिस्तौल से अधिकारी एवं अधिकारी के साथ गए तीनों पुलिस कार्मिकों की तरफ अंधाधुंध गोलीबारी शुरु कर दी जिसमें एक गोली अधिकारी के बिल्कुल पास से गुजरती हुई चली गई और वे बाल-बाल बच गए । अधिकारी ने पुलिस कार्मिकों के साथ जवाबी गोलीबारी की जिसके कारण उग्रवादी ने मलिक मार्केट किश्तवाड़ मुख्य सड़क की ओर जाने वाली गली की तरफ भागना शुरु किया। अधिकारी के नेतृत्व वाले पुलिस कार्मिकों ने भागते हुए उग्रवादी का पीछा किया जिससे आतंकवादी उस गली में फंस गया , जहां उप निरीक्षक (एस आई) खुदमुख्तियार देव सिंह

और कांस्टेबल गफ़ुर हुसैन पुलिस स्टेशन किश्तवाड की पुलिस पार्टी के साथ पहले से ही तैनात थे। भागते हुए उग्रवादी ने श्री खुदमुख्तियार देव सिंह, उप निरीक्षक के नेतृत्व वाली पुलिस पार्टी पर गोली बारी की, जिसमें आतंकवादी द्वारा घायल होने के बावजूद इन्होंने अदम्य साहस का प्रदर्शन करते हुए जल्दी से जवाबी कार्रवाई की। पुलिस पार्टी के साथ गोलीबारी में उलझा उग्रवादी मारा गया। मारे गए उग्रवादियों से और मुठभेड़ स्थल से, पुलिस पार्टी ने निम्नलिखित हथियार गोलाबारुद बरामद किया:-

1. एक मैगजीन और 2 राउंद के साथ एक पिस्तौल (चीन निर्मित)
2. दो वायरलैस सेट (केनवुड)
3. एक हथगोला; इत्यादि

मारे गए उग्रवादी की पहचान, बाद में पाकिस्तान प्रशिक्षित उग्रवादी नामतः अटा मोहम्मद कोउ साजिद पुत्र अब्दुल रहमान,निवासी सीरी सिगड़ी, तहसील किश्तवाड, जिला डोडा के रुप में की गई। मृत आतंकवादी 1992 से सक्रिय हिजबुल मुजाहिद्दीन (एच एम) का जिला कमांडर, एक आई ई डी विशेषज्ञ, एच एम का वित्त प्रभारी था जो प्रशिक्षण के लिए नए सदस्यों को भेज रहा था ओर अनंतनाग और डोडा जिलों के लिए एच एम का समन्वयक था। उसको मारना वस्तुतः एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इस घटना में श्री विप्लव कुमार, भा. पु. से. अपर पुलिस अधीक्षक , किश्तवाड ने घेराबंदी की व्यवस्था करने और आतंकवादी को मारने में धैर्य, साहस और उच्च कोटि के नेतृत्व का परिचय दिया।

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री विप्लव कुमार, भा.पु.से., अपर पुलिस अधीक्षक, खुदमुख्तियार,उप निरीक्षक, और गफूर हुसैन, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, पुलिस पदक/पुलिस पदक का बार नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 7 फरवरी, 2002 से दिया जाएगा ।

(करुण मित्रा)
निदेशक

सं0 211 - प्रेज/2005-राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक/पुलिस पदक का बार सहर्ष प्रदान करते है :-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री :-

1. मुकेश सिंह , भा.पु.से., (वीरता के लिए पुलिस पदक का बार)
   पुलिस अधीक्षक
2. विरेन्द्र सिंह,
   कांस्टेबल
3. मस्तराम,
   कांस्टेबल
4. क्लोक अहमद,
   कांस्टेबल
5. अब्दूल रजिक,
   कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

10.7.2004 को पुंछ कस्बे के नजदीक गुंडी गांव में आतंकवादी की उपस्थिति के बारे में विशिष्ट सूचना मिलने पर, श्री मुकेश सिंह, एस पी, पुंछ ने तुरन्त एक आपरेशन चलाने की योजना बनाई। उप पुलिस - अधीक्षक अशोक शर्मा, शबीर अहमद और जिला पुलिस पुंछ के अन्य पुलिस कार्मिकों के साथ श्री मुकेश सिंह लक्षित स्थान की ओर रवाना हुए। उप पुलिस- अधीक्षक अशोक शर्मा के नेतृत्व वाले पुलिस दल को बायीं तरफ से घेरने को कहा गया जबकि उप पुलिस अधीक्षक शबीर अहमद के नेतृत्व वाली पार्टी को दायीं तरफ से भेजा गया तथा तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण सामने वाली दिशा से स्वयं अधिकारी ने किया। जब टुकड़ियां लक्षित घर के पास पहुंची, तो अधिकारी ने उग्रवादियों को ललकारा और बार-बार आत्मसमर्पण करने के लिए कहा क्योंकि कुछ सिविलियन घर के अन्दर फंसे हुए थे। इसी बीच, श्री मुकेश सिंह ने अपने दाएं घेराबंदी अधिकारी को सिविलियनों को निकालने का संकेत दिया। सिविलियनों को घर से बाहर भागते देख, आतंकवादियों, जो अलग कमरे में छुपे हुए थे, ने भारी गोलाबारी शुरु की और पुलिस पार्टी पर ग्रेनेड फेंके जिसका पुलिस पार्टी ने जवाब दिया। श्री मुकेश सिंह भारी गोलीबारी के बावजूद घर के नजदीक गए और अधिकारी और इनके कर्मियों ने जवाबी गोलीबारी की। वहां अन्दर से गोलीबारी बन्द होने के कारण अचानक शांति छा गई। अधिकारी ने तब घर पर धावा बोलने का निर्णय लिया। कांस्टेबल विरेन्द्र सिंह सं. 348/पी ने दरवाजे को तोड़कर खोला और अधिकारी अपने पी एस ओ के साथ गोलियों की बौछार का सामना करते हुए घर के अंदर घुस गए। अत्यधिक खतरे के सामने अधिकारी वीरतापूर्ण कार्रवाई करते हुए आतंकवादियों को घेरने में सफल हो गए जिसके परिणामस्वरुप आतंकवादियों का मनोबल गिर गया। आतंकवादियों ने बचने के प्रयास में बाहर भागते हुए हताशा में अधिकारी और इसकी पार्टी पर गोलीबारी की। एस पी के नेतृत्व वाले सामने के घेराबंदी दल ने भाग रहे दो आतंकवादियों पर निशाना साधा और उन्हें मार गिराया और तीसरे घायल आतंकवादी, जो मक्के की फसल की ओर खिसकने का प्रयास कर रहा था, का भी पीछा किया और उसे भी मार गिराया । मारे गए सभी

तीनों आतंकवादी लश्कर-ए-तैयबा गुट से संबंधित थे। श्री मुकेश सिंह, भ.पु.से. , एस पी पुंछ और इनकी पार्टी ने अपने आप ही स्थिति को संभाल लिया और सुरक्षा बलों की कोई सहायता पहुंचने से पहले ही खतरे पर काबू पा लिया। सफलतापूर्वक अभियान चलाने के परिणाम स्वरुप अधिकारी तीनों दुर्दान्त आतंकवादियों को निष्क्रिय करने में सफल हो गए। ये आतंकवादी "फियादीन" ग्रुप का एक भाग थे, जिन्होंने पहली रात को 93 ब्रिगेड मुख्यालय पर पहले भी असफल प्रयास किया था। 3 ए के - 56 राइफल्स, 5 ए के मैगजीने, पाउच 3नग ,24 पेंसिल सेल, हथगोले 2 नग, एक वायरलैस, एक टार्च, एक रेडियों ट्रांजिस्टर इत्यादि बरामद किया गया।

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री मकेश सिंह, पुलिस अधीक्षक, विरेन्द्र सिंह, कांस्टेबल, मस्तराम, कांस्टेबल, क्लोक अहमद, कांस्टेबल और अब्दूल रजिक, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, पुलिस पदक/पुलिस पदक का बार नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक10 जुलाई, 2004 से दिया जाएगा ।

(बरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 212 - प्रेज/2005-राष्ट्रपति, दिल्ली पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. एम.एस. उपाध्याय,
   पुलिस उपायुक्त, अपराध और रेलवे
2. ईश्वर सिंह,
   सहायक पुलिस आयुक्त

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

17.6.2001 को दरियागंज, दिल्ली के सुनील गोगिया के पुत्र अमित गोगिया का विकासपुरी क्षेत्र से उस समय अपहरण कर लिया गया जब वह एक समारोह में उपस्थित होने के लिए जा रहे थे। अपहरणकर्ता इन्हें एक गुप्त स्थान पर ले गए। अपहरणकर्ताओं ने 5 करोड़ रुपये की फिरौती की मांग की। श्री एम एस उपाध्याय, डी सी पी/अपराध शाखा को इस अपहरण की सूचना मिली। यद्यपि, पीड़ित के परिवार वालों ने मामले की रिपोर्ट पुलिस को न करने का निर्णय लिया। डी सी पी/अपराध, एम एस उपाध्याय ने अपनी देख-रेख में विशेष टीम का गठन किया और इस अपहरण के बारे में जानकारियां एकत्रित करनी शुरु कर दी। विशेष रुप से गठित इस टीम के प्रयासों के अनुसरण में सूत्रों से सूचना मिली की यह अपहरण ब्रहमप्रकाश और उसके गैंग द्वारा किया गया है। 22.6.2001 को

गुप्त सूचना मिली कि ब्रह्मप्रकाश, एक कुख्यात अपराधी और उसके सहयोगी पीड़ित के रिश्तेदारों से फिरौती की रकम वसूलने के लिए नोएडा में एकत्रित होंगे। इस पर डी सी पी/अपराध श्री एम एस उपाध्याय के नेतृत्व में लूटपाट विरोधी और डकैती-विरोधी प्रकोष्ठ की एक संयुक्त टीम को छः सब यूनिटों में बांटा गया सभी को वायरलैस सेटों से सुसज्जित करके नोएडा और पूर्वी दिल्ली के क्षेत्र में रणनीतिक स्थानों पर तैनात कर दिया गया। लगभग 3.45 बजे अपराह्न पीड़ित व्यक्ति के पिता श्री सुनील गोगिया की फैक्ट्री सं. बी-135, सेक्टर-VI नोएडा के नजदीक संदिग्ध परिस्थितियों में एक वाहन घूमते देखा गया। इस वाहन को रुकवाया गया। तुरन्त दो बदमाश कार से बाहर निकले और बचने का प्रयास किया। डी सी पी/अपराध श्री एम एस उपाध्याय और निरीक्षक ईश्वर सिंह ने हिम्मत से अपराधियों का मुकाबला किया और इससे पहले की वे अपने हथियारों को निकालते, फुर्ती के साथ साहसिक आपरेशन में उन्हें दबोच लिया। इन आदमियों की पहचान कृष्णापार्क, पश्चिमी दिल्ली के निवासी जितेन्द्र उर्फ जीतु और दादरी (उत्तर प्रदेश), के निवासी अजीत सिंह के रुप में की गई। ये दोनों ब्रह्मप्रकाश के साथी थे। दोनों ने पूछताछ के दौरान बताया कि अपहृत व्यक्ति, अमित गोगिया को बी-49 के प्रथम तल, घरोली डेरी, झुग्गी-झौपड़ी क्षेत्र में बंधक बना कर रखा गया है। तुरन्त घर की पहचान कर ली गई। डी सी पी/अपराध ने पूरे स्टाफ को ब्रीफ किया और श्री ईश्वर सिंह, ए सी पी और श्री एच पी एस चीमा, ए सी पी के नेतृत्व में धावा टीमें बनाई जिन्हें पीड़ित श्री अमित गोगिया को बचाव हेतु प्रथम तल पर हमला करने और शेष स्टाफ को घर की घेराबंदी करने के निर्देश दिए। यह ऑपरेशन बहुत कठिन था क्योंकि प्रथम तल पर केवल तंग सीढ़ियों से ही पहुंचा जा सकता था और अपराधियों द्वारा देख लिए जाने का खतरा अत्यधिक था। जैसे ही कुछ पुलिस वाले दरवाजे पर पहुंचे, तो यह अंदर से बंद मिला। पुलिस टीम ने पहलें तो दरवाजे को खुलवाने का प्रयास किया परन्तु घर के अंदर से कोई जवाब न मिलने पर दरवाजे को उखाड़कर और तोड़कर अन्दर घुसे, पूरे समय उन्हें यह लग रहा था कि अन्दर से गौलियों की बौछार होगी। निरीक्षक ईश्वर सिंह और निरीक्षक राजेन्द्र बक्शी सहित टीम के सदस्य अपनी जान की परवाह किए बिना अन्दर घुस गए। अपराधियों द्वारा इन पर तुरन्त हमला किया गया और इन्होंने गोलियों की बौछारों का सामना किया। ये नीचे झुक कर गोलियों से बचे और इन्होंने अपनी आत्मरक्षा में अपने सर्विस हथियारों से गोलीबारी शुरु की। अपराधी, पुलिस पार्टी पर दो कमरों से गोलीबारी कर रहे थे। धावा टीम के सदस्यों ने पहले और दूसरे कमरे में प्रवेश किया। अपराधियों और पुलिस पार्टी के बीच लगभग पांच मिनट तक गोलीबारी होती रही। इस गोलीबारी में, ब्रह्मप्रकाश मारा गया और उसके तीन साथी घायल हो गए। पीड़ित अमित गोगिया, जिन्हें अपराधियों द्वारा एक छोटे से कमरे में बंधक बना कर रखा था, को बिना किसी नुकसान के पुलिस टीमों की साहसिक कार्रवाई से सुरक्षित बचा लिया गया। श्री एम एस उपाध्याय, डी सी पी स्थल पर ही मौजूद थे और व्यक्तिगत रुप से पूरे आपरेशन की निगरानी कर रहे थे। ए सी पी ईश्वर सिंह ने अपनी पिस्तौल से एक गोली चलाई और ए सी पी, एच पी एस चीमा ने भी दुर्दान्त अपराधियों को गतिहीन बनाने के लिए एक गोली चलाई। दोनों ए सी पी ने पूरे बचाव आपरेशन में अहम भूमिका निभाई। चीन निर्मित .30 बोर के तीन माऊजर और जिन्दे और प्रयुक्त कारतूसों सहित .9 एम एम का बरेता पिस्तौल अभियुक्तों, जो अपहरण और धन लूटने सहित जघन्य अपराधों के 14 मामलों में शामिल थे, से बरामद किया गया।

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री एम एस उपाध्याय, पुलिस उपायुक्त और ईश्वर सिंह, सहायक पुलिस उपायुक्त ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 22 जून, 2001 से दिया जाएगा ।

(बरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 213 प्रेज/2005-राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते है :-

अधिकारी का नाम और रैंक

1. श्री बी. श्रीनिवास, भा.पु.से,
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, श्रीनगर (अब केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर)

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

1 अक्तूबर , 2001 को, दोनों सदनों का सत्र 13.00 बजे समाप्त हुआ। माननीय मुख्यमंत्री और अधिकांश मंत्री / विधानसभा के सदस्य/ विधान परिषद् सदस्यों ने अपने - अपने गन्तव्य स्थानों के लिए प्रस्थान किया । लगभग 13.50 बजे जब यातायात प्रतिबंधों को हटा दिया गया था तब विस्फोटक से भरा एक टाटा सुमो वाहन विधान सभा के गेट तक लाया गया और आत्मघाती मिशन की दृष्टि से उसमें विस्फोट किया गया। इसके परिणामस्वरुप , एक सुरक्षा कार्मिक, पांच सिविलियनों और एक उग्रवादी की मौत हो गई। इसकी वजह से अव्यवस्था फैल गई। पुलिस की वर्दी पहने तीन उग्रवादी विधान परिषद के कार्यालय परिसर में घुसने में सफल हो गए। उग्रवादी अंधाधुंध गोलीबारी कर रहे थे और हथगोले फेंक रहे थे । महानिरीक्षक कश्मीर श्री ए. के. भान और उप महानिरीक्षक श्रीनगर श्री के. राजेन्द्र कुमार के नेतृत्व में एक पुलिस टुकडी स्थल पर पहंची। कुछ समय बाद पुलिस महानिदेशक श्री ए के सुरी भी घटना स्थल पर पहुंच गए। अदम्य साहस का परिचय देते हुए और अपनी निजी सुरक्षा की परवाह न करते हुए उप महानिरीक्षक (डी आई जी) श्रीनगर के राजेन्द्र कुमार अपने सुरक्षा अधिकारियों के साथ कार्यालय परिसर में प्रवेश करने में सफल हो गए। बाद में, पुलिस महानिदेशक और उनका सुरक्षा स्टाफ भी परिषद भवन में घुस गया जबकि परिषद् परिसर में छुपे उग्रवादी इन पर लगातार गोलीबारी करते रहे और ग्रेनेड फेंकते रहे। कांस्टेबल रोहित साधु जो पुलिस महानिदेशक के साथ था, मारा गया। जब उग्रवादी लगातार गोलीबारी कर रहे थे, विधान परिषद के अध्यक्ष, विधि राज्य मंत्री, विधान परिषद के कुछ सदस्य और अधिकारियों को बुलैट प्रुफ वाहनों द्वारा सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। बाद में अध्यक्ष, विधान सभा के कुछ अधिकारी और कुछ सिविलियन जो अध्यक्ष से मिलने आए हुए थे , को भी पुलिस महानिदेशक द्वारा स्वयं सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। तथापि, काफी संख्या में विधान सभा सदस्य/विधान परिषद के सदस्य अभी भी विधान परिषद/सभा के कार्यालय परिसर दोनों के भूतल और प्रथम तल में फंसे हुए थे। जबकि पुलिस महानिरीक्षक कश्मीर, श्री ए के भान ने विधानसभा परिसर के बाहर से अभियान की योजना बनाई, उप महानिरीक्षक श्रीनगर ने अन्दर से अभियान को संचालित किया तथा समन्वित योजना बनाकर वे 150 से भी अधिक व्यक्तियों को बचा कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने में सफल हुए। एस एस पी श्रीनगर, श्री बी श्रीनिवास ने विधानसभा के चारों ओर से घेरने वाली टुकड़ियों की तैनाती का पर्यवेक्षण किया। यह आतंकवादियों जो विधानसभा भवन के अन्दर फंस गए थे, को भागने से रोकने के लिए अनिवार्य था। पर्यवेक्षण करने के दौरान उग्रवादियों ने एक हथगोला फेंका जिसकी किरचों से एस एस पी का पैर जख्मी हो गया। घायल होने के बावजूद एस एस पी ने घटनास्थल नहीं छोड़ा तथा अभियान के पूरा होने तक अपने कार्मिकों का लगातार मार्गदर्शन करते रहे। इस दौरान, उग्रवादी लगातार गोलीबारी करते रहे और निर्दोष अधिकारियों को लक्ष्य करके परिसर के अन्दर हथगोले फेंकते रहे । परिसर के बाहर से कार्रवाई करने वाले सुरक्षा कार्मिकों की तरफ भी कई बार लगातार गोलीबारी की गई। परिसर से लोगों को हटाने के पश्चात जो उग्रवादी परिसर के अन्दर छुपे हुए थे उन्हें निष्क्रिय करने के लिए एक अभियान की योजना बनाई गई। जब महानिरीक्षक कश्मीर और उप महानिरीक्षक

श्रीनगर रैंज द्वारा अभियानों की योजना बनाई जा रही थी और उनका समन्वय किया जा रहा था तभी पुलिस उपाधीक्षक (ऑपरेशन) श्री के टी सिंह के नेतृत्व में एस ओ जी श्रीनगर की एक छोटी सी टुकड़ी ने स्वेच्छा से अभियान का निष्पादन किया। श्री सिंह, उपाधीक्षक और इनके कार्मिक परिषद भवन में घुस गए और प्रत्येक कमरे की तलाशी ली। इसमें उनकी जान को भारी जोखिम था क्योंकि यह पता नहीं था कि उग्रवादी कहां छुपे हुए हैं। तथापि उनके निपुण कार्यकौशल के कारण उग्रवादी कमरों से बाहर निकलने के लिए विवश हो गए । परिषद भवन के बाहर तैनात पुलिस कार्मिक/बी एस एफ पार्टियों द्वारा बाद में इन उग्रवादियों को मार गिराया । इस अभियान में 11 सुरक्षा कार्मिकों, 13 कर्मचारियों और 9 सिविलियनों ने अपनी जान गवाई। जैश-ए- मोहम्मद के चार उग्रवादी नामतः वजाहत हुसैन कोड सैफुल्ला, पाकिस्तान का निवासी, मोहम्मद इरफान जामन कोड उमर कराची का निवासी, अब्दूलरौफ अहसान, सहवाल, पंजाब पाकिस्तान का निवासी तथा तारिक अहमद कोड अयुबी, सहवाल पंजाब पाकिस्तान का निवासी, भी मारे गए।

इस मुठभेड़ में, श्री बी श्रीनिवास,भा.पु.से., वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने अदम्य वीरता, सास एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 1 अक्टूबर 2001 से दिया जाएगा ।

(बरूण मित्रा)
निदेशक

सं0 214 - प्रेज/2005-राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री संजय कुमार,
कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

25 अप्रैल, 2003 को लगभग 0945 बजे, आतंकवादियों के एक ग्रुप ने एम टी (मोटर ट्रांसपोर्ट) वर्कशाप के गेट सं. 3 के मोर्चे पर अचानक और प्रचण्ड गोलीबारी द्वारा फिदाईन हमला किया ताकि बांदीपुर के बी एस एफ परिसर में घुसा जा सके। एक कांस्टेबल, जो मोर्चे का रख-रखाव कर रहा था, गोली से घातक रुप से जख्मी हो गया और मौके पर ही मारा गया। गोली की आवाज सुनकर, कांस्टेबल संजय कुमार, जो गेट सं. 3 पर मोर्चे के अन्दर हथियारों के साथ तैनात था, ने जवाबी गोलीबारी की परन्तु आक्रामक आतंकवादी नजदीकी नाले की तरफ भागने में सफल हो गए। उसी क्षण, दो और आतंकवादी सिविलियन कपड़ों के ऊपर "फिरेन" पहने हुए गली से निकले। इन आतंकवादियों में से एक, जिसने अपने शरीर पर विस्फोटक लपेट रखे थे, ने पेड़ों की लाइन की आड़ में परिसर की दीवार के साथ-साथ भागना शुरु किया, जबकि दूसरा एम टी वर्कशाप के दूसरे मोर्चे की तरफ गोलीबारी करता हुआ भागा और दूसरे कांस्टेबल को मार गिराया। इसी बीच, विस्फोटक लपेटे हुए आतंकवादी ने गेट पर हथगोला फैंका।

विस्फोट, गिरे हुए मलबें और धूल का फायदा उठाते हुए सशस्त्र आतंकवादी एम टी वर्कशाप में घुसने के प्रयास में गेट की ओर दौड़ा। गेट सं. 3 पर सन्तरी कांस्टेबल संजय कुमार ने आतंकवादी के प्रयास को विफल करने के लिए उसकी तरफ गोलीबारी की। तथापि, आतंकवादी ने स्वचलित हथियार से भारी गोलीबारी की और लगातार अपने काम को अंजाम देने का प्रयास करता रहा। गंभीर खतरे को भांपते हुए, कांस्टेबल संजय कुमार मोर्चे से बाहर आए और खम्भे के पीछे से आतंकवादी पर गोलीबारी की। तथापि, आतंकवादी ने जवाबी गोलीबारी की और गेट से दूर सीमा दीवार के साथ-साथ भागता रहा। कांस्टेबल संजय कुमार ने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए खम्भे की आड़ को छोड़ा और गोलीबारी करते हुए उसे, भागते-भागते हो रही लड़ाई में उलझाए रखा तथा आतंकवादी को बुरी तरह से घायल कर उसे स्थिर कर दिया। तथापि, कांस्टेबल संजय कुमार ने देखा कि आतंकवादी ग्रेनेड निकाल रहा है परन्तु इससे पहले कि आतंकवादी उसकी तरफ ग्रेनेड फेंक पाता वे आतंकवादी के बहुत नजदीक आ गए और बड़ी नजदीकी लड़ाई में आतंकवादी को मार गिराया तथा ग्रेनेड आतंकवादी के हाथों में ही फट गया। इसी बीच, दूसरा आतंकवादी, जिसके शरीर पर विस्फोटक पट्टी बंधी हुई थी, ने गेट के अन्दर घुसने का अथक प्रयास किया परन्तु सैनिकों ने उसे उलझाए रखा लेकिन वह तब तक सीमा दीवार के साथ पोजीशन ले चुका था। अपने शरीर पर बंधी विस्फोटक पट्टी में विस्फोट के कारण आतंकवादी के टुकड़े-टुकड़े हो गए। बहादुर बी एस एफ जवानों ने फिदाईन हमले को विफल कर दिया था। क्षेत्र की तलाशी लेने पर एक ए के श्रेणी की राइफल, तीन हथगोले और अत्यधिक मात्रा में गोला-बारुद के साथ दो आतंकवादियों के शव बरामद हुए। मृत आतंकवादी की पहचान, मंजूर निवासी कराची और मोहम्मद निवासी हरीशपुरा के रुप में हुई, ये दोनों गैर कानूनी लश्कर-ए-तैयबा आतंकवादी गुट से संबंधित और पाकिस्तानी राष्ट्रिक थे।

इस मुठभेड़ में, श्री संजय कुमार, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 25 अप्रैल, 2003 से दिया जाएगा ।

वरुण मित्रा

(वरूण मित्रा)

निदेशक

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 28th November 2005

No. 132-Pres./2005—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Andhra Pradesh Police:—

NAME & RANK OF THE OFFICERS
S/Shri

1. **G. Raja Kishore Babu,**
   Inspector

2. **S. Murugesan,**
   Sub Inspector

Statement of Service for which the decoration has been awarded :

Inspector G. Raja Kishore Babu and Sub-Inspector S. Murugesan who were deployed for the task of detection of the cases committed by CPI (ML) PWG and apprehension of the accused, worked hard relentlessly, developed sources and finally secured credible information on the intervening night of 14/15-11-2003 regarding the presence of culprits in Vatthaluru forest, which is contiguous to Tirupathi (Alipiri). But as the time was very short and that there was no possibility of getting reinforcement, from headquarters the nominees mentally prepared themselves with the meager supporting force. Both of them decided to divide the team into two (2) and to lead each, as the extremists, who were well prepared were making a move. While S/Shri Raja Kishore Babu and Murugesan alongwith their respective teams were walking uphill covered by dense jungle, the armed contingent of about 10-12 naxalites of PWG was in vantage position and was moving towards police party. Before the police party noticed the extremists, the latter providing a safe passage for the escape of their top brass opened fire on both the police teams after dividing themselves into two batches. Inspector G. Raja Kishore Babu and Sub-Inspector S. Murugesan and their teams were taken by surprise by the well-prepared armed PWG cadres who also hurled grenades. There was imminent danger to the lives of the Police teams, who were under shadows of death. Any forward step towards the extremists surely meant death. the Police party hiding behind the boulders and there were two options left before the nominees either to save guard their lives or to advance risking their lives and personal safety. Any forward step clearly meant death.

At this juncture the nominees preferred to advance launching an attack on the extremists rather than protecting themselves. By opening fire both Inspector G. Raja Kishore Babu and Sub-Inspector S. Murugesan attacked the extremists rushing forward. **The determined move of** Inspector G. Raja Kishore Babu and Sub-Inspector S. Murugesan **not only resulted in the death of (3) important Underground armed desperados of PWG but also made the remaining extremists to flee from the scene abandoning their belongings.** Had Inspector G. Raja Kishore Babu and Sub-Inspector S. Murugesan at the expense of their lives and personal safety not acted valiantly and exhibited valor coupled with proficiency

in opening fire at the extremists, this excellent piece of good work could not have been done and the details of Alipiri action would not have been known through the documents seized. This is the subject matter of FIR No. 41/2003, u/s 147, 148, 307 r/w 149 IPC, sec 25 (1b) (a) and 27 arms act, Sec 8 of APPS act of P. S. Pullampet, Kadapa District, A.P. **The following are the details of the deceased who were most wanted and recoveries made thereof.**

1. Sake Narasimhulu @ Siva S/o Nallappa, 26 yrs, Gunepalli (v), Bukkapatnam (m), Ananthapur Dist.-**Commander, Guvvalacheruvu Squad, CPI (ML) Peoples War.**

2. Sukkuri Mallesh @ Madhu, s/o Chandraiah, 27 yrs, Dubbaka (v), Dubbaka (m), Medak Dist.-**Courier, State Military Commission, CPI (ML) Peoples War.**

3. Sake Gangadhar @ Bhujangam, s/o Narasimhulu, 22 yrs, Gunipalli (v), Bukkapatnam (m), Ananthapur Dist.-**Deputy Commander, Papaghni Squad, CPI (ML) Peoples War.**

Recoveries :

From deceased-1 : Sake Narasimhulu @ Siva, Commander

One SBBL gun, two fired empty rounds, 13 live rounds of DBBL, one Jungle patch uniform, one cement colour haversack at back one waist belt.

From decease - 2; Sukuri Mallesh @ Madhu, Courier of State Military Commission

One revolver bearing no. 22222 (made in Japan) and ten rounds, one "Tapancha", one pair of jungle patch uniform, a cement colour haversack, found jungle patch uniform in the haversack. Confidential letter of Secretary of State Committee addressed to Central Committee member with the contents of the action of action on the life of Hon'ble C.M. of Andhra Pradesh on 1st October 2003. (This gave leads to the detection of the case.)

From deceased-3 : Sake Gangadhar @ Bhujangam, Dy. Commander

One SBBL gun, five cartridges, 4 damaged rounds, one empty cartridge and 10 revolver rounds, one jungle patch uniform, one cement colour haversack bag was found and a kit bag containing clothes.

In this encounter S/Shri G. Raja Kishore Babu, Inspector and S. Murugesan, Sub Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 15th November, 2003.

BARUN MITRA
Director

No. 133–Pres/2005- The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Andhra Pradesh Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **K. Subramanyam,**
   Deputy Assault Commander
2. **A.V.Ramanaiah,**
   SC-1587
3. **A.S.Chakravarthi,**
   Sub Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded:

The D.S.P Parvathipuram received information that the Special Guerilla squad of Srikakulam Division with its 25 members was moving in Kotia Group of villages. This information was passed on to the Nominee and the other participants for planning and conducting the operation. The operation was to be done in the thick Forest with a hilly region of Kotia, which is a strong hold of PW. The Nominee along with the Greyhounds Assault Unit and Civil Police component had left for the operation on 07/03/2004 at about 1800 hrs. They got dropped two kilometers away from the village of Kotia at about 0030 hrs and walked for about 4Kms in the thick Forest. They halted for the night near a convenient and tactically dominant place and took rest for some time. The Nominee started early next day at about 0600 hrs and walked for about 2 KMs from the place of rest. At about 0730 hrs the Nominee saw some suspicious movement of persons at about 100 meters away from the first scout. He immediately halted the party and carefully observed the area and saw several persons in olive green uniform, carrying arms moving towards a near by village. At once the nominee and his Unit realized that, the persons moving ahead were extremists. Immediately, the Nominee planned a tactical operation by dividing the party in to two flanks and stalked towards the Extremists. The nominee Sri K.Subramanyam Deputy Assault Commander, A.S. Chakravarthi, SI Salur and Sri A.V.Ramanaiah Senior Commando 1587 with six others moved from one flank and the AAC Sri P.Kiran Kumar and AAC B.Srinivasa Rao with others covered another flank. The 2nd Pilot of the extremists who was walking towards the village have forfeited it as he observed the movement of the Police party well in advance and alerted the other members. Immediately they planned a surprise attack on the Police party with an intention to inflict heavy causalities on Police and with that plan, in mind they have blasted 2 claymore mines (Directional mines) towards the advancing Police party when the Police party reached the foot hill of the hillock. They also resorted to indiscriminate firing on the Police party and simultaneously blasted two more claymore mines. One claymore mine was blasted just in front of the 2nd nominee Sri A.V.Ramanaiah SC 1587. Another claymore mine exploded on the right side of the 1st Nominee only few meters away. But the Police party was not deterred

and launched a daring counter assault. Then the 1st nominee Sri K.Subramanyam DAC noticed that one group of extremists were closing on the assault party under cover of fire from the other extremists with an intention to encircle and kill the Police party. The nominee Sri K.Subramanyam DAC along with A.S. Chakravarthi and SC 1587 AV Ramaniah took a detour and advanced towards the extremists by crawling and adopting tactical movement, though there was heavy fire from the extremist. Without caring for their lives and unmindful of the grave risk, The 1st nominee K. Subramanyam along with A.S. Chakravarthi and SC 1587 AV Ramaniah started rapid fire with their automatic weapons and advanced and reached a distance of 30 meters from the extremists. They also lobbed hand grenades to reduce the volume of fire and to gain tactical advantage over the situation. This intelligent and daring move resulted in killing of 3 dreaded extremists after heavy exchange of fire that lasted for about 30 minutes between the extremists and Police Party. The slained extremists were identified later as 1) Kodari Trinatha Rao s/o Lakshmiah, 30 yrs, Commander, SGS Srikakulam Division, 2) Singupalli Ramakrishna S/o Kuberu 25 yrs member, SGS, 3) Kondagorri Bodemma 19 yrs, member SGS. Others escaped in the cover of broken ground and thick bushes. When the Survey of the area was made after the encounter, three .303 Rifles, 113 rounds of .303, one live hand grenade and other equipment were recovered from the spot. The slain extremist Kodari Trinatha Rao was responsible for the sensational murder of CI ofSalur circle Sri Gandhi of Vizianagaram Dt and the blasting of Kurur Railway station. The other three members were responsible for the looting of Arms from the Koraput District Police Head Quarters of Orissa State and took an important role in the looting. All the recovered weapons were later found to be the looted arms of the Koraput D PO. Sri K. Subramanyam DAC, A.S. Chakravarthi, SI Salur and SC AV. Ramanaiah showed exemplary personal courage and leadership, outstanding bravery beyond call of duty and gallantry in achieving these results.

In this encounter S/Shri K. Subramanyam, DAC, A.V.Ramanaiah, SC-1587 and A.S.Chakravarthi, SI displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 8th March, 2004.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 134–Pres/2005- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Andhra Pradesh Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

Shri Julapalli Rama Rao,
Circle Inspector of Police

Statement of service for wnich the decoration has been awarded:

Three weeks prior to 14-03-2004, the Bhoopalpalli area CPI (ML) CP Jana Shakthi dalam led by Ujjethula Ravi @ Madhu, Commander and his dalam members abducted 1) K. Prem Kumar, Senior Engineer and 2) Chandra Goud, Supervisor, AKR Constructions Company, Mulugu from Mulugu mandal of Warangal district and demanded a ransom of rupees 20 lakhs for their release. Shri J. Rama Rao, Circle Inspector made strenuous efforts and collected vital information about the presence of this Bhoopalpalli area Jana Shakthi dalam in Shanigaram (v) outskirts of Kamalapur PS limits under Karimnagar Sub division. Shri J. Rama Rao Circle Inspector of Police himself planned the operation, which resulted in an exchange of fire, on 14-03-2004 at 1600 hours at Shanigaram (v) outskirts. While the exchange of fire was going on, Shri J. Rama Rao, Circle Inspector led his party and kept on slowly moving forward towards the place from where the firing came. Without caring for his life and displaying extreme sense of devotion towards duty, Shri J. Rama Rao, Circle Inspector single- handedly tackled the extremists and eliminated two extremists by rescuing one abducted person from the clutches of the extremists by continuing firing. The firing lasted for about twenty minutes. When the Police advanced and searched the area two dead bodies were found at the scene. Later they were identified as **1. Kallem Laxma Reddy @ Prabhakar r/o Golla Buddaram village of Warangal District. Dy. Commander of CPI (ML) CP Jana Shakthi Bhupalapalli area and Shatti Shankar s/o Papaiah, 19 years, Munnuru Kapu r/o Jublinagar (v) of Regonda Mandal, Warangal District. Dalam Member.** While the firing was going on, the extremists killed Chandra Goud, Supervisor and the other was freed from the clutches of extremists. One **TSMC Gun.** 61 live rounds of 9 MM and one Kit bag were recovered from the scene of exchange of fire. This is the subject matter of Cr. No. 31/2004 U/s 366-A, 302, 307 r/w 34 IPC Sec. 25 (i)(a) 27 IA Act of Kamalapur PS. The slain extremist Kallem Laxma Reddy was a very senior cadre in CPI (ML) CP Jana Shakthi group and he escaped from many exchanges of fire with police. Laxma Reddy is the senior most wanted cadre in the CPI (ML) CP Jana Shakthi. Loss of Kallem Laxma Reddy is a big blow to CPI (ML) CP Jana Shakthi movement. He was responsible for many political murders, attacks on police, Arsons and other offences in Karimnagar and Warangal districts. The Circle Inspector made vigorous efforts and collected vital information about the presence of Bhopalpalli area Janashakthi dalam, which resulted in the death of one Dy. Commander and one Dalam Member. Thus, the determination and courage of

the above named Circle Inspector brought laurels to Police Department by saving the life of an abducted person in a difficult situation by putting his life to grave risk. This exemplary act of conspicuous courage beyond the call of duty needs to be recognized, to motivate the entire force.

In this encounter Shri Julapalli Rama Rao, Circle Inspector of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 14th March, 2004.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 135–Pres/2005- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Andhra Pradesh Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **M. Stephen Raveendra,**
   Additional Superintendent of Police
2. **Md. Tajuddin,**
   Sub Inspector
3. **Md. Sirajuddin,**
   Police Constable
4. **K. Srinivas Reddy,**
   Police Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 12/13.05.2004 Shri M. Stephen Raveendra, IPS, Addl. S.P., Bellampally received intelligence input that top cadres of PW like Pulluri Prasad Rao @ Chandranna, North Telangana Special Zonal Committee (NTSZC) acting Secretary, 7th Platoon PGA Commander and SIKASA, Coal Belt Secretary Bollam Rajanarsu @ Balanna and Radapaka Shaker @ Raghu, District Action Team Commander were hiding in an unknown shelter in Akenpalle (v) near Bellampally town to create a sensation either by killing Police Officer or Public representative. The nominee devised a detailed plan with two District Special Parties for neutralizing PW extremists. The two District Special parties divided into three Sub-parties of Assault, cut off and outer cordon. Each Sub-party was lead by an officer and Sh. M.Stephen Raveendra, IPS was over all in charge and specifically headed the assault party. Briefing was given to all the party members by the nominee in the AR Head Qtrs, Bellampally. Sh. M. Stephen Raveendra, IPS, Addl.S.P., personally led all the sub-parties and reached the outskirts of the village in the wee hours of 12.05.2004. The

operation started at 00.15 hrs. on 13.05.2004. Immediately after reaching the place Sh. M.Stephen Raveendra, IPS positioned the cut off parties as well as the outer cordon party. Later the nominees alongwith 17 others proceeded towards the village and reached a Govt. School. M. Stephen Raveendra, IPS Addl.S.P., deputed Md. Tajuddin, SI(Nominee 2) and K. Srinivas Reddy, PC (Nominee 4) at 00.55 hrs to reccee, the suspected shelter which was 200 mtrs. away from the Government school. No sooner did the above reached the suspected shelter gun shots were fired. Without wasting any time, Sri. M. Stephen Raveendra, alongwith Md. Sirajuddin PC (Nominee 3) rushed with the force and reached the shelter where Tajuddin, SI, and K. Sreenivas Reddy PC (Nominees) were positioned. Sri. M. Stephen Raveendra, IPS, Addl.S.P. (Nominee 1) instructed Md. Tajuddin, SI and K. Srinivas Reddy PC alongwith 12 PCs to cover the front door and himself alongwith Md. Sirajuddin PC and 6 other rushed towards the rear door from where there was intense firing. On noticing the police party the extremists continued to fire profusely on the nominees from the rear side of the house. The nominee 1 alongwith the Md. Sirajuddin PC swiftly advanced towards the house under a volley of fire with virtually no cover to take and exposed themselves to grave risk to life. The extremists continued to fire indiscriminately with 9mm carbine, .38 Revolvers and also lobbed the grenades and made valiant attempts to advance in the direction of the police party. Sri. M.S. Raveendra, IPS, Addl. S.P., alongwith the other nominees Md. Sirajuddin PC 2509 , Md. Rajuddin SI and K. Srinivas Reddy PC kept firing and did not let the spirited extremists get away. The village which was abutting forest echoed with sounds of fire arms and explosions assumed the proportion of war. The bullets and the grenade splinters were almost passing through the nominees at a hair split distance. Shri Stephen Raveendra and Md. Sirajuddin advanced in the direction of fire even after taking shots on their BP vests unmindful of grave risk to their life. Mean while the other flank led by Sri Md. Tajuddin SI, K. Sreenivas PC who covered the front door and the window and fired incessantly in spite of bursts of HE Grenades. Fierce fighting lasted for more than 30 mts wherein Balanna, 7th Platoon PGA Commander and Raghu, dist. Action Team Commander gave stiff resistance. After the firing ceased, the Police party searched the area and found 2 dead bodies of left wing Extremists. These two dead bodies were identified as :-Bollam Rajnarsu @ Balanna R/o Bellampally, Adilabad PGA latoon Commander and Sikasa Coal belt Secretary-Carrying a cash reward of Rs.3,00,000/-.Radapaka @ Raghu R/O Bhupalpally, Warangal dist, Dist., Action Team Commander – Carrying a cash reward of Rs.3,00,000/-. The third extremist Chandranna, NTSZC Secretary escaped in the cover of darkness. The slain extremists Bollam Rajnarsu @ Balanna belonging to CPI ML (PW) since 1992 was a dreaded extremist responsible for 50 offences which included 10 murders, attack on Narasapur (G) PS, attack on DSP Kagarznagar residence wherein one APSP personnel died, ambush and blasting nearCuntalmanepally (v) wherein 2 APSP personnel dead, attack on Bellampally Railway Station, murder of madan Mohan, ASI of Tiryani PS, murder of Mesra Jangu ZPTC, Indravelli, rape of two gond tribals, blasting and setting fire to dumpers of OCC and ACC factories, destruction of MRO officers, Railways Stations, RTC buses, forest guest houses, kidnappings, extortions, arson and intimidation. The second slain extremist Radapaka Shekar @ Raghu was Dist. Action Team

Commander who was involved in 34 offences, struck terror in the hearts of people. Prominent offences include killing of Police Constables Sanjeva Reddy and Sheshaiah at Bellampally, shot dead Bhim Rao, PC at Kerameri, killing of Tula Subash, PCC member at Sonala and Dist., Youth Congress Organising Secretary at Sonala (v) etc. Both the above slain extremists were dreaded criminals who spread panic and terror in the hearts and minds of people. The nominees Sri M. Stephen Raveendra, , Md. Tajuddin, SI, Sirajuddin PC-2507, K Srinivas Reddy, PC-2435 played a leading role not only in collection of intelligence but also planning, organizing and giving able leadership in exchange of fire. They exhibited exemplary bravery and faced the fierce firing of the extremists with devotion to duty, determination and courage unmindful of the grave risk to their lives thereby causing irreparable damage to PW in North Telangana. As indicated in the prescribed proforma following recovers were made:-

1.	9mm Carbine	-	1
2.	.38 Revolver	-	2
3.	HE Grenade	-	1
4.	30 rounds of 9mm ammunition.		

In this encounter S/Shri M. Stephen Raveendra, Additional Superintendent of Police, Md. Tajuddin, Sub Inspector, Md. Sirajuddin,Police Constable, K. Srinivas Reddy,Police Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 13th May, 2004.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 136–Pres/2005- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Andhra Pradesh Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **S. Acheswara Rao,**
   Sub Inspector
2. **Ch. V.S.Padmanabha Raju,**
   Deputy Assault Commander

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 11th May, 2003, Shri Acheshwara Rao, SI of Police, Mandamarri, earlier working in PS Asifabad colleted reliable information that the PWG extremists were camping in the forest area of Agarguda village under Dahegaon PS. Shri Acheshwar Rao, SI passed the information to superior officers. Shri Acheshwar Rao, SI with the assistance of Shri Ch.V.S. Padmanabha Raju, Dy. Assault Commander, Grey Hounds chalked out the operation in order to apprehend the extremists. On 11.5.2003 evening Shri Acheshwara Rao, SI alongwith civil, APSP, Special Party and Grey Hounds party started combing operations and proceeded towards Aheri (village) of Maharashtra State. On the early hours of 12.5.2003, Shri Acheshwar Rao, SI and Shri Padmanabha Raju, Dy. AC alongwith party started combing operations and proceeded to Gudem village of Bejjur PS and searched the surrounding hillocks of the forest area, of Shivapalli, Nagapalli areas and made night ambush at Bejjur outskirts. Thereafter, on 13.5.2003, Shri Acheshwar Rao, SI and Shri Padmanabha Raju, Dy. AC continued the operations in search of PWG extremists and reached Gundepalli village and made ambush (night halt) at the outskirts of the village. Again Shri Acheshwara Rao, SI developed field informtion at Gundepalli area about the PWG extremists, through his own source and all of them again started combing the area in the early hours of 14.5.2003. Shri Acheshwar Rao, SI and Shri Padmanabha Raju, Dy.AC proceeded towards Agarguda and on searching the hillocks, they could trace some foot prints. Later following the track upto 2 KMs, where they again noticed remnants of lying up position (LUP) of the PW extremists. Shri Acheshwara Rao, SI divided the entire party into two groups. 1st party led by Shri Acheshwara Rao, SI and the 2nd party led by Shri Padmanabha Raju, Dy. Assault Commader, Grey Hounds. The party led by Shri Acheshwara Rao, SI continued combing the area at Pochammagutta and Kondengala loddi upto 1020 hours. All of sudden they sighted about 20 CPI ML PWG extremists clad in olive

green uniforms armed with deadly free arms. On noticing them, the extremists opened fire towards the police party with an intention to kill the police personnels. The party leader Shri Acheshwara Rao, SI with the assistance of Shri Padmanabha Raju, Dy.AC disclosed their identity as police and repeatedly appealed to the extremists to surrender themselves voluntarily. But the PWG extremists did not heed to the warnings and continued indiscriminate firing towards the police party. Shri Acheshwara Rao, SI and Shri Padmanabha Raju, Dy.AC including the entire police party putting their lives on high risk advanced towards the extremists amongst heavy gun firing retaliated the fire and they exhibited the role of valor by challenging the enemy and bravely moved towards the extremists. Shri Acheshwara Rao, SI and Shri Padmanabha Raju, Dy. AC advanced forward in the direction of the fire unmindful of the grave danger to their lives. The extremists retaliated the fire vehemently. However, Shri Acheshwara Rao, SI and Shri Padmanabha Raju, Dy. AC surged forward inspite of bursts of fire of grenades. The second group led by Shri Padmanabha Raju, Dy.AC alongwith his greyhounds force stood as a fort wall/defence wall and started giving retaliatory fire, preventing the extremists to escape. Though the extremists opened heavy fire, Shri Acheshwara Rao, SI and Shri Padmanabha Raju, Dy.AC stood bravely and guided his force and retaliated the extremists. Shri Acheshwara Rao, SI and Shri Padmanabha Raju, Dy. AC further advanced not caring the rain of bullets and grenades. Shri Acheshwara Rao, SI and Shri Padmanabha Raju, Dy.AC continuously faced the extremists bravely. The exchange of fire continued for half and hour. After cessation of fire, Shri Acheshwara Rao, SI and Shri Padmanabha Raju, Dy.AC alongwith others searched the area and found (3) female dead bodies in olive green uniform ridden with bullet injuries. They were identified as : -

(a)Yellanki Aruna @ Lalithakka, 40 years, DCS Adilabad district r/o Rangaraopet village, Metpalli mandal of Karimnagar district (Wife of Katkam Sudershan @ Anand CC Member) (b) Durgam Pochamma @ Kamalakka, 35 years, r/o Kushnapalli of Nannel mandal (Wife of Durgam Madunaiah Action Team Member) Guard to DCS Lalithkka.
(c) Gone Rajeshwari @ Swarnakka, 18 years, Nethaknai, r/o Tekumatla village of Jaipur mandal. Guard to DCS Lalithakka.

The remaning PWG extremists managed to escape from the spot leaving their belongings by taking the advantage of the thick forest and hilly – terrain towards Loadpalli RF. Then Shri Acheshwara Rao, SI immediately passed information to his superior officers about the probale route of escape. Upon which the officers

organised combing operations by sending police party led by SI Dahegaon on 15.5.2003 and there was another exchange of fire at Loadpalli, with the extremists who has escaped from the Agarguda encounter but there were no casualities on either side. The police party could seize one 9 mm Carbine gun, on 8 mm rifle and some uniforms of the extremists. From the above encounter site, Shri Acheshwara Rao, SI and Shri Padmanabha Raju, Dy.AC along with his party searched the spot and recovered the following abandoned items, which were left by CPI ML PWG extremists such as 1) One AK – 47 rifle bearing No. GK – 5066, 2) One .303 rifle bearing No. 38521, 3) One .303 MK – V rifle, 4) One S.B.B.L. rifle, 5) three A.K – 47 empty magazines (One damaged), 6) 16 live rounds of AK – 47 rifle, 7) 31 live rounds of .303, 8) 23 empty cartridges of .303, 9) 38 live cartridges of 12 bore SBBL, 10) 23 empty cartridges of 12 bore, 11) Net cash Rs. 7,230/-, 12) One Digital diarty (Casio Company), 13) One plastic writing pad, 14) Documetns pertains to deceased Lalithakka, 15) One Walkman set (Panasonic Company), 16) One Mobile Walkie – Talkie VHF set (Icon Company), 17) One Cell charger, 18) Two radio transistors, 19) One camera flash, 20) Ten plastic sheets, 21) Ten plastic heater cans, 22) 12 kit bags 23) Claymore mine, 24) 11 AK – 47 empty rounds and etc. The deceased 1 to 3 belongs to the outlawed CPI ML PWG who indulged in several heinous offences such as Arsons, Murders, Damaging public and Private properties, Kidnappings in the district and creating panic in the minds of public. The deceased Yellanki Aruna @ Lalithakka, DCS Adilabad was involved in 108 henious offences, important among them are 1) Murder of Palvai Purchotham Rao, MLA Sirpur, 2) Attack on Dy. SP, Kaghaznagar 3) Land mine blsting at Bejjur area etc. The deceased Lalithakka, DCS carried reward amount of Rs. 3 Lakhs, on her head, and it figures at Sl.No. 181 of Karimnagar district, as per G.O. ms. No. 509, General Admn(SC.A) Deptt. dated 12.12.2003, the remaining two deceased i.e. Kamalakka and Swarnakka also carried reward amount of Rs. 20, 000-00 each. Shri Acheswara Rao, SI and Shri Ch.V.S. Padmanabha Raju, Dy.AC exhibited exemplary bravely and faced the fiercer of firing of the extremist with the devotion to duty, determination and courage taking high risk to his life.

In this encounter S/Shri S. Acheswara Rao, Sub Inspector and Ch. V.S.Padmanabha Raju, Deputy Assault Commander displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 14th May, 2003.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 137–Pres/2005- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Andhra Pradesh Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

Shri P. Shobhan Kumar
O/S Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On receipt of specific information, Shri P. Shobhan Kumar, Inspector immediately reported to his superior officers and on their instructions, alongwith civil / CRPF party, set off to Ansanpalli village (in the adjacent Karimnagar District), on 14 March, 2004 at 3 a.m. by lorries. The party alighted in the outskirts of Ansanpalli village at about 5 am. Taking all precautions, Shri P. Shobhan Kumar, Inspector led the party into the village and began cordon and search operations. Shri P. Shobhan Kumar, Insepctor divided the civil / CRPF party into an assault and cordon party. The assault party was led by Shri P. Shobhan Kumar, Inspector consisting of Civil and CRPF personnel and the cordon party by SI Bhupalpalli. The assault / cordon party surrounded the suspected shelter, where the Bhupalpalli squad of PWG extremists was holed up. The PWG sentry who was standing near the window noticed the police surrounding the house and immediately alerted others. The extremists, numbering four, took vantage positions and began firing on the police party. There was heavy automatic firing and Shri P. Shobhan Kumar, Inspector immediately ordered his party to take lying positions and by crawling started surrounding the house. The police party began firing and sensing danger two extremists started fleeing from the rear door of the house. Two other extremist who were injured were lying in a pool of blood. Shri Shobhan Kumar, Inspector and two CRPF personnel viz. P.S.Rajendran, HC/GD and S.Babu, CT/GD of his party put on BP jackets and broke open the door and entered the house, without caring for their lives. Immediately, one of the extremists opened fire on the nominee and his party. A bullet hit the nominee on the BP jacket. The two injured extremists began running from the rear door of the house. Shri Shobhan Kumar, Inspector alongwith the above two CRPF personnel chased the fleeing extremists. One of the extremists threw a grenade and before it could blast Shri Shobhan Kumar, Inspector came down to lying position. Even as the extremists were fleeing Shri Shobhan Kumar, Inspector did not stop chasing. About 100 yards from the house Shri Shobhan Kumar, Inspector shot dead the two PWG extremists. These extremists were responsible for the killing of several policemen and civilians. With this encounter entire Bhupalpalli Plain Area Committee has been eliminated.

Names of the deceased extremists:

Vema Radha @ Sugunakka w/o Joruka Sadaiah @ Sammanna, 27yrs, Caste:Tenuga, r/o Tekumatla(v), Chityal mandal of Warangal District. Area Organiser of CPI ML PWG Bhupalpalli area.
Kasarla Ravi @ Kummari Ravi s/o Rajaiah, 25yrs, Caste:Kummari, r/o Ansanpalli(v),
Koyyur mandal of Karimnagar District. Dalam member of CPI ML PWG Bhupalpally area.

In this encounter one .30 US Carbine, one .303 rifle, and ammunition were recovered from the slain extremists.

In this encounter Shri P. Shobhan Kumar, O/S Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 14th March, 2004.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 138–Pres/2005- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Andhra Pradesh Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICER
Shri Vaditya Balu Jadhav
Sub-Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 03-05-2002 at 9 AM Shri V. Balu Jadhav, SI received a source information that an Action Team has arrived in Mandamarri township to commit serious offence. Immediately Shri Vaditya Balu Jadhav collected the available force (2) Civil and one AR police personnel and left in search of the cadre. While patrolling the backside of S.C.C. Limited, Sub Station, near CER Club area, Mandamarri, Shri Jadhav was suddenly fired upon by a three members Action Team of CPI ML PW. Shri V.Balu Jadhav, SI and his men were quite exposed to the bullets of extremists. But Shri V.Balu Jadhav, SI exhibiting the high sense of duty and immense courage, commanded his men to safer position and then retaliated himself, after due warning towards extremists, without caring to his personal life. The exchange of fire lasted for about 15 minutes. When the fire ceased from the opposite direction, the nominee

advanced courageously and searched the area. One dead body with bullet injuries was found on the spot. Later the dead body was identified as ELETI DHARMANNA @ KONDANNA, Special Guerilla Squad Commander and Adilabad District Action Team Commander. The deceased UG cadre was carrying an reward amount of Rs.50,000-00 on his head. The following abandoned items were seized from the scene.

1. .38 revolver	:	01
2. Live rounds of .38	:	12 with pouch
3. Live rounds of .32	:	01
4. .38 empty cartridges	:	04
5. Photos	:	of all MsLA, MsP, Ministers, Muncipal Chairman and one target Boda Rajamouli, brother of Ex-MLA B.Janardhan of Chennur AC.
6. Net Cash	:	Rs.10,000-00

The other associates of the deceased managed to escape from the scene.

In this encounter Shri Vaditya Balu Jadhav Sub-Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 3rd May, 2002.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 139–Pres/2005- The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Andhra Pradesh Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

Shri D Rajasekhar Reddy (Posthumous)
Assistant Assault Commander

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 3.5.2003 receipt of information that a huge number of extremists were campaigned for training at the thick intractable forest area under Kalimela P.S Limits of Orissa State. Shri Rajasekhar Reddy, AAC lead the Unit and moved for the operation. After walking for about 6 hours, the party halted for the night in a safe zone. On 04.05.2003 at about 0500 hrs Shri Rajasekhar Reddy, ACC along with his team continued the combing operation of the area in the inhospitable hiily tough terrain and reached Chapududula village. During their operation Shri D Rajasekhar Reddy adopted an innovative strategy of deception by posing themselves as extremists and enquired with the villages of that area who come across the party and the unsuspecting villagers guided them towards the general area of the camp. But the villagers of Chapudhudula did not disclose any information about the location of the extremists. Even then, the party continued their search of the camp following the general direction and moved eastwards from Chapududula village suddenly, they came across a small foot track at the base of three hillocks. When the party followed the track for some distance, all of a sudden they found two tents between the thick Bamboo bushes near the foothills. Immediately, Shri D. Rajasekhar Reddy, planned a contingency scheme by dividing the party into three flanks and stalked towards the Naxalistes. One flank lead by Shri JayaRam, AAC was asked to cover the left side i.e East side of the area and another party lead by Senior Commando was asked to cover the right side i.e. West side of the area as Cut-Off parties. They were asked not to open fire unless any extremists tries to escape from their side. Then the Main assault party lead by Shri Rajasekhar Reddy, AAC, advanced towards the tents by taking all precautions. When the main assault party reached a distance of about 30 meters from the tents, a sudden fire came towards the Police party. Then Shri Rajasekhar Reddy, AAC disclosed their identity as police and asked them to surrender. When the warnings were not heeded, the Police party also opened fire towards extremists in the exercise of right of private defence and fire continued for a period of 20 minutes. Then suddenly Shri D Rajasekhar Reddy, ACC realized that, the extremists who were more in numbers and in a dominate position on the hillocks in entrenched position slowly encircling the police party from all sides with an intention to annihilate the entire police party. Meanwhile the extremists also started throwing grenades and blasting claymore mines towards the two cut-off to deter them approaching the main assault party. Then Shri Rajasekhar Reddy, AAC realized that, they were trapped

from all sides and facing a grave threat and the lives of all police men in the group are in jeopardy. He felt that unless a dare devil counter attack is launched against the extremists they cannot survive. In a rare display of exemplary presence of mind, uncommon courage, unusual bravery, conspicuous act of Gallantry and devotion to duty and professional standards, he threw a grenade on the extremists and advanced towards the extremists by opening fire with his automatic weapon and he was followed by only two junior Commandoes of his group. This dare devil act made the extremists in the tent to run for their lives and the remaining extremists scatter from their dominating positions. But Shri D Rajasekhar Reddy, AAC, who was advancing towards the extremists, could not find any cover for his safety. Though he could defeat the design of the extremists to annihilate the police personnel, he fell to the bullets of the extremists. Though he was profusely bleeding and suffering from severe pain, he continued his firing with his weapon till all the extremists fled away from the scene. Shri D Rajasekhar Reddy, AAC made a great sacrifice and saved the lives of the police personnel and breathed his last after two hours. Survey of the area, after the incident, four SBBL Weapons, one DBBL Weapons, one 8 mm Rifle, one Rivolver, one 30 mm Springfield Rifle, one ICON VHF set, two Land mines, one Claymore mine, one 51 mm Bomb, and 35 Kit Bags etc were recovered from the spot.

In this encounter (Late) Shri D. Rajasekhar Reddy, AAC displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 4th May, 2003.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 140–Pres/2005- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Andhra Pradesh Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **V. Sivaram Prasad, Deputy Assault Commander /RI**
2. **B. Murali, SC (1721)**
3. **L. Laxminarayana, AR, PC (280)**

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 4.7.2003, on the information of the S.P, Adilabad –Distt. regarding left wing peoples war action team members taking shelter in a private house at Gandinagar SC colony Bellampalli town of Adilabad Distt., S4-B, Q/Unit lead by Shri V.Siva Ram Prasad along with 15 members of Distt Special Party, SI one town PS of Bellampalli town rushed to the house without losing any time, since the PWG is known for shifting places as a tactic. As planned by Shri V. Siva Ram Prasad, Deputy Assault Commander , extended the outer cordon lead by AAC Shri K.A.Naidu from the back side of the house and after receiving signal from the outer cordon, leader Shri V. Siva Ram Prasad, Deputy Assault Commander , alongwith rescue team and inner cordon rushed to the house and surrounded the house by covering the door, window and other sides of the house. At the time of approach of inner cordon they saw 2 persons coming out of the house. Nominee 1 instructed the inner cordon personnel to capture those 2 persons. After interrogating them they told that 3 persons having weapons are staying in the house and they belongs to PWG underground cadre. Shri V. Siva Ram Prasad, Deputy Assault Commander , warned the extremist to surrender by throwing their weapons out from the door. When the warnings were not heeded Shri V. Siva Ram Prasad, Deputy Assault Commander , ordered to open fire. Shri V. Siva Ram Prasad, Deputy Assault Commander , and the rescue party opened fire towards the door and window of the house. The door is opened and the curtain is hanging. Extremist inside the house also opened fire from the window towards the gate and roof. The roof of the house was made with asbestos cement sheets. The extremist took position behind the walls of the house where firing was not affecting them. Shri V. Sivaram Prasad, DAC, ordered Shri B.Murali, SC (1721) and Shri L.Laxminarayana, AR PC 280 to break the roof of the house with stones and to drop grenades. During the operation Shri Murali, SC and Shri L.Laxminarayana, AR dropped 5 grenades and the extremist were throwing out the blinded grenades from the roof hole. The extremists did not surrender and shouting with slogans that "Viplavam Vardhillali", "inqualab jindhabad". As seen from the firing of the extremists Sh V Sivaram Prasad, DAC recognized that there are 2 rooms in the house and they are running from one room to another when the police party dropped grenades. Shri V. Sivaram Prasad, DAC ordered the inner cordon party to

break the ventilators of the house which are located 4 sides of the house i.e. 2 for each room. The party broke the 4 ventilators of the house and as per the caution of Shri V.Sivaram Prasad, DAC, four personnel dropped 4 grenades at a time. Grenades blasted in 2 rooms at a time and there was no sound/retaliation fire from extremist. Shri V.Sivaram Prasad, DAC, Shri Murali, SC and Shri L.Laxminarayana, AR entered the house and saw 3 dead bodies laying in the 2nd room of the house which was being used by the house owner as kitchen cum living room. Shri V.Sivaram Prasad, DAC and Shri Murali, SC observed that the LP gas cylinder put in the room was leaking. Immediately as per the direction of Shri V.Sivaram Prasad, DAC and Shri Murali, SC disconnected the regulator from the cylinder and taken out it out of the house. The following 3 extremists were killed.

Jangapalli Sreehar @ Shankar (action team incharge and Jaipur LGS Commander)
Eppa Hanumantu @ Narasanna (Allampalli LGS Commander and action team member)
Godari Rajendar @ Krishna (Action team member)

The following arms, ammunition and other articles were recovered from the house.

1. 9 MM IAI Carbine	-	1
2. 7.33 Mousure Pistol	-	1
3. 7.33 Revolver	-	1
4. Cash	-	Rs. 3,650/-
5. Literature		
6. Kit bag	-	1
7. 33 ammunition.		

The extremists killed in this encounter were accused in assassination of MLA CM Purushotham, one head constable , and 4 constable of armed reserve Bellampalli of Adilabad –Distt., as well as involved in various cases in the dist. There is a reward of Rs.2 lakhs each on 2 extremist and Rs. 1 lakh on the rest. This was a major reserve suffered by people war in AP and that to in Adilabad-Distt., known as epicenter of extremist moment. In this operation Shri V. Sivaram Prasad, DAC, Shri B.Murali, SC (1721) and Shri L.Laxminarayana, AR PC 280 have displayed exemplary presence of mind and planning, uncommon courage, unusual bravery, conspicuous act of gallantry and devotion to duty. Shri V. Sivaram Prasad, DAC led the police; party by not giving any room for any injury or loss to any body i.e to the public gathered around the house and to the police personnel who were firing in a closed quarter battle. Shri B.Murali, SC (1721) and Shri L.Laxminarayana, AR PC 280 have also exhibited excellent performance in throwing grenades by breaking the roof by facing the risk of firing from the enemy as the roof was made of cement sheets.

In this encounter S/Shri V. Sivaram Prasad, Deputy Assault Commander, B. Murali, SC, & L. Laxminarayana, AR, PC displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 4th July, 2003.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 141–Pres/2005- The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Andhra Pradesh Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

Shri K. Devendar Reddy
Reserve Sub-Inspector (Now Sub-Inspector)

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 02-08-2003 on a specific information about the movement of extremists in the area identified in Map No.65 B/8(1:5), which is fully covered with steep hillocks and thick forest Shri K. Devendar Reddy, RSI along with his party was sent to navigate in the forest, near Koushettivai. The entire operation would continue for two days and with this intention and information the party was thoroughly briefed about possible ambush, claymore mines and land mines by naxalites near the camp site and were told to strictly adhere to the principles of field craft and dispatched, at 0200 hours, from Dist.HQ. The party got dropped in the outskirts of Koushettivai village and started navigating towards forest in east direction. At about 1730 hours on the same day, while the party was searching the hillocks, Shri K. Devendar Reddy, RSI observed some footprints at the nala, near .344 hillock, and also fresh signs of water being drawn from a hand made pond at the nala. The footprints were leading to the top of the .344 hill. The party followed the footprints carefully and started climbing the hillock till about half way when the footprints disappeared. Shri K. Devendar Reddy, RSI did not lose hope and continued the ascent. During the climb at a distance of about 20 yards from the top, Shri K. Devendar Reddy, RSI observed some leaves, which were peculiar and not available in the nearby forest. This, he suspected to have been brought by someone, probably extremists, to have food and hence continued his task uphill. On top of the hillock, Shri K. Devendar Reddy, RSI noticed one plastic tent and heard some sounds from the tent. Then Shri K. Devendar Reddy, RSI took a decision for assault and the party was divided into three groups. While two groups were kept as cut-off from the SW and SE directions, the third group led by Shri K. Devendar Reddy, RSI climbed the last contours of the hillock by crawling as standing movement would expose him. Had Shri K. Devendar Reddy,

RSI along with his group, reached near the tent from the north direction, the cordon would have been completed, but, for the premature firing, which was opened by the first cutoff from the SW direction, when they were questioned by the sentry of the dalam. The sentry who was sitting, beside a tree, fired at the police party and the latter had no option but to defend themselves against enemy fire and had retaliated almost instantaneously. On the other, hand, Shri K. Devendar Reddy, RSI who stood in front of the extremists' tent received heavy firing from automatic weapons and he retaliated valiantly, moved forward without caring for his life and opened fire with his automatic rifle and as a result three extremists including a Zonal Committee Secretary were killed. This happened between 1855 and 1910 hours in fading daylight. After the fire stopped, the police party advanced towards the area on the call of RSI, searched the area and found 4 dead bodies, including a female dead body, 6 weapons (including two .303 rifles and two 8 mm rifles) 10 kit bags, water can etc. The brave act of Shri K. Devendar Reddy, RSI and his team inflicted heavy casualties on PPG with the death of : 1) Pashula Bixapathy @ Chandranna, PPG Narsampet Zonal Committee Secretary, and member of Warangal-Khammam area committee, 2) Manubothyla Yadakka @ Radakka, w/o Lingaiah @ Linganna (Commander of Yellandu dalam), Dy.Commander of Chandranna dalam, 3) Punem Papa Rao @ Bhupathi @ Laxmaiah, member of Chandranna dalam, 4) Jerupula Baggu @ Ranganna, member of Chandranna dalam.

In this encounter Shri K. Devender Reddy, RSI (Now Sub Inspector) displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 2nd August, 2003.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 142-Pres/2005- The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Andhra Pradesh Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

Shri A Naresh Kumar,
Sub-Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 7th March, 2003 as per the instructions of Addl.SP (Ops), Karimnagar, a District Guard assault unit under the leadership of the Shri A. Naresh Kumar, SI, was sent for combing operations in Chendurthi PS limits. On the next day morning at 0600 they started moving and checked the hideousts at Bavusaipet, Lachampet Thanda, Jalapthi Thanda and its surroundings and reached near the Govindarajula Gutta of Dubba Thanda at 0830 hours. While the police party reached the village, about 4 to 5 persons clad lungies started running by diving in two different directions to escape from the police party. Immediately Shri A. Naresh Kumar, SI chased two of them who have running towards Govindarajula Gutta suspecting them as extremists and the manner in which the unknown persons started running on seeing the police party, gave Shri A. Naresh Kumar, SI a strong belief that they must be extremists. On seeing the fast chasing of the police party, they ran towards Devuni Gutta and took one bicycle, parked there to make, their escape easy. On seeing this, Shri A. Naresh Kumar, SI ordered the police party to chase them continuously on foot and he took one Police Constable 2645 Ashok, and took one motor cycle from a civilian and went in opposite direction, to track down the suspects. As soon as, Shri A. Naresh Kumar, SI approached nearer, suddenly one of the extremists opened fire on Shri A. Naresh Kumar with his short weapon. On noticing the extremists action that was just 10 meters away from Shri A. Naresh Kumar, SI, Shri A. Naresh Kumar, SI stopped the bike and immediately opened fire on extremists and also ordered his pillion rider i.e. PC 2645 to open fire on the exrtremists, in self defence. Shri A. Naresh Kumar, SI took the cover of one small rock and continued fire on the extremists. Both the extremists instantly died on the spot due to bullet injuries. On searching of the scene of exchange of fire, one 7.62 pistol and one HE 36 Grenade was recovered from the Slain extremists. Later both the slain extremists were identified as Katukam Karunaker @ Nazeer S/o Narsaiah, 27 years, Kapu by caste r/o Bandapalli, Dy.C.O. of Janashakthi and Enugula Mahankali @ Devanna s/o Rajaiah, 30 years, Kurma by caste r/o Kistampet (village), Dalam member. The slain extremists have participated in many offences, which included the brutal killing of two constables Henku Naik and Sankepalli Krisna of Kodimial PS at Vattimall (village) of Konaraopet Mandal on 11.2.2003. This is an excellent field encounter and the first of its kind in Sircilla Sub-division in which Shri A. Naresh Kumar, SI bravely faced the extremist rain of bullets and killed two dreaded extremists by chasing at the great risk of his personal life.

In this encounter Shri A Naresh Kumar, Sub Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 8th March, 2003.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 143–Pres/2005- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Andhra Pradesh Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **Manish Kumar Sinha, IPS, Addl. Supdt. of Police**
2. **K. Vamseedhar, Assistant Assault Commander/ Reserve Sub-Inspector**

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 24.06.2003 at about 0700 hrs, Sh. Manish Kumar Sinha, Addl S.P had information that, 15-20 Tiger Project dalam of PW were planning to strike Police Station of Peddaraveedu under Markapur Sub-Div. of Prakasham dist. and they were moving in the thick forest of Chinthalamudupi village of Prakasham District. The operation was to be done in the thick Chinthalamudipi Forest, which is a strong hold of PW. Sh. Sinha, Addl S.P along with K. Vamseedhar worked out a detailed plan and went for the operation with Greyhounds unit personnel and special parties. The police personnel were divided into two groups, each led by S/Sh Sinha & Vamseedhar to cover and comb the suspected area. Shri Manish Kumar Sinha , IPS and Shri K. Vamseedhar, observed some movement near a tree situated on a hillock, which is located at a distance of near about 100 meters from hill and also he listened the murmuring voice of unknown persons from the Hillock. But once Sh. Sinha and his unit realized that, the voice was of extremists, immediately, he planned a contingency scheme by dividing the party into two flanks and stalked towards the naxalites. Shri Manish Kumar Sinha, IPS, Sri K. Vamseedhar, AAC Sri T. Narender, JC 2621 and U. Srinivasa Chary, SC 1759 as one flank and the DAC Shri M. Madhava Rao and AAC Yadagiri another flank. The extremists who were taking shelter on one of the hillocks have forfeited it and they have observed that movement of the police party well in advance and planned a surprise attack on the police party with an intention to inflict heavy causalities on Police and with that plan in mind, they have planted a number of claymore mines towards the advancing police party. When the police party reached the foot hills of the hillock, suddenly, the extremists

started indiscriminate firing towards the Police party and simultaneously blasted two claymore mines. The claymore mines were blasted just in front of the Sri K. Vamseedhar, AAC, but they were not deterred and launched a daring counter assault. Then Sri K. Vamseedhar, AAC, noticed that one group of extremists were closing on the assault party under cover of fire from the other extremists with an intention to encircle and destroy the police party. Shri Manish Kumar Sinha along with Sri K. Vamseedhar, AAC took a detour and advanced towards the extremists by crawling and adopting tactical movement, though there was heavy fire from the extremists. Without caring for their lives and unmindful of the grave risk, Sri Manish Kumar Sinha, IPS and K. Vamseedhar, AAC started rapid fire with their automatic weapons and advanced and reached a distance of 30 meters from the extremists. The heavy exchange of fire that lasted for about one hour between the extremists and police party resulted in the killing of four dreaded extremists. Santhi W/o Sreenu @ Mahesh, Area Committee Secretary of CPI (ML) PW & Tiger Project Dalam. Kondasema Enima @ Uma, D/o Nageswar Rao, CPI (ML) PW Member. Thummella Venkateswarlu @ Sagar, S/o Chinna Venkata Subbaiah CPI (ML) PW dalam member and S. Prasad @ Jeevan, S/o Nagaiah, CPI (ML) PW Dalam member. Survey of the area, after the encounter was made. Two .303 Rifles, two SBBL Rifles, One Tapancha, One Day Binocular and large quantity of ammunition were recovered from the spot. S/Sh. Sinha & Vamseedhar showed exemplary personal courage & leadership & gallantry in achieving these results. This encounter gave stunning blow to the PW.

In this encounter S/Shri Manish Kumar Sinha, IPS, Addl. S.P., & K. Vamseedhar, AAC/ RSI displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 24th June, 2003.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 144–Pres/2005- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Assam Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **Rounak Ali Hazarika, APS, Supdt. of Police**
2. **Jatindra Nath Saikia, Sub-Inspector, (UB)**
3. **Bipul Ray, ABC/586**
4. **Harishikesh Ray, ABC/556**

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 22-7-2004 at 1-40 PM acting on a secret information about certain hardcore ULFA extremists hiding at Majigaon village, Shri Rounak Ali Hazarika, APS, SP Bongaigaon immediately discussed the matter with Shri Lungriding, IPS, DIG(WR), Kokrajhar who was at that time conducting an Inspection of SP office, Bongaigaon, and alongwith Dy.SP.(HQR), O/C Bongaigaon PS, T-SI etc. made out an operational plan and immediately rushed with the available armed DEF personnel to the village Majigaon under Dhaigaon PS and cordoned the area. While the police party was searching the jungle, ULFA extremists threw one hand grenade aiming at the police party, but fortunately no major damage was caused to the police party. Meanwhile the extremist also opened fire at the police party. Immediately, the S.P R.A. Hazarika, Bongaigaon, S.I., Jatindra Nath Saikia, ABC/586 Bipul Ray and ABC/556 Hrishikesh Ray also retaliated and advanced returning the fire. As a result, one ULFA extremist died in the encounter. Later he was identified as Hitesh Ray @ Bhatija @Sailen Medhi, S/O Dhajen Rai, Sundari PS Sidli, District, Chirang who was a hardcore militant and self-styled ULFA Area Commander of Bongaigaon District. One Chinese made M-20 Pistol, Two magazines, 3 rounds of live ammunition, 2(two) hand grenades, one IED comprising of 3 ½ Kg. Plastic explosive, one detonator, one improvised pencil ten battery cell fitted with remote control device, one diary and some incriminating documents relating to the ULFA organization were recovered from his possession. The PO was thoroughly searched after the occurrence, nearby jungles were also searched but no trace was found of other extremists accompanying him, After a while the CRPF party was informed and they arrived at the PO to assist the police party in the follow up search operations. The slain ULFA militant was involved in the killing of several persons.

In this encounter S/Shri Raunak Ali Hazarika, APS, Supdt. of Police, Jatindra Nath Saikia, SI(UB), Bipul Ray, ABC/586 & Hrishikesh Ray, ABC/556 displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 22nd . July, 2004.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 145–Pres/2005- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Assam Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Gobin Borah, (Posthumous)
Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 27/08/2004 Gobin Borah of Commando Bn. Guwahati was accompanying the Addl. Supdt. of Police Mr. P.R. Kar of Dibrugarh DEF as a part of the team on C.I. Ops duty. On receipt of information, at about 1600 hrs regarding presence of three militants including a female cadre holed up in the house of one Leela Borah of Bhati Namdang village, their team launched operation in the village and were in location by 1800 hrs. Commando Gobin Borah was asked to lead a team of Commandos to approach the target house from the flank. Having been exposed, the militant opened indiscriminate fire at Gobin Borah's team. Commando Gobin Borah was leading his team from the front when they were fired upon. As a result he received a volley of bullets in his thigh and waist. Despite being injured Gobin Borah displayed exemplary courage and sheer dedication to duty in the presence of imminent danger and returned fire simultaneously covering the movement of his team. Commando Gobin Borah continued firing at the militants till he fell unconscious and was evacuated. Subsequently a pool of blood was discovered in the direction where Gobin Borah was firing. The militants though managed to escape were seriously injured and the leader of the group Numal Chetia @ Samar Basumatari who had lost his right eye in the exchange of fire with Gobin Borah's team was later apprehended. Despite speedy evacuation of the commando Gobin Borah, succumbed to his injury in the hospital. Commando Gobin Borah in total disregard to his personal safety in the presence of grave danger, displayed exemplary courage, leadership and devotion to duty resulting in safety of his team and subsequent apprehension of dreaded ULFA cadre Numal Chetia @ Samar Basumatari who was seriously injured in the encounter. One pistol (No.884310) with on magazine 6 rounds live ammn. One packet containing 3.660 Kg. RDX, one Chinese

Hand Grenade, 5 nos of Detonator, one wireless set(kenwood), 5 nos of screw drives, one small radio and other items were recovered from the encounter site.

In this encounter (Late) Shri Gobin Borah, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 27th August, 2004.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 146–Pres/2005- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Assam Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Arabinda Kakoti, (Posthumous)
Constable, ABC/215

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 30.10.2003 at about 1130 hrs based on an information of camping of a group of ULFA militants at village Borkhuriha(Gangapukhuri) PS Nalbari, a police party led by Sri Jitmal Doley, APS, Additional Superintendent of Police (HQ), Nalbari went to that village. As soon as the police party cordoned off a house belonging to Sri Madan Kalita and Sri Badan Kalita, one of the militants standing in front of the house fired upon the police party. At the same time about 12 to 14 militants armed with UMGs and AK Series rifles came out from the house and started fleeing towards the back of the house. The militants took position behind concrete wall of the house and fired upon the police party indiscriminately. The approaching police party came under heavy fire and forced to crawl to the nearby water pond but ABC/215 Arbinda Kakoti daringly advanced towards the militants surreptitiously from northern side and fired upon the militants with his service AK-47 rifle and killed one of the militant on the spot. He kept on firing almost for an hour but finally he exhausted all his ammunitions when the militants captured and shot him dead and snatched the AK-47 rifle and a Motorolla hand set from his possession. For his heroic fight with the large group of militants the other police personnel got a chance to take cover on the ground. Otherwise, there could have been causality of 5/6 more police personnel of the approaching party. The other police personnel instantly took position and retaliated with AK rifles, yet the militants did not retreat as they had heavier weapons (UMGs) and maintained exchange of fire till re-enforcing police

party arrived there. Hearing the sound of vehicle of the re-enforcing police party coming towards the place, the militants started firing RPG shells in all directions. However, after some time the militants stopped RPG shelling and started fleeing under the cover of bamboo groove. Police party chased them but could not succeed in apprehending any other militant. A thorough check was conducted because of heavy fire. After arrival of more re-enforcements comprising of Army and CRPF, two dead bodies, one of the militant and other of ABC/215 Arabinda Kakoti were found lying behind the house. A RPG launcher, 4 numbers of RPG shells and incriminating documents were recovered from the place.

In this encounter (Late) Shri Arabinda Kakoti, Constable, ABC/ 215 displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 30th October, 2003.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 147–Pres/2005- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Assam Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **Longnit Terang, Addl. Supdt. of Police**
2. **Ripul Das, Dy.Supdt. of Police(Proby)**
3. **Jitumoni Borah, Sub-Inspector (UB)**
4. **Ananta Borah, ABC/500**
5. **Jayanta Borah, ABC/499**

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 4-4-2004 acting on a tip off about movement of ULFA extremists in Changpool village under Borapathar P.S. Supdt. of Police Golaghat directed Shri Longnit Terang, Addl.S.P.(Hqrs) Golaghat to conduct patrolloing/search in the area. Accordingly , on the same day at about 1100 hrs. Shri L. Terang, Addl.S.P.(Hqrs), Golaghat alongwith Shri Ripul Das,APS Dy.S.P(P), SI Jitumoni Borah of Golaghat DSB, ABC/500 Ananta Borah and ABC/499 Jayanta Borah proceeded for Borpathar to Organize patrolling and lay ambush at Changpool village with a view to nab the ULFA militants. During patrolling at Changpool village, the police party was caught in ambush laid by suspected militants who started firing indiscriminately on the

police party. Seeing imminent danger, the police party took position immediately and retaliated by firing towards the militants for self defence and to encounter attack the militant. The police party in the face of heavy fire in a cool and calculated manner strategically, started crawling and fought a close combat with the militants by risking their own lives. While firing from both sides were on, two militants were seen trying to flee from the scene firing intermittently towards the police party. They were running towards two different sides for which the five member police team had to divide themselves and pursue them. In the fierce encounter of 10/15 minutes, a total of 120 rds of ammunition were fired by the police team towards the extremist. When the firing stopped, the P.O. was searched and two bullet ridden dead bodies of unidenfitied militants were found. The nearby area were also thoroughly searched to nab the other militants, but they managed to escape from the PO taking advantage of dense bamboo grooves. Later the dead militants were identified as (1) Bhaba Gogoi @ Tutu @ Dipjyoti Baruah, a self styled sergeant Major of ULFA, S/O Numal Gogoi of No. 1 Morajangaon under Sarupathar PS and (ii) Naren Saikia @ Noren Konwar @ Naga @ Nabajyoti Konwar self styled corporal of ULFA S/O Nalia Saikia of No.11Gandhkoroi gaon under Sarupathar PS. During through search of the PO and the dead bodies of the Slain Militants, 1 AK-56 Rifle with two magazines, one 9 mm Browning pistol with the one magazine, 61 rounds of AK-56 and 4 nos. of 9mm ammunitions, 4 electronic detonators, six nos of ULFA demand letters, one wireless set and 6 empty cartridges were recovered and seized.

In this encounter S/Shri Longnit Terang, Addl. Supdt. of Police, Ripul Das, Dy.Supdt. of Police, Jitumoni Borah, Sub-Inspector (UB), Ananta Borah, ABC/500 and Jayanta Borah, ABC/499 displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 4th April 2004.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 148–Pres/2005- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Assam Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **Pankaj Sharma,**
   Superintendent of Police
2. **Abdul Gafur,**
   Assistant Sub-Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 24.02.2004 a search operations was conducted in the jungle areas and probable hideouts of UPDS militants to recover 2 kidnapped persons namely (i) Sarat Dutta and (ii) Rakesh Kumar of Bhagawati Tea Estate who were kidnapped on 21.02.2004 from the garden. Accordingly a massive search operation was conducted under the direct supervision and control of Shri Pankaj Sharma, S.P. Karbi Anglong. Onc party led by ASI Abdul Gafur along with SI Jayanta Kalita, PRC/ Hav. Sukleswar Bordoloi, PR/757 Arun Ch. Das, PRC/762 Atul Deka, PRC/634 Probodh Bardoli and PRC 677 Projit Das was sent to Thelupahar Lekthe Basti. When they suddenly came under heavy fire by the extremists, the police party retaliated and ultimately the 2 kidnapped persons were recovered unhurt from the clutches of the extremists after a long encounter. After the encounter ended search was carried out and an UPDS camp was demolished. A seizeable number of arms and ammunition were recovered and 3 UPDS cadres arrested. This refers to Bokajan PS case No.35/2004, U/S120 (B)/121 (A) 122/307 IPC R/W Sec. 25 (I-B) (A) / 27 Arms Act R/W Sec. 5 of E.S. Act. The PO at Thelupahar near Lekthe Basti is about 38 KMs from Borpathar O.P.. After traveling 15 KMs towards the PO through a jungle route, it was night fall and became dark. The visibility inside the jungle and admist the hills came to near zero level. Under these unfavourable circumstances, it became difficult for Shri Pankaj Sharma to decide whether to proceed further in the night or wait for the dawn to break. The dilemma in his mind was that if the force moves during the night hours, they will have to negotiate all types of adverse circumstances like the inhospitable terrain, deep jungles, undulating valleys, several small rivulets and hills. Besides the area was the den of extremists with many Ambush points. On the other hand, if the force waits for the early dawn, they will be delayed and the hope of finding any thing there at the P.O. will be lost. Ultimaltely, Shri Pankaj Sharma decided to creep in to the jungle and hills during the night itself along with the available force and reach the PO at Thelupahar as early as possible to ensure the surprise of the operation. The party reached the PO at 1145 P.M. after negotiating the stiff heights of Thelupahar from the backside of the hills. On reaching the bed of the hill, they took a tactical position and tried to locate the extremists in the darkness lying on the ground. They could not see anything, but still were trying to locate them

looking for any movements in the darkness. The police party moved slowly towards the camp located on the higher altitude and started a thorough search. During the search, Shri Sharma recovered several documents relating to UPDS. One AK 47 magazine loaded with ammunitions and personal belongings of the UPDS were recovered after demolishing the camp. As the Shri Sharma and the party were ready to come back, there was a big blast about 50 yards away from their location. The whole force immediately took lying position. The Anti-talk UPDS militants hurled grenades from a nearby hillock with an intention to cause damage to the force. Shri Sharma encouraged the party to retaliate by firing in the direction and he himself joined the fighting team by opening fire first. The brave act of Shri Sharma and his party compelled the militants to take to their heels, who by taking advantage of the darkness, hilly terrain and dense jungle managed to disappear. Only because of the leadership, courage and daring act of the Shri Sharma the militants could not do any damage to the security force and were compelled to withdraw and the kidnapees were rescued. It was ascertained from the statement of 3 UPDS cadres and 2 rescued victims that they had seen all kinds of weapons like AK-47 Rifles, US Carbine, Rocket launcher, LMG, MMG and small arms etc. with the militants in the camp. This rescue operations is a rare example of a daring Act. This was an encounter with a well prepared adversary where the strength of Police was only of a section and the militants were more than 30 in numbers. The police party recovered the kidnappees without any harm. The loss was entirely of the militants several of whom were injured and killed. It was followed by recovery of arms and ammunition and the busting of the camp in the second attempt launched in the night hours, knowing fully well that this was an active camp of Anti-talk UPDS militants with a number of militants hiding at the location. The action presents a high level of dedication, sincerity and motivation of that small police team which made the entire police force proud. The operation was conducted in an inhospitable hilly terrain where the attackers had more advantages than the security personnel and were more in number. The instant reaction and courage of the Shri Sarmah brought such great results.

In this encounter S/Shri Pankaj Sharma, Superintendent of Police, & Abdul Gafur, Assistant Sub Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 24th February, 2004.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 149–Pres/2005- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Assam Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS
S/Shri

1. **Haren Chandra Das, Sub-Inspector**
2. **Ahmed Hussain Mazumdar, Sub-Inspector**
3. **Anisur Rahman, UB Constbale**
4. **Jagadish Deka, UB Constable**

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 6.08.2003 at about 4.20 pm SI Haren Chandra Das O.C. Tamarhat PS received information that two persons namely Md. Khairul Alam Mia President, Kamandanga Gaon Panchayat and Md. Nizamuddin Sheik, Head Master of Shyamaguri L.P. School, were kidnapped on gun point from Srirampur Railway gate by some extremists and were taken towards Rajbongshipara. On receipt of this information SI Haren Ch. Das rushed there along with SI Ahmed Hussain Mazumdar, UBC 25 Anisur Rahman and UBC 20 Jagadish Deka. On reaching the village they got information that four ULFA extremists have kept the kidnapped persons in the house of the one Santhosh Barman. As the police party reached the said house the extremists started firing indiscriminately. Md. Khairul Alam ran out of the house with injuries on his chest being followed by two extremists armed with one pistol and hand grenades. On observing the presence of women and children in the house the police party decided to take on the extremists one to one in a close quarter battle rather than to fire randomly on the extremists. One of the two extremists who rushed out-was Santosh Barman. He tried to throw a hand grenade on the police party but was shot down by the police party. Another extremists ran on to SI Haren Das and jumped on him with a pistol. As both lost balance, both fell on a cot with SI Haren Das below the extremist. The extremist tried to shoot SI Haren Das by placing the pistol on the head of the police officer. But with great courage SI Das was able to push the extremist's pistol away and put his own pistol on the throat of the extremist and fired on the extremist. At this moment UBC 25 Anisur Rahaman also came forward and shot the extremist from side. One more extremist came out the house perusing another kidnapped person. Md. Nizamuddin Sheik who was coming out of the house running and tried to pick up a hand grenade from the dead person (Santosh Barman) with a view to throw it on the police party. He was shot down by the police party. After this the police party searched the house and apprehended one more ULFA extremist by name Hareswar Roy. In this operation two kidnapped persons were saved, three hard core ULFA extremists were killed, and one ULFA extremist was apprehended .

In this encounter S/Shri Haren Chandra Das, Sub-Inspector, Ahmed Hussain Mazumdar, Sub-Inspector, Anisur Rahman, UB Constbale & Jagadish Deka, UB Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 6th August, 2003.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 150–Pres/2005- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Chhatisgarh Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Dharmendra Kumar Garg,
Additional Suprientendent of Police

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 22nd August 2003, Shri Dharmendra Kumar Garg received information that some armed naxalites of Maoist Communist Centre (India) are taking shelter in the forest of Baskatiya Village Chaki P.S. Ramanujganj in Balrampur Police Distt. The Naxalites were armed with weapon, hand grenade and landmines. He immediately informed his senior officers and organized an operation in that area to nab the naxalites. He led the police party him self and briefed the police personnel about the area & operation. As per information the police party reached the designated area. The police party under his leadership managed to lay the difficult & in accessible forest area with tactical planning. The party laid an ambush near the tri junction of roads leading to village Chaki, Lodha and Indrapur Khori in Baskatiya forest. At around 1900 hrs, an armed gang of 12 naxalites led by Prasiddh Thakur, Zonal Commander Chhattisgarh Jharkhand Zonal Committee was spotted coming towards the village Chaki. The Police party challenged the naxalites and asked them to surrender. The naxalites started firing on the police party and threw a hand grenade. Police party took position immediately and started firing in self defence. Ordering to the police party to take position and with great presence of mind he ensured the safety of his policemen. He boldly risked himself to bear the main brunt of naxalite firing. Undeterred by the critical situation and large number of extremists. Shri Dharamendra Garg decided to launch an offensive to destabilize the opponents. He suddenly found that a naxalite with hand grenade was rushing towards police party to

blow them off. Shri Garg rushed forward for direct assault without caring for his own safety. The extremists retaliated with heavy firing towards him. Without losing heart at this juncture, Shri Garg charged the naxalite with his A.K. 47 rifle. A screaming voice " Kranti, Kranti" was heard and that person was seen falling on the ground. This attack caused panic amongst naxalite who ran for their lives. The firing continued for about four hours. After the encounter the area was searched. One dead boy of naxalite was found with single barrel twelve bore gun, eight live cartridges, three empty cartridges of twelve bore, one hand grenade, one tiffin bomb, one bag containing some documents and other material. The dead naxalite was identified as Prasiddh Thakur, Zonal Commander Chhattisgarh Jharkhand Zonal Committee. Shri Garg without caring for his life, fought courageously.

In this encounter Shri Dharmendra Kumar Garg, Addl. Suprientendent of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 22nd August 2003.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 151–Pres/2005- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Chhatisgarh Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICER
Shri Harpratap Singh,
Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 20-12-2002 at 14.30 hrs reliable information was received that 9-10 hardcore naxalites were staying at village Karondha Police Station Kusmi in Police District Balrampur. Station Officer P.S. Kusmi Shri Har Pratap Singh along with 1 APC, 2 HCs, 4 Constables equipped with arms and ammunition immediately rushed to village Karondha and enquired about the movement of hardcore naxalites towards village Surbena tola Chandadandi. Shri Singh along with the force crossed the 5 kms treacherous terrain, dense forest and reached the village Surbena tola Chandadandi on foot. They came to know that 9 naxalites were preparing food in the house of Makud Nagesia. Shri Singh briefed his force very minutely about the hostile terrain and threat perception from the enemy naxalites. He surrounded the house of Makud Nagesia and led the party of 7 policemen without the notice of villagers or the naxalites. The police party crawled the hostile terrain for a considerable distance to reach the house to launch an effective attack. The naxalite sentry on noticing the

police party opened heavy concentrated fire on police party. Bullets sizzled past very close to the shoulder of Constable Suryakant Kashyap and one bullet tore off his cap and he escaped narrowly. Shri Singh warned the extremists to surrender but their firing continued. Despite facing heavy fire from the naxalites, Shri H.P. Singh without caring for his personal safety gave very strong leadership to the force. He bravely crawled and advanced by opening fire in the direction of naxalites hideouts. Without losing heart at this juncture, Shri H.P. Singh charged heavily the naxalite with his AK-47 Rifle and as a result two hardcore naxalites were shot dead. This caused panic amongst Naxalites who ran away for their lives. On search two dreaded naxalites (1) Group Commander of PWG Naxalite PGA Organization (1) Tirana @ Girendra @ Dipak S/o Shuba Singh, aged about 25 years, village Know P.S. Panki, Distt. Palamu, State Jharkhand (2) Deputy Commander Sitaram @ Sita S/o Sukhu Kujur, aged 25 years village Naogoi, PS Dumari, Distt. Gumala, State Jharkahnd were found dead and huge arms and ammunitions was seized from the spot. Under extremely adverse conditions, Shri H.P. Singh exhibited an extra ordinary courage, valour and leadership to face the situation boldly and gallantly which compelled the extremists to run for their life leaving behind arms and ammunitions at the site. With his extreme presence of mind and operational capability, he not only ensured the safety of his men but also the life and property of villagers, without caring for his own safety. Undeterred by the critical situation and the presence of large number of extremists, he went beyond the call of duty, to bear the brunt of naxalite firing and made the mission successful. Shri H.P. Singh made his sterling success against the naxalite possible only because of the rare act of exemplary courage, valour and unflinching devotion to duty.

In this encounter Shri Har Pratap Singh, Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 20th December 2002.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 152-Pres/2005- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Haryana Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICER
Shri Puran Chand
Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 29th April, 2004 at about 3.40 AM, Constable Rajesh Kumar No.1467/GGN got a secret information about the presence of a criminal Subash in the area of Ashok Vihar, Gurgaon, who had committed a robbery of Rs. 14,62,000/- in the area of police station Dadri, District Bhiwani. He first confirmed the presence of the accused and informed Shri Puran Chand, Inspector CIA-II Gurgaon. Inspector Puran Chand immediately prepared three raiding parties and encircled the hideout. But in the meantime, stray dogs of the locality started barking, which alert the culprit. On seeing the presence of the police, he fired at the police party from the roof of the house and jumped from the roof in the rear side of the house. Police party headed by Inspector Puran Chand started chasing the culprit in the official jeep and he managed to slip in the colony. He was wearing banian and trouser at that time. The other two parties started searching him in the colony. After sometime, he was again spotted by the public and they informed Inspector Puran Chand that the culprit was running along railway track. He was again spotted near pond of village Sarai Allawardi by Constable Chand Singh No.550/GGN, who forced him to run towards the party headed by Inspector Puran Chand. Inspector Puran Chand warned him to surrender to the police. But he paid no heed and kept on running. While running, he again fired upon the police party. His bullet broke the front glass of the jeep and hit in the right arm of the Constable driver Manjit Singh, 1133/GGN and entered in the seat of the jeep. Inspector Puran Chand and Constable Desh Raj, 917/GGN jumped out of the vehicle and again warned him to surrender. But the culprit fired at Inspector Puran Chand, who escaped narrowly. Inspector Puran Chand exchanged fire in self defence and in defence of police party, which hit the culprit in his stomach and he fell down on the ground. He was immediately over powered and one .12 bore country made pistol and one .303 bore country made pistol were recovered from his pocket. He was immediately shifted to Civil Hospital, Gurgaon, where he succumbed to his injuries. Case FIR No.218 dated 29.04.2004 u/s 307 IPC and 25/54/59 Arms Act was registered against the culprit at Police Station, Sadar Gurgaon. The culprit was a dreaded criminal and was also proclaimed offender in four cases of heinous crime of P.S. Bond. His another associate Vikas r/o village Bond, was later on arrested by Bhiwani Police on the tip off Inspector Puran Chand and an amount of Rs. 13,70,000/- was recovered from his possession. Thus, the police personnel headed by Inspector Puran Chand exhibited outstanding performance, professional skill and presence of mind in the operation. They did not allow the dreaded criminal to escape and chased him many kilometers on Govt. vehicles & on foot by putting their lives at stake.

In this encounter Shri Puran Chand, Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 29th April 2004.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 153–Pres/2005- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Haryana Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **Balwan Singh,**
   Deputy Suprientendent of Police

2. **Rajesh Kumar,** **(Posthumous)**
   Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 10.01.2004 at about 12.15 p.m a police party was coming out of the court of Shri BM Bajaj, Additional Session Judge, Gurgaon after producing under trial accused Hemant Kumar in case FIR No.1812/97 u/s 307 IPC P.S. Sadar Gurgaon., Suddenly, 4 dreaded criminals of a rival gang attacked Hemant Kumar by opening fire at him. Constable Rajesh Kumar, 1634/GGN, who alongwith two constables was escorting the accused Hemant Kumar, pounced upon the criminals in an efforts to nab them and save the life of Hemant Kumar and follow police personnel. The criminals, however, fired at Constable Rajesh Kumar from close range. Constable Rajesh Kumar got seriously injured and succumbed to injuries. Hemant Kumar also received serious bullet injuries and a week later he also died. The other members of the police escort, however, succeeded in apprehending one of the criminals named Deepak S/o Shri Kartar Singh R/o Village Pipli, P.S. Kharkhoda , Distt. Sonepat, immediately on the spot. One automatic pistol of 7.62 bore made in China, one revolver of .38 bore, 7 live cartridges and two empty cartridges were recovered from his possession. FIR No.20 dated 10.01.2004 u/s 302/307/332/353/34 IPC & 25/54/59 Arms Act was registered in this case at P.S. City Gurgaon. The other criminals fled from the Court promises in a white Maruti Car bearing No.HR-26N-4825. On receiving this information, Shri Balwan Singh, Dy.S.P, Hqrs Gurgaon with other police personnel started chasing the criminals. Feeling the pressure of police chase, the criminals abandoned their vehicle on roadside and entered the nearby mustard

fields and hid themselves under the tall mustard crop in the area of village Begumpur Khatola's farm houses and fields. Shri Balwan Singh, Dy.S.P., directed the police parties first to surround the large area and then to close in carefully. Having been encircled , two of the culprits ran out of the mustard fields and came out in open and started firing on the police party. The bullets of the culprits hit the police mobiles and one of the bullets virtually brushed the right side of ASI Prem Singh's head. The culprits were being continuously warned and asked to surrender but they kept on firing at the police personnel. Having been left with no alternative, police parties retaliated fire in self defence and two of the culprits were killed while the others were still hiding in the mustard fields. After autopsy they were identified as Rajender @ Rajesh S/o Bhoop Singh r/o Dabla, P.S. Sadar Jhajjar, Distt, Jhajjar and Kailsah @ Bugga S/o Shri Mahabir Singh r/o Charkha Wali Dhani, Patram Gate Bhiwani. Shri Balwan Singh, Dy.S.P. took lead and kept on advancing cautiously. All of a sudden the third culprit appeared before Shri Balwan Singh, Dy.S.P. and fired upon him. Shri Balwan Singh, Dy.S.P. ducked and narrowly escaped from being hit. In self-defence then Shri Balwan Singh, Dy.S.P., fired from his service revolver, which hit the culprit in his left thigh. Without caring for his life Shri Balwan Singh, Dy.S.P., kept advancing towards the culprit in crawling position and warned him to surrender. Having become desperate, the culprit stood up and started firing indiscriminately in a fit of rage and shouted at the police to face his bullets. The police then in self defence took him from all sides and the culprit got ultimately killed, who after autopsy was identified as Rupesh S/o Shri Dharam Chand r/o Kirpa Ram Ki Dhani, Meham Gate Bhiwani. Subsequently, another case FIR No.25 dated 10.01.2004 u/s 307/332/353/186/506 IPC & 25/54/59 Arms Act registered at P.S. Sadar Gurgaon. A haul of deadly weapons namely one 7.65 mm automatic carbine, 11 live and 10 empty cartridge thereof, one country made 315 bore, one 7.65 bore automatic Italian pistol with 2 live and 7 empty cartridges, one 9 mm automatic Italian pistol along with 11 live and 9 empty cartridge were recovered. Further, during the course of investigation it was found that the culprits belonged to an active inter state desperate gang of Sandeep Garoli and were involved in more than 25 case of heinous crime i.e. robbery, dacoity, murder, assault on public servant etc. This gang was actively operating since last 4 years in NCR region and had created terror amongst general public. Shri Balwan Singh, Dy SP, Headquarters Gurgaon guided the whole operation with great alarity & professional skill. He exhibited not only a high sense of duty, but also exemplary courage & gallantry by putting his life at stake when faced by barrage of bullets from the culprits. Constable Rajesh Kumar also did an act of exemplary gallant by dedicating his life while performing duty.

In this encounter S/Shri Balwan Singh, Deputy Suprientendent of Police and (Late) Rajesh Kumar, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 10th January 2004.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 154–Pres/2005- The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Jammu & Kashmir Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

Shri Randeep Kumar,
Deputy Superintendent of Police

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 11.07.2004, on receiving a specific information regarding presence of three terrorist at village Moorian PS Manjakote, Shri Randeep Kumar, Dy.S.P.(OPS) Rajouri, alongwith troops of Commando Group Rajouri, Police Station Manjakote and Army, cordoned the target area. On noticing the movement of troops, the terrorists moved towards thick forests adjoining the village. While the troops marching towards forests, terrorists fired upon them and escaped towards village Jamola. Troops returned the fire, and injured one terrorist. These terrorists were chased by the officer and troops upto village Jamola. The area was cordoned and during search the terrorists who were hiding in maize field resorted to heavy volume of fire. Though the troops retaliated the fire yet it was very difficult to know the exact location of terrorist hiding in maize fields. Therefore, entering in the maize field was a very difficult task as the terrorists were firing from inside and it could have proved fatal. Dy.S.P Randeep Kumar, devised a strategy and asked the troops to keep the terrorists engaged from one side and the officer along with one Constable Nissar Khan No.1121/R entered in to maize fields from other side. Terrorists on observing some movement in maize crops fired in that direction, however, Dy.S.P. and Constable escaped unhurt. Shri Randeep Kumar & Constable Nissar Khan returned the fire immediately and shot them dead. Shri Randeep Kumar stood his ground without caring for his life in face of heavy volume of fire and managed to eliminate two dreaded terrorists belonging to banned HUJI outfit. One of them was identified as Abass alias Abu Bilal, Divisional Commander of HUJI out fit who had created terror in the area and was also involved in a number of civilian killing in Gambhir/ Mughlan area.

In this encounter Shri Randeep Kumar, Deputy Superintendent of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 11th July, 2004.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 155–Pres/2005- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Jammu & Kashmir Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **Vishal Shoor,**
   Sub Inspector,
2. **Anil Kumar**
   Head Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded:

During intervening night of 26/27 July, 2004, Kashmir Police received a specific information regarding movement of terrorists from villages Brazloo to Amnoo. A small team, consisting of eight police personnel headed by Sub-Inspector Vishal Shoor laid an ambush in a nala between village Brazloo and Amnoo. At about 2130 hrs, some suspicious movement was observed by police party. On being challenged by police party, terrorists started indiscriminate firing and also lobbed grenade to kill the police personnel. Shri Vishal Shoor, SI and Head Constable Anil Kumar immediately took position on the ground and started crawling towards one terrorist, who had taken position behind a sand heap. SI Vishal Shoor and HC Anil Kumar without caring for their lives managed to reach near sand heap. Hiding terrorist resorted to firing upon police personnel which was returned, resulting in killing of the hardcore foreign terrorist who was involved in several killing of police, informers and had managed to escape from cordon several times. The killed terrorist was identified as Asif Ali @ Ansari S/o Hakim Ali R/o, Hakim Mughal Gujrat Pakistan, District Commander of Hezbi-e-Islami outfit. Chinese Pistol-01, Chinese Pistol Mag-01, Ammu-07 rds, Hand grenade-01, and some documents were recovered from the site of action.

In this encounter S/Shri Vishal Shoor, Sub Inspector and Anil Kumar, Head Constbale displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for galiantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 26th July, 2004.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 156–Pres/2005- The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Jammu & Kashmir Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

Shri Mohd. Aslam, **(Posthumous)**
Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On a specific information regarding presence of terrorist, Azeem, a POK National-Commander of HMPPR, who was contemplating to carry out some spectacular action, an operation was launched in village Dodasan Pain, Thannamandi, on 20.06.2004. When the Police party approached near the hideout, hiding terrorist resorted to indiscriminate firing and a fierce gun battle, ensued. During this process at one point of time, the terrorist gained vantage position which could have threatened the lives of entire police party. Observing this, Constable Mohd. Aslam No.1058/R immediately pounced upon the terrorist knowing that he was coming in terrorist's firing range from very close. There was hand to hand scuffle between the duo, during which the Constable showed great sense of responsibility and was successful in saving the lives of his colleagues and killing of a dreaded terrorist. One AK-56 alongwith 3 Nos of Magazine & 60 rds. Ammn. were recovered.

In this encounter (Late) Shri Mohd. Aslam, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 20th June, 2004.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 157–Pres/2005- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Jammu & Kashmir Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri J L Sharma
Senior Suprientendent of Police

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On receiving a specific information regarding presence of ANEs in the Kharog-Kedi area under the jurisdiction of PP Arnas, on 01.09.2004 Shri J L Sharma , Sr. Supdt. of Police, Resai immediately reached Police Camp Arnas, where he planned an operation and divided the operational party in to three groups. As the main party headed by the officer moved towards the target area, the terrorists resorted to indiscriminate firing, which was retaliated by the main party after taking positions. The officer ordered the covering party to open fire towards the hiding terrorists to divert their attention and within no time the main party headed by SSP Reasi, zeroed the hiding terrorists. As one of the terrorists came out of the hideout to lob grenade on the main party, the officer without caring for his life, displayed bravery of exceptional order and shot dead the terrorist before he could throw the same on the operational party. This followed a fierce gun battle between terrorists and operational party for about three hours which resulted into the elimination of one dreaded hardcore terrorist of HM outfit namely Mushtaq Ahmed @ Farooq S/O Mammu Gujjar R/O Doda, Tehsil Mahore, active in the area for the last 6/7 years. Besides Arms/Ammunition, some cash in Indian Currency was also recovered from the possession of the slain terrorist.

In this encounter Shri J L Sharma, Senior Suprientendent of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 1st September, 2004.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 158–Pres/2005- The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Jammu & Kashmir Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

Shri Trilochan Singh,
Sub Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 18.08.2004, on a specific information about presence of terrorist in the house of one Showkat Shah in Village Dodasan Pain, Rajouri, a police team including Personnel of Commando group and Police Station Rajouri, under the command of Police Sub Inspector Trilochan Singh No.7543/NGO promptly planned an operation. Police Sub Inspector alongwith two other constables knocked at the door of Showket Shah. The movement, the inmates opened the door and Police Sub Inspector and the two Constables entered inside, the terrorist using the women available in the house as a shield fired on the Police party. To prevent civilian casualities, the police party did not retaliate and allowed the terrorist to come out of the house and tactfully engaged him in the fight. The terrorist after coming out of the house fled towards maize field. Police Sub Inspector without caring for his life chased him in the field and in the meantime other Police officials also reached the spot. In the hand to hand fight which lasted for five hours, the terrorist was killed. He was identified as Abu Sufian @ Talha Aafaqui R/O of Pak District Commander of HMPPR outfit. Abu Sufian was involved in killing of many innocent people in the year 2002 and 2003. This operation was independently launched by the Police and because of courage and bravery shown by Police Sub Inspector Trilochan Singh police were able to kill the most wanted top Commander of HMPPR without suffering any causalities to the J&K police personnel involved in the Operation or civilians. One AK-47, Magazine AK-47 – 04 Nos, ammunition AK- 80 rds., Hand grenade – 02 Nos, Pouch-01 Nos., Matrix Sheet- 01 Nos. & 01 Diary were recovered.

In this encounter Shri Trilochan Singh, Sub Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 18th August, 2004.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 159–Pres/2005- The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Jammu & Kashmir Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

Shri Sayed Abdul Shabir,
Assistant Sub Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 08.06.2004 on receiving a specific information regarding presence of hardcore/ top ranking terrorist of Al-Badar outfit at village Gundipora, Beerwah, a special Police team under the command of Shri Rakesh Kumar Dhar, Dy.S.P. OPS Budgam assisted by a coy each of 128 Bn. 19 Bn CRPF and 34 RR was rushed to the spot. The area was sealed off and terrorists, who were asked to surrender, resorted to indiscriminate firing upon the troops. Dy. S.P., immediately directed ASI Syed Abdul Shabir No. 6970/NGO, to rush on the back side of the house alongwith a column of CRPF. The party took position and noticed terrorists coming out from the house. The officer, ASI Syed Shabir and his men effectively controlled them and both the terrorists were gunned down on the spot. The killed terrorists who were identified as Ali Hasnain @ Doctor R/O Gujranwala POK (Dy. Chief of Al-Badar outfit) and Abu Hamza District Commander of Al-Badar for Budgam were IED experts and involved in a number of terrorist activities.

During this encounter, which lasted for more than two hours, ASI Syed Abdul Shabir exercised maximum restrain to avoid the civilian casualties. This gallant action was highly appreciated by the local populace as well as the security forces engaged in the operation, as there was no civil/ SFs/police casualty during the encounter.

In this encounter Shri Sayed Abdul Shabir, Assistant Sub Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 8th June, 2004.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 160–Pres/2005- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Jammu & Kashmir Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **Ashok Kumar,**
   Sub Inspector,
2. **Ashiq Hussain**
   SG. Constable
3. **Waseem Ahmad,**
   SG. Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded:

Based on a specific information that terrorists of HM outfit under the command of Bn. Comdr are present at village Tangora Akhal and contemplating to hold a meeting with regard to carrying out attacks on Amarnath Ji Yatries on Srinagar-Baltal road with intention to create terror and disrupt yatra by committing heinous crime i.e. killing/abduction of innocent yatries, police Swung into action immediately and after a meticulous planning an operation was launched in the village on 20.07.2004 by Dy.S.P.(Ops). Sensing the approaching of search party the terrorists fired indiscriminately from a near by maize field towards searching party, with an intention to kill and push them back so as to make room for their escape. The Police party laid siege off the large maize field in a quick motion and blocked their all escaping routes despite heavy firing from terrorists. The terrorists were later on challenged to surrender but they ignored and resorted to lobbing of grenades, 24 RR troops provided outer cordon for back up support. During the operation SI Ashok Kumar No.5905/NGO, SG Ct. Ashiq Hussain No.195/GBL and Sg. Ct. Waseem Amad 128/GBL taking the highest risk of their lives voluntarily entered in to the large/dense maize field and reached very close to the terrorists, despite facing volley of fire and grenade attacks from terrorist's side, retaliated tactfully and exchange of fire lasted for two hours, the officials succeeded in eliminating a hardcore terrorist Comdr. of HM outfit identified as Shabir Ahmad Shah @ Doctor Abrar Code 05 S/o Gh Rasool Shah R/o Tangachtter Akhal Kangan Bn. Comdr of HM outfit falling in B category and was wanted for the last seven years. The terrorist was responsible for various killings of SF's/innocent people as well as harassment and extortion in the area. 01- AK rifle and two magazines were recovered from the site of encounter /slain terrorist " Commander". Shri Ashok Kumar SI, SGCT Ashiq Hussain & SGCT Waseem Ahmad and the encounter party have shown unshakable bravery & daring act with entire enthusiasm to fight the terrorists with dedication and killed the hardcore/wanted terrorist commander

In this encounter S/Shri Ashok Kumar, Sub Inspector, Ashiq Hussain, SG. Constable and Waseem Ahmad, SG. Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 20th July, 2004.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 161–Pres/2005- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Jammu & Kashmir Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **S. A Majtaba, Senior Suprientendent of Police**
2. **Graywal Singh, Constable** **(Posthumous)**
3. **Showkat Amin, Constable** **(Posthumous)**

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 18.12.2003 at about 1100 hrs, an unknown terrorist tried to gain entry into the residence of DIG of Police Rajouri Poonch Range, by pretending to be an Army personnel. Constable Showkat Amin No.593/P, questioned his identity, and prevented him from entering the residence of DIG. In the hand to hand fight that followed, the terrorist shot at the constable. On seeing the militant running towards DIG office, Shri S A Mujtaba, SSP Rajouri alongwith Constable Graywal Singh No.1104/R rushed towards the office of DIG Rajouri Poonch Range. On seeing their movement, the terrorist opened fire on the SSP & Constable Graywal Singh. With out caring for their lives and personal safety the SSP & the constable rushed in to the DIG office and gave coyer to the office personnel who were evacuated from the building. Thereafter SSP and constable chased the terrorist towards theback side of the building. The terrorist taking advantageous position opened heavy fire and threw hand grenades on the SSP and constable. In the fight that took place Constable Graywal Singh No. 1104/R received bullet injuries to which he later succumbed in the Hospital. The dedication, devotion and extra ordinary courage saved the staff of DIG office.

In this encounter S/Shri S A Majtaba, Senior Suprientendent of Police, (Late) Graywal Singh, Constable and (Late) Showkat Amin, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 18th December, 2003.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 162–Pres/2005- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Maharashtra Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICER
Shrikrishna Suryakant Pednekar, (Posthumous)
Police Constable Driver

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 30.08.2002 at 00.55 hrs, PSI Shri Jayandra Sawant of Pant Nagar Police Station received information that two Motor Vehicle thieves were sitting in Hotel Sai Leela, Situated near Ghatkopar Rly. Station , Ghatkopar. On receipt information PSI Shri Jayandra Sawant and detection staff immediately reached near Hotel Sai Leela, they noticed that two person were hurriedly walking down the staircase of the hotel in suspicious manner. PSI Jayandra Sawant alerted the staff and warned these two person to stop. Instead, they tried to run away. The police party chased them and caught them. One accused was caught by PSI Jayandra Sawant, HC Rajendra Ghadge and PN Subhash Panigrahi. At he same time P.C. Mahagaonkar and Surve were trying to get hold of another accused. In a bid to escape from their hands, the accused bit PSI Jayandra Sawant and HC Ghadge on their forearms. Having seen the scuffle and sensing that his colleagues are finding it difficult to apprehend the suspects, Police Constable Driver Shri Shirkrishan Pednekar who was in ready position at the steering wheel of the Police light van in case the need arose, immediately rushed to assist PSI Jayendra Sawant and staff. By the time he reached the team, the suspect whipped out a pistol tucked in his waist and fired at Shri Pednekar. Shri Pednekar received bullet injuries on the chest. In spite of fatal injury to him, Shri Pednekar was still trying to come forward for assistance. However, he received another bullet on his right hand. While collapsing he shouted to his colleagues that the suspect had fired at him and exhorted them not to allow the suspect to escape. He collapsed due to injuries. In spite of having received bullet injury in his chest, Shri Pednekar in the face of death, displayed exemplary courage and extraordinary sense of duty in alerting the colleagues and warning them not to allow the suspect to escape. Subsequently, PSI Jayandra Sawant, HC Ghadge and PC Panigrahi succeeded in overpowering the accused and disarming him. One Pistol of

Italian make, three rounds and one mobile phone were found in his possession. Injured PC Driver Shri Pednekar was immediately rushed to Rajawadi Hospital by HC Ghadge and was subsequently shifted to Sion Hospital where he succumbed to his injuries on 06.09.2003. Late Shri Shrikarishna Pednekar could have safely stayed in the vehicle but sensing the likelihood of escape of the criminal and the need for an additional hand to overpower the criminal, he swung into action fearlessly showing high degree of dedication. The name of the accused was disclosed as Mohd Irshad @ Chhotu Kamaru Hasan Shaikh. The accused who ran away was the associate of arrested accused and his name was revealed as Mohd. Rafiq Jumrati Shaikh @ Raju. During the enquiries, it was revealed that both the accused were notorious and they were involved in as many as eleven offences of serious nature including dare devil robberies. Police Constable Driver Shri Pednekar has shown an exemplary act of courage and dedication towards duty.

In this encounter Late Shrikrishna Suryakant Pednekar, Police Constable Driver displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 30th August, 2002.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 163–Pres/2005- The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Madhya Pradesh Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

Shri Sanjeev Singh Bhadoriya, **(Posthumous)**
Head Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded:

Distt. Bhind of Chambal range is a dacoity infected area. A sensational murder of Gyan Sngh Gurjar of Gijurra Distt. Bhind was committed by one Lakhan Singh and his associates in village Kairora P.S. Baraso on 22.06.2002. The event caused a grave panic in the village on 22.06.2002. A police party headed by SDO Police Surendra Jain along with SO PS Baraso, ASI RBS Yadav, ASI B.P Dwivedi, HC Sanjeev Singh Bhadoriya No.96 of PS Mehgaon and other Police personnel of DEF and SAF rushed to the spot. On receipt of specific information that the accused were hiding in the houses of Rajesh and Kalicharan Brahmin of village Kairora, SDO

Mehgaon Mr. Jain formed a police party to round up the culprits. Party headed by ASI B. P Dwivedi consisted of R.B.S. Yadav, ASI, HC Sanjeev Sngh Bhadoriya No. 96 and other police personnel. They reached there, and at around 21.20 hrs on 22.06.2002, they surrounded the houses of Rajesh and Kalicharan Sharma, the supposed hideout of the culprits. Seeing the culprits on the roof of Kalicharan Sharma's house, the police party asked the accused to surrender. In reply, Kalicharan Sharma fired at the police party with his 12 bore Gun, there by endangering the lives of the police personnel. At this crucial moment police decided not to open fire since it could cause causalities of several innocent inhabitants of the village, as the house of Kalicharan Sharma is situated in the center of the village. Just to avoid any untoward incident to take place, H.C. Sanjeev Singh Bhadoriya boldly rose to the occasion and exposed himself in the open ground. He asked once again, the culprits to surrender, but the accused Lakhan Singh fired over Sanjeev Singh who narrowly escaped from being hurt. Owing to the circumstantial restriction, Sanjeev Singh Bhadoriya unmindful of his personal safety, bravely advanced to overcome the situation after loading his rifle he directed the barrel towards the culprits, but unfortunately he received a fatal bullet injury and succumbed to death. This bullet was fired by Kalicharan Sharma. Shri Sanjeev Bhardoriya, H.C. fought bravely to his last breath showing a highest sense of devotion to duty.

In this encounter (Late) Shri Sanjeev Singh Bhadoriya, Head Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 22nd June, 2002.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 164–Pres/2005- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Madhya Pradesh Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICER

S/Shri

1. **Sajid Farid Shapoo,**
   Superintendent of Police
2. **Ram Dayal Mishra,**
   Sub Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 11.03.2004 at about 1.00 AM in the midnight, Shri Sajid Farid Shapoo, Supdt. of Police, Bhind received information that dacoit Kalia Jatav alongwith his 3-4 armed associates is taking shelter in the forest of village Gyanpura, PS Daboh, District Bhind, with the intention to kidnap someone from village Gyanpura. Shri Shapoo immediately collected his police force at PS Daboh. Shri Shapoo, in that chilly midnight reached PS Daboh and briefed the officers and men about the operation. He then divided the men in three parties, each led by an officer. Then the parties moved up to village Gyanpura and there to the destination as indicated by the informer. The Police parties started searching and also laid ambushes at different points. At about 3.15am, when one of the police parties was taking positions for an ambush, a sudden volley of fire came from opposite direction taking everybody by surprise. Shri Shapoo whose party had come under heavy fire, immediately alerted the other two police parties through wireless sets and challenged the criminals to surrender, but they(criminals) continued to fire indiscriminately on the police party with intention to kill. The Supdt. of Police Mr. Shapoo and SHO PS Phoop, Mr. R.D.Mishra had a narrow escape as both of them were in standing position, with bullets passing over the heads of both the officers. Both the officers immediately threw themselves on the ground. The sight of their officers falling on the ground did put an adverse effect on the morale of the forces. At this critical juncture, the Supdt of Police set a personal example showing defiance to danger and refused to be cowed down or overawed by the situation. In a cool collected manner he decided to repulse the attack and started firing with his SLR and also exhorted his men to return the fire. Death faced him on every bullet fired from the desperadoes. Such gallant display by their leader not only boosted the morale of his force but also injected renewed vigor into them. Mr. Shapoo exhibiting resolute determination, continued to return the fire. By his personal example, he rallied his men & restored their self-confidence. The S.P. then instructed SI R D Mishra, HC-Kamlendra & Rajveer to crawl towards the spot from where the desperadoes were firing, from other direction. No sooner they reached near the site, two persons hiding behind a mound fired on SI R D Mishra and HC-Kamlendra Singh with an intention to neutralize them. Here SI R D Mishra showed real grit and timely presence of mind by pushing HC Kamlendra down and he

immediately took lying position and fired at the criminals. Both the bandits fell on the ground. But within no time one of them got up and started firing again at the SI Mishra and his party. At this crucial moment, Shri Shapoo immediately dashed ahead and with utter disregard to his personal life and safety rose to the occasion and spotting the criminal, fired with his SLR, with the result, then he finally fell down on the spot to bite the dust. Soon thereafter rest of the gang started to withdraw back. Police party led by Shri Shapoo chased the fleeing dacoits but they managed to escape, taking advantage of darkness and thick forest. Deceased person was identified as gang leader Kalloo @ Kalia Jatav, carrying a reward of Rs.10,000/- from MP Government Rs. 5,000/-from U.P. Government. One 315 Bore English rifle was recovered from him. In this whole operation Shri Sajid Farid Shapoo displayed exemplary courage, absolute devotion towards duty, meticulous planning, astute & inspiring leadership. His unflinching display of courage & resolute determination when faced with imminent danger sets an excellent example of leadership, which brought out best from his men & ensured success of this encounter. Similarly an SI R D Mishra also displayed a combination of grit, velour, presence of mind and daring attitude. Shri Mishra displayed a courage which is rarely seen.

In this encounter S/Shri Sajid Farid Shapoo, Superintendent of Police and Ram Dayal Mishra, Sub Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 12th March, 2004.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No.165–Pres/2005- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Madhya Pradesh Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICER
Shri Shamboo Singh Jat,
Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded:

The gang of dacoit Jaihind Yadav had let a reign of terror in Tikamgarh and Datia districts of Madhya Pradesh after absconding from police custody along with his brother Mukesh Yadav while being escorted for court evidence from Niwari sub Jail on 18.09.2000. By its depredations, this gang acquired an aweful notoriety and had become synonymous with terror. Within a short span of two years, the gang had committed more than two dozen offences of murder, attempt to murder, dacoity kidnapping and robbery. On the instruction of the Supdt. of Police, Tikamgarh to apprehended dacoit gang Jaihind Yadav, Inspector Shambhoo Singh Jat along with 3 GD Constables 1, Head Constable, Driver Head Constable have intensified patrolling along, Orcha road to village Mounpura Via village Lidhora on 7th and 8th February 2002. After night halt at village Monupura, Police force came to village Sujanpura on the morning on 9 February 2002. Inspector Jat collected one Head constable and two Constables from the police guard already stationed at village Sujanpura and launched searching operation through Matya Bhelsha jungle and Deotaghat till Jamani River. No sooner, force reached Majgata Ghat after moving along the bank of Jamani River, two dacoits with rifles were seen sitting under the thick Jamun trees. While the police party was trying to sense their activities, three more dacoits were seen behind the stones of river Jamani. Suspecting the presence of Gang Jaihind Yadav, Inspector Shambhoo Singh Jat challenged the dacoits to surrender with their arms but the dacoits opened indiscriminate fire on the police party. A bullet passed whizzing over the head of Inspector Jat and he narrowly escaped. Police party opened fire on dacoits in self protection. Displaying exemplary courage and without caring for his personal life, Shri Shambhoo Singh Jat returned fire with his rifle and simultaneously directed his men to fire with their rifles in self defence. The exchange of fire continued for about one and a half hours. In the meantime, three dacoits ran away towards Ukara taking advantage of thick trees, big stones and crossing river Jamani. Then on search of encounter site by police two dacoits were found lying badly injured. They disclosed their names as under;-

1. Dacoit Mukesh Brahman, resident of Upray, PS Goraghat, district Datia having a reward of Rs.3000/- on his head.
2. Dacoit Mahesh Kachhi, resident of Niwari, PS Niwari, Distt. Tikamgarh. One 12 bore DB with 21 live rounds, one 12 bore SB with 15 live rounds and other articles of daily use were recovered from them. They were wanted in 13 and 9 heinous offences respectively. The injured dacoits disclosed the names of other three dacoits, who had ran away as under:-

1. Gang leader Jaihind Yadav.
2. Dacoit Mahesh Dangi.
3. Dacoit Chaina Dangi.

Again police party under the leadership of Inspector S.S. Jat continued its search in jungles to nab the other dacoits. While search operation was on again an accurate bullet passed buzzing near the right ear of Inspector Shambhoo Singh Jat. The dacoits also shouted slogans and used filthy language and threatened to kill the police persons. Undeterred and unnerved by the sudden fire, Inspector Jat returned fire. He exhibited cool courage and acted beyond the call of duty and immediately fired two rounds towards dacoits in self defence which hit one of the dacoits. Two dacoits namely Jaihind Yadav and Chaina Dangi managed to escape taking advantage of thick trees and big stones lying in the river. On search, a dead body was found from the spot. He was identified as dacoit Mahesh S/o Harcharan Dangi Resident of Upray, PS Goraghat, Distt. Datia carrying a reward of Rs.10,000/- on his head. A country made mouser rifle with 21 live rounds was recovered from the spot. Dacoit Mahesh Dangi was responsible for 17 heinous offences, like murder, Kidnapping in districts of Tikamgarh & Datia.

In this encounter Shri Shambhoo Singh Jat, Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 9th, February 2002.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 166-Pres/2005- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Madhya Pradesh Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Kedar Lal Sharma **(Posthumous)**
Assistant Sub Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 16th Feb 2003 a reliable information was received by Shri Angad Singh Kushwah, S.D.O.P. Karera by deputed informer accompanied with Constable -537 Surendra Singh Sikarwar that the notorious dacoit Hakim Singh Bundela alongwith his brother dacoit Umrao Singh Bundela R/O Kudari Distt. Datia is sheltering in village Jagdora (Baloosha ka pura) in the house of Chandan Singh Bhan Singh Thakur and intending to commit some heinous offence. On receipt of this information S.D.O.P Karera

rushed to the spot alongwith ASI Kedar Lal Sharma P.S. Karera. H.C 67 Surendra Singh, H.C.151 Rajbeer Singh, A.S.I. Ranbeer Singh Yadav, Constable -537 Ravindra Singh, C/803 Nihalahmed, S.A.F Const 04 Ranbeer Singh, H.C. 829 Nasir Khan, H.C.26 Ramesh Singh, Const.320 Rajpal Singh, Const 242 Birendra Singh, H.C. 529 Udai Beer Singh, S.A.F. Const. 399 Raghuraj Singh, Const 577 Umesh Const. 607 Mukesh Nagar, with strong weapons such as S.L.R .303 Rifle, revolver and sufficient ammunitions. At about 1600 hrs, the police party reached to the spot and started searching about the occupants of some houses during which they found one door locked from out side but some noise was heard from inside. At this juncture police party got suspicious. The police party managed to break open the lock but still the door could not be opened as it was bolted from inside. The police party decided to throw tear gas grenade inside the room. ASI Kedar Lal Sharma tried to remove some mudtiles (Khapra) and create a hole so that the tear gas grenade could be thrown inside of the room, but suddenly the dacoit managed to take out the barrel of his rifle and immediately opened the fire after which Shri K.L.Sharma fell unconscious. The remaining police party encircled the house from a safe distance and engaged the dacoit in firing and managed to drag- out Shri Kedar Lal Sharma who sustained gun shot injuries at a safe place. The condition of ASI Kedar Lal Sharma deteriorated rapidly and finally he died on the spot. Immediately after receipt of this information SP Shivpuri himself rushed to the spot alongwith adequate re-enforcement of men and arms/ammunitions and a full proof cordon was laid around the house. The dacoit continued firing in different directions from inside the house. Police Party also kept on retaliating the fire in self defence. On 17.2.2003 early morning (the day break) the dacoit was forced to come out from the house with help of tearsmoke shell and after the exchange of fire, the dacoit shot dead. Later on he was identified as Hakim Singh Bundela R/O Village Kudari, PS-Tharet , Distt – Datia who carried a reward of Rs 20 thousand on his head. He was responsible for atleast four dozen of heinous offences and was absconding since 1994. A .306 bore US made rifle along with many fired and live cartridge, 20 thousand Rs. in cash and articles of daily use were recovered. In this daring encounter Shri Kedar Lal Sharma ASI of police PS –Karera exhibited exemplary courage and leader ship of super order. He took a great risk and was unmindful of his personal safety beyond the call of duty which resulted in his sacrifice.

In this encounter Late Shri Kedar Lal Sharma, Assistant Sub Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 16th, February 2003.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

23B—371G

No. 167–Pres/2005- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Manipur Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **H. Devendra Singh, Sub Inspector**
2. **A Subhas Singh, Jemadar**
3. **Md. Abdul Barique Rifleman**

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On receipt of a reliable information about the presence of armed militants in Heirok Khunou area, on 6th January 2004, at about 7.00 A.M. Thoubal district commandos conducted an operation in the area under the overall supervision of the S.P/Thoubal. The Commandos divided themselves into three groups with specific tasks and area covering a radius of about two kms. The team led by Sub-Inspector H. Devendra Singh and J.C. No.517 Jem. A Subhas Singh both armed with AK assault rifle each proceeded toward Inganglok through the bailey bridge, checking every person. At about 7.35 am, the team received an information that some well armed suspected militants were seen coming from Inganglok village towards the bridge. Acting on this information the team then parked their vehicles near the bridge and crossed the bridge on foot. As soon as the party reached the other end of the bridge, the militants began to fire upon the Commando party with their sophisticated weapons. The team led by SI H. Devendra Singh and Jem. A Subhas Singh immediately took position behind a pillar of the bridge and retaliated. The militants who were in a more adgvantageous position, continued to fire taking full advantage of the cover provided by the trees and elevated land feature. The commandos were also prevented from crossing over the northern side by the armed militants who resorted to heavy firing, which was the main route of escape to the hills of Inganglok. The encounter lasted for almost 15/20 minutes. At about 7.55 A.M., ignoring the grave danger, S.I. H Devendra Singh along with Jemadar, A. Subhas Singh and Rfn. No.13200282 Md. Abdul Barique,(holding an SLR) crossed the rivulet and crawled towards the place where the militants were in position. When they got closer to the place they spread out themselves, Jemadar A. Subhas Singh on the left, Rfn. Abdul Barique on the right and SI, H. Devendra Singh in the middle. After crawling a little distance, SI, H. Devendra Singh saw a militant who continued to fire a volley of bullets. SI H Devendra Singh opened fire with his AK Assault Rifle killing the militant on the spot. The dead militant was later identified as hardcore cadre of the banned outfit Kanglei Yaol Kanna Lup(KYKL), namely Nongmaithem Brojen Singh @ Robert(25) S/o N. Shamu Singh of Yairipok Khoirom Mayai Leikai. He was hit

on his head and chest. Jem. A Subhas Singh, while crawling on the left saw 2/3 militants firing towards him from a nullah. He also immediately returned the fire and killed one of them on the spot. The dead militant was later identified as one Laishram Shantikumar Singh @ Pukchao (19) s/o (L) L. Manglem Singh of Heirok Part-II Devi Mandop. He was hit on his shoulder. In the meantime the other militants also fired upon Rfn. Md. Abdul Barique who also fired at the militants at a close range and killed one of them on the spot. The dead militant was later identified as one Thokchom Parsuram Singh (30) s/o Th. Ibotombi Singh of Heirok Part-III, Inganglok. The dead body had bullet injuries on the chest and neck. After 4/5 minutes of continuous exchange of fire the other militants managed to flee towards Inganglok taking advantage of the forest. With the arrival of re-enforcement, a thorough search was conducted in the areas where the encounter took place. During the search, the following incriminating articles/items were recovered from the spot:-

1. One 9mm pistol, Chinese made, bearing butt No.416536 loaded with one magazine and 4 live rounds with one live round in the chamber.
2. one wireless set (kenwood)
3. 14 fired out cases of AK Ammunitions.
4. 4 fired out cases of 9 mm ammunitions.
5. one motorcycle red in colour bearing regd. No. MN-05/9255 was found hidden behind some bushes.
6. from the body of Laishram Shantikumar Singh @ Puckchao (19) S/o LO L. Manglem Singh of Heirok Part-II, Devi Mandop, One demand letter of the Rs.1,00,000/- was recovered.

In this encounter S/Shri H Devendra Singh, Sub Inspector, A. Subhas Singh, Jemadar and Md. Abdul Barique, Rifleman displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 06th January, 2004.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 168–Pres/2005- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Manipur Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **Somayo R. Shimray,**
   Assistant Sub Inspector
2. **N. Ashok Kumar Singh,**
   Havildar
3. **Th. Bijen Singh,**
   Rifleman
4. **K. Kiran Singh,**
   Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 19/6/04 at about 10.00 PM a reliable information was received that some armed youth suspected to be cadre of People Revolutionary Party of Kangleipak (PREPAK) were loitering and taking shelter at Kwakeithel Thounaojam Keikai with a view to commit subversive and nefarious activities. On receipt of this credible information a team of Imphal East District Police Commandos led by ASI Somayo R. Shimray, ASI P. Achouba and Hav. No.739 Ashok Singh in three Maruti Gypsy vehicles rushed to the said area to nab the culprits. At about 11.00 PM the CDO team reached Kwakeithel Thounaojam Leikai. Having Parked the mobile vehicles on the Teddim Road the team marched on foot tactfully to achieve surprise and to avoid alarming the culprits of the arrival of the Police team. Thereafter considering the possible escape routes, search operation was conducted at the said area particularly at the residence of one Sanasam Rakesh (28) s/o S. Kulla of Kilong Chajing at present at Kwakeithel Thounaojam Leikai where the alleged PREPAK cadre were suspected to have been taking shelter.

The Police Commando team in all preparedness moved in towards the said house. All of a sudden a unit of the Police Commando team led by ASI Somayo R. Shimray who were approaching from eastern side of the sheltering place came under heavy fire from sophisticated weapons of the UGs taking shelter inside. In quick retaliation, the Police team fired towards the side from where the firing came. The UG Cadres were on the advantageous side as the Police teams were standing on an unfamiliar terrain. Nevertheless, the Police team particularly ASI Somayo R. Shimray and Riflemen No.653 Th. Bijen Singh struggled on. On the gallant act of Police Commando team, the UGs numbering about 5(five) tried to escape towards the northwestern side of the area by splitting themselves. Still pursuing the fleeing armed youths ASI Somayo R. Shimray armed with AK Rifle and Rifleman No.653 Bijen Singh armed with SLR moved in. In the fierce gun battle Rifleman No.653 Th. Bijen

Singh sustained serious bullet injuries on the left side thigh and on the right side of the abdomen. Meanwhile, another unit of the Police Commando team led by Hav. No.739 Ashok Singh approached from the northern side with a view to intercept the fleeing UGs. The visibility was low and communication facility was hindered due to heavy rain which had affected the W/T sets of the gallant Police Commando team. As a result informing the position of the UG cadres who had then split up through the W/T set was hampered. The unit of Police team particularly Hav. No.739 Ashok armed with Carbine and C/No.9801044 K. Kiran Singh armed with SLR now moved in towards the fleeing UGs firing unceasingly from their 9 mm and AK-56 rifle respectively. The Police Unit were again on disadvantageous side due to unfamiliar terrain and Hav. No.739 Ashok and C/No.9801044 K. Kiran Singh could not move fast due to the swampy paddy field that lie between the fleeing UGs and Police unit. Meanwhile, C/No.9801044 K. Kiran Singh also received bullet injuries on his left elbow and left rib. Hav. No.739 Ashok moved forward gallantly and jumped upon one of the UGs who was trying to escape. In the hand to hand combat Hav. No.739 Ashok was fired upon by the unknown UG using one small arm and thus sustained serious bleeding injury on his person. Nevertheless, Hav.No.739 Ashok refused to give up and within minutes the UG cadre was also shot dead by him. Because of the Courageous act of the Commandos, one UG was killed and the following arms and ammunitions recovered:-

1. 1(one) 9mm Pistol MAUSER WERKE Obendorft Gmbtt on one sie & Mod 90-DA Cal. 9mm Parabellium bearing Regn.No.8081-7488.
2. 1(one) magazine with 5 live rounds of 9mm ammunitions.
3. 2(two) green mosquito Nets
4. 2(two) pairs of shoes etc.

In this encounter S/Shri Somayo R. Shimray, Assistant Sub Inspector, N. Ashok Kumar Singh, Havildar, Th. Bijen Singh, Rifleman and K. Kiran Singh, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 19th June, 2004.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 169–Pres/2005- The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry/ Police Medal for Gallantry/ Bar to Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Manipur Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1.	**Th. Krishnatombi Singh, Inspector,**	**(PPMG)**
2.	**H. Isowrchand, Constable,**	**(PMG)**
3.	**Md. Muhashin, Constable,**	**(PMG)**
4.	**Wilson Haokip, Constable,**	**(PMG)**
5.	**Kh. Ranjit Singh, Constable**	**(BAR to PMG)**
6.	**Kh. Kumar Chothe, Constable**	**(PMG)**

Statement of service for which the decoration has been awarded:

Three valley militant outfits of Manipur namely UNLF, PLA and KYKL called for a boycott of the Parliamentary Elections, 2004 held in the month of April 2004. To impose their will on the general public in this regard, these outfits resorted to intimidating the voters, attempts on the live of election agents etc. As a result, the first phase of election held on 19/04/2004 saw a comparatively poor turn out in the valley due to snatching of EVMs, burning of vehicles engaged on election duty and ambush on the security personnel etc. Intelligence inputs from various agencies indicated that these outfits would make all out efforts to sabotage the 2nd Phase of the election being held on 26/4/2004. In particular, the reports indicated that they would target the polling parties and security personnel proceeding on poll duties to those polling stations, which are located in the remote foothill areas. In the meantime, the SP Imphal East received intelligence reports that a well armed group of about 30/40 MPLF cadres was lurking around the Yairipok to Moirangpurel route with the objective of laying an ambush on the polling and security personnel proceeding along this route. There were 12 polling stations located in these areas for the 2nd Phase. On receipt of the above information, SP Imphal East detailed a special task force consisting of 40 commando personnel under the command of Shri Th. Krishnatombi Singh, Inspector, O/C commando Unit, Imphal East District to clear the area and also provide protection to the polling parties and security personnel proceeding there. Shri Th. Krishnatombi Singh and his police party left District Headquarters, Imphal East in the morning of 25/04/2004 for the said area. In the afternoon of the same day, at about 1230 hrs. while the Commandos led by Shri Th. Krishnatombi Singh were proceeding towards Keithelmanbi village along Yairipol-Keithelamanbi inter-village

road in a Maruti Gypsy, followed by the other Commando teams, a Maruti van came at high speed from the opposite side. On seeing the commando party, the van came to an abrupt halt near a school building and at the same time, its occupants opened fire on the vehicle of Shri Th. Krishnatombi Singh with sophisticated weapons like AK rifles and lethode bombs. Inspector Th. Krishnatombi Singh and his party immediately returned the fire and at the same time stopped their vehicle, jumped out and took cover behind the vehicle. The other member of the task force were quite far behind and could not immediately approach the spot due to heavy firing from the extremists lurking in the surrounding area as well as from the Maruti van. Shri Th. Krishnatimbi Singh and his team members had to fend for themselves under the heavy fire. Though taken totally by surprise and exposed to danger, Shri Krishnatombi did not loose his cool. He immediately took control of the situation and marshaled his team members to take counter-attack measures. He was able to make out that three persons, two firing AK-rifles, were carrying out the firing from the van-one from the front seat and the other from the rear part of the vehicle. The third one was firing lethode bombs from M-79 launcher from the rear portion of the vehicle. Besides the armed youths in the Maruti van, other extremists lurking nearby, numbering about 30/40, also joined the encounter, thereby outnumbering the strength of commandos actually engaged in the encounter. As such, there were lots of gunfires coming from many directions. At this critical juncture, the Commandos had to take care of the immediate danger posed by the gun-shots from the Maruti van. Shri Krishnatombi directed his team members, Constable Isowrchand and Md. Muhshim to locate and target the person firing lethode bombs, Constable Ranjit and Wilson Haokip, who were holding AK-47 rifles to target the person firing AK rifle from the front seat and his constable driver Kumar Chothe, to provide covering fire. He himself decided to take on the person firing AK rifles from the rear of the vehicle. They, then advanced towards the van swiftly and tactically using their long experience of CI Operation while Constable driver Kumar Chothe, with his 9 mm pistol, gave covering fire and at the same time exposed himself to draw fire from the firers. Constable Ranjit and Constable Wilson Haokip were able to move swiftly towards the van and shot down their target, i.e., the person firing AK rifle from front seat of the van. Likewise, Constable Isowrchand, holding SLR and Constable Muhashim, holding AK-47 rifle, were also able to account for their target. Inspector Krishnatombi was fired upon when he exposed himself to advance towards his target. However, he was able to take evasive action and shot down his target with his accurate firing from his AK-47 Rifle. The driver of the Maruti van also sustained bullet injuries in the encounter. It was later found that the van had been hijacked and driver had been forced to drive the same. The three militants who were killed in this encounter were later identified to be.

1. Salam Joy Singh (aged about 20 years) S/O S. Amu Singh of Andro Unambol, a member of UNLF Army fighting group. He was the one firing AK rifle from the front seat.
2. Konjengbam Chaoba Singh @ Lamjingba (aged about 25 years) s/o K.

Mani singh of Yairipok Yambem Leikai, a self styled Lance corporal of UNLF Army fighting group. He was the one firing lethode bomb.

3. Tomgbram Rantan Singh @ Lansemba (aged about 27 years) s/o T. Mohon Singh of Fanzangkhong, a self styled Lance Corporal of UNLF Army fighting group. He was the one firing AK rifle from the rear of the van.

In this encounter Shri Krishnatombi and his team members exhibited exemplary courage, devotion to duty and professionalism. All of them took calculated risk deliberately by exposing themselves to the heavy fire from the militants. By dint of their tact, ccourage and firm determination, they were able to turn a bad situation to their advantage. The reverses suffered by UNLF in this encounter had a demoralizing effect on the cadres of the three militant outfits. As a result, the subsequent phases of the parliamentary Election were comparatively more peaceful and the turn-out of voters in the valley area was much better. The following arms and ammunitions were recovered from the militants who died in this encounter:-

(i) One lethode bomb launcher M-79 bearing No. 130668-K-KANARR-CopU.
(ii) Twelve live round of lethode bombs.
(iii) Two AK-56 rifles bearing No.3926072 and 3923858/28858
(iv) Eight live rounds of AK-56 ammunition.

In this encounter S/Shri Th. Krishnatombi Singh, Inspector, H. Isowrchand, Constable, Md. Muhashin, Constable, Wilson Haokip, Constable, Kh. Ranjit Singh, Constable and Kh. Kumar Chothe, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of President's Police Medal/ Police Medal/ Bar to Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 25th April, 2004.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 170–Pres/2005- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Orissa Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Suresh Chandra Dhal (Posthumous)
Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On the night of 2nd June, 2004, due to previous enmity between the villagers of Satasa and Bargarh, Malibarahi, Kulasikharpatna and Bahabaja of Pipili Police Station, more than 200 villagers of Baragarh, Malibarahi, Kulasikharapatna and Bahabaja congregated with weapon, near the Baragarh square on NH-203 and proceeded to the village Satasa, located about 1 (one) km away, for attacking the rival group. More than 100 villagers of Satasa also armed themselves to counter attack. On receipt of such alarming information of an imminent clash, Sri Suresh Chandra Dhal, Inspector Incharge of Pipili Police Station rushed to the spot without wasting time, accompanied by other officers and one section of Armed Police Reserve force available at the Police Station. On reaching Dandamukundapur Bazar, he was forced to deploy the available section of force with three officers near village Satasa for handling the riotous mob. He was, thus, compelled to proceed alone towards the mob of two hundred villagers of the other four villages, who by then had commenced marching towards the Dandamukundapur Bazar. Though alone, he intervened effectively and stopped this irate mob near the bus stop, though they were still threatening to attack the villagers of Satasa, who were only 200 yards from them. He parleyed with this bellicose mob and tried to prevail upon them to disperse, thus preventing serious blood shed. While Sri Dhal was engaged in parleying with the mob, a miscreant named Ashok Jena, hurled a bomb at Sri S.C. Dhal, Inspector Incharge who was grievously wounded and fell at the spot. Sri S.C. Dhal succumbed while being taken to the hospital. Inspector S.C. Dhal showed exemplary courage and dedication to duty by laying down his life in line of duty, and thereby prevented a bloody clash.

In this encounter Late Shri Suresh Chandra Dhal, Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 2nd June, 2004.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 171–Pres/2005- The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry/ Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Tamilnadu Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1.	**Thiru K. Vijay Kumar, IPS Additional Director General**	**(PPMG)**
2.	**Thiru F.M.Hussain, Deputy Superintendent of Police**	**(PMG) (Now ADSP)**
3.	**Thiru. N.K. Senthamarai Kanan, Superintendent of Police**	**(PMG)**
4.	**Thiru N.Rajarajan, Inspector (Now DSP)**	**(PMG)**
5.	**S. Velladurai, Sub Inspector (Now DSP)**	**(PMG)**
6.	**M. Saravanan, Grade I (Now Sub Inspector)**	**(PMG)**
7.	**V. Kumaresan, Grade II (Now Head Constable)**	**(PMG)**

Statement of service for which the decoration has been awarded:

The efforts of Tr. K. Vijay Kumar, IPS assisted by brilliant deputies bore furits in ' Operation Cocoon'. The plot was cooked in secret. STF sleuths fanned out to the various sectors in to field and into the jails of Karnataka and Tamilnadu. Some became plumbers, masons, bus crew and even cooks. All three SPs were allocated one major project each. To flush Veerappan out of his home turf in close alliance with Karnataka STF, the bandit's hearland was inundated with joint-troops. This strategy paid dividends over a 6 month period when Veerappan moved over to the sparsely forested eastern-most theatre of operations. Dissension was sowed by alluring Veerapan's tea-mate Chandragowda whose sentimental vulnerabilities came to the fore. Based on meticulous surveillance and analysis of field inputs an impeccable plan " Operation Cocoon" was put in place. Marked by professional acumen and extraordinary secrecy and an infiltration of a most daring kind, " Operation Cocoon" depended for its successful execution a fantastic level of co-ordination and tactical perfection. Each officers functioned and cubicle- mode, as secrecy was a paramount concern. This meant nerve-wracking orchestration and

mutual co-ordination. Once rendezvous RV was fixed as paparapatti all roads leading to Papparapatti were sealed by unobtrusive presence of DSPs, Inpsectors and their special operational teams. The entire operation was carried out in Civilian clothes in unmarked private vehicles. The arrival at various points, the method of reception, radio silence and codes etc. added to the secreacy. Most remarkable aspect was the way Veerappan's cellular secret cutout system was turned into a weapon against him. The superimpostion of driver Saravanan and S.I. Velladurai on the operation was a high risk proposition. One Kumaresan PC.1619, let loose in disguise in the village for 3 days, passed on vital tidbits that helped finesse the OPs. For Ops Cocoon three core teams, the cream of STF known for rapid reflexes and adaptability were deployed. These teams had been drilled in classical one-minute drills or World War-II personally by ADGP Mr. K. Vijay Kumar over hundred times. They moved in sandbags loaded civilian lorry from STF firing range as if on a training drill. One sugarcane loaded lorry- code named sweet box, went along for the ultimate blockade. The ADGP and SP who had reconnoitered the RV point earlier on, drove in a civilian vehicle. They had barely a 10 to 11 minute headway at the RV when there was a message that the Cocoon viz ambulance van has moving on the main Papparapatti-Dharmapuri main road. At about 2245 hrs the ambulance- a re-done police vehicle, came to a halt in the zone of operation. Mr. Vijay Kumar stood out on the front right towards the driver's seat just a meter away from the vehicle, and assisted by Inspector Rajarajan helped driver Saravanan to a cover to behind a tree in a jiffy. By then, SI Velladurai had also jumped out from the front left seat. In fraction of a second he picked up vital input about the gang's presence, and their firearms from driver Savavanan and Velladurai. Mr. Vijay Kumar shouted out these to SP and others. Veerappan and his men were fully prepared and armed with rifles and grenades. Any wrong move he would inflict heavy casualities and get away. Retaliation following firing by the bandit's men, Mr. Vijay Kumar moved from front right to the left to ensure effective handling. He dashed to the rear where PC Kumaresn had arrived by then. He placed him firmly there. His position there preempted escape of the gang. Finding that an extension lamp carried by a STF team atop school building on the right side had been hit due to firing by Veerappan's men, he devised further tactical responses. At every step he led by guided SP and other members of the team by being in the frontline.

Thiru F. M.Hussain disguished himself in plain clothes and arrived at the main Rendezvous point (RV) at 22.30 hours. He placed his three teams very near to the ambulance alighting point, one team at the school building top, one team on the mobile bunker lorry and one at the rear of the same lorry under the tamarind tree. He himself then took cover in front of the mobile bunker lorry so that when ambulance

stopped near the mobile bunker, in a lightening move, he could whisk SI Velladurai to a fixed safe place when the latter bailed out from ambulance. As planned, SI Velladurai jumped out of the ambulance. Thiru F.M.Hussain, grabbed him and whisked him to the safety of cover. A warning was given to the Veerappan gang over public address system by the Superintendent of Police to surrender. Persons inside the ambulance responded by opening fire. Thiru F.M. Hussain was fired upon by the gang from inside the ambulance. He sustained pellet injuries on his right abdomen. He returned fire and vacated his position to move to the other side of the road. He joined the team behind the tamarind tree. In a few minutes, the firing ceased, and Thiru Hussain jumped inside the ambulance fully braced for an attack. Since he found no response from the injured, he disarmed the injured persons and identified the forest brigand Veerappan and his three associates. Unmindful of his bleeding injuries, he exhibited rare courage in acting with expedition and tact. His crucial role in rescuing the commander of the vehicle and in finally getting into the ambulance constitute actions of great valour worth of a prestigious gallantry award.

Tr N. Rajarajan, brought his team in total disguise from Sathiyamangalam to Dharmapuri as if on a training drill. He arrived at the rendezvous just in time and settled within minutes. When the ambulance arrived at the scene, Tr N. Rajarjan and his team set the pace and tone for further operations against forest brigand Veerappan and his associates. In the encounter Thiru N. Rajarajan displayed bravery. Unmindful of the obvious risk to his own life, he resuced the STF crew. He provided the cover fire support and countered fire from a close range, risking his life. When the exchange of fire stopped, he entered the ambulance and removed the weapons from the critically injured Veerappan and his associates. He played a daring and pivotal role in the operation, making him worthy of a prestigious gallantry award.

Thiru N. K Senthamaraikannan, IPS, was assigned a key role in the operation against the forest brigand Veerappan. He successfully converted an important conduit of Veerappan into a trusted STF informant. Through this crucial link, he virtually monitored and manipulated the actual movement of the gang in Dharampuri forests for the past eight months. He won over important conduits of Veerapan to the side of the STF and succeeded in luring Veerappan out of forest. Thiru N K Senthamaraikannan, succeeded not only in luring Veerappan and all three members of his gang to be a pre-determined spot, but played a further crucial role. In a close encounter with the Veerappan gang on October 18, 2004, the day of the operation, lasting for about 20 minutes, he personally led the assault teams and played a major role in controlling the firing and coordinating team deployment at grave risk to his life. After issuing warning over the public address system from the roof top of the nearby school to the gang to surrender, he opened fire on the defiant gang members who had opened fire towards the school. Again, he moved down to the spot where the Chief of Special Task Force was located and in a succession of lighting moves, coordinated further action and effectively countered fire. His intelligence deployment

and meticulous planning resulted in a successful Operation without any serious injuries to the STF personnel. His intrepid action, grit and resolution are of an extraordinary nature and inspirational.

Thiru S. Velladurai exhibited extraordinary courage by bringing Veerappan and his gang to the earmarked spot in the Ambulance Vehicle. After bringing the vehicle to the pre-decided spot, Tr. Velladurai bailed out of the vehicle and moved quickly to the safe zone. When the gang defied the order to surrender and opened a burst of fire, he ably arugented the team nearby. He also opened fire positioning himself in front of the bunker lorry. In those heart-stopping moments of fire and counter fire, he was moving in front left of the ambulance guiding the team nearby and ensuring that the gang does not inflict undue damage or make a bid to escape. He escorted the most dreaded gang fully aware of the huge risk involved in the operation. He displayed his fearless attitude and exemplary courage the forest brigand Veerappan and his associates.

Thiru V. Saravanan, SI, Dharamapuri District was entrusted with converting a police vehicle into an ambulance. He volunteered to undertake the dangerious and delicate work of driving the ambulance vehicle to fetch Veerappan's gang. The slightest mistake would have meant his certain death. He was driving the dreaded gang and stopped the vehicle at Papparapatti village in the zone of operation. There upon, he quickly alighted and was whisked to safety; he took part in the subsequent operation by opening retaliatory fire. He was totally unmindful of the risk both while in the driver's seat and yet again outside the vehicle, while fighting alongside his colleagues.

Tr. V. Kumaresan, HC 1619 was positioned at Papparapatti village at Dharamapuri District three days prior to the operation. He kept a vigilant eye on the village people and gathered sensitive intelligence relevant to Operation Cocoon. He passed on vital information about the various roads, their landmarks, etc. Along with the Chief of STF and Superintendent of Police, he was instrumental in the preparation of blue print for Operation Cocoon. On the night of 18.10.2004, he intimated the STF team of the movement and the likelihood of the gang members being inside the ambulance. He thus provided the most vital input pivotal to the execution of the scheme. The risk taken by him implied grave danger to his life at every moment. He followed the ambulance and arrived at the site of operation within minutes, totally disregarding the hazards. He was operating constantly in a zone of threat with felicity and provided able fire support at a very crucial time. He helped prevent the escape of the gang. He also provided effective counter fire and later provided tactical cover when STF officers entered the ambulance.

Recoveries made :-

(i) AK-47 Rifle -02 Nos.

(ii)	SLR Rifle	-1No
(iii)	12 Bore Gun	-1 No
(iv)	AK-47 Extra Magazine	- 1No
(v)	AK-47 rounds	-90 Nos.
(v)	SLR rounds	-82 Nos
(vi)	12 Bore Cartridge	-25 Nos
(vii)	Grenade	-3 Nos
(viii)	Cash	-Rs 5,48,293/=

and 186 items of clothes, Jewels, electronic items etc. seized from the gang.

In this encounter S/Shri Thiru K. Vijay Kumar, IPS, Additional Director General, Thiru F.M.Hussain, Deputy Superintendent of Police, Thiru. N.K. Senthamarai Kanan, Superintendent of Police, Thiru N.Rajarajan, Inspector, S. Velladurai, Sub Inspector, M. Saravanan, Grade I and V. Kumaresan, Grade II displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of President's Police Medal/ Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 18th October, 2004.

Barun Mitra

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 172–Pres/2005- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Tripura Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICER
Shri Timir Das,
Deputy Superintendent of Police

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 13-07-2004 at about 0945 hrs. Shri Timir Das, SDPO Khowai received information from a secret source about the presence of a heavily armed ATTF group consisting of 18-20 members in the jungle near Sumantapara. Acting on this information, Shri Timir Das alongwith OC, Champahour PS, ASI D. Rudra Paul of KHW PS and 16 TSR personnel Ex-Khowai PS left for Sumantapara. At about 1045 hrs, when they reached Tulashikar TSR Camp he tried to garner more force since the number of personnel alongwith him were not adequate to operate against such a large heavily armed ATTF group. However, since the parties were out for another operation from Tulashikhar camp, they could not maneuver more force. Still without caring for the consequences of his personal security, Shri Timir Das along with the

available force went towards Sumantapara following a foot track instead of following a normal route to maintain the surprise. At about 1450 hrs they reached near a probable hide out of the extremist group, from the opposite direction following foot track and avoiding villages. The Operation party took position on a hilltop using the fire cover available. After waiting for some time they saw an unusual movement in the village and got alerted. About 45 minutes later, the operational party was confirmed about the presence of an extremist group on the next hilltop. At about 1525 hrs they saw four extremists with sophisticated weapons climbing down the hill. The extremists group noticed the Operation party and immediately started firing from their personal weapons aiming at the Operation party. Sh. Timir Das crawled forward without caring for his life and personal security and took position behind the trunk of a tree and retaliated back by firing from his personal weapon aiming at the extremist. By this time, the extremist group hiding on the hilltop also started firing at the Ops party. The firing continued for about 30 minutes after which the extremist group fled away taking the cover of the thick jungle. About 15 minutes after the firing had ceased, the Operation party conducted a thorough search of the area. The Operation party recovered two A.K. series rifles, three A.K. series magazines and seventy-one rounds of A.K. series ammunitions along with other incriminating articles. One dead body of an unidentified ATTF extremist group member was also recovered.

In this encounter Shri Timir Das, Deputy Superintendent of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 13th July, 2004.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 173–Pres/2005- The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Tripura Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

Shri Sruta Ranjan Debbarma, (Posthumous)
Sub Inspector (UB)

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 22-08-2004 at 0005 hrs O/C P.S received information from a secret source that a group of about 15/16 extremist at NLFT (BM) group along with one Uttam Debbarma S/O Samprai Debbarma of Prakash Sadarpara- P/S Takarjala, Collaborator of NLFT(BN) extremist group are camping at some unknown places between Pailabhanga and Jangalia with view to kidnap the driver of Jeeps and passengers on the Amarender Nagar- Takarjala road. On the basis of this information, SDPO BLG Shri Manik Das alongwith SI Pranab Sengupta O/C TKJ P.S, SI Sruta Ranjan Debbarma of TKJ P.S, Major Amar Singh Kwatra of 6th A/R Ex – TKJ and one column of Assam Rifle staff planned an operation in the area of Gaman Bazar and Pailabhanga. As per the plan the Ops party laid an ambush at Jangalia para and waited till morning for the extremists group. On the morning of 22-8-04 the Ops party again received another information that the extremist group is presently staying in Pailabhanga under Takarjala PS at a distance of about 5 KM towards south from PS . Accordingly, SDPO BLG with O/C P/S ,SI Sruta Ranjan Debbarma of TKJ P/S, Major Amar Singh Kwatra of 6th A/R and two others A/R personnel of 6th A/R Ex- TKJ Camp proceeded towards Pailabhnga from Amarendra nagar boarding in three civil jeeps. At about 0815 hours, the above vehicles reached at Pailabhnga, at that time one of extremists in the civies indicated the Ist Jeep bearing NO.TR01-A-3083 to stop, reacting immediately SDPO BLG , O/C P/S and Major Kwatra jumped upon the extremist to detain him. When the Ops party were engaged in scuffling with the extremist, the extremist group hiding in the road side jungle started firing indiscriminately aiming at them. The Ops party also retaliated by firing from their personal weapons. At the same time, SI Sruta Ranjan Debbarma who was present in the 2nd jeep also reacted by jumping from his jeep firing from his weapon aiming at the extremist group. . He also marched forward to save the lives of the senior officers who were under heavy fire of extremists showing utter disregard to his own personal safety and life. In the mean time one of the extremists opened fire directing towards SI Sruta Ranjan Debbarma from his automatic weapon. Due to which SI Sruta Ranjan Debbarma sustained bullet injuries on his person and subsequently succumbed to it . The exchange of firing continued for about 20 minutes. After which the extremists retreated taking the cover of the deep jungle. After the encounter the Ops party thoroughly searched the spot and recovered 1(one) dead body of an unidentified extremist with bullet injury. 1(One)

AK-56 Rifle, 3(Three) Magazines, 72(Seventy two) rounds, 8(eight) nos empty case of AK-rifle and 5(five) nos of empty case of .38" pistol of fired ammunitions were also recovered from the spot.

In this encounter (Late) Shri Sruta Ranjan Debbarma, Sub Inspector, (UB) displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 22nd August, 2004.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 174–Pres/2005- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Tripura Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICER
Shri Pinaki Samanta,
Assistant Commandant

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 31/07/04 at about 0900 hrs Sri Samanta received information from his secret sources that a group of 15/16 (suspected to be ATTF) extremist was moving in & around village Wanderlong, under Kalyanpur P.S. He reacted at once and moved to the village Wanderlong about 18 KM south west from his camp Tulasikhar. The road condition is very bad prone to ambushes, land mine & IEDs. With the available single non bullet proof Gypsy in complete disregard to his personal safety he proceeded to village Wanderlong. He informed his higher authorities over telephone and commenced operations along with only 06 TSR personnel with him conducting search cum ambush. Meanwhile commandant passed orders to the near by TSR camps at Ramchandraghat & Ampura besides communicating with SDPO (Khowai) to assist his party immediately by establishing stop in the adjacent village Dulaliya & Akrabari (both are about 4 KM away from the village Wanderlong). After thorough search of the surrounding area, Sri Samanta had decided to lay ambush in the village Wanderlong. While Sri Samanta being Scout-01 of the ambush party was waiting for the extremist group to enter the ambush he noticed, one person proceeding towards end of the village Wanderlong who started talking with a unknown girl. Sri Samanta advanced from his initial position by crawling and taking available natural cover of fire to question them. The moment he went near them and challenged them, all of a

sudden the militants hiding in the nearby jungles opened indiscriminate fire from sophisticated weapons like AK-47, SLR etc. Fortunately Sri Samanta did not get hit and immediately fired back & continued to return the fire in a most daring manner to extricate his own men from extremist's fire and to facilitate his own men to open effective fire from a very close range on them inflicting injuries and compelled the extremists group to retreat to corner of the village where other members of the ops party were already in position who fired on them. Sri Samanta fired 10 Rds but it was most controlled and effective. After the firing had ceased the ops party searched the surrounding jungle area and recovered one magazine of 7.62mm SLR with four live rounds in it and few empty cases of ammunition fired by the militants and Rs. 5,565/- only, one dead body of unknown insurgent, later on identified to be one Ashok Debbarma @ Sarua @ Gumsa @ S.S. Surgent of ATTF Peter Debbarma S/O Ramesh Debbarma of Daigyabari under Sidhai P.S. He was the dreaded area commander of ATTF and IED specialist. Profuse bloodstains were also seen on the vegetation adjoining the road side which indicates that some other extremists also suffered bullet injuries but managed to flee. It was because of Sri. Samanta's sheer bravery and quick reaction that the militants had to flee for their lives before they could take advantageous position and upper hand over the ops party and inflict any casualties.

In this encounter Shri Pinaki Samanta, Assistant Commandant displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 31st July, 2004.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 175–Pres/2005- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Uttar Pradesh Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **Akhil Kumar,**
   Superintendent of Police
2. **Ganga Narayan Mishra,**
   Deputy Superintendent of Police
3. **Vinod Kumar Srivastava,**
   Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On the early hours of 27.05.2003, the police party led by Mr. Akhil Kumar had a fierce encounter with heavily armed gang of Santu Lodh as a result of which the symbol of terror, Santu Lodh along with his close aide got liquidated. During the encounter Mr. Akhil Kumar S.P. Banda had a providential escape as two bullets hit him on his chest. He escaped a certain death as he was wearing bulletproof jacket. The bullet hits did not deter him. With exemplary courage and bravery, he kept on guiding and motivating his men. Meanwhile, Dy SP Mr. Ganga Narain Mishra and Inspector Mr. V.K.Srivastava kept on moving from one man to another thereby motivating them against the odds. In the process they put their lives to grave risk as there was a constant firing overhead. The encounter, which took place in dark night, resulted in death of dreaded criminal Santu Lodh & his close aide Lakkhu. An example of perfect police planning, strategy and co-ordination in which utmost restrain was shown by the police party even when exposed to grave personal dangers.

In this encounter S/Shri Akhil Kumar, Superintendent of Police, Ganga Narayan Mishra, Deputy Superintendent of Police and Vinod Kumar Srivastava, Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 27th May, 2003.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 176–Pres/2005- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Uttar Pradesh Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **Anant Deo,**
   Additional Superintendent of Police
2. **Anil Kumar Singh,**
   Platoon Commander

Statement of service for which the decoration has been awarded:

Ashok Singh @ Shooter, a dreaded criminal of eastern UP, carried a cash reward of Rs. 10,000/- from Inspector General of Police, Varanasi. He attained notoriety by master minding contract killings and extortion yet his deeds had instilled so much fear and terror in people that, even after being extorted of lakhs of rupees, nobody dared to lodge an official complaint with the police. A dare devil and bloody encounter took place between Ashok Singh @ shooter and his associate Jagdamba Singh, having 17 cases of loot and murder etc, and the STF team led by Addl. SP Anant Deo, PC Anil Kumar Singh and few others. The two gangsters had assembled on 5.7.2001 at around 6 AM at picnic spot near Gudamba road village Rasoolpur in Lucknow, commonly used by wealthy and influential people for morning walk, with the intent of committing a sensational crime in early hours of morning. The police party spotted the two gangsters and Anant Deo asked them to surrender. Instead of surrendering at Anant Deo's call, the gangsters opened fire at the Police Party from close range with the intention of killing the policemen. In total disregard to their personal safety, Addl. SP Anant Deo and PC Anil Kumar Singh showed exemplary courage and quick response and chased the gangsters firing at them. When all attempts to get the gangsters to surrender proved futile, the police party returned fired strategically and effectively. Both the gangsters were critically injured and were in no time rushed to the hospital for medical help but were declared dead by the doctor on duty. Two revolvers, one .38 bore and the other .32 bore along with large quantity of ammunition were recovered from them.

In this encounter S/Shri Anant Deo, Additional Superintendent of Police and Anil Kumar Singh, Platoon Commander displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 5th July, 2001.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 177–Pres/2005- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Uttar Pradesh Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **Daljit Singh Chawdhary,**
   Senior Superintendent of Police
2. **Dinesh Kumar Yadav,**
   Sub Inspector
3. **Ram Kumar Yadav,**
   Constable
4. **Rajendra Singh,**
   Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 05-03-2005, at 1415 hrs Daljit Singh Chawdhary, SSP Etawah, leading his assault team on reliable information, in the ravines of Gauhani and Jajpur in the jurisdiction of Police Station Ajeetmal, District Auriya, reached the spot where the Rajjan Gujjar gang was halting, to surround the gang. SSP's assault party consisted of SI Dinesh Kumar Yadav, Constable Ram Kumar and Rajinder Singh. In pursuance of the plan, stopper parties were deputed strategically to block the escape routes. The assault team was given cover by the SOG team members. The gang however, saw the police party while climbing the hillock and fired at the SSP with the intention of killing him. The SSP with supreme courage challenged the gang to surrender but the response was volley of fire aiming at him which hit him on the bullet proof jacket and he had a providential escape. In self defense, the Assault Party launched a well considered attack but in the meanwhile, the desperadoes fired and injured one kidnappee who was running towards police. He was immediately rescued. The gang consisting of 20-25 members and heavily armed again reorganized themselves and took position on the addi and fired indiscriminately. The police party under the leadership of brave SSP at the stake of their lives continued to proceed with exceptional courage and bravery and at about 500 yards to the west of the addi where face to face, the gang leader challenged the SSP to save himself and aiming at him fired with the intention of killing him. The SSP without caring for his life and with total dedication and devotion towards his duty, showing conspicuous gallantry and valour, returned the fire in self defense from his AK-47 rifle which hit Rajjan and he fell down on the ground. Lovely Pandey started firing on Constable Ram Kumar Yadav and Constable Rajinder Singh who also fired in self defense resulting in her fall. One associate of Rajjan fired with the intention of killing SI Dinesh Kumar Yadav and he after saving himself fired in self defense thus resulting in silencing the gang member. The fleeing dacoits were chased by the SOG team and injured one criminal who later died. Thus, in the face to face, broad day light encounter which

lasted for almost two hours resulted in the elimination of Inter-State dreaded gang leader Rajjan Gujjar and his three hard core members. Due to the bullet proof jackets the SSP and his team were saved from injury. Two unknown criminals were later identified as Munna Singh Bhaduria S/o Machal Singh r/o Village Garhia Mallu Singh PS Badhpura Distt. Etawah & Yoginder Mallah @ Yadava S/o Shri Ram r/o Mandriyan Mallahan Andava P.S Bakewar Distt. Etawah. The following recoveries were made after the encounter:-

1. One Semi Automatic Rifle, Spring field US make, .306 calibre. (Factory made)
2. Two Bolt Action Rifle, .303 calibre, Mark 3 (Factory made)
3. One Bolt Action Rifle, .315 calibre. (Factory made)
4. .306 calibre, 226 rounds and two empty shells.
5. .303 calibre, 100 live rounds, 14 damaged rounds and 05 empty shells.
6. .315 calibre, 235 live rounds, 03 empty shells.
7. Rs 512243-00 (Rs five lakh twelve thousand two hundred forty three)
8. Several Gold ornaments, Letter Pads and daily use material.
9. One kidnappee, Ankur, 12 years.

In this encounter S/Shri Daljit Singh Chawdhary, Senior Superintendent of Police, Dinesh Kumar Yadav, Sub Inspector, Ram Kumar Yadav, Constable and Rajendra Singh, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 5th March, 2005.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

371 GI/2005

No. 178–Pres/2005- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Uttaranchal Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS
Shri Mahesh Chandra Yadav,
Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded:

Shri Mahesh Chandra, Constable, Police Station Vikasnagar Distt. Dehradun was on picket duty with recruit Constable Mahendra Kumar at Dakpather road(Vikasnagar) in the night intervening 6th and 7th June 2003 when one Smt. Kamla Devi informed him that a theft had been committed in her house. He rushed to the spot with recruit Constable Mahendra Kumar, and gave chase to a fleeing suspect who entered a house. When Constable Mahesh Chandra was going up the stairs of the house he was fired upon and a bullet entered his shoulder and he was badly wounded. However, he returned the fire and did not allow the miscreant to escape. In the meanwhile, Police reinforcement had arrived and in the ensuing exchange of fire, the miscreant was shot dead. The dead miscreant was identified as Suresh (Kallu). One Pistol .38 bore was recovered from the dead body. As per the Police records dead miscreant was found to be a historysheeter of Police Station Vikasnagar. He was charge sheeted by P.S. Vikasnagar Police in 10 criminal cases a few year back.

In this encounter Shri Mahesh Chandra Yadav, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 7th June, 2003.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 179–Pres/2005- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Uttaranchal Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS
Shri R.B.Chamola,
Sub Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded:

Satpal and Nekpal were wanted in many criminal cases including extortion, murder and kidnapping. The U.P. Government had declared a reward of Rs.5,000 on Satpal. On receiving information about these criminals, Sub Inspector Shri R.B.Chamola with his team had started checking vehicles near Gandikhata check post on 5-6-2002 at 21.20 hrs. At that time a Maruti car hit the Police barrier and was fleeing away. Suddenly firing started on Police personnel from the car and they returned fire in self defense and challenged the criminals to surrender. During the firing, two criminals were injured who were later identified as Satpal and Nekpal. However, 2 other criminals escaped. 2 CMP 12 bore, 13 live and 9 fired cartridges and a Maruti car (DAQ 7439) were recovered from them.

In this encounter Shri R.B.Chamola, Sub Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 5th June, 2002.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 180–Pres/2005- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Border Security Force: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **P.M.Jeengar,**
   Assistant Commandant
2. **Sanjay Upadhyaya,**
   Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded:

Based on an intelligence information regarding presence of one militant in village Brenwar, Distt. Budgam, J&K, an operation was planned and launched by troops of 76 Bn. BSF on the intervening night of 29 Feb/01 March 2004. A small team comprising Shri P M Jeengar, Assistant Commandant and Inspector (G) Sanjay Upadhyaya stealthily entered into the targeted village during midnight, recceeded the house and confirmed presence of the militant. The party returned to the operation base and chalked out a plan. According to the plan, troops under command of Shri Jeengar, AC laid out a cordon of the target house at about 0230 hrs and a search operation commenced. While the search operation in the house of one Mohd. Shabir Nazar was in progress, the militant hiding in the house came out of his cover and made a desperate attempt to escape by firing on the search party. Observing the move of the militant, Shri Jeengar, AC and Shri Upadhyaya, Inspector exhibited rare courage by physically blocking the militant, who in turn took position and concentrated his fire on Shri Jeengar and Shri Upadhyaya. However, both Shri Jeengar and Upadhyaya, with utter disregard to their personal safety and unmindful of the firing, closed into the militant's position and shot him dead in a hand to hand close quarter battle. On search of the area, dead body of the slain militant was recovered along with one Chinese Pistol, one wireless set and ammunition. The slain militant was identified as Abdul Rashid Khandey (Raina) @ Sujad code name Fizal S/O Wali Mohd. Raina (Khandey) resident of Hasipura, Distt. Budgam (J&K), a dreaded Battalion Commander of HM Outfit.

In this encounter S/Shri P.M.Jeengar, Assistant Commandant and Sanjay Upadhyaya, Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 1st March, 2004.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

26—371 GI/2005

No. 181–Pres/2005- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Border Security Force: -

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri G. Suseelan (Posthumous)
Head Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded:

R-III BSF adhoc Battalion was formed in the wake of general election 2004. This Battalion was deployed for election duty in hypersensitive Naxalite activity prone areas of Distt Deantewara in Chhattisgarh. On 19 April 2004 a party comprising of one officer and thirty-six other ranks alongwith three local police personnel were sent to Pushbaka for patrolling and area domination to ensure incident free election. Head Constable G Suseelan was leading a column of the BSF party as a scout. When the patrol party reached near village Gundam, Naxalites hiding in the near by forest triggered an IED followed by indiscriminate firing on the patrol party as a consequence of which Head Constable G Suseelan sustained serious splinter injuries. Head Constable Suseelan, despite being seriously injured, displayed stellar courage and retaliated the fire effectively. Inspired by the gallant action displayed by the said Head Constable, other personnel engaged the naxalites forcing them to flee the scene of incident. However, Head Constable G Suseelan succumbed to his injuries. The highest degree of valour, grit and determination, displayed by Head Constable G Suseelan, with utter disregard to his own safety and despite being grievously injured, resulted in averting heavy loss/damage to own men and material.

In this encounter Late Shri G. Suseelan, Head Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 19th April, 2004.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 182–Pres/2005- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Border Security Force: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **I.S.Rana,**
   Commandant
2. **G.H.Khan,**
   Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded:

Acting on specific information regarding presence of foreign militants in the forests of general area of Batnoor (Bismal) Distt. Pulwama, J&K, Shri I S Rana, Commandant, 120 Bn BSF planned and launched an operation in the area on 7th June, 2004. According to plan, a small party led by Shri I S Rana, Commandant rushed to the target area. The party reached the target area undetected after a gruelling march over difficult mountainous terrain. When the party was moving further ahead in thick forest, the militants hiding in nearby foliage opened heavy volume of fire on the BSF troops followed by lobbing of grenades. One of the grenades landed and exploded near Shri I S Rana, Comdt. and his buddy constable G H Khan who had a narrow escape. Undeterred by the firing of militants, Shri Rana and his party took position and retaliated the fire. At the same time Shri Rana, Comdt. and Const. G H Khan displaying rare courage moved ahead stealthily by crawling. Suddenly, one of the militants jumped out from his cover firing indiscriminately upon Shri Rana, Comdt. and Constable Khan. However, both of them, without losing their nerve, in a swift action took position and fired back and succeeded in injuring the militant. However, the injured militant managed to take position behind a boulder and kept on firing on the pair. Though the fire was retaliated, it was not effective, as the militant was well entrenched. In order to eliminate the militant, Shri Rana, Commandant and constable G H Khan, with utter disregard to their own safety and undeterred by the firing, crawled close to the militant's position and in a hand to hand close quarter battle shot the militant dead on the spot. On search of the area, dead body of the slain militant was recovered alongwith one AK series rifle, two hand grenades, and ammunition. The killed militant was identified as Abdul Hakeem Sadiqe R/O Rawalkot, Pakistan of JeM outfit.

In this encounter S/Shri I.S.Rana, Commandant and G.H.Khan, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 7th June, 2004.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 183–Pres/2005- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Border Security Force: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **Ved Prakash,**
   Constable
2. **Kuldeep Singh,**
   Head Constable
3. **V.K. Langoo,**
   Assistant Commandant

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 17 Oct 2003, at about 1015 hrs a patrol party ex-43 Bn BSF intercepted two militants near J&K Chief Minister's residence on MA Road Srinagar. The patrol party chased the militants with restrained firing to avoid collateral civilian casualties, whereas militants opened heavy indiscriminate fire followed by lobbing of grenades, as a consequence of which Constable Sri Gopal and Head Constable Rajinder Singh sustained bullet wounds and succumbed to their injuries. The patrol party retaliated the fire preventing the militants from entering CM's residence. Somehow, the militants managed to take position in Dr. Ali Jan Complex, a prime shopping arcade on MA Road. On getting information about incident, Shri Pramod Kumar, Offg Comdt 43 Bn BSF immediately rushed to the spot. After taking stock of the situation, he evacuated the deceased BSF personnel amidst heavy firing and lobbing of grenades by militants. In the process, he sustained splinter injuries but still did not leave the spot. Meanwhile, Shri V R Bahl, ADIG, CI OPS-II also reached the spot along with reinforcements. Subsequently all exit points of the building were covered to prevent escape of militants. Meanwhile, it was ascertained that there were civilians trapped on ground floor as well as third floor. Therefore, a strategy was planned to evacuate the trapped civilians. Accordingly, Shri V R Bahal, ADIG and Constable Ved Prakash, with utter disregard to their own safety, entered the third floor. Seeing this move, militants concentrated their fire on Shri V R Bahal and Constable Ved Prakash from their safe position. After a short while, Constable Ved Prakash could locate the exact position of the militants. In order to neutralize the militants by effective fire, he exposed himself and fired on the militants injuring one of them critically. However, one of the bullets fired by the militants hit the right thigh of Constable Ved Prakash, who fell down but he still continued to engage the militants. Sensing critical condition of Constable Ved Prakash, Shri V R Bahl, at risk of his own life, evacuated the injured Constable to safety amidst lobbing of grenades by the militants. In process, Shri Bahl also sustained splinter injuries. In spite of injuries, Shri Bahl kept on advancing and lobbed grenades forcing the militants to run towards second floor. Taking advantage of the opportunity, he evacuated the trapped civilians and injured troops to safety. On the following day it was decided to storm the building. As such, a storming party was formed.

No.873322346 Head Constable Kuldeep Singh was one of the members of storming party. He advanced in a dare devil manner leading his party without cover, amidst heavy firing and lobbing of grenades by militants. While advancing, he was hit by a bullet fired by the militants. Undeterred and with utter disregard to his own safety, he brought heavy fire on the militants and shot dead one of them. Seeing his associate being shot dead, the second militant ran towards first floor and took position in a toilet from where he lobbed grenades on the troops. Finding it difficult to eliminate the militant, Shri Pramod Kumar, 2IC and Shri V K Langoo, Assistant Commandant, without caring for their lives, advanced towards the toilet amidst heavy volume of fire. When they reached close to the toilet, Shri V K Langoo, at great risk to his life, lobbed hand grenades in the toilet through the ventilator. As a consequence of the blast, the militant jumped out from the toilet and fired on Shri Langoo and Shri Pramod Kumar. Shri Langoo was hit by a bullet fired by the militant. Undeterred by the firing and the injuries, both these officers, displaying raw courage, charged on the militant and shot him dead. On search of the area, dead bodies of the slain militants were recovered along with two AK Series rifles, eight grenades and ammunition. The killed militants were identified as Arshad-Udal-Said, resident of Chak-68 Khanabal and Mohd Naseer Khan resident of Malkhan Bir, both Pakistan nationals.

In this encounter S/Shri Ved Prakash, Constable, Kuldeep Singh, Head Constable and V.K. Langoo, Assistant Commandant displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 18th October, 2003.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 184–Pres/2005- The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry/ Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Jammu & Kashmir Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1.	**Vikram Jeet Singh, SG Constable**	-	**PPMG (Posthumous)**
2.	**Sandeep Wazir, Deputy Suprientendent of Police**	-	**PMG**
3.	**Joginder Singh, Deputy Suprientendent of Police**	-	**PMG**

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 17.10.2003, at around 1000 hours two foreign terrorists appeared near Ali Jan Shopping Complex at M.A. Road, Srinagar and fired upon two BSF personnel killing them on the spot. The terrorists, further, while running inside the shopping complex, lobbed grenades on the road side to cause terror in the area. After entering the complex, the terrorists got themselves holed up in the fortified area. On receipt of the information, a police party led by SSP Srinagar and assisted by a contingent of BSF rushed to the spot to deal the situation under the command of Shri M.A.Shah, DIG, CKR, Srinagar. After some time D.G. Police Shri Gopal Sharma, also reached on spot and took the command of operation. A number of innocent civilians including students undergoing the computer training at the time of incident were trapped inside the building. In order to rescue them and to protect life and property, the terrorists were repeatedly asked to surrender who refused to do so. To achieve the goal, the operation was prolonged for 24 hours to tire out the terrorists. Under a well-designed plan, executed under the close supervision of D.G. Police, J&K, the innocent civilians trapped inside the building as also in the adjoining buildings were rescued without any harm by the fall of night. The following morning the afore-stated party moved ahead against the terrorists taking due precautions to avoid any collateral damage. On being challenged again to surrender, the terrorists resorted to heavy firing which was effectively retaliated by the raiding party. The raiding party displayed exemplary courage and moved closer towards the firing terrorists without caring for themselves. During this cross firing two terrorists got killed on the spot without causing any damage to the life and property of the civilians. The killed terrorists were later identified as Abu Junaid & Abu Habibullah owing allegiance to the LeT terrorist outfit. In the operation Shri Sandeep Wazir, Dy.SP sustained serious injury whereas SG Ct. Vikram Jeet Singh sacrificed his life. Following recoveries were made from the slain militants: -

1.	AK 47 rifle	- 1 No. (broken)
2.	AK 56 rifle	- 1 No. (broken)
3.	AK Magazine	- 2 Nos without springs

4. Broken piece of Mag. -1 No.
5. Rounds AK 47 - 11 Nos.
6. Rounds unserviceable - 04 Nos.
7. Unserviceable pouch - 01 No.

In this encounter S/Shri Late Vikram Jeet Singh, SG, Constable, Sandeep Wazir, Deputy Superintendent of Police and Joginder Singh, Deputy Superintendent of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of President's Police Medal/ Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 18th October, 2003.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 185–Pres/2005- The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry/ Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Border Security Force: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1.	**Shri Mustaq Ahmed Mir, Head Constable**	**PPMG**	**(Posthumous)**
2.	**Shri Ram Preet, Constable**	**PPMG**	**(Posthumous)**
3.	**V.S. Tiwari, Assistant Commandant**	**PMG**	
4.	**Surender Kumar, Inspector**	**PMG**	
5.	**Pradeep Kumar, Constable**	**PMG**	

Statement of service for which the decoration has been awarded:

Acting on specific information regarding presence of militants, BSF troops along with troops of 1 RR planned and launched a cordon and search operation in village Narwin, Distt Pulwama, J&K on 16 Sep 2003. On reaching the target area, the troops were divided into three parties. After having got the villagers gathered in the assembly area, search of the houses commenced. When the search was in

progress, militants hiding in a cow shed suddenly lobbed grenades and opened heavy volume of fire. The party took position and retaliated the fire effectively forcing the militants to come out from their position. In the mean time, two militants in a bid to escape made desperate attempts to break the cordon by lobbing grenades. To this Shri V S Tiwari, Assistant Commandant, Constable Ram Preet and Constable Pradeep Kumar reacted befittingly and engaged the militants by fire. In the exchange of fire and lobbing of grenades, Shri V S Tiwari sustained multiple splinter injuries in his left fore arm and right wrist. In spite of the injuries, Shri Tiwari, continued to engage the militants and did not allow them to escape. The militants, in turn, positioned themselves behind cover and intensified their firing. Assessing that these militants would cause more harm to his party, Constable Ram Preet, without caring for his own safety, came out from his cover and closed in on one of the militants killing him on the spot. Meanwhile, the other militant fired a long burst of shots injuring Constables Ram Preet seriously. Constable Ram Preet, though evacuated to hospital, succumbed to his injuries. The second militant, after injuring Constable Ram Preet tried to escape, but Shri V S Tiwari, Assistant Commandant, with out caring for his injury, chased the militant along with Constable Pradeep Kumar. The fleeing militant took shelter in a house and opened heavy volume of fire, as a consequence of which Shri Tiwari and Constable Pradeep Kumar sustained bullet injuries. In spite of serious bullet injuries, Shri Tiwari and Constable Pradeep Kumar displaying raw courage, closed in to the militant's position and shot him dead on the spot. On the other end of the area of operation, fierce exchange of fire was going on between BSF troops and the third militant. Seeing his companions killed, the militant panicked and in a bid to escape came out from his position firing heavily. Inspector Surinder Kumar and Head Constable Mustaq Ahmed Mir reacted quickly and intercepted the militant, who in turn took cover and lobbed a grenade and opened heavy volume of fire on Inspector Surinder Kumar, as a consequence of which, Inspector Surinder Kumar sustained multiple splinter injuries on both legs and bullet injury on right thigh. Despite these injuries, Inspector Surinder Kumar continued to engage the militant along with Head Constable Mustaq Ahmed Mir. Seeing Inspector Surinder Kumar critically injured, Head Constable Mustaq Ahmed Mir, without caring for his own safety, came out from his cover and advanced towards militant's position in order to neutralize the said militant. However, in the process he was hit by a long burst, fired by the militant and got seriously injured. Realising that the said militant could make an attempt in a bid to escape, Head Constable Mustaq Ahmed, though profusely bleeding, risked his life and in a close quarter battle shot him dead before he collapsed. Head Constable Mustaq Ahmed Mir was immediately evacuated to hospital where he succumbed to his injuries. On search of the area, dead bodies of three militants were recovered along with three AK Series rifles, one Pistol, six hand grenades, one radio set and one global satellite phone. The killed militants were identified as under: -

(a) Abu Umai @ Umar, R/O Pakistan, Operational commander of LeT out fit in Budgam, Pulwama, Shopian, Kulgam and Anantnag.

(b) Abu Walid @ Walid R/O Pakistan, District Comdr of LeT out fit

(c) Mohd Amin Wani S/O Abdul Aziz Wani R/O Shopian, J&K

In this encounter S/Shri Late Mustaq Ahmed Mir, Head Constable, Late Ram Preet, Constable, V.S.Tiwari, Assistant Commandant, Surender Kumar, Inspector and Pradeep Kumar, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of President's Police Medal/ Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 16th September, 2003.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 186–Pres/2005- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Border Security Force: -

NAME & RANK OF THE OFFICER
Shri C D Somanna,
Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded:

Acting on intelligence input regarding presence of militants in general area Malas, Distt Udhampur (J&K) troops of 102 Bn. BSF launched a search operation in said area on 8th May 2004. At about 1730 hrs, while BSF combat teams were approaching Malas Nullah, they were fired upon indiscriminately by the militants. The fire was retaliated by troops and an encounter ensued. During encounter a bullet pierced through the left arm of Constable C D Somanna. Undeterred despite profuse bleeding, Constable Somanna, exhibiting raw courage closed in to militant's position tactically and fired accurately killing one of the militants on the spot. The second militant continued his firing but was also killed in the encounter. On search of the area dead bodies of two militants were recovered along with two AK series rifles, three hand grenades, one radio set and ammunition. The slain militants were identified as Tariq Hussain, code name Mustakin and Mullah Umar code name Umar, both Pakistan nationals.

In this encounter Shri C D Somanna, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 8th May, 2004.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 187–Pres/2005- The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Border Security Force: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **S. Pratap Singha, Constable** **(Posthumous)**
2. **Maqbool Payer, Constable** **(Posthumous)**

Statement of service for which the decoration has been awarded:

Based on specific information regarding presence of militants in the house of one Abdul Ahmed Khan of Khan Mohalla, Village Narwah, District Pulwama (J&K), troops of 71 Bn planned and launched on operation on 17th January, 2004. According to the plan, a party consisting of one officer, two subordinate officers and forty seven other ranks rushed to the village. On reaching the target area, the troops were divided into two groups and a cordon was laid on the village from two sides. Observing presence of troops, militants hiding inside the house opened heavy volume of fire. Immediately, the party commander Shri B.B. Sidhra, DC took stock of the situation, shifted his position along with Constable Maqbool Payer and moved stealthily towards the target house in order to neutalize the militants. Sensing danger, two militants jumped out from the house and tried to run away firing indiscriminately and injuring Constable S. Pratap Singha, who was deployed in the inner cordon close to the target house. Undeterred by the injury and with utter disregard to his own safety, Constable Pratap Singha, exhibiting raw courage, chased the fleeing militants and inflicted injuries to one of them before succumbing to his own injuries. In the other phase of the operation, the third militant, who had positioned himself under cover, was firing indiscriminately on the troops. The fire was retaliated but was not effective. In order to neutralize the militant, Constable Maqbool Payer, with utter disregard to his own safety, crawled perilously close to the militant's position and shot him dead in a hand to hand close quarter battle. However, in the process, he also sustained multiple bullet injuries and later succumbed to his injuries. On search of the area, dead body of the slain militant was recovered along with one AK series rifle, four AK Mag, one Hand Grenade and ammunition. The slain militant was identified as Mohd. Yusuf Dar S/o Gulam Mohd Dar R/o Chuckhrd, Pulwama (J&K) of HM Outfit.

In this encounter (Late) Shri S. Pratap Singha, Constable and Late Shri Maqbool Payer, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the

award of President's Police Medal and consequently carry with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 17th January, 2004.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 188–Pres/2005- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Border Security Force: -

NAME & RANK OF THE OFFICER
Shri Udaivir Singh,
Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded:

Based on specific information regarding presence of militants, a joint operation was launched by troops of 120 Bn BSF and 42 RR in village Luragam, Tral, Distt Pulwama (J&K) on 5 August, 2003. After laying cordon around the targeted house, the operational party asked the militants to surrender but instead of doing so they made a desperate attempt to break the cordon by firing heavily on the cordon party followed by lobbing of grenades. However, the alert troops retaliated the fire forcing the militants to take cover. In order to flush out the militants, the party hurled grenade inside the house as a result of which one of the militants jumped out from the house firing indiscriminately and lobbing grenades on the cordon but was killed by the troops. Seeing his companion killed, the other holed up militant increased the volumes of fire In the exchange of fire, the house caught fire and flames engulfed the house. The militant, unable to bear the heat and smoke coupled with direct firing by the troops, made a final attempt to escape by lobbing grenades on the cordon. At this crucial moment, Constable Udaivir Singh who was positioned in the close vicinity of the targeted house reacted very swiftly. He, without caring for his personal safety and exhibiting exemplary courage advanced aggressively towards the militant's position and shot him dead on the spot. On search of the area, dead bodies of two militants were recovered along with one AK rifle, one hand grenade, one UBGL grenade, one radio set and ammunition. The killed militants were identified as Ayaz Shaheen @ Shaheen S/O Moulvi Mubarak Shah R/o Pakistan and Yayaz Hazam @ Zarar S/O Gulam Ahmed Hazam R/O Satura, Tral (J&K).

In this encounter Shri Udaivir Singh, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 5th August, 2003.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 189–Pres/2005- The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry/ Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Border Security Force: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **Sanjay Yadav, Second-in-Command** **(PPMG)**
2. **Mohd. Ishaq, Constable** **(PMG)**

Statement of service for which the decoration has been awarded:

Acting on specific information regarding presence of militants in Village Tansar, Distt. Anantnag, J&K, a joint Cordon and Search Operation was planned and conducted by the troops of BSF and 9RR on 27 May 2004. According to plan, the village was cordoned by the troops and a search operation commenced. The search party led by Shri Sanjay Yadav, Second-in-command of 90 Bn BSF, while searching a cow shed, was fired upon heavily by the hiding militants followed by lobbing of grenades. The party retaliated the fire and a fierce gun battle ensued. At this juncture, two militants under the cover of heavy fire and lobbing of hand grenades, made an attempt to escape. Constable Mohd. Ishaq, who was positioned at a Vantage point very close to the hide out of militants, with out caring for his own personal safety, exposed himself and exhibiting raw courage, shot dead one of the militants on the spot. Thereafter, the other militant with a lightening speed charged towards Shri Sanjay Yadav, but Shri Yadav, exhibiting rare combat audacity and indomitable courage kicked the militant twice in a fraction of second as a consequence of which the militant lost balance in holding his weapon. Before the militant could re gain his balance and fire, Shri Yadav, in swift action, fired and killed the militant on the spot. The third militant managed to break the cordon and attempted to flee but was shot dead by BSF and Army troops in a running battle. On search of the area, dead bodies of three militants were recovered along with three AK series, one under Barrel Grenade Launcher, five hand grenades and ammunition. The slain militants were

recovered along with three AK series rifles, one Under Barrel Grenade Launcher, Five hand grenades and ammunition. The slain militants were identified as :-
(a) Farooq Ahmed Sheik S/O Gualm Ahmed Sheik, R/O Mohanpora (b) Javed Ahmed Dar S/O Ghulam Nabi Dar, R/o Mohanpora & (c) Imtyaz Ahmed Wani S/O Ghulam Hassan Wani, R/O Areh.

In this encounter S/Shri Sanjay Yadav, Second-in-Command and Mohd. Ishaq, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of President's Police Medal/ Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 27th May, 2004.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 190–Pres/2005- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Border Security Force: -

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Satya Singh, **(Posthumous)**
Head Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded:

In the wake of parliamentary elections of 2004, R.II BSF adhoc battalion was formed. This Battalion was deployed for election duty in hyper sensitive Naxalite activity prone area under PS Jagar in Distt Dantewada in Chhattisgarh. On 22nd April, 2004, troops of B coy of the battalion were sent to Bacheli via Aranpur Ghati on foot, the area being prone to IEDs and infested with Naxalites. HC Satya Singh and two other constables including one Police Constable were leading the column tactically on foot scanning both the sides of the road for detection of IED's. The troops after covering about 15 kms on foot, reached Aranpur Ghati, a thickly wooded area straddled between mountainous terrain on both sides of the road which was heaped with rocks. There was no marked track or alternative route available in the area. At about 1250 hrs, when HC Satya Singh was approaching the rocky area, Naxalites electronically operated an IED. The IED blast occurred close to the scout resulting in critical injuries to HC Satya Singh. Immediately after the IED blast, Naxalites opened heavy volume of fire on the troops. Sensing danger, HC Satya Singh despite being critically injured and profusely bleeding, engaged the Naxalites by fire and force them to flee from the scene of incident. However, HC Satya Singh succumbed to his injuries. The highest degree of valour, grit and determination

displayed by HC Satya Singh, with utter disregard to his own safety and despite being grievously injured, resulted in averting heavy loss/damage to own men and material.

The following recoveries were made at the site of gallant action : -

(a) Pieces of pipe Bomb (IED)
(b) 40 Mtrs of flexible electric wire.

In this encounter Late Shri Satya Singh, Head Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 22nd April, 2004.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 191–Pres/2005- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Border Security Force: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **Lakhvir Singh,**
   Assistant Commandant
2. **Himat Singh Negi,**
   Sub Inspector
3. **Babu P.**
   Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded:

Based on specific information regarding presence of heavily armed hard core militants in village Batnoor, Distt Pulwama, J&K , Commandant 120 Bn BSF planned and launched an operation in the targeted village on 21-06-2004. As per plan, Shri Lakhvir Singh, Assistant Commandant along with troops rushed to the village. While the cordon was being laid, one of the militants in a bid to escape jumped out from the window of the targeted house firing hevilly on the troops. The second militant hiding inside the house also fired heavily on the cordon party to give covering fire to the escaping militant. Visualising that the militant would escape , Shri Lakhvir Singh, Assistant Commandant, with utter disregard to his own personal safety and exhibiting rare courage, exposed himself in front of the militant and shot him dead on the spot in a close quarter battle. On the other side of the operation, the

1 G/2005

second militant holed up in the house was still firing and lobbing grenades on the cordon party. Finding it difficult to eliminate the holed up militant from his position, Constable Babu. P, putting his life at great risk and displaying raw courage tactically advanced towards the targeted house amidst heavy firing of the militant and gained entry in the house. Seeing this move, the militants concentrated his fire on Constable Babu. P. Undeterred by the firing of militant, Constable Babu. P positioned himself and injured the militant with his accurate firing which forced the militant to jump out from the house. The injured militant in a bid to escape took cover and fired indiscriminately on the cordon party. Sensing danger, Sub Inspector Himmat Singh Negi, who was providing covering fire to Constable Babu.P reacted swiftly and charged on the militant and with utter disregard to their own safety eliminated the militant on the spot. On search of the area, dead bodies of two militants were recovered along with two AK series rifles, two hand grenades, one radio set and ammunition. The slain militants were identified as Basheer Ahmed Sheik, S/O Abdul Mazeed Sheik, R/O Sitapur Sophian, J&K and Abu Ansari @ Yasir, R/O Pakistan.

In this encounter S/Shri Lakhvir Singh, Assistant Commandant, Himat Singh Negi, Sub Inspector and Babu P. Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 21st June, 2004.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 192–Pres/2005- The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry/ Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Border Security Force: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1.	**Dalbir Singh, Inspector**	**PPMG**	**(Posthumous)**
2.	**D D Sharma, Head Constable**	**PPMG**	**(Posthumous)**
3.	**Abdul Taslim, Constable**	**PMG**	
4.	**Mukesh Kumar Constable**	**PMG**	

Statement of service for which the decoration has been awarded:

Acting on specific information provided by a source regarding presence of militants in one of the house of village Baroh, PS Kalakote, Distt Rajouri, J&K, troops of 91 Bn. BSF launched an operation in the village on 9 September 2004. On reaching the village, troops laid a strong cordon around the targeted house. At about 1020 hrs, one of the militants came out from the house for surveying the area. On seeing the troops, he immediately took position and opened heavy fire followed by lobbing of grenades on the party. Undeterred by the firing, Constable Abdul Taslim and Constable Mukesh Kumar, with utter disregard to their own personal safety advanced towards the militant's position braving volley of bullets, Having reached close to the militants position, they exhibiting raw courage charged on the militants and shot him dead on the spot. The other militant, who was hiding inside the house, threw grenades and started firing on the cordon. The fire was retaliated by the troops but was not effective as the militant was well entrenched. At this juncture, Inspector Dalbir Singh and Head Constable D D Sharma took the initiative. In order to eliminate the militant, Inspector Dalbir Singh and Head Constbale D D Sharma, without caring for their own safety and displaying courage of the highest order advanced tactically close to the target house. When they reached the target house, both of them climbed on top of the house from behind with an aim to lob grenade inside the house. But the militants observed this move. Sensing danger, he immediately dashed out of the house and jumped into the adjoining maize field. After positioning himself under fire cover, the militant fire heavily and lobbed grenades on Inspector Dalbir Singh and Head Constable D D Sharma as a consequence of which both of them sustained serious bullet/splinter injuries. Despite being critically injured and profusely bleeding, Inspector Dalbir Singh and Head Constable D D Sharma engaged the militant effectively and shot him dead on the spot in a close quarter battle before they succumbed to their injuries. On search of the area, dead bodies of two militants were recovered alongwith two AK series rifles, four Chinese made Grenades, one wireless set and ammunition. The killed militants

were identified as Rab-UL-Nawaz @ Shirazi Asami R/O Teh. Milsi, Distt Behadi, Pakistan and Salil-E-Islam S/O Safari R/O Pakistan.

In this encounter S/Shri Late Dalbir Singh, Inspector, Late D D Sharma, Head Constable, Abdul Taslim, Constable & Mukesh Kumar, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of President's Police Medal/ Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 9th September 2004.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 193–Pres/2005- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Border Security Force: -

NAME & RANK OF THE OFFICER
Shri T H Daihriimao,
Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded:

Based on specific information regarding presence of one hard core militant in village Lurgam, Tral, Distt Pulwama(J&K), troops of 120 Bn. BSF planned and launched an operation on 24/25 Feb. 2003. According to the plan, a party consisting of one officer, two subordinate officers and 30 other ranks rushed to village Lurgam and cordoned off three suspected target houses. At about 02.50 hrs, it was confirmed by the sources that one hard core militant was trapped in one of the houses and was desperately trying to escape. The party commander immediately readjusted the cordon and plugged all escape routes. At first light on 25 Feb., 2003, the party commander decided to storm all the three houses simultaneously and accordingly detailed raiding parties for each house. While the raiding operation was in progress , the militant who was hiding in one of the houses opened heavy volume of fire and pinned down the party. The fire was retaliated but was not effective as the militant was well entrenched. At this critical stage, Constable T H Daihriimao took the initiative. He , with utter disregard to his own safety moved very close to the house amidst heavy firing of the militants and occupied dominating position. Sensing danger, the militant tried to shift his position by firing heavily on Constable Daihriimao. Undeterred by the firing of militant and exhibiting rarest of rare courage, Constable Daihriimao charged on the militant and shot him dead in a close quarter battle. On search of the area, dead body of the militant was recovered along

with one AK Rifle, one hand grenade, one radio set and ammunition. The slain militant was identified as Abdul Rashid Malik, R/O Chak Midura (Tral) Jammu & Kashmir.

In this encounter Shri T H Daihriimao, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 24th February 2003.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 194-Pres/2005- The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry/ Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Border Security Force: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1.	**Jaivir Singh, Constable**	**PPMG**	**(Posthumous)**
2.	**Rajneesh Kumar Assistant Commandant**	**PMG**	
3.	**Bali Mohd. Constable**	**PMG**	

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 17th May 2004, militants opened fire on one of the ambushes of 3 Garhwal in area Mahu, Distt Rajouri, J&K. Troops of 3 Garhwal promptly cordoned the area. At first light on 18th May 2004, at the request of Comanding Officer 3 Garhwal, a strong re-inforcement from 142 Bn BSF rushed to the area and joined the ongoing operation. Militants were asked to surrender but they intensified their firing as a consequence of which two personnel of 3 Garhwal and one BSF person sustained bullet/splinter injuries. To prevent escape of militants, the cordon was further tightened. At about 190245 hrs, militants made an attempt to break the cordon by charging with heavy volume of fire on the BSF cordon party led by Shri Rajneesh Kumar, Assistant Commandant, who showed rare qualities of leadership, and without caring for their own personal safety, Shri Rajneesh Kumar, AC, Constable Jaivir Singh and Constable Bali Mohd exposed themselves to the militants and retaliated the fire accurately killing one of the militants in a close combat and pinned down the other militants. But, in the process all of them sustained bullet injuries. Despite combat injuries and bleeding profusely, they kept on firing at the remaining militants

which forced the militants to retreat to their hideout inside the cordon. However, Constable Jaivir Singh succumbed to his injuries while being evacuated to hospital. On assessing the critical situation, additional BSF troops were requisitioned to join the operation. The remaining militants kept on firing on the BSF and Army troops from their cover throughout the day and night and made several attempts to escape. But the alert troops did not allow the militants to escape and held them by fire till 22 May 2004. Since there was no more firing from the militant's side, a search was carried out on 22 May 2004 at 1600 and the operation was finally called off on 23 May 2004 at 1530 hrs. During search, six dead bodies of militants, who were killed in the operation were recovered along with following arms, ammunitions and other items :-

AK rifles	-	06 Nos.
AK Mag	-	18 Nos
AK Amn	-	473 Rds
UBGL	-	01 No
UB Grenades	-	07 Nos
Hand Grenades	-	05 Nos
Stun Grenades	-	01 No
IED	-	02 Nos
Radio Sets with antennas		03 Nos
Indian currency	-	Rs 44,908/-
Cell	-	31 Nos
Binocular	-	01 No

While three of the slain militants were identified as, Irfan Bhat @ Abu Tarab, S/O Mohd Ashraf, Distt Jehlum, Pakistan, Rashid @ Janbaz, S/O Abu Rehman, R/O Sabras, Teh. Mahore, Distt Udhampur, J&K, and Mohd Iqbal @ Mohd Faisal, S/O Malik AB Satar, Distt Kotly, Pakistan, the identity of the other three militants could not be established.

In this encounter S/Shri Late Jaivir Singh, Constable, Rajneesh Kumar, Assistant Commandant & Bali Mohd., Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of President's Police Medal/ Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 19th May 2004.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 195–Pres/2005- The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Border Security Force: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

Shri Sudhir Kumar Bameta, (Posthumous)
Assistant Commandant

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On receipt of information about movement of militant on Line of Control near Nala-2 post, a joint operation was launched by the troops of 28 Bn. BSF and 11 Maratha Light Infantry on the intervening night of 16/17th July, 2002 in area between Forward Defended Locality (FDL) Point 8688 and Sheela Ridge, near Dhanna Village (Sauji), Mandir Mandi, Distt., Poonch, J & K. While the search operation was in progress, two militants who were well entrenched in a Maize field, lobbed grenades and followed it, by a heavy volume of fire at the search party led by Shri Sudhir Kumar, Assistant Commandant. Shri Sudhir Kumar, who was leading from the front, sustained serious bullet and splinter injures. In utter disregard to his own safety, he charged towards the militants while firing and exhorted his men to retaliate. In the process, he shot dead one of the militant in a close quarter battle, though he was again hit by bullets fired by the other militant. Spurred by the officer's daring action, the Jawans retaliated spiritedly, thus taking away the initiative from the other militant and preventing him from inflicting further causalities. Despite critical injures, the officer continued to provide combat leader ship, through personal example; till he collapsed. The second militant made a desperate attempt to escape but was shot dead by the vigilant men. On search the area, dead bodies of two militants were recovered along with one AK series rifle, one UBGL, Four UBGL grenades, two hand grenades, two IED's, three radio sets and large quantity of ammunition. In this action, the officer displayed raw courage, unprecedented valour and readiness for self-sacrifice, in the best traditions of the force.

In this encounter (Late) Shri Sudhir Kumar Bameta, Assistant Commandant displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of President's Police Medal and consequently carry with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 17th July, 2002.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 196–Pres/2005- The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry/ Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Central Reserve Police Force: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1.	**Y N Rai, Assistant Commandant**	**PMG**	
2.	**Dev Singh, Head Constable**	**PMG**	
3.	**E.G.Rao, Head Constable**	**PMG**	
4.	**T.A.Singh, Constable**	**PMG**	
5.	**K K Pandey, Constable**	**PPMG**	**(Posthumous)**

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 24/11/2002 at about 1845hrs, taking advantage of darkness due to electricity failure in and around the Raghunath temple complex a Fidayeen unobtrusively tried to enter the precincts of Raghunath Mandir along with the Devotees. The militant forced himself past the frisking point at the main gate by hurling some grenades causing commotion as Devotees ran helter-skelter. There was complete darkness in the courtyard of the Mandir. Taking advantage of the commotion and darkness the militant managed to run towards the Sanctum Sanctorum of the Mandir. CT/GD K.K.Pandey who was performing the sentry duty in Morcha No.1 located near the entrance of the courtyard responded quickly and bravely. In a bid to locate the Fidayeen in the darkness and to neutralize him Ct. K.K.Pandey swiftly moved out of his bunker, not caring for his own safety and fired six rounds from his rifle towards the Fidayeen thereby restricting the movement of Fidayeen, and alerting all other sentries in the Mandir Complex as well as devotees who immediately ducked for cover. However one stray bullet fired by the militant hit him at vital organ, which proved fatal and, therefore, the individual succumbed to this injury on the spot. Meantime Constable T.A. Singh engaged the Fidayeen from the rooftop. Taking advantage of darkness, militant moved towards the sanctum sanctorum and took cover behind the pillars. While making further efforts by Constable. T.A.Singh, the militant hurled a grenade on him. HC E.G.Rao joined Constable T.A.Singh to locate the Fidayeen. After exchange of heavy fire HC E.G.Rao moved towards the end of rooftop nearer to the position of the militant with intention to engage him. In this process militant fired at him causing critical injuries. By this time Shri Y.N.Rai, A/C and HC Dev Singh arrived and, using tactical acumen, they crawled up to a mobile bulletproof bunker. Shri Y.N.Rai and HC Dev Singh took position behind the mobile bunker, reached in front of the grill gate from

where they were in a vantage position to engage the militant effectively. Acting on a favorable moment, Shri Y.N.Rai and HC Dev Singh stepped out of the bunker and killed the militant face to face on the spot. Next day morning, it was reported that another militant who escaped the previous night had entered into a house at Rajinder market. Shri Y.N.Rai and HC Dev Singh moved towards the roof of adjoining building and took tactical position. The militant was hiding in a room in the first floor of the building. Shri Rai and HC Dev Singh started firing at militant and lobbed grenades in the room. Moving tactically, Shri Rai reached near the room and found that the militant had positioned himself tactfully. Shri Y.N.Rai, A/C fired a burst on the militant and tried to jump back but a bullet fired by the militant hit his left arm. HC Dev Singh, who was just behind Shri Rai fired a burst and pulled out injured Shri Rai. Thereafter a hole was made in the wall using LMG fire & metal pipes through which grenades were hurled and the militant was killed. Apart from the CRPF personnel, Army, Civil Police personnel and officers were also involved in the above operation. Shri P.L.Gupta, IGP Jammu Zone, Shri Dilbag Singh, DIG Jammu Range and Shri Farooq Ahmed SSP Jammu personally supervised the operation alongwith Shri S.Constentine, DIG, CRPF, Jammu, Shri B.S.Gill, CO-49 Bn and other CRPF officers.

In this encounter S/Shri Y N Rai, Assistant Commandant, Dev Singh, Head Constable, E.G.Rao, Head Constable, T.A.Singh, Constable, and Late K K Pandey, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of President's Police Medal/ Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 24th November, 2002.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 197–Pres/2005- The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Central Reserve Police Force:-

NAME & RANK OF THE OFFICERS

Shri Joginder Pal,
Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded:

One section of C/109 Bn was deployed at Public Service Commission Office, Residency Road, PS-Kothi Bagh, Srinagar, J&K since 25/6/2004. On every Sunday, an open market used to be organized on the footpath in front of PSC office. On 31/10/04 also the Sunday market was going on and a huge crowd was visiting for shopping. On 31/10/04 HC/GD P.B.Nikam was functioning as Guard/Post Commander at said post and No. 889910155 CT/GD Joginder Pal and CT/GD Mahesh Bhagat were performing patrolling duty in front of said post. At about 1645 HRS, HC/GD P.B.Nikam noticed two persons (civilians) moving in front of above post in suspicious manner. Immediately, HC/GD P.B.Nikam asked CT/GD Joginder Pal and CT/GD Mahesh Bhagat to keep vigilance on both these suspected persons. Both constables, concentrated their vigilance on these two suspected persons and followed them. The two suspected walked for some distance and mingled with other public in the Sunday market. However, CT/GD Joginder Pal moved ahead in their search and he was followed by CT/GD Mahesh Bhagat. While CT/GD Joginder Pal moved ahead in the crowd, suddenly, one of the suspected person pointed his pistol towards neck of CT/GD Joginder Pal and pulled the trigger at point blank range. Sensing the danger and identifying the suspected person, CT/GD Joginder Pal immediately turned around. In the course of action the suspected person fired one round from his pistol which hit the rear side of neck of CT/GD Joginder Pal. Immediately, CT/GD Joginder Pal also fired two burst of two rounds and injured said attacker. The attacker sustained bullet injury in his abdomen and collapsed on the road, after running few steps. CT/GD Joginder Pal, speedily rush to him, searched and recovered ONE CHINESE PISTOL with 07 live rounds and 01 magazine. The suspected person was identified as BASHIR AHMED BHAT S/O MOHD. ISMAIL BHAT aged 30 years, resident of Tangpora, Batmallo, Srinagar (J&K) and AREA COMMANDER OF HIZBUL-MUZAHIDIN. He succumbed to injuries on 1/11/2004. The other suspected person who was accompanying former also tried to flee from the spot but CT/GD Mahesh Bhagat identified him and immediately fired two burst of two rounds each and injured the fleeing suspect in his hand due to which he fell down. His nexus with militant group is under investigation by civil police. No. 889910155 CT/GD Joginder Pal has displayed conspicuous bravery and gallant action without caring his grave bullet injury. Without caring for risk of his life and bullet injuries sustained by him, he not only injured the dreaded militant but also recovered arms/amn from him.

In this encounter Shri Joginder Pal, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 31st October, 2004.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 198–Pres/2005- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Central Reserve Police Force: -

NAME & RANK OF THE OFFICER

S/Shri

1. **P.S. Rajendran,**
   Head Constable
2. **S. Babu,**
   Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 14/3/2004, on receipt of reliable information one section of D/83 Bn, CRPF, under the command of No. 710543567 SI/GD Chandra Ballabh with one HC and 7 Constable of D/83 Bn, CRPF under over all Ops command of Pulla Shobhan Kumar, O/S Inspector, A.P Police, Bhopalpally alongwith SI of Bhupalpally P.S and his team left by lorries for raid and search Ops, duty at 0245 hrs in Kasimpally area P.S. Bhupalpally District Warangal, Andhra Pradesh. The party alighted at the outskirts of Ansanpalli village at around 0500 hrs. At about 0600 hrs, the cordon party surrounded the house of one Kasarla Ravi in village Ansanpalli, which falls under P.S: Koyyur, Distict: Karimnagar bordering Bhupalpally P.S of Warangal District. The PWG sentry who was standing near the window noticed the Ops party surrounding the house and immediately alerted others. The Ops party warned naxalites to surrender. Despite repeated pleas naxalites fired on the Ops party with automatic weapons. In the meantime two naxalites fled away from the house through the back door. The Ops party then chased the fleeing naxalites and opened fire on them. They got injury but escaped through thick cotton field. One lady naxalite ran away from the house and after taking position in a narrow passage (Galli) between two neighbouring houses fired heavily with automatic weapon on a sub-group of Ops party consisting of Pulla Shobhan Kumar, O/S Inspector, No. 861160254 HC/GD P.S. Rajendran and No. 015242316 CT/GD S. Babu of D/83 Bn, CRPF. No. 861160254 HC/GD P. S. Rajendran was able to locate the lady naxalite. The lady naxalite opened heavy fire on them. Though No. 861160254 HC/GD P. S. Rajendran was under heavy fire but without caring for his life exhibited outstanding courage by

advancing tactically towards the lady naxalite and on clearly spotting her under grave threat to his life opened fire from his INSAS Rifle. The lady naxalite was hit and there was no way for her to escape from the spot and she died on the spot. Further No. 861160254 HC/GD P. S. Rajendran moved tactically towards the lady naxalite exhibiting conspicuous courage and snatched away her .30 US Carbine and 2 magazines loaded with 30 rounds of ammunition. The slain lady naxalite was later identified as Jorika Saranna Alias Venula Radha Alias Sugunakka Alias Suguna W/o one Sumanna, resident of Tekumatla, Chityal Mandal, District Warangal earlier area committee member of Chityal – Bhupalpally and Commander of Venkatapur LGS and now CO of recently formed Bhupalpally Plain Area Squad of CPI (ML)PWG. In the meantime, Pulla Shobhan Kumar, and CT/GD S. Babu were able to locate another fleeing naxalite who was firing on them with a .303 Rifle. But without caring for life and by exhibiting conspicuous courage, they chased him for a distance. With the help of the covering fire by No. 015142018 CT/GD T. Thirupati Reddy of D/83 Bn, Pulla Shobhan Kumar and CT/GD S. Babu advanced rapidly and tactically and shot the fleeing naxalite dead. One .303 Rifle and 40 rounds of ammunition were recovered from his possession. The extremist was identified as Kasarla Ravi resident of Ansanpalli, P. S: Koyyur, Distt: Karimnagar. In the operation Kit bags of two naxalites and incriminating PWG documents containing list of political leaders who are targets of CPI (ML) PWG were also recovered. The dead bodies, Arms and Ammunition and other items were handed over by Bhupalpally Police to Koyyur Police Station.

In this encounter S/Shri P S Rajendran, Head Constable and S.Babu, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 14th March, 2004.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 199–Pres/2005- The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Central Reserve Police Force: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

Shri Satyabir Singh, (Posthumous)
Head Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 11 September, 2004 at 2005 hrs one section of B Coy of 132 Battalion CRPF located at Wangoo village Police station Kumbi, district Bishnupur (Manipur), laid an ambush on Wangoo bridge, Imphal River. At about 2035 hrs two un-identified/suspected personnel approached the ambush site from across the bridge. When the suspects came close, HC/GD Satyabir Singh, challenged them to stop and establish their identity. The un-identified suspects immediately took out a grenade and lobbed it at HC/GD Satyabir Singh. The grenade blasted close to the Head Constable, who suffered serious splinter injuries. Unmindful of his injuries HC/GD Satyabir Singh immediately retaliated and shot at the UG who was killed on the spot. The other suspected UGs escaped under the cover of the darkness and thick bamboo growth. One pistol with two live rounds and a Kenwood walkie-talkie was recovered from the slain UG, who was identified as, T. Brojen Singh (24 yrs) an S/S corporal of PREPAK group. HC/GD Satyabir Singh succumbed to his injuries. Bold and prompt action of HC/GD Satyabir Singh saved the lives of his section personnel. The Head Constable exhibited high degree of bravery and supreme self-sacrifice in face of grave danger.

In this encounter (Late) Shri Satyabir Singh, Head Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of President's Police Medal and consequently carry with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 11th September, 2004.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 200–Pres/2005- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Central Reserve Police Force: -

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Chaudhary Vinod Bhai, (Posthumous)
Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On the basis of secret information of movement of 11-12 insurgents led by S/S Sgt. Ashok Deb Barma in Nalongbari/Tulabari village area, a joint Ops with Civil Police and 2 platoons of E/68 Bn., CRPF was planned by Shri M.S. Upadhyay, Asstt. Commadant (O.C. E/68 Bn., CRPF) on 01/07/2004. One platoon with SI/GD Harsh Singh Negi while moving for Ops, came across some unidentified people at about 1915 hrs at Kalabari crossing on Barabari/Paglabari Maidan track. When challenged, CRPF personnel were fired upon by those unidentified insurgents and fire was immediately retaliated. On receipt of information of the firing, Shri M.S. Upadhyay AC who was awaiting progress of laying of cordon to further move with his troops for search, immediately moved as reinforcement alongwith B.P. Vehicle. Within 10 minutes he reached the spot, took stock of situation and talked to few villagers living in that area so as to understand likely direction of further movement of insurgents who had fled the scene when fired back. On getting the required inputs and despite risks involved in "Hot Pursuit" of fleeing extremists during dark night, he once again briefed his troops and tactically moved towards Dongerbari village. Leading platoon when reached the outskirts of Dongerbari village, Ct/GD Chodhary Vinod Bhai guide / scout of the party, saw a hazy figure ahead at about 2045 hrs and challenged him. In response some other unidentified insurgent hiding in a nearby hut, opened fire seriously injuring said CT/GD Chaudhary Vinod Bhai, who also despite injuries, retaliated by opening fire from his personal weapon. While exchange of fire continued for sometime, Shri Upadhyay moved ahead tactically without caring for his own security / safety and reached the site. He immediately arranged cordoning of the huts despite the dark night hours under cloud cover and arranged evacuation of the injured const. by B.P. Vehicle. When Ct Vinod Bhai was evacuated by the party, his rifle magazine was found empty which clearly indicated that he even after getting injured could courageously fire 40 rounds. Later on Ct Vinod Bhai was further evacuated to G.B. Pant Hospital, Agartala as an emergency case, after immediate 'First-Aid' at PHC Kalyanpur. However, despite best efforts the injured Const. Vinod Bhai could not be saved.

In this encounter Late Chaudhary Vinod Bhai, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the

award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 1st July, 2004.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 201–Pres/2005- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Central Reserve Police Force: -

NAME & RANK OF THE OFFICER
Shri Biplab Mondal,
Assistant Commandant

Statement of service for which the decoration has been awarded:

Troops of F/39 Bn CRPF under command of Shri Biplab Mondal, Assistant Commandant conducted a joint operation at Suara (Near Lakhari) on 09.08.2000 in which two L-E-T militants were killed and recovered 2 AK-47 Rifles, One Pistol, One wireless set, Two grenades and other Amns/ documents. On 10.08.2000 early morning a civilian informed Shri Biplab Mondal A/C that two militant who had escaped from Suara, the Saura operation on 09.08.2000, were hiding in a house located at Sorena Chora village (Gurha Galyal). Shri Biplab Mondal, A/C alongwith troops immediately rushed to the village Sorena Chora. When the party reached near the said house and search operation was carried out, it was found vacated. The complete area was cordoned off. A villager told the officer and troops that two suspected men carrying weapons went towards the forest area. Simultaneously, Shri Mondal informed to all concerned including S.P. Kathua over wireless about presence of militants in the area. In the meantime Civil Police and VDC member of the village also reached the spot and combined operation was carried out. During the Operation, militants, suddenly opened fire and threw grenades targeting the troops and a burst fired by the militants hit a Home Guard official namely Manjit Singh who died on the spot. Shri Biplab Mondal, A/C 39 Bn. who was taking position very close to the killed Home Guard Manjit Singh immediately changed his position and even without caring for his life, threw a grenade and also fired effectively towards the position of the militants, which resulted in killing of one militant who was identified as a foreign mercenary with the code name Narsullah owing his allegiance to Harqat –Ul-Mujahidin outfit. One AK-47 Rifle, 06 AK-47 Magazines, 51 live rounds of AK-47, two Hand Grenades, one wireless set, Belt and Indian Currency Rs.15070/ etc were recovered from the killed militant. Due to thick forest and terrain area, another militant managed to escape. Dead body of the killed militant and arms/amns

recovered were handed over to Civil Police (Ramkot Police Post). FIR to his effect was lodged with the concerned Police Station. Shri Biplab Mondal A/C 39 Bn also participated in other joint operation at Sorena Chora village on 12.08.2000 with his troops in which one militant was killed who had escaped earlier during the encounter on 10.08.2000 in the same village. Arms/Amns and explosives were also recovered from the killed militants in the Joint Operation on 12.08.2000.

In this encounter Shri Biplab Mondal, Assistant Commandant displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 10th August, 2000.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 202–Pres/2005- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Central Reserve Police Force: -

NAME & RANK OF THE OFFICER

S/Shri

1. **Mool Chand Panwar, Commandant**
2. **Ashawjit Gaikwad, Constable**

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On the basis of a secret information on 30/07/2004 that some hard core insurgents were indulging in anti-national activities in areas of village Krishna Prasad Para (Chhaygaria) Gram Saba- Ashighar, P.S- Jirania, Distt-West Tripura a special Ops was planned. Shri Mool Chand Panwar, Commandant 68 Bn CRPF himself led the operation with raiding party which was to undertake a swift and effective raid to apprehened the insurgent (s). He intelligently planned and constituted his party with due care to maintain surprise while moving for the operation in the remote area. After proper briefing and preparation, he alongwith the whole party, left camp at about 0100 hrs on 31/7/2004 and reached near village (Chhaygaria) (Krishna Prasad Para) around 0300. By 0345 hrs Shri Panwar tactically positioned stops/cut offs and persuit team to deny any opportunity to insurgents to escape the net. Thereafter he with his raiding team members cautiously stalked towards the house where insurgent (s) were reportedly staying overnight as per inputs available, after tactically negotiating hilly terrain made more difficult due to rains and reached near the marked house on a

"TILLA" (small hillock), on the out skirt of the village bordering thick forest. He alongwith his selected teammates checked for sentry (ies) if any, positioned by the insurgents but none could be located. He and his team waited for some more time and let the inmates wake up and come out of the house at their own. At about 0445 hrs inmates woke-up and started coming out who were surprised, seeing CRPF party surrounding the house. They were warned and asked to come out raising their hands and without creating any commotion, 9 inmates including children and women came out. When Shri Mool Chand Panwar, Commandant started moving ahead followed by few other of his raiding party members, one person among the inmates perhaps apprehending being caught, taking cover of a women fired upon Shri Panwar from his automatic pistol and started running away to make good of his escape through the nallah/jungles located just at the rear of the house. Shri Panwar who was very close to the extremist saved himself by tactical swift reaction. He simultaneously reacted displaying high degree of agility and presence of mind and without caring for his own safety fired back at the extremist from his personal weapons (AKM), maintaining balance and sense of reasoning to ensure safety of others including women and children, displaying high degree of courage, bravery and leadership. No. 971290703 Constable/GD Ashwjit Gaikwad with his L.M.G. who was covering Shri Panwar from a corner of the house, also confidently fired upon the insurgent immediately. The insurgent was hit by bullets fired by both simultaneously. Shri Panwar, rushed to the fallen insurgent and snatched the pistol from his and tried to talk to him to extract information about other extremists likely to be in the area/village but this insurgent was a hard core one and did not divulge any information and finally after about 7/8 minutes he succumbed to his injuries on the spot. Subsequent search of the slain insurgent and the house led to recovery of some incriminating documents/A.T.T.F. Cadre's medicines, photographs of few extremist etc in addition to the 9 mm Chinese pistol and its 3 live rounds in its magazine. The insurgent was later identified as SS Corporal Nayan Deb Barma @ Jagdish, Area Commander of All Tripura Tiger Force, a major Tripura insurgent outfit having numerous criminal cases of serious nature pending against him including that of the ambush on G/1st Bn, CRPF troops, killing 3 of them and taking away three weapns on 5/2/2004. It was a big blow to A.T.T.F. outfit as they lost one of their Area Commanders of the most sensitive sector of Mandal under P S-Jirania of West Tripura district.

In this encounter S/Shri Mool Chand Panwar, Commandant and Ashawjit Gaikwad, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 31st July, 2004.

Barun Mitra

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 203–Pres/2005- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Shashtra Seema Bal: -

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Charu Chandra Pathak **(Posthumous)**
Assistant Commandant

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 23rd April 2004, Late Shri C.C. Pathak along with Shri Rajender Kumar AC of the same Bn. had gone to TAC Hqrs. of 7th Bn, situated in Indira Nagar, Srinagar(J&K) for an official duty. On their way back to coy Hqrs, Shri Pathak was informed that the SSB guard deployed at Congress Bhawan, Srinagar had been attacked by militants with grenades. On getting this information, late Shri Pathak, without caring for his life and safety and in spite of the grave threat, rushed to the site (Congress Bhawan) and initiated counter measures immediately with a view to locate and neutralize the militants, so that the life and property of the citizens could be protected. Unfortunately, during this process, late Shri Pathak sustained serious head injuries due to another grenade thrown by the militants who were hiding in the vicinity. Despite this grave and serious injury, Shri Pathak continued his efforts to neutralize the militants and save people and property with all his might. He faced the militant attack bravely even in a seriously injured condition, till re-enforcement could reach the spot. Unfortunately, he could not survive the head injury and breathed his last on 27.04.2004 at 0630 hrs.

In this encounter Late Shri Charu Chandra Pathak, Assistant Commandant displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 23rd April, 2004.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 204–Pres/2005- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Delhi Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

S/Shri

1. Rajbir Singh, (3rd Bar to PMG)
Assistant Commissioner of Police

2. Mohan Chand Sharma,
Inspector (3rd Bar to PMG)

Statement of service for which the decoration has been awarded:

An Information was received that some terrorists are likely to bring arms/ammunition/explosive material in a truck whose registration number had 153 as the last three digits from J&K. A watch was kept and on 30.08.2003, at about 2PM, a truck bearing registration No.JK-03-0153 was seen parked in the Qutab Road parking lot in the area of PS Sadar Bazar. A watch was maintained on this truck and its occupants. At about 7.45 PM, two persons appeared near the truck. A short stature man also came to the truck a short time thereafter. He also entered the driver's compartment and they were seen talking and going to the roof of the truck. The police team challenged them and carried out a search of the truck. Three fruit boxes were found. One of the three boxes was containing 10 hand grenades, 10 UBGL shells and one UBGL (Under Barrel Grenade Launcher). On thorough questioning they disclosed their identities as Parvez Ahmed(Driver), Farooq Ahmed @ Farooz(Cleaner) and Noor Mohd. Tantray @ Gulzar Ahmed (the short person), all from Pulwama in Jammu & Kashmir. A case FIR No.70/2003 dated 30.08.2003 u/s 120-B, 121, 121-A, 122, 123 IPC 4,5 Explosive Substance Act & 25 Arms Act, PS Special Cell, Lodhi Colony, New Delhi was registered. Noor Mohd Tantray disclosed that he was to deliver the consignment to two persons, one of whom is a Pakistani, at Millennium Park, on Ring Road near Nizamuddin Bridge. They would be coming in a white Maruti car. He also said that the Pakistani had been brought by him (Noor Mohd) and handed over to one Habibullah of Secundrabad, UP, who had been trained with him in Pakistan. He gave brief description of both. Immediately a team lead by ACP Rajbir Singh and consisting of Inspector Mohand Chand Sharma, Insp. Lalit Mohan, SI Govind Sharma, SI Sanjay Dutt, SI Badrish Dutt, SI Arvind Kumar, SI Rahul Kumar, SI Umesh Barthwal, SI Mehtab Singh, SI Dharmender, SI PawanKumar, SI Jai Kishan, SI Satpal, ASI Rishipal, ASI Vikram, ASI Davender, ASI Narender, ASI Sanjeev Lochan, ASI Bhoop Singh, HC Satinder, HC Kuldip, HC Anand Prakash, and Const. Surender was formed. A trap was laid at Millennium Park. At about 10.45 PM, a white Maruti car bearing registration No. DL-3CN-8749 came with two persons. When challenged, they got out of the car and attempted to escape. They also started firing while fleeing. Their fire was returned and in the exchange of fire, both the terrorist were killed. Their dead bodies were identified byNoor Mohd as those of Habib @ Rafeeq Ahmed @ Aslam S/O Shafiq Ahmed R/O

390, Kaziwada, Sikandrabad, Distt. Bulandshar, UP Killed near the gate and Zahoor Ahmed @ Mohd. Mumtaz Shahid r/o Distt. Kushab , Punjab Province, Pakistan, killed near the curved wall inside the park. Two .30 bore star Chinese pistols with magazines were recovered from the two slain terrorists alongwith some personal effects like purse, sundry documents etc. When the Maruti car was searched One AK-56 rifle with two loaded magazines containing 30 rounds of ammunition each were recovered. Also Rs.2 lacs in cash were found in the car. The case of Police encounter was registered vide FIR NO. 445 dated 31.08.2003 u/s 03/4/20 POTA and us 186/353/307 IPC & 25/27 Arms Act PS Hazrat Nizammuddin and investigated by the South District police. On further interrogation, Noor Mohd. Tantray disclosed that the has been working for Jaish-e-Mohammad in the valley and he is a trained militant having received training in Pakistan as well as Afghanistan in the year 1990 and 1991. He is an expert in preparing improvised explosive devices. Originally , from Traal in Pulwama District of J&K, he had gone underground in the past three years and was presently living in village Hassipura, Tehsil Chadora, District Badgam, J&K. He also disclosed that the real name of Pak militant Zahoor Ahmed is Mohd. Mumtaz Shaid (20/20 years), who is from Khushab District of Punjab province, Pakistan and has been engaged in terrorist actions in the valley for the last two years. Noor Mohd. also disclosed that he was in touch with a Jaish Militant namely Rashid from whom he took his orders. Rashid had been taking orders from Ghazi Baba. According to him both Rashid and Ghazi Baba were operating from higher reaches of the hills above Traal in J&K. Accused Noor Mohd. Tantray was a militant of "A" category and the launching chief/Divisional Commander , of Jaish-e-Mohd., for whole Kashmir. He was directly under supervsion /control of Rashid, Deputy Chief Comander and Gazi Baba, Chief Commander of J-e-M. Both of the have already been killed in an encounter with BSF. As per the records of J&K Police accused Noor Mohd. Tantray @ Peer Baba @ Gulzar Ahmed Bhat @ Uwais is previously involved in 2 cases- case FIR No.136/03 u/s 307 IPC, 7/25 Arms Act PS Sadar Srinagar, J&K and Case FIR 248/03 u/s 4/5 Explosive Substances Act PS Sadar Srinagar, J&K.

During the encounter with the militants ACP Rajbir Singh swiftly took his position near the curved wall. He very closely faced the hail of bullets being showered from the trained militant's pistol. Undeterred and unfazed, without caring for his life and exhibiting exemplary courage and determination, he bravely faced the militants and fired 4 rounds from his service revolver.

During the encounter with the militants Inspector Mohan Chand Sharma swiftly took his position near the corner of main gate of Millennium Park.. He very closely faced the hail of bullets from the trained militant's pistol without caring for his life and exhibiting exemplary courage and determination, he bravely faced the militant Rafeeq Ahmed @ Guddu and fired 7 rounds from his service pistol.

Shri Rajbir Singh, ACP and Inspector Mohan Chand Sharma, who risked their lives have shown conspicuously exhibited highest degree of bravery, courage,

motivation and professionalism in this operation, otherwise the dreaded terrorists and his associates, would have continued their reign of terror and would have succeeded in conducting their terrorist activities which might have resulted in heavy lose of life and property.

In this encounter S/Shri Rajbir Singh, Assistant Commissioner of Police and Mohan Chand Sharma, Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 30th August, 2003.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 205–Pres/2005- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Delhi Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

S/Shri

1. **Rahul Kumar,**
   Sub Inspector
2. **Vikram,**
   Head Constable (now ASI)
3. **Narender,**
   Head Constable (now ASI)

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 13.12.2002, secret information was received that some heavily armed terrorists would come in a White Maruti Zen car from Faridabad side in the early hours of 14.12.2002 for carrying out some terrorist action in Delhi. In order to apprehend them, different teams of Special Cell were deployed at vantage points on the roads coming from Faridabad. On 14.12.2002 at about 6.00 AM, the team deployed at Surajkund Border Picket spotted one White Maruti Zen Car bearing registration (No. DL 7C – 5921) coming towards Delhi. The team signaled it to stop for checking, but the car sped off. Immediately this team informed all other teams and simultaneously gave a chase. Accordingly, other teams converged at MB Road – Surajkund Road T-Point in order to intercept this car. When the police teams tried to intercept the Zen car at the T – point, the driver, in a desperate attempt to escape, hit a culvert on MB Road near Tughlaqabad Fort. Three persons jumped out of the car and started firing indiscriminately on the advancing police party. Members of police team also took positions and returned fire in self – defence. In the ensuing shoot out which lasted for

about 50 minutes, the two militants of Lashar – e – Toyyaba, later identified as Mohd Aslam Gojar and Mohd. Javed Malik – both Pak nationals, were killed. However, the third militant took the advantage of darkness and managed to escape. Large quantity of explosive, Arms & Ammunitions was recovered from their possession. The militants also lobbed hand grenades on the police party. Around 94 rounds from AK – 56 Assault rifles were fired by the militants during the encoumter. A case vide FIR No. 78/2002 dated 14.12.2002 u/s 186/353/307/34 IPC, 25/27 Arms Act, 3/4 POTA and 3/4/5 Explosive Substance Act PS Special Cell (SB), Lodhi Colony, New Delhi was registered in this regard.

Recovery from the Slain militants :

- Two AK 56 Rifles with 26 live rounds.
- To empty magazines.
- Two loaded magazines each containing 30 live rounds.
- Three live hand grenades.
- Two hand grenade levers.
- Two hand grenade pins
- Two fake I Cards.
- Letter titled Tehriq – e Ghaznavi.

When the Pak terrorist did not stop their Maruti Zen car at Surajkund Border Picket, SI Rahul Kumar, who was positioned there, alongwith other teams members, chased them and simultaneously alerted other teams. As soon as the militants jumped out of their car and started firing on the police party, he leapt out of his car and swiftly look his position behind the parking wall. The two militants took position in the park adjoining the Tughlaqabad Fort and kept firing indiscriminately with their AK – 47 assault rifles, SI Rahul Kumar had positioned just in front of the militants and thus he very closely faced the hail of bullets from the trained militants. Militants also lobbed two hand grenades towards the police party. But undeterred and unfazed, SI Rahul Kumar, putting his life at risk, bravely faced the militants and fired 27 rounds from his AK – 47 assault rifle.

When the militants Zen car crossed the Surajkund Border Picket, ASI Vikram Singh along with his team members was positioned in his car at Mehrauli- Badarpur Road. When they got the message about the movement of militants, they moved towards the MB Road T- Point. When they along with other teams tried to intercept the militant's car in order to apprehend them, the militants in an attempt to escape, hit their car on a culvert near Tughlaqabad Fort. As soon as the militants jumped out of their car and started firing on the police party, ASI Vikram Singh sprang out of his car and he also took his position behind the parking wall. The two militants took position in the park adjoining the Tughlaqabad Fort and kept firing indiscriminately with their AK – 47 assault rifles. ASI Vikram very closely faced the hail of bullets from the trained militants. Militants also lobbed two hand grenades towards the police party. Without caring for his life and exhibiting exemplary courage and

determination, he bravely faced the militants and fired 10 rounds from his AK – 47 assault rifle.

As soon as the militants jumped out of their car and started firing on the police party. ASI Narender, got out of the car with a bound and positioned himself behind the DDA Store situated inside the park adjoining the Tughlaqabad Fort. Militants kept firing indiscriminately with their AK – 47 asault rifles and also lobbed two hand grenades towards the police party. In coordination with other team members, ASI Narender, putting his life as risk bravely faced the militants and fired 21 rounds from his AK – 47 rifle.

In this encounter S/Shri Rahul Kumar, Sub Inspector, Vikram, Head Constable and Narender, Head Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 14th December, 2002.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 206–Pres/2005- The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Delhi Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

1. **Shri Mehtab Singh,**
   Sub Inspector
2. **Devender,**
   Head Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 21.05.03, on the basis of a specific information, one Mehboob r/o Vill. Loi, Muzaffarnagar U.P., a member of Lashkar-e-Tayyaba was apprehended while in possession of illegal firearms & ammunition from near Bhajanpura Crossing at about 11.30 AM. From his possession one pistol along with eight live cartridges were recovered. A case vide FIR No.38/2003 dated 21.05.03 u/s 25 Arms Act was got registered at PS Special Cell, Lodhi Colony and investigation taken up. Accused Mehboob, on sustained interrogation, reveled that he was in contact with a Pakistani terrorist Abdul Aziz @ Arif r/o Bahawalnagar Pakistan belonging to Lashkar-e-Tayyeba outfit. On his persuation, Mehboob also joined him in the cause of Jihad.

He further disclosed that the pistol and cartridges recovered from his is a part of larger consignment of arms-ammunition & explosives kept with Arif at his Deenpur, Najafgarh hideout. On the night intervening 21/22.05.03, at about 4.15 AM, Mehboob led the police party to the hideout of Arif in Deenpur Colony of Najafgarh area.

When the police party covered the militant's house in Deenpur, Najafgarh and Shri Rajbir Singh, ACP challenged him to surrender, the Pak militant opened fire upon the police party. SI Mehtab Singh positioned himself along with Shri Rajbir Singh, ACP on the rooftop of the adjacent house, which was directly in the firing line of the militant. He very closely faced the hail of bullets being showered from the trained militant's AK-47 rifle. Putting his life at risk and exhibiting valour of outstanding nature, he bravely confronted the militant. He fired 15 rounds from his AK-47 and played a vital role in neutralizing the militant.

HC Devender positioned himself along with Inspr. Mohand Chand Sharma on the rooftop of the kitchen of the house, which was directly in the firing line of the militant. He very closely faced the hail of bullets being showered from the trained militant's AK-47 rifle. It was his utmost exemplary courage, which resulted in the neutralization of terrorist attack. Undeterred and unfazed, he bravely confronted the militants and fired 16 rounds from his AK-47 rifle and played a vital role in neutralizing the militants.

SI Mehtab Singh and HC Devender risked their lives and exhibited exemplary courage, bravery and motivation in this operation. All these officers were fired upon by the slain militants and got hit by the bullets fired by them but were saved by the bulletproof jackets they were wearing.

One AK-47 assault rifle with four magazines, 92 live rounds and 06 hand grenades were recovered from the killed militant.

In this encounter S/Shri Mehtab Singh Sub Inspector and Devender, Head Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of President's Police Medal and consequently carry with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 22nd May 2003.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 207–Pres/2005- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Delhi Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

S/Shri

1. **Pawan Kumar,**
   Sub Inspector
2. **Rishi Pal Singh,**
   Assistant Sub Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 2 April, 2004, an industrialist of Patna Sh. S.N. Sahay was kidnapped from Pataliputra Colony, Patna by a gang led by Chhutka Santosh. The calls of demand for ransom were made from Delhi Sh. S.N.Sahay was released on the night of 5/6.4.2004 after payment of Rs.20 lakhs ransom. The calls of demand for ransom were analysed and were found to have been made from the area of Badarpur, Paharganj and Tilak Marg, Delhi. Further information was received that Chhutka Santosh and his associates are planning to abduct a businessman of Delhi and for that purpose they are negotiating the purchase of an AK-47 rifle, magazines and rounds. This information was further developed. On 10.4.2004, specific information was received that Chhutka Santosh along with his associate Ajay would come in a Maruti Car No.DL-1-C-B-3491 for negotiation of an arms deal near Rai University, Haldiram, Mathura Road, New Delhi. A trap was laid and at about 11.30 PM the said Maruti Car was spotted coming on the service lane and it pulled over near plot No.A-42, Mathura Road, New Delhi adjoining the Rai University. Two persons alighted from the car and stood beside that car. When the team of Special Cell swooped upon to apprehend them, they ran inside the premises of A-42 Mathura Road which is under construction. They started firing at the police party. The police party returned the fire in self defence and for apprehending them. After 15-20 minutes, when firing stopped from the side of gangsters, the police party carefully approached them and found Chhutka Santosh and his associate Ajay Singh injured. One .32 bore pistol make LIama and one .30 bore Chinese pistol were recovered. The injured gangsters were removed to hospital where they were declared brought dead. Case FIR No.217 dated 11.4.2004 u/s 307/186/353/34 IPC 25/27 Arms Act PS Sarita Vihar, New Delhi was registered. The antecedents of the gangsters were checked from the authorities at Patna, Bihar. Chhutka Santosh @ Santosh Paswan @ Rahul (aged 24 years) s/o Girdhari Das was found to be resident of Vill. Dhunki, PS Sarmera, Distt. Nalanda, Bihar and Ajay Singh (aged 26 years) s/o Late Ram Chander Singh was found to be resident of Behata, Patna, Bihar. Chhutka Santosh and his associates were involved in more than 27 cases of murder, kidnapping for ransom, attempt to murder, dacoity, extortion and assault on police personnel.

When the police party tried to apprehend the two dreaded criminals, one of

them later identified as Santosh Paswan @ Chhutka Santosh ran towards right side (towards the building of Rai University) while the other, later identified as Ajay Singh ran towards left side (towards City Bank Building) and they started firing at the police party. SI Pawan Kumar along with other team members chased gangster Chhutka Santosh and confronted him. He had no cover for his safety and was directly in the firing line. He very closely faced the hail of bullets being showered from the dreaded criminal's pistol. Without caring for his life and exhibiting exemplary courage and determination, he bravely faced the gangster and fired 5 rounds from his service pistol and was instrumental in neutralizing a desperate and one of the most wanted gangsters of Bihar.

ASI Rishipal Singh alongwith other team members chased gangster Ajay Singh and confronted him. He had no cover for his safety and was directly in the firing of the defiant criminal. Undeterred and unfazed, he put his life at risk and bravery confronted the criminal. He fired 5 rounds from his pistol and played a vital role in neutralizing the gangsters.

In this encounter S/Shri Pawan Kumar, Sub Inspector and Rishi Pal Singh, Assistant Sub Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 10th April, 2004.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 208–Pres/2005- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Delhi Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

S/Shri

1. **Arvind Kumar,**
   Sub Inspector
2. **Dharmender Kumar,**
   Sub Inspector
3. **Umesh Barthwal,**
   Sub Inspector
4. **Bhoop Singh,**
   Assistant Sub Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 07.12.2003, on a specific information a raid was conducted at D-56 Khanpur, MB Road, New Delhi and two persons who were later identified as Tarif Hussain(age 24 yrs) and Tazeem Ahmed @ Kakal (age 28 yrs) both r/o Rajouri, J&K were apprehended. On sustained interrogation they disclosed that they were members of Hizbul Muzahideen Peer Panjal Regiment (HMPPR), a breakaway faction of Hizbul Mujahideen terrorist outfit. Their bags/belonging on checking, were found to contain, two AK 56 Rifles, 4 loaded magazines with 30 rounds each, 2 detonators, 4.3 Kg. RDX Rs.15 Lacs and 6 hand grenades. Accordingly, a case FIR No.103/2003 dated 07.12.2003 u/s 3/4/5/20/22 POTA, 121/121A/122/123/120B IPC, 4/5 of explosive Substance Act & 25 of Arms Act, was registered at PS Special Cell SB, Lodhi Colony, New Delhi. On interrogation, both the terrorists disclosed that the consignment of arms, ammunition, explosive and Rs.15 lakhs was to be given to one Hafiz Rahid, a Pakistani National who would be traveling in a white Maruti car No.DL2C E-8499, around 10 PM at Lotus Temple, Kalkaji. On this information, a trap was laid at Lotus Temple, Kalkaji. At about 10.15 PM, a white Maruti car bearing No.DL2C E-8499 came there and stopped at the opposite side to Louts Temple. Two persons alighted from the car and stood near their car. They were challenged and were asked to surrender, but both of them took out their weapons immediately and started firing at the police party. In self defence and in roder to apprehend them, the police party fired at them. In the ensuing shootout, both the militants were killed. Two .30 caliber pistols of Chinese origin and of Star mark were recovered from them. 16 spent cartridges and 31 live cartridges of .30 bore were recovered. The dead militants were later identified by the Tarif Hussain and Tazeem Ahmed as Hafiz Rashid @ Javed Iqbal r/o Abetabad, Pakistan and Ali Bahadur @ Liyakat @ Bilal r/o Kotli, Muzaffarabad, POK. The Search of the vehicle they had used resulted in recovery of one pouch which contained the registration certificate of the vehicle, Rs.43,000/- cash and two pens containing white powder suspected to be Cyanide. A case vide FIR No. 953/2003 dated 08.12.2003

u/s 3/4/20 POTA, 186/353/307/34 IPC & 25/27 arms act was PS Kalkaji New Delhi was registered.

When the police party tried to apprehend the militants, one of the militants ran towards the right side park (later identified as Ali Bahadur @ Bilal) and the other tried to flee running straight towards Kalkaji Temple (later identified as Hafiz Rahsid), while continuing to fire upon the police party. During the encounter, SI Arvind Kumar positioned himself behind the electric pole which was directly in the firing line of the Pak militant, and fired on the terrorist, who was coming chasing towards him but blocked the escape route of the terrorist and continued firing. He very closely faced with the hail of the bullets being fired from the trained Pak militant's pistol. Some of the bullets fired by the militants even hit the electric pole behind which the SI had taken his position. Undeterred and unfazed and exhibiting exemplary courage and determination, he put his life at risk and bravely confronted the militant.

During the encounter, SI Dhramender Kumar positioned himself behind the small wall of 2 feet height on the left side, which was directly in the firing line of the militant Hafiz Rashid and started firing on the terrorist. He very closely faced with the hail of the bullets being showered from the trained Pak militant's pistol. Undeterred and unfazed and exhibiting exemplary courage and determination, he put his life at risk and bravely confronted the militant.

SI Umesh Barthwal immediately took his position himself near the stationed Pepsi trolly, which was directly in the firing line of the militant Ali Bahadur @ Bilal. He very closely faced with the hail of the bullets being showered from the trained Pak militant's pistol. Undeterred and unfazed and exhibiting exemplary courage and determination, he put his life at risk and bravely confronted the militant.

ASI Bhoop Singh positioned himself inside the park behind the small wall on the right side, which was directly in the firing line of the Pak militant Ali Bahadur @ Bilal. He very closely faced with the hail of the bullets being showered from the trained Pak militant's pistol. Undeterred and unfazed and exhibiting exemplary courage and determination, he put his life at risk and bravely confronted the militant.

In this encounter S/Shri Arvind Kumar, Sub Inspector, Dharmender Kumar, Sub Inspector, Umesh Barthwal, Sub Inspector and Bhoop Singh, Assistant Sub Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 7th December, 2003.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 209–Pres/2005- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Delhi Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

S/Shri

1. **Ramesh Sharma, Sub Inspector**
2. **Harbir Singh, Sub Inspector**
3. **Naresh Sharma, Sub Inspector**
4. **Pramod Kumar, Assistant Sub Inspector**

Statement of service for which the decoration has been awarded:

A sensational Jain Brothers kidnapping took place at Sonepat, Haryana registered vide case FIR No. 71/04 dated 25.03.2004 u/s 364/420/468/471 IPC PS civil Lines, Sonepat, Haryana. The kidnappers demanded Rs. 2 Crores as ransom money and the duo Jain brother had to undergo the torturous captivity for 15 days before their release. The international ransom calls originating from European countries brought more mystery and sensation in the cartel profile and operation. Hence, Haryana Police soughted assistance from Crime Branch, Delhi. Inspr Pankaj Sood alongwith his team including SI Ramesh Sharma, SI Harbir Singh, SI Naresh Sharma and ASI Pramod Kumar was deputed to work upon the cartel. Working meticulously and scientifically , intelligence was developed that this kidnapping was the handy work of Jagtar Singh @ Jagga, a terrorists of Khalistan Commando Force headed by Paramjit Singh Panjwar based in Pakistan and assisted by Rattandeep Singh @ Chotu suspectedly based in a European Country, to raise funds for the organization. On the intervening night of 28/29.04.2004, Inspr Pankaj Sood received a input that the terrorists outfit linked Jagtar Singh and his associates had moved towards Delhi intending to kidnap one Model Town based rich businessman while on morning walk in the early hours. Swiftly, the dedicated team headed by Inspector Pankaj Sood swung into action and laid a trap at Wazirabad Road, in the area of PS

Timarpur, in three vehicles. Officials Qaulis with staff including ASI Pramod Kumar under the supervision of SI Ramesh Sharma was stationed near Duble Pulia, A private Maruti with staff including SI Naresh Sharma Car under the supervision of Insp. Pankaj Sood was stationed near Soorghat and official Gypsy with staff under the supervision of SI Harbir Singh was stationed near Red Light, T-Point Around 4.20 AM, one Maruti Esteem car was seen coming from Ghaziabad side, SI Ramesh Sharma, who was in uniform, signaled the vehicle to stop. But instead of stopping, the Maruti Esteem occupants took out a pistol and fired on the chasing police party in Qualis. Their initial burst of fire hit the steering of Qualis through windscreen. Noticing the fire and chase by Qualis, the remaining team in another two vehicles chased the Esteem car during chase, while the Qualis tried to overtake the Esteem, the driver Jagtar Singh again fired in the Qualis but due to timely intervention of SI Ramesh Sharma, the fire hit at the roof the Qualis from inside through window. The police party also fired in self-defence on the esteem leading to a fierce encounter. Found cordoned by the police, the occupants of the Esteem came out firing on the police party trying to escape. The police party also came out of the vehicles firing in self-defence. The apprehension of Jagtar Singh and Ravinder Singh alive was most desired to know the exact scenario and footings of terrorist outfit and its nefarious designs to spread terror in India. The front line team of Insp. Pankaj Sood, SI Ramesh Sharma, SI Harbir Singh, SI Naresh Kumar and ASI Pramod Kumar, took the risk of their life, came closer and closer to apprehended the firing duo alive, but during close cross firing the duo Esteem occupants received bullet injuries and fell on the ground. The injured were immediately shifted to Bara Hindu Rao Hospital for treatment where they were declared brought dead. Two foreign made pistol alongwith live misfired, fired cartridges and the mobile phone instrument snatched from the Jain Brothers were recovered from the duo. With this, the terror of top of the line kidnapping for ransom kingpin of North India having international terrorist links was ended which could have created havoc and sensation. This also would curtail the international terrorist organization regrouping and fund raising efforts by their nefarious act of kidnappings in India. In such an adverse situation where the desperate hardcore-armed criminals were firing and there was every possibility of serious casualties particularly to the front line team of Insp. Pankaj Sood, SI Ramesh Sharma, SI Harbir Singh, SI Naresh Kumar and ASI Pramod Kumar. These officers took the risk of their lives by trying to apprehended the firing duo alive, came closer to the duo and showed extra ordinary courage and a rare act of gallant and even after the duo received bullet injuries, rushed them to hospital for their survival. SI Ramesh Sharma (Fired three rounds), SI Harbir Singh (fired three rounds), SI Naresh Sharma (fired five rounds), and ASI Pramod Kumar (fired three rounds), had to open fire in order to save the life of teammates. Insp. Pankaj Sood, who was even unarmed, SI Ramesh Sharma, SI Harbir Singh, SI Naresh Kumar and ASI Pramod Kumar showed exemplary rare gallant, courage, dedication towards their duties, caring for the lives of teammates, responsibility towards the National Security and great presence of mind.

In this encounter S/Shri Ramesh Sharma, Sub Inspector , Harbir Singh, Sub Inspector, Naresh Sharma, Sub Inspector and Pramod Kumar, Assistant Sub Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 29th April, 2004.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 210–Pres/2005- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry/ Bar to Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Jammu & Kashmir Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **Viplav Kumar, IPS** — **BAR to PMG**
   Additional Suprientendent of Police
2. **Khudmukhtiar Dev,**
   Sub Inspector
3. **Gafoor Hussain,**
   Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 07.02.2002 at 1530 hours, on a specific information regarding presence of a PTM in the house of one Ab. Wahid S/O Ab. Kabir Bhat R/O Mohalla Asrarabad, Kishtwar, Addl.S.P. Kishtwar Shri Viplav Kumar, IPS along with Police Party of Police Station Kishtwar and STF Kishtwar immediately cordoned off the area surrounding the house. As the search party entered in the 1st floor of the house, the militant who was hiding there, threw a hand grenade from the window on the cordon party led by the officer. The grenade exploded in the other side of the boundary wall of the house narrowly missing the officer and accompanying police personnel of the cordon party. The officer quickly got shifted all the civilians/residents of the house to one of the rooms on the ground floor and also tactically repositioned the police personnel of the cordon party. The militant in the meantime threw another grenade on the cordon party and jumped out the ground from the window of the room and started indiscriminate firing with his pistol towards the officer and three police personnel accompanying the officer, in which the officer had a narrow escape as the bullet missed him by hair line. The officer alongwith the accompanying police personnel retaliated the fire upon which the militant started fleeing towards the by-lane leading the main road Malik Market Kishtwar. The police personnel led by the officer chased the fleeing militant following which the militant got trapped in the by lane, where SI Khudmukhtiar Dev Singh and Constable Gafoor Hussain with police

party of PS Kishtwar were already deployed. The fleeing militant fired upon the police party led by Shri Khudmukhtiar Dev Singh, SI who retaliated quickly exhibiting extra- ordinary courage and despite being injured by militant. In the exchange of firing with the police party the trapped militant got killed. From the possession of the killed terrorist as well as from the site of encounter, the police party recovered the following arms/ammunition:-

1. One Pistol(Chinese) with one Magazine and 02 rds.
2. Two Wireless Sets (Kenwood)
3. One Hand Grenade, etc.

The killed militant was later identified as PAK trained militant namely Atta Mohd Code Sajid S/O Ab. Rehman R/O Siri Sigdi, Teh. Kishtwar, Distt. Doda. The slain militant was Distt. Commander of HM active since 1992, an IED Expert, I/C Finance of HM, was sending recruits for training and was coordinator of HM for District Anantnag and Doda. His killing was indeed a great achievement. In this incident, Shri Viplav Kumar, IPS, Addl.S.P. Kishtwar has exhibited extra-Ordinary presence of mind, courage and high quality of leadership in arranging cordon and killing of militant.

In this encounter S/Shri Viplav Kumar, IPS, Additional Superintendent of Police, Khudmukhtiar Dev, Sub Inspector and Gafoor Hussain, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of Police Medal/ Bar to Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 7th February, 2002.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

NO. 211–Pres/2005- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry/ Bar to Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Jammu & Kashmir Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1.	**Mukesh Singh, IPS Suprientendent of Police**	**BAR to PMG**
2.	**Veerinder Singh, Constable**	
3.	**Mast Ram, Constable**	
4.	**Klock Ahmed, Constable**	
5.	**Abdul Razik, Constable**	

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 10.07.2004, on receiving specific information about the presence of terrorist in Gundi Village, in proximity to Poonch town, Shri Mukesh Singh, SP, Poonch, immediately organized an operation. Shri Mukesh Singh along with Dy.S.P Ashok Sharma , Shabir Ahmed and other Police personnel of the district police Poonch, left for the target place. Police contingent led by Dy.S.P. Ashok Sharma was asked to cordon left side, whereas the party led by Dy.S.P., Shabir Ahmed was sent from the right side and the third and most important side from the front was led by officer himself. When the troops reached close to the target house, the officer challenged the terrorists and were repeatedly asked to surrender as some civilians were trapped inside the house. Shri Mukesh Singh, meanwhile, signaled his right cordon officer to evacuate the civilians. Seeing the civilians running out of the house the terrorists who were hiding in a separate room opened heavy fire and lobbed grenade on the police party to which the police party retaliated. Shri Mukesh Singh approached the house, despite heavy fire, which was returned by the officer and his men. There was sudden calmness as the fire stopped from inside. The officer then decided to storm the house, Constable Veerinder Singh No.348/P broke open the door and the officer alongwith his PSOs, facing a volley of bullets barged in. The officer taking gallant action in face of extreme danger succeeded in encircling the terrorists and as a result the morale of terrorists was shaken. The terrorist tried to escape by running out firing desperately at the officer and his party. Two of the fleeing terrorists were targeted by the front cordon led by the SP and were killed and the third injured terrorist tried to sneak into the maize crop was also chased and killed. All the three killed terrorists owed allegiance to LET outfit. Shri Mukesh Singh, IPS, SP Poonch and his party handled the situation independently and over-came the threat before any assistance of security forces could reach. By carrying out his successful operation the officer was able to neutralize three dreaded terrorists who were part of a

"Fidayeen" group which had already made an abortive attempt on the 93 Brigade Headquarter the preceding night. 3 AK-56 Rifles, 5 AK Magazines, 3 Nos of pouch, 24 Pencil cells, 2 nos of hand grenade, one wireless, one torch, one Raido transistor etc. were recovered.

In this encounter S/Shri Mukesh Singh, Superintendent of Police, Veerinder Singh, Constable, Mast Ram, Constable, Klock ahmed, Constable and Abdul Razik, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of Police Medal/ Bar to Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 10th July, 2004.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 212–Pres/2005- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Delhi Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

S/Shri

1. **M.S.Upadhye,**
   Deputy Commissioner of Police, Crime & Railways
2. **Ishwar Singh,**
   Assistant Commissioner of Police

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 17.6.2001, Amit Gogia s/o Sunil Gogia, Darya Ganj, Delhi was abducted from the area of Vikas Puri, while he was on his way to attend a function and was taken to an undisclosed destination by his abductors. The abductors demanded a ransom of Rs. 5 crores. Shri M.S. Upadhye, DCP/Crime Branch got information of this abduction, although the victim's family had chosen not to report the matter to the Police. DCP/Crime, M.S.Upadhye, constituted a special team under his supervision and started developing information on this abduction. In pursuance of the efforts of this specially constituted team, gathered from sources that the abduction had been organized by Brahm Parkash and his gang. On 22.6.2001, secret information was received that Brahm Parkash, a notorious criminal and his associates would assemble to collect ransom money from the victim's relatives in NOIDA. On this, a joint team of Anti – extortion and Anti – Robbery Cell, under the leadership of DCP/Crime, Shri M.S. Upadhye was divided into six sub-units, duly equipped with wireless sets and

placed at strategic locations in the area of NOIDA and Eastern Delhi. At around 3.45 PM, one vehicle was spotted moving in suspicious circumstances around the factory No. B-135, Sector – VI, NOIDA, belonging to victim's father Shri Sunil Gogia. This vehicle was intercepted. Immediately two desperados came out of the car and tried to escape. DCP/Crime Sh M.S. Upadhye and Inspector Ishwar Singh courageously confronted the criminals and over powered them in a swift and daring operation, before they could take out their weapons. These persons were identified as Jitender @ Jeetu R/o Krishna Park, West Delhi and Ajit Singh R/o Dadri (UP) both accomplices of Brahm Prakash. The two on interrogation disclosed that the kidnapped victim, Amit Gogia had been kept captive on the 1st floor of B-49, Gharoli Dairy, a slum area. Immediately, the house was got identified. DCP/Crime briefed the entire staff and formed a crack teams led by Shri Ishwar Singh, ACP and Shri H.P.S. Cheema, ACP who were directed to strike at the 1st Floor of above house for the rescue of the victim Shri Amit Gogia and rest of the staff were directed to cordon the house. It was a difficult operation as the 1st Floor could be accessed only through a narrow staircase and danger of getting exposed was immense. As some police men reached the door, it was found to be locked from inside. The Police team first made efforts for opening the door but finding no response from inside the house, made forced entry by pulling and breaking the door, all the time expecting a hall of bullets from inside. The team members including Inspector Ishwar Singh and Inspector Rajender Bakshi without caring their life went in. They were immediately attacked by the criminals and faced a volley of bullets. They ducked the bullets and fired in self-defence from their service weapons. The criminals were firing from two rooms at the police party. The crack teams staff made entry in the first and second room. The firing between the criminals and the police lasted for about five minutes. In this firing, Brahm Prakash was killed and his three associates were injured. The victim Amit Gogia who was confined by the criminals in a small room was rescued unhurt by the courageous act of Police teams. Shri M.S. Upadhye, DCP was present on the spot and personally supervised the entire operation all along. ACP Ishwar Singh fired one bullet from his pistol and ACP, H. P. S. Cheema also fired one shot to immobilize the dreaded criminals. Both the ACPs played a leading role in the entire rescue operation. Three Chinese Mauzers of .30 bore and one .9 mm Bareta Pistol with live and fired cartridges were recovered from the accused persons involved in 14 cases of heinous crimes including kidnapping and extortionists.

In this encounter S/Shri M.S.Upadhye, Deputy Commissioner of Police and Ishwar Singh, Assistant Commissioner of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 22nd June, 2001.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 213–Pres/2005- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Jammu & Kashmir Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri B. Srinivas, IPS
Senior Suprientendent of Police, Srinagar (now on Central deputation)

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On Oct. 1, 2001, the session of both the Houses concluded at 1300 hrs. The Hon'ble Chief Minister and most of the Ministers/MLAs/MLCs left the venue for their respective destinations. At about 1350 hrs after the traffic restrictions had been removed, an explosive laden TATA Sumo vehicle was driven up to the gate of the Assembly and exploded by suicidal mission. This resulted in the death of one security personnel, five civilians and one militant. This led to the utter confusion. Three terrorists, masquerading in police uniform, managed to run into the office complex of the Legislative Council. The militants resorted to indiscriminate firing and lobbing of grenades. Police contingent led by I.G. Kashmir, Shri A.K. Bhan and DIG Srinagar, Shri K.Rajendra Kumar reached the spot. After some time DG, Police Shri A.K. Suri , also reached the spot. While displaying exemplary courage and with out caring for his personal security, DIG Srinagar, Shri K.Rajendra Kumar along with his security officials managed to enter the office complex. Later the DGP and his security staff also entered the Council building while the militants, who were hiding in the Council complex, continued to fire and hurl grenades on them. Constable Rohit Sadhu who was accompanying the DGP got killed. While the militants were continuously firing, the Chairman of the Legislative Council, MOS Law, some MLCs and officials of the Legislative Council were evacuated by the marshalling bullet proof vehicles. Subsequently the Speaker, some official of the Legislative Assembly and few civilians who have come to visit the speaker were also evacuated personally by the Director General of Police. A large number of MLAs/MLCs and officials, however, continued to remain trapped in both the ground and first floor of the office complex of the Legislative Council/Assembly. While IGP Kashmir, Shri A.K. Bhan, planned the operations from outside the Assembly premises, DIG Srinagar directed the operations from inside and in coordination planned and succeeded in the evacuation and rescue of over 150 persons. SSP Srinagar, Shri B. Srinivas, supervised the deployment of troops encircling the Assembly. This was essential to prevent any escape of the terrorists who were holed up inside the Assembly building. During the course of the supervision the militants lobbed a grenade, splinter of which injured the SSP in his foot. Despite injury the SSP did not leave the spot and continued to guide his men till the operation was completed. During this period the militants continued to resort to indiscriminate firing and lobbing of grenades inside the complex targeting innocent officials. Some intermittent firing was also directed towards the security personnel operating from outside the complex. After the completion of the

evacuation, an operation was planned to neutralize the militants who had been holed up inside the complex. While the operations were planned and co-ordinated by IG Kashmir and DIG Srinagar Range, a small contingent of SOG Srinagar led by Dy. S.P. Ops. Shri K. T. Singh volunteered to execute the operation. Shri Singh, Dy. S.P. and his men entered the Council building and carried out room to room searches. This involved a considerable risk to their lives as it was not known as to where the militants were hiding. However, due to their deft skills, they were able to force the militants to come out of the room. These militants were subsequently shot dead by police personnel/BSF parties stationed outside the Council building. In this operation, 11 security personnel, 13 employees and 9 civilians lost their lives. 04 militants of Jaish-E-Muhammad, namely Wajahat Hussain Code Saifullah resident of Pakistan, Mohd. Irfan Zaman Code Umar resident of Karachi, Abdul Rouf Ahsan resident of Sehwal Punjab Pakistan and Tariq Ahmed Code Ayoubi resident of Sehwal Punjab Pakistan, were also killed.

In this encounter Shri B Srinivas, IPS, Senior Suprientendent of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 1st October, 2001.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

No. 214–Pres/2005- The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Border Security Force: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

Shri Sanjay Kumar.
Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 25 April 2003 at about 0945 hrs, a group of militants launched fidayeen attack by sudden and intense fire on the morcha of gate no.3 of MT (motor transport) workshop so as to gain entry in the BSF campus at Bandipur. One of the Constables, who were carrying out maintenance of the morcha, sustained fatal bullet injuries and died on the spot. Hearing the sound of fire, Constable Sanjay Kumar, who was manning the weapon inside the morcha at gate no.3, retaliated the fire but the assailant militant managed to run towards a nala close by. At the same moment, two more militants wearing 'FIREN' over civilian clothes emerged from the street. One of these militants, who was seen with explosives strapped on to his body started running along the perimeter wall of the campus taking cover of the tree line, while the other rushed and fired towards second morcha of the MT workshop and killed another Constable. In the meantime explosive wrapped militant lobbed a hand grenade on the gate. Taking advantage of the blast, falling debris and dust, the armed militant rushed towards the gate trying to gain entry into the MT workshop. Constable Sanjay Kumar, sentry at gate no 3, fired towards the militant to foil his attempt. The militant however, fired back heavily with automatic weapon and continued his pursuit. Sensing grave danger, Constable Sanjay Kumar came out of the morcha, and fired at the militant from behind the pillar. The militant however fired back and ran along the boundary wall away from the gate. Constable Sanjay Kumar in a rare display of raw courage and bravery, left the pillar cover, and engaging him with fire in a running battle, injured and immobilized the militant severely. Ct Sanjay Kumar however observed the militant pulling a grenade but before the militant could lob the grenade towards him, he closed in and killed the militant from a very close quarter, the grenade exploding in militant's hands only. In the meanwhile, the second militant having explosives strapped on his body made a desperate attempt to enter the gate but was engaged by the troops, who had by then taken position along the boundary wall. The militant blew into pieces due to explosion of the explosives strapped to his body. The brave BSF jawans had neutralized the fidyeen attack. On search of the area, dead bodies of two militants were recovered along with one AK series Rifle, three hand grenades and a large quantity of ammunition. The killed militants were identified as Manzoor R/O Karachi and Mohammed R/O Harishpura both belonging to the outlawed L-e-T militants outfit and Pakistani Nationals.

In this encounter Shri Sanjay Kumar, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the rule governing the award of President's Police Medal and consequently carry with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 25th April, 2003.

(BARUN MITRA)
DIRECTOR

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2005
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2005